राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 1 पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का 57 वां दिवस संख्या 25

सोमवार,

दिनांक 15 मई, 1972.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। सुश्री शकुन्तला।

मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों एवं स्मारिकाओं को विज्ञापन

487. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर): क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1971-72 में किन किन मान्यताप्राप्त व बिना मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों एवं स्मारिकाओं को विज्ञापन दिये गये व कितनी कितनी कीमत के? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें?

(2) गत तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किन किन समाचार समितियों को अनुदान सहायता की राशि स्वीकृत की गई? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(3) सन् 1971-72 में जन-सम्पर्क निदेशालय द्वारा किन किन पत्रकारों को कब कब राज्यव्यापी दौरा करवाया, उस पर कितना व्यय हुआ, तथा उसके क्या महत्वपूर्ण परिणाम निकले?

राज्य मंत्री, जन सम्पर्क (श्रीमती कमला बेनीवाल) :

(1) मान्यता प्राप्त बिना मान्यता प्राप्त पत्रों व स्मारिकाओं को वर्ष 1971-72 में किये गये विज्ञापनों का विवरण तालिका क्रमशः अ, ब तथा स सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। सूची 'क'।

(3) किसी भी पत्रकार को राज्य-व्यापी दौरा नहीं कराया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का जवाब मुझे देरी से मिला है। इस देरी से मिलने के कारण मैं आगे का कोई प्रश्न नहीं पूछ सकती हूं। तीसरे प्रश्न का जो जवाब मंत्री महोदय ने दिया है, उसके बारे में मैं यह जानना चाहूंगी कि किन्हीं भी पत्रकारों को राज्य व्यापी दौरा नहीं कराया गया है तो इसके क्या कारण हैं? क्या यह जरूरी नहीं है? हमारे

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)
राज्य में सीमाओं की जो स्थिति है, हमारे देश की जो स्थिति है. उससे जानकारी कराने और उससे जनता को अवगत कराने के लिए क्या राज्य सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है कि पत्रकारों को दौरा कराया जाय ? इसके बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है यह जानना चाहूँगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सारे राज्य का दौरा कराने की आवश्यकता नहीं है। जहां जहां विशिष्ट स्थानों पर कोई आयोजन होता है, या योजनाओं की क्रियान्विति होती है उसी प्रकार से पत्रकारों का दौरा कराया जाता है। राजस्थान भर को पत्रकारों को दौरा नहीं कराया जाता है। अलग अलग जिलों में राज्य के जो भी विकास कार्य हुए हैं उनसे जानकारी कराने के लिए पत्रकारों के वर्ग का दौरा कराया जाता रहा है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : यह बताया गया है कि दौरा करवाया गया है। मैं यह सूचना चाहती हूँ कि किन किन जिलों में किस किस प्रकार का दौरा करवाया गया है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : एक पत्रकार ग्रुप जो झूंझुनूं—सीकर साइड के थे, उनको कोटा का दौरा करवाया गया था। कोटा और जयपुर के औद्योगिक संस्थानों को उन्हें दिखाया गया, और इन औद्योगिक संस्थानों से जो प्रोडक्शन हो रहा है उनसे उनको अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त मेरे पास ऐसे विशिष्ट अवसरों पर पत्रकारों को जो दौरे कराये गये हैं उनकी सूचना उपलब्ध अभी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : कृपा करके मंत्री महोदय यह जानकारी देंगे कि जन-सम्पर्क विभाग में जो पत्रकार, सम्पादक राजकीय सेवा में हैं उनकी कार्यदक्षता और अनुभव को बढ़ाने के लिये राज्य व्यापीदौरा विभाग की ओर से आयोजित किया जाता है, और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : विभिन्न जिलों में जो पी. आर. ओ. रहते हैं वे जो पत्रकार दल जाते हैं, उनके साथ साथ दौरा करते हैं लेकिन दूसरे जिले के पी. आर. ओ. राजस्थान भर का दौरा करें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इन पत्रकारों की श्रेणी में 'ए' श्रेणी के पत्रकार कितने थे, बी श्रेणी के कितने थे ? इस बारे में भी क्या जानकारी देने का कष्ट करेंगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : झुंझुनूं और सीकर के पत्रकार दौरे पर गये थे, उनमें श्री श्यामसुन्दर, उप-सम्पादक श्री आचार्य, श्री अम्बालाल तापड़िया, श्री घासीराम, सम्पादक, मझधरा, सीकर और एक सम्पादक, महाप्राण चिड़ावा के थे।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : 'ए' श्रेणी के कितने थे और 'बी' श्रेणी के कितने थे ? यह बताने का कष्ट करें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह तो देख कर ही बताया जा सकता है।

श्री शंकरलाल (पाली) : समाचार पत्रों को मान्यता एवं विज्ञापन किस आधार पर दिये जाते हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : राज्य में उनकी गतिविधियों और उसकी व्यापकता को देखकर, उस हिसाब से दिया जाता है।

श्री शंकरलाल : यह व्यापकता का आधार क्या है ? इसका क्या कोई आधार या नियम बना हुआ है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : न्यूज एजेन्सी की परफार्मेन्स, उसका एस्टेबिलशमेन्ट, राज्य के विकास में उसके द्वारा प्रचार कार्यों के प्रकाशन में योगदान आदि बातों का असेसमेन्ट किया जाता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इसका असेसमेन्ट कौन करता है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : पहले डिपार्टमेन्ट की तरफ से किया जाता था अब एक कमेटी का निर्माण कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : क्या यह सही है कि अनएप्रूव्ड स्मारिकाओं को विभाग द्वारा विज्ञापन दिये जाते हैं ? इसके लिए कोई आधार या मापदण्ड नहीं है ? इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अन-एप्रूव्ड स्मारिकाएं समय समय पर और विशेष आयोजनों पर निकला करती हैं। सरकार द्वारा उन आयोजनों या अवसरों का ध्यान रखते हुए अनएप्रूव्ड स्मारिकाओं को विज्ञापन दिया जाता है। वह यह समझकर दिया जाता है कि इससे राज्य के विकास का विज्ञापन होगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : स्थानीय पत्र और वे पत्र जो राजस्थान के बाहर से निकलते हैं उनकी विज्ञापन दरों में भिन्नता क्यों हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : वे पत्र भारत सरकार द्वारा एप्रूव्ड होते हैं और भारत सरकार द्वारा उनके विज्ञापन का जो मापदण्ड कर रखा है उसके अनुसार ही विज्ञापन दिया जाता है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अनएप्रूव्ड पत्रों को विज्ञापन देने के सम्बन्ध में क्या सरकार किसी नीति का निर्धारण करेगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अन-एप्रूव्ड पत्रों को विज्ञापन देना अब बन्द कर दिया गया है। आज से पहले जो दिये जा चुके हैं वे हो रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहर सिंह।

प्रत्येक जिले में प्रति व्यक्ति व्यय

488. **मोहरसिंह** (चूरू) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में प्रथम, द्वितीय और तृतीय योजना में प्रत्येक जिले में प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया गया है ?

(2) इस व्यय में इस प्रकार की भयंकर असमानता विषमता, भेदभाव और अन्तर क्यों है ?

(श्री मोहरसिंह)

(3) आगामी योजना में इस प्रकार के दोषों को मिटाने के लिये क्या क्या उपाय और सावधानी बरती जावेगी?

योजना मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): (1) राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय का जिलेवार वितरण उपलब्ध नहीं है। द्वितीय, तृतीय योजना व तीन वार्षिक योजनाओं में जिलेवार प्रति व्यक्ति व्यय व उसके निर्धारण का आधार की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विभिन्न विकास मदों की योजनाएं बनाते समय सम्पूर्ण राज्य में उपलब्ध स्रोतों और विकास की आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखा जाता रहा है न कि प्रत्येक जिले को। जिलेवार योजनाएं अब तक नहीं बनाई गई हैं। इस कारण योजना व्यय के जिलेवार आंकड़ों की तुलना करना उपयुक्त नहीं होगा।

(3) जैसा कि भाग 2 के उत्तर में लिखा है योजनाओं का निर्माण सम्पूर्ण राज्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है, और किसी जिले विशेष में अधिक व्यय होना केवल उसके प्राकृतिक साधनों तथा अन्य सुविधाओं के कारण ही है। सरकार की ओर से जिलेवार योजनाएं नहीं बनाई जातीं और जिलों में व्यय के अन्तर का कारण योजना निर्माण में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मोहरसिंह: यह जो मंत्री महोदय ने फर्माया है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के आंकड़े दे दिये हैं पहली योजना के आंकड़े नहीं हैं। इसका क्या कारण है?

श्री चन्दनमल बैद: ये काफी श्रम-साध्य हैं और इनको काफी अर्सा हो चुका है। इसलिये मैंने यह उचित समझा है कि यदि माननीय सदस्य का परपज सर्व हो जाये तो तीन पंचवर्षीय योजनाओं और तीन वार्षिक योजनाओं के आंकड़े दे दिये जायें। आशा है इससे माननीय सदस्य का परपज सर्व हो जायेगा।

श्री मोहरसिंह: क्या यह सही नहीं है कि जो योजनाएं बनाई जाती हैं वे जिलेवार नहीं बनाई जाती हैं तो कुछ क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं और कुछ योजनाएं प्राकृतिक साधनों के बल पर, और आपके कहे अनुसार नई योजनाओं का लाभ ले जाते हैं? इस तरह से भेदभाव होता है, विषमता होती है और कुछ लोगों को ज्यादा लाभ मिलता है।

श्री चन्दनमल बैद: अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि सारे राजस्थान को एक समझकर चलना चाहिए। जिलेवाइज ही हो यह हम मानकर चलें या हर जिले को अलग रूप मे देखें तो सही नहीं होगा। कुछ प्राकृतिक साधनों के कारण से जो योजनाएं बनती हैं उनको उसी रूप से देखना चाहिए।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): आॅन एप्वाइंट आफ इन्फर्मेशन। यह है कि डिस्ट्रिक्टवाइज योजनाए तो बनाई जायं लेकिन प्रॉयोरिटी देना आपके हाथ में है। प्लान फ्राम बिलो यह इन्स्ट्रक्शन प्लानिंग कमीशन

(श्री केदारनाथ)
के फिफ्थ फाइव इयर प्लान की आगे का नीति है इस आधार पर प्रोग्राम बनना चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद : जब हम पांचवीं योजना बनायेंगे तो जो प्लानिंग कमीशन ने आधार बनाया है उस पर ही बनायेंगे।

प्रश्न संख्या 489

श्री अध्यक्ष : श्री भरतलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भानुकुमार शास्त्री।

झामर कोटडा में उत्पादित खनिज पदार्थ की यातायात व्यवस्था

490. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : (उदयपुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झामरकोटड़ा (उदयपुर) से उत्पादित खनिज पदार्थ रॉक फॉस्फेट को उदयपुर स्टेशन तक पहुंचाने के लिए, व खनिज का उत्पादन करने के लिए किस संस्था, कम्पनी या पार्टी या किसको यातायात किस दर व शर्त पर दे रखा है? कृपया टर्म्स और कण्डीशन्स की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि टर्म्स और कन्डीशन्स के विपरीत ग्राहकों कन्ज्यूमर्स द्वारा बागदड़ा स्थित क्रशिंग प्लांट से ही माल ले जाया गया था व ले जाया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि खनिज विभाग के निदेशक व ठेकेदार की मिली भगत के कारण कम्पनी को जो माल ग्राहकों को उदयपुर स्टेशन पर डिलीवर करवाना चाहिए था, वह उदयपुर स्टेशन पर नहीं दिया जाकर ग्राहकों को कम्पनी की दया पर छोड़कर, उन्हें बागदड़ा स्थित क्रशिंग प्लाण्ट से ही माल उठाने को बाध्य किया जाता है और व्यर्थ में ही माल के स्टेशन पर न लाने पर भी कम्पनी को पूर्व निर्धारित दर से भुगतान कर राज्य सरकार को प्रतिवर्ष आठ व नौ लाख रुपये का नुकसान किया जा रहा है?

(4) क्या यह सही है कि नुकसान के विषय में विभागीय अंकेक्षण दल (डिपार्टमेंटल ऑडिट पार्टी) द्वारा भी ऐसी हो रही अनियमितता पर अधिकतर भुगतान के लिए अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या विभागीय कार्यवाही की गई?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा झामर कोटड़ा में उनके उच्च वेतन भोगी राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियां होने पर भी ऐसी अनियमितताओं के लिए कौन उत्तरदायी है?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) जी हां। बीकानेर जिप्सम लि. को। बीकानेर जिप्सम के साथ हुए राज्य सरकार के समझौते की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बीकानेर जिप्सम के साथ हुए समझौते इस बात का प्रावधान है कि यदि उदयपुर को छोड़कर अन्य किसी स्थान में

Page No 6

(श्री जुझारसिंह)

रॉक फॉस्फेट उपभोक्ता को डिलीवर किया जाय तो उस दशा में बीकानेर जिप्सम को दी जाने वाली भुगतान की दरें राज्य सरकार एवं बीकानेर जिप्सम के द्वारा आपस में तय की जायगी। इस धारा को ध्यान में रखते हुए बीकानेर जिप्सम द्वारा बागदड़ा से उपभोक्ता को दिये गये रॉक फॉस्फेट के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक दरें निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन है एवं राज्य सरकार का निर्णय प्राप्त होते ही बीकानेर जिप्सम के बिलों से उक्त राशि का समायोजन कर उन उपभोक्ताओं को निर्णयानुसार रकम वाद देने पर विचार किया जायेगा। बागदड़ा से ट्रकों द्वारा रॉक फॉस्फेट ले जाने की अनुमति दे दी गई थी। चूंकि निदेशालय ने उपभोक्ताओं से नियमित दरों पर ही रॉक फॉस्फेट के मूल्य की वसूली की है। इसलिए राज्य सरकार को इससे किसी प्रकार की हानि नहीं हुई।

(3) जी नहीं। उन उपभोक्ताओं को ट्रकों द्वारा जल्दी रॉक फॉस्फेट ले जाना चाहते रहे हैं दिसम्बर 1971 तक उनकी सहमति के पश्चात् ही बागदड़ा स्थित प्लान्ट से रॉक फॉस्फेट उपलब्ध कराया गया था। दिसम्बर, 1971 के पश्चात् सभी उपभोक्ताओं को जो ट्रको द्वारा रॉक फॉस्फेट ले जाते है, उन्हें उदयपुर स्टेशन के पास ही स्थित क्रशिंग प्लांट से खनिज उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं को बागदड़ा से ट्रकों द्वारा राक फॉस्फेट ले जाने की अनुमति दी थी उनको भी नई दरें निर्धारित होने के पश्चात् निर्णयानुसार व्यवस्था की जायगी

(4) विभागीय अंकेक्षण दल द्वारा इस भुगतान के लिए अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के पूर्व ही यह प्रश्न राज्य सरकार के निर्णयार्थ प्राप्त हो गया था और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(5) झामर कोटड़ा में नियुक्त अधिकारियों ने इस सन्दर्भ में राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये लिख दिया था। बीकानेर जिप्सम के साथ हुए समझौते के अनुसार उदयपुर के अलावा अन्य स्थान से भी रॉक फॉस्फेट भेजा जा सकता है। इसी धारा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक दरें निश्चित् करने के लिए कार्यवाही काफी पहले प्रारम्भ की जा चुकी है। इसलिए किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री भानुकुमार शास्त्री: माननीय मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि अंकेक्षण विभाग द्वारा जो पैसे की मांग करने की बात कही गई है और आपने कहा कि इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं तो यह जो अंकेक्षण विभाग ने पैसे की मांग की और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है..

श्री जुझारसिंह : मैंने जवाब दिया है उसको आपने प्रापर्ली फॉलो नहीं किया है। जो ऑडिट डिपार्टमेन्ट ने कहा है वह और चीजों का पैसा काटने की बात कही थी। उसकी व्यवस्था की जा रही है। उसके पहले ही वह चीज हमारे ध्यान में आ गई थी।

श्री भानुकुमार शास्त्री: मेरा प्रश्न यह नहीं है कि व्यवस्था की जा रही है और पहले ही आपके ध्यान में आ गया और ऑडिट विभाग के कहने से पहले ही आ गया था। वह तो मुझे पता नहीं कि क्या था·· ···

श्री जुझार सिंह : वह यहां का नहीं था उदयपुर का वा बागदड़ा से जहां कि क्रशिंग मिल है ट्रक दूसरी जगहों पर ले जा रहे थे और उनके जो टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स थीं, और इसमें जो कन्डीशन्स दी हुई हैं 46 पर टन की तो उस चार्ज में उदयपुर के अलावा दूसरे स्थान पर माइन से निकलता है तो उससे उठाने की सूरत में जो डिफरेन्स था डिस्टेन्स का उसकी रेट कम करने का था और बीकानेर जिप्सम और राज्य सरकार के बीच में जो रेट तय हुई थी उससे कम पैसा दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार की अनियमितता बताई थी और वह हमारे नोटिस में पहले ही आ गई थी और इसके बारे में राज्य सरकार लिखा–पढ़ी कर रही थी कि रेट के डिफरेन्स को निकाला जाय।

श्री भानु कुमार शास्त्री : यह जो B.J.L. कम्पनी से टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स तय हुई थीं वह उदयपुर स्टेशन पर डिलीवरी देने के लिए थीं, लेकिन माल लाने वाले सीधे बागदड़ा से ही माल ले आये थे उसके कारण से कुछ स्थिति पैदा हुई है। सही स्थिति तो यह थी कि उनको माल स्टेशन तक पहुंचाने का था। कम्पनी वालों को माल चाहिए था इसलिए वह बागोदड़ा क्रशिंग मिल पर जाकर ले जा रहे हैं तो गवर्नमेन्ट को 22 रुपया प्रति टन के हिसाब से चुकाया है और 5 हजार टन आप उनको दे रहे हैं तो लाखों रुपयों का घाटा होता है जिसकी ओर ऑडिट विभाग ने ध्यान आकर्षित किया है। बी.जे. एल. कम्पनी के टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स के आधार पर उनको स्टेशन तक पहुंचाने की आवश्यकता है और वह वहां पहुंचा नहीं रहे हैं।

श्री जुझार सिंह : उसके बारे में बीकानेर जिप्सम से बात-चीत चल रही है ताकि डिफरेन्स को वापिस लिया जा सके।

और दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके सामने उनके कॉन्ट्रेक्ट की कापी है जोकि आपको उपलब्ध कराई है; तो उसकी क्लाज 7 (1) में यह बात स्पष्ट है कि यदि बीकानेर जिप्सम उदयपुर के अलावा किसी दूसरे स्थान से माल देती हैं तो जो डिफरेन्स डिस्टेन्स का होगा वह कम करना होगा। इसलिए यह कहना है कि मेन्डेट्री क्लाज थी कि उदयपुर से ही होना चाहिए और किसी दूसरी जगह से माल नहीं दिलाया जा सकता है तो यह आपकी धारणा गलत है। दूसरी जगह से भी दिलाया जा सकता है।

श्री भानु कुमार शास्त्री : कहां से दिलाया जाय यह मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि आपको टर्म यह है कि 22 रुपया टन के हिसाब से चार्ज करते हैं तो क्या यह इसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रहती है कि माल वहां पर नहीं लाया जा रहा और आप उनको पैसा दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि कार्यवाही जारी है। आप यह बताएं कि यह कब से हो रहा है, और कितना यहां से जा रहा है, क्योंकि लाखों रुपयों का नुकसान राज्य सरकार को हो रहा है।

श्री जुझार सिंह : राज्य सरकार का इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह निवेदन कर दूं कि गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कम्पनी, एलेम्बिक केमिकल्स ये दो कम्पनियां थीं जिन्होंने स्वयं ने क्योंकि उनको उदयपुर में जो वे ब्रिजेज लगे हुए हैं वे सरकिट हाउस में लगे हुए हैं उन ब्रिजेज तक माल लाने के लिए ट्रकों को आने में कठिनाई होती थी, इसलिए इन्होंने खुद ने यह मांग की और राज्य सरकार की जानकारी में यह व्यवस्था की गई थी। क्योंकि उदयपुर से माल लाने में कठिनाई इस बात में होती थी और कभी राइट माल नहीं मिलता था तो 7–8 घन्टों तक इनको यहां पर पड़े रहना पड़ता था तो माल नहीं मिलने की सूरत में उनकी सहूलियत को देखते हुए दोनों कम्पनियों ने मांग की थी कि माल उदयपुर से नहीं बागदड़ा से उठाने की इजाजत दी जाय, और उनकी मांग पर····

श्री भानु कुमार शास्त्री : मेरा प्रश्न यह है कि गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स, बड़ौदा की कम्पनी को उसकी इजाजत दी है कि वे अपने ट्रकों में ले जायं, लेकिन जो पैसा दिया जाने वाला है वह उनसे वसूल कर लें।

श्री जुझारसिंह : इसका उत्तर जो है आपको जो उत्तर दिया गया है उसमें स्पष्ट है कि डिफरेन्स जो है उसके बारे में इनके कॉन्ट्रेक्ट में इस प्रकार की क्लॉज जो हो उसमें यह है कि दरें कम की जायं तो वह म्युचुअल एग्रीमेंट से होगी तो जब तक बातचीत नहीं हो जाती···

श्री भानु कुमार शास्त्री : यह तो तय है कि दर 22 प्रति टन की है और तीन हजार टन का पैसा उसको दे रहे हैं जब कि वह माल पहुँचा नहीं रहा है। वे अपनी सुविधा से राज्य सरकार की अनुमति से किस प्रकार से माल वहां से ले रहें है तो उनसे पैसा वसूल करने में क्या आपको दिक्कत आ रही है और कब से वे स्वयं ले जा रहे हैं ?

एलेम्बिक केमिकल्स वाले, डी.सी.एम. वाले जिनका हजार व दो हजार टन का है वह भी वहां से ले रहे हैं। उनको स्टेशन पर नहीं पहुंचा रहे हैं, और राज्य सरकार की ओर से 22 रुपये प्रति टन के हिसाब से चुकारा किया गया है विजय कम्पनी को जो इस बीच में नहीं है। आपको केवल इतना कहने की बात है कि कम से कम विजय कम्पनी को पैसा देते हैं तो उनसे तो पैसा वसूल कर लें।

श्री जुझार सिंह : अभी तो यह प्रश्न है। दूसरे आदेश हो गये हैं कि माल उदयपुर से मिलेगा दिसम्बर, 71 से पहले यह व्यवस्था हो गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): वह डिफरेन्स कितना है, और वह चर्चा कब से प्रारम्भ हुई और चर्चा कब तक समाप्त होगी और चर्चा के समाप्त होने का क्या रूप होगा ?

श्री जुझार सिंह : डिफरेन्स म्युचुअल बातचीत के बाद तय होगा। ट्रान्सपोर्ट का कोई अलग से समझौता नहीं है। उनको कॉन्ट्रेक्ट है एक फ्लेट रेट पर 46 पर टन का जिसमें टान्सपोर्ट भी शामिल है,

Page No 9

(श्री जुझारसिंह)
लोडिंग भी शामिल है क्रशिंग भी शामिल है और माईनिंग भी शामिल है। जो व्यवस्था करनी पड़ी है, वह उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। एक कन्सोलिडेटेड कान्ट्रेक्ट जो दिया हुआ है, उसमें ट्रान्सपोर्ट के चार्जेज भी शामिल हैं। इसलिए जो ट्रान्सपोर्ट में यह शर्त है कि झामरकोटड़ा से उदयपुर को ट्रान्सपोर्ट होगा उसकी भी रेट शामिल है। बागीदड़ा में जो माईनिंग होता है वह उदयपुर के मुकाबले में नजदीक है इसलिए जो डिफरेन्स आयेगा बागीदड़ा से तो उसके बीच की रेट कम होगी। इसके बारे में राज्य सरकार और जिप्सम कम्पनी के बीच बातचीत चल रही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : डिफरेन्स का आपका क्या रुख है और उनका क्या रुख है? आप बता देंगे तो अनुमान से दोनों के बीच के डिफरेन्स का पता लगा लेंगे बिल्कुल।

श्री जुझार सिंह : उनको 6 रुपये पर टन कम करने का है। अभी जो लिया जा रहा है उसके मुकाबले में 6 रुपया पर टन कम दिया जाना चाहिये। इस तरह की बातचीत चल रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रकुमार।

कर्मचारियों की नियुक्ति

491. श्री **महेन्द्र कुमार (पाड़वा)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वन विभाग में कुल कितने कर्मचारी किस-किस संवर्ग में काम कर रहे हैं? इनमें कितने कितने आदिवासी (भील) हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें

(2) राज्य में गत पांच वर्षों में वन विभाग के अधीन कितने कर्मचारियों को नियुक्तियां दी गईं और इनमें कितने आदिवासी (भील) नियुक्त किए गए? जिलेवार प्रत्येक संवर्ग की तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

वन मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित।

श्री नाथूराम।

बांसवाड़ा सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक

492. श्री **नाथूराम** (बागीडोरा): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाड़ा सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. बांसवाड़ा वर्तमान में किस श्रेणी में है? इस श्रेणी में यह कब से लिया गया है और उससे पूर्व किस श्रेणी में था, तथा क्यों?

(2) इस बैंक के जिम्मे 31-3-72 को कुल कितना कर्जा था और उसमें से कितना ओवर ड्यू का था?

(3) इस बैंक के संचालक मण्डल में कौन कौन हैं व कब कब से? इनमें अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कौन-कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(4) क्या यह सत्य है कि इस बैंक के संचालक मण्डल के सदस्य बैंक की स्थिति

Page No 10

(श्री नाथूराम)

सुधारने में असफल सिद्ध हुए हैं ? यदि नहीं, तो विभाग 5 वर्षों की बैलेंस शीट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि हां, तो संचालक मण्डल को भंग कर सरकार एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्ति व नये संचालक मण्डल के गठन हेतु क्या कर रही है ?

राज्यमंत्री, सहकारिता (श्री जुझारसिंह): (1) बांसवाड़ा सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, वर्ष 70-71 के लिये 'डी' श्रेणी में रखा जाना प्रस्तावित किया गया है। इस श्रेणी में बैंक 1-7-70 से आता है। इससे प्रथम वर्ष 69-70 में यह बैंक 'सी' श्रेणी में वर्गीकृत था यह वर्गीकरण ऑडिट नियमों के अनुरूप किया गया था।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, नये संचालक मण्डल के गठन हेतु चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराने हेतु उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उदयपुर को आदेश दे दिये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): कौन सी श्रेणी में रखा गया है ?

श्री जुझारसिंह : 'डो' श्रेणी में।

एक माननीय सदस्य : 'D' for Delhi.

श्री शंकरलाल (पाली): नये चुनाव तो करा रहे हैं फिर इसको 'डी' श्रेणी में दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : फिर तो आप चुनाव करा ही नहीं सकते हैं। पहले आप उसके संचालक मण्डल को भंग करिये।

श्री नाथूराम : (बागडोरा) अध्यक्ष महोदय, एक सूची मुझे मिली है, एक नहीं मिली है। बैंक के पास में 5 वर्षों में कितना बैलेंस है, इसकी सूची नहीं मिली है। दूसरे दो, तीन साल से हमारी मांग है कि संचालक मण्डल को भंग करके एडमिनिस्ट्रेटर कायम करना चाहिए। यह क्यों नहीं करते हैं, इसका कारण मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री जुझार सिंह : अब तक 'सी' श्रेणी में था, इसलिए 'डी' श्रेणी में करने का प्रावधान किया गया है।

श्री शंकर लाल : आपने 1–7–70 से किया है। अब तक चुनाव क्यों नहीं कराये ?

श्री जुझार सिंह : आप को उत्तर की संख्या 4 में बता दिया गया है कि उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उदयपुर को आदेश दे दिये गये हैं।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तीन का जो उत्तर दिया है, उसके बारे में निवेदन है कि बांसवाड़ा में अधिकतर गरीब आदिवासी लोग हैं, वह बहुत गरीब हैं। जो संचालक मण्डल की सूची दी गई है उसमें एक भी आदिवासी नहीं है। यह मनमानी और भाई-भतीजे वाद का फल है। गवर्नर साहब के भाषण में भी मैंने बताया था। उस समय यह स्पीच में मैंने बताया था। वहां के संचालक मण्डल को भंग करना चाहिए।

श्री जुझार सिंह : अध्यक्ष महोदय, 206 सोसाइटीज आदिवासियों की है। उनके मेम्बर अधिकतर आदिवासी हैं। लेकिन जो समितियों के नियम हैं, जिस प्रकार से

Page No 11

(श्री जुझार सिंह)
चुनाव होता है, उनके मेम्बर चुनाव में नहीं आये, खड़े नहीं हों। उनको वोट नहीं मिले तो इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है?

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मनमानी चल रही है। मनमानी से ही संचालक मण्डल बनाया गया है। हमारी एक ही मांग है, संचालक मण्डल को भंग करो एडमिनिस्ट्रेटर कायम करना चाहिए।

श्री शंकर लाल : 206 सोसायटीज में आदिवासी हैं। जिस प्रकार से चुनावों को शिड्यूल है, अगर शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स हैं, चुनावों में उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया है। इसलिए सरकार इस बारे में भी विचार करे। आज तक सरकार ने क्या किया है? इसका कोई जवाब आप नहीं दे रहे हैं?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां उनकी इतनी ओवर मेजोरिटी है, वहां उनके लिए राज्य सरकार इस प्रकार का सोचे यह तो उचित नहीं है।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, बराबर सूचना नहीं मिलती है। चुनाव कराते हैं तो सदस्यों को सूचना नहीं देते हैं। मनमाने ढंग से आदमियों को खड़ा कर लेते हैं। यह अव्यवस्था चल रही है।

श्री शंकर लाल : इतना होते हुये भी वह चुनाव में नहीं आ सकते हैं।

श्री नाथूराम : लाखों रुपयों का घोटाला है। उसको भंग क्यों नहीं करते हैं?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, सन्तोषजनक उत्तर नहीं है।

श्री विट्ठल (पीपलखूंट) : अध्यक्ष महोदय, चुनाव ही नहीं कराये जाते हैं।

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक महत्त्वपूर्ण क्वेश्चन उठाया है।

श्री विट्ठल : चुनाव क्यों नहीं कराये जा रहे हैं?

श्री दिनेश राय डांगी : अध्यक्ष महोदय बड़े अफसोस की बात है, राज्य सरकार इस प्रश्न पर आदिवासियों के बारे में ध्यान नहीं दे रही है। विधान सभा के माननीय सदस्य ने एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बांसवाड़ा में आदिवासी जनसंख्या ज्यादा है तो ऐसा क्यों नहीं हो कि उनका रिजर्वेशन किया जाये। संचालक मण्डल को भंग करके आदिवासी सदस्यों को लिया जाये। इसमें आपको क्या आपत्ति है?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को गलतफहमी हो गई है।

श्री नाथूराम : कोई गलतफहमी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सन्तोषजनक जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये।

श्री जुझार सिंह : मैंने सूची सुना दी है। 6 मेम्बर हैं जिनमें एक भी आदिवासी नहीं है। जो चुने हुए सदस्य हैं, वह ज्यादा आये हैं। मार्केटिंग का एक है। अर-

Page No 12

(श्री जुझार सिंह)
बन बैंक का एक है, मिल्क प्रोड्यूसर का एक है, सर्विस को-आपरेटिव का एक है, लेकिन आदिवासी नहीं है। इस बात को राज्य सरकार ने भी अनुभव किया है। पिछले टाईम में जो कुछ हुआ है, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। आने वाले जो नियम और रूल्स बने हैं, उनमें मेण्डेटरी कर दिया है। 9 में 6 सर्विस को-ऑपरेटिव से हों, यह शीघ्र कर दिया जायेगा।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, उनको भंग करना चाहिए। 15 लाख रुपया डूब रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, एक बात इसमें साफ है···

श्री अध्यक्ष : अब थोड़ा सा समय औरों को भी दीजिये।

श्री विट्ठलभाई : अध्यक्ष महोदय, उस समिति को भंग कर दिया जाय और नये चुनाव कराये जायें।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : प्रश्न संख्या 493।

श्री नाथूराम : संचालक मण्डल को भंग क्यों नहीं करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या, 493

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री नाथूराम : संचालक मण्डल को भंग करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : (आबकारी एवं कर मंत्री के उत्तर देने के लिए खड़े होने पर) मैं अभी सुन नहीं रहा हूं।

श्री नाथूराम : इसमें पन्द्रह लाख रुपये डूब रहे हैं, आप क्या भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप तशरीफ रखें।

श्री नाथूराम : इसका अर्थ यह है···

श्री विट्ठल : घोटाला हो रहा है इसके लिए हम मांग करते हैं कि इसको भंग किया जाये।

श्री नाथूराम : इसको हटाते क्यों नहीं हैं ? यह गरीबों का पैसा है और अस्सी प्रतिशत आदिवासी मेम्बर हैं तो इसको भंग क्यों नहीं करते हैं ?

श्री विट्ठल : इस प्रश्न का जवाब देने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

सहकारिता मंत्री (श्री नारायण-सिंह मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, बॉयलाज में चैंज हुआ है, इसके हिसाब से छः सेवा सहकारी समितियों से होंगे तथा तीन दूसरे सदस्य संचालक मण्डल में आयेंगे। इसके हिसाब से चुनाव होकर इसकी कुछ व्यवस्था ठीक होगी। फिर भी ऐसी स्थिति पाई जायेगी तो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने में भी दिक्कत नहीं है।

श्री विट्ठल : जो घोटाला हुआ उसके लिए सरकार क्या करेगी ? वाकई काफी घोटाला हो रहा है।

श्री नारायण सिंह मसूदा : इसकी पूरी जांच कराई जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी ।

डी.सी.एम. उद्योग, कोटा पर टैक्स की बकाया

493. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलौदी) : क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि डी.सी.एम. उद्योग, कोटा द्वारा टाईकॉर्ड नामक माल टायरों के प्रयोग हेतु बनता है ?

(2) उक्त टाईकॉर्ड पर राज्य सरकार द्वारा 1966–67, 1967–68, 1968–69 1969–70 एवं 1970–71 में कितनी एक्साइज ड्यूटी अथवा बिक्री कर वसूल किया गया है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि डी.सी.एम. उद्योग ने उक्त टाईकॉर्ड की बिक्री बिना सी फार्म के की है ? क्या यह भी सही है कि सी फार्म के द्वारा बिक्री करने पर 3 प्रतिशत और बिना सी फार्म के 10 प्रतिशत के हिसाब से बिक्री कर बनता है ?

(4) अब तक उक्त उद्योग पर कितनी राशि सेल्स टैक्स एवं एडीशनल एक्साइज ड्यूटी की बकाया है ? यह राशि बकाया रहने के क्या कारण हैं ?

आबकारी एवं कर मंत्री (श्री चन्दन मल बैद): (1) जी, हां ।

(2) वर्ष 1966-67, 67-68 तथा 68-69 के कर निर्धारण आदेशों में टाइकॉर्ड फेब्रिक्स (रेयन फेब्रिक्स) की परिभाषा में मान कर निर्धारण किया था, किन्तु बाद में टाईकॉर्ड फेब्रिक्स की कर योग्यता पर पुनः विचार करके वर्ष 1969-70 एवं 70-71 के कर निर्धारण करके क्रमशः वर्ष 1969-70 में रु. 45,24, 186.80 एवं 1970-71 में रु. 9,45,010.–16 पैसे की कर मांग कायम की गई !

वर्ष 66-67, 67-68 एवं 68-69 के कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध विभाग ने निगरानी (रिवीजन) की अर्जियां दायर की हैं ।

एक्साइज ड्यूटी की वसूली केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है अतः इसकी सूचना इस विभाग द्वारा देना सम्भव नहीं है ।

(3) चूंकि वर्ष 66–67, 67–68 एवं 68–69 में टाईकॉर्ड फेब्रिक्स को कर मुक्त मान कर निर्धारण किया गया था। अतः उन वर्षों से सम्बन्धित अन्तर्राज्यीय बिक्री के लिये 'सी' फार्म प्रस्तुत नहीं किये गये, परन्तु वर्ष 1969–70 तथा 1970–71 की अन्तर्राज्यीय बिक्री के सम्बन्ध में उक्त कम्पनी द्वारा 'सी' फार्म प्रस्तुत किये गये हैं।

यह सही है कि बिना 'सी' फार्म के द्वारा अन्तर्राज्यीय बिक्री करने पर 3 पर्सेन्ट केन्द्रीय बिक्री कर 10% के हिसाब से देय होता है तथा 'सी' फार्म के द्वारा बिक्री करने की दर से केन्द्रीय बिक्री कर लगता है।

(4) अब तक उक्त उद्योग पर वर्ष 1969–70 की रु0 45, 24, 186 80 एवं वर्ष 1970-71 की रु0 9 45,010.16 बकाया रही है ।

Page No 14

(श्री चन्दनमल बैद)

इन दोनों बकाया राशियों की वसूली के क्रम में उक्त कम्पनी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी, और उच्च न्यायालय ने वसूली के लिए स्थगन आदेश दिये हैं। इसलिये यह राशि बकाया है।

एडीशनल एक्साइज ड्यूटी का सम्बन्ध केन्द्र सरकार से है अतएव यह विभाग इसकी सूचना देने में असमर्थ है।

श्री **मोहनलाल छंगाणी** : मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि मार्च 1971 तक राज्य सरकार ने यह तय नहीं किया था आया यह फेब्रिक है या यार्न है, इसलिए लगातार प्राइवेट जूरिस्ट की ओपीनियन मांगते रहे, 1966-67 से लेकर 1971-72 तक यह असेसमेंट का बेसिस तय नहीं कर पाये। मैं सबसे पहले मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, उन्होंने कब तय किया, सरकार ने कब तय किया कि यह यार्न नहीं हैं फेब्रिक है? उसको तय करने में क्या-क्या आधार थे? इसके असेसमेंट में जो नार्मल असेसमेंट का प्रासीजर है उसको ताक में रखा गया है और प्राइवेट जूरिस्ट की ओपिनियन के आधार पर, जिसने ओपिनियन इस डी. सी. एम. के मामले में दे दी, कभी सेन्ट्रल गवर्नमेंट को एप्रोच करते हैं, कभी कमीश्नर को एप्रोच करते हैं, कभी यहां एप्रोच करते हैं और कभी वहां एप्रोच करते हैं। पचास लाख से अधिक कर हो तो अब तक इसकी बकाया का हिसाब लगायें तो यार्न के हिसाब से टैक्स इसका पांच करोड़ बनता है। 1966-67 से आपने इसको फेब्रिक मान लिया, जो कि गलत है तो भी एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगा सकते थे, वह भी नहीं लगाई। मैं निवेदन करूंगा, आपने कब तय किया कि यह फेब्रिक है?

श्री **चन्दनमल बैद** : पहले तय किया कि हम फेब्रिक मान सकते हैं, यह डाउट था कि यह यार्न है तो हमने यह उचित समझा। जब इस हाउस में यह प्रश्न एजीटेट हुआ और मद्रास हाई कोर्ट का फैसला हुआ तो अन्दाज लगा सके कि यह फेब्रिक हो सकता है तब टैक्स लगाया और उसके बाद में यह हाई कोर्ट में गया। हमारी भी मन्शा यह थी कि यह टैक्स लगने के बाद में किसी न किसी तरीके से कोर्ट से यह तय हो जाय कि यह फेब्रिक है या यार्न है क्योंकि भारत सरकार भी इस सम्बन्ध में निश्चित नहीं है कि यह फेब्रिक है या यार्न है, फाईनेन्स मिनिस्ट्री ने कुछ कहा और लॉ मिनिस्ट्री की ओपिनियन आई नहीं, इसके अलावा बम्बई के सेल्स टैक्स कमिश्नर हैं उन्होंने 1964 में निर्णय लिया है, मद्रास हाई कोर्ट ने अ ग निर्णय दिया है। हमने टैक्स तो कर दिया तय लेकिन सालों में नहीं किया है उसके लिए रीजन अर्ज कर दिये। उसके बाद जैसा निवेदन किया, यह मामला हाई कोर्ट के अन्दर पैंडिंग है, वहां विचार किया जायगा कि यह फेब्रिक है या यार्न है, इस पर जो निर्णय होगा तो पार्टी जैसा उचित समझेगी वैसा करेगी। वैसे एक और अपील सुप्रीम कोर्ट में है, हम चाहे तो वहां जा सकते हैं। वह चाहे तो वह जा सकते हैं। उसके बाद तय होगा, वह फाइनल होगा।

श्री **मोहनलाल छंगाणी** : मैं यह जानना चाहूंगा, 1966-67 के अन्दर प्रोडक्शन शुरू हुआ उसके बाद में असेसमेंट होना चाहिए,

Page No 15

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
1966–67, 67–68, 68–69, 69–70 और 70–71 इतने सालों तक यह मामला यों का यों पड़ा रहा और इसका असेसमेंट होना चाहिए था वह मिली भगत के कारण नहीं होने दिया।

श्री चन्दनमल बैद : यह गलत है, इसमें मिली भगत का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि 1964 के अन्दर सैल्स टैक्स कमिश्नर बम्बई ने होल्ड किया, क्यों कि वहां इसी तरह का सैल्स टैक्स एक्ट में प्रोविजन है और इसी तरह की चीज वहां मैन्यूफेक्चर की जाती है। उस आधार पर चलता रहा कि यार्न नहीं फेब्रिक है। उसके बाद में मद्रास हाई कोर्ट का फैसला हुआ तब मालूम हुआ कि यार्न मान सकते हैं, तब टैक्स असेस किया। पार्टी हाई कोर्ट के अन्दर गई तो वहां मामला पैंडिंग है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। माननीय वित्त मंत्री ने फर्माया, 1964 के फैसले के आधार पर इस प्रकार की बात की। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप आम आदमी के उपर टैक्स लगाते हैं तब बम्बई हाई कोर्ट का फैसला नहीं देखते हैं, न और बात देखते हैं। जब वह 1964 में इसको फेब्रिक मानते और इसका 1966–67 में उत्पादन प्रारम्भ हुआ तो मैं जानना चाहता हूं कि उस वक्त क्यों नहीं टैक्स वसूल किया गया और जनरल लोगों के साथ जो तरीका अपनाया जाता है वह क्यों नहीं अपनाया गया?

श्री चन्दनमल बैद : फेब्रिक पर टैक्स लगता नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगती है।

श्री चन्दनमल बैद : वह भारत सरकार से सम्बन्धित है, हमसे नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने स्वयं ने जवाब में फर्माया है, सी फार्म द्वारा बिक्री की जाती है तो तीन पर्सेन्ट के बजाय दस पर्सेन्ट टैक्स लगता हैं। मैं कहना चाहता हूं कि न इसने तीन पर्सेन्ट दिया है और न इसने दस पर्सेन्ट दिया है। जिस प्रकार से आपने जवाब में फर्माया था, डी.सी.एम. इन्डस्ट्रीज, कौन सी इन्डस्ट्रीज हैं, उसमें बकाया रह गया है? नौ लाख बकाया रह गया है, इस प्रकार 9 लाख डूबत खाते हैं, और इस पर ब्याज लगाते हैं तो सब कुल मिला कर चार पांच करोड़ राजस्थान सरकार और भारत सरकार का बकाया होगा, उसकी वसूली होने की क्या सम्भावना है?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है जो माननीय सदस्य हस्तक्षेप कर रहे हैं, उन्होंने स्थिति को समझा नहीं है। और जिन्होने यह प्रश्न किया है वह स्थिति को समझ रहे हैं। जिन्होंने हस्तक्षेप किया है वह स्थिति को समझ नहीं रहें हैं प्रश्न यह नहीं है। फेब्रिक मानते है, तो टैक्सेबल नहीं है, यार्न मानते हैं तो टैक्सेबल है, जब टैक्सेबल नहीं है तो भले ही राज्य में बिके या राज्य के बाहर जाये-तीन पर्सेन्ट लेने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला आया उससे मालूम हुआ कि शायद यार्न हो सकता है तब टैक्स लगाया। जब पार्टी पर टैक्स लगाया तो वह हाई कोर्ट में गये। हमने कहा है

(श्री चन्दनमल बैद)
कि यार्न है या फेब्रिक–इसका फैसला नहीं है, यह मामला हाई कोर्ट के अन्दर है; इस मामले में यह फेब्रिक है या यार्न है इसके बारे में जो ओपिनियन होल्ड करता है तो हमारा टैक्स लगाया हुआ है वह वसूल करेंगे, अगर फेब्रिक मानता है तो टैक्स वसूल नहीं कर सकेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय कौनसे साल का है ? मेरे पास और तथ्य हैं, उनके बारे में जानकारी इसके बाद में माननीय मंत्री महोदय को देना चाहूंगा।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : एक प्रश्न और है, मंत्री महोदय उसे पहले सुन लें। पिछले साल बजट सैशन में वित्त मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी इस सम्बन्ध में,

मैं एक महीने के अन्दर अन्दर ज्यूरिस्ट की ओपिनियन लेकर इस पर फैसला करूंगा। तो मैं जानना चाहूंगा, ज्यूरिस्ट की ओपिनियन, जो कुछ भी हो, उन्होने ली ? नम्बर एक। नम्बर दो, ओपिनियन दी तो क्या दी ? तीसरे, हाई कोर्ट में गये हैं जिनको कर देना है, वह हाई कोर्ट में गये हैं तो यह उसी दरम्यान में गये हैं या जूरिस्ट की ओपिनियन आने के बाद में गये हैं, और हाई कोर्ट में गये हैं जूरिस्ट की ओपिनियन देने के बाद तो कितने महीने बाद में गये हैं।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, इसको उलझाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया; उस पर लॉ डिपार्टमेंट की राय ली थी, उसकी राय थी, इसे दोनों तरह कह सकते हैं, फेब्रिक है, यार्न है, निश्चित् नहीं कह सकते। तो हमने उचित समझा, फेब्रिक मान कर....

श्री हीरालाल देवपुरा (कुंभलगढ़) : यार्न मान कर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यार्न मान कर। और अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर भी नहीं आया है ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने क्या ओपिनियन दी ?

श्री चन्दन मल बैद : अन्तरिम रिप्लाई दिया कि फेब्रिक मानते हैं। और लॉ, मिनिस्ट्री की ओपिनियन लेनी है, वह नहीं आई है ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है....

श्री चंदनमल बैद : मद्रास हाई कोर्ट का डाइरेक्ट फैसला नहीं है उन्होंने दूसरे फैसले में जिसमें यह पॉईंट ऑफ इश्यू नहीं था, उसने कहा यह फेब्रिक हो सकता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : किस साल का है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : इन्होंने जो जवाब दिए हैं पीछे की जो बकाया है उसके बारे में मेरा प्रश्न है। सी. एस. टी. और राजस्थान बिक्रीकर अलग-अलग है। इन्होंने गलत जवाब दिए हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
वह सफाई दें। जो 'सी' फार्म पेश नहीं करते थे 1964-65 से लेकर 1970-71तक आपने 1969-70 में असेसमेंट शुरू किया। 'सी' फार्म की पहले की जो बकाया है 'सी' फॉर्म की उसके लिए असेसमेंट किस आधार पर किया ?

श्री चंदनमल बैद : मैंने कहा रिवीजन किया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपने जो एसेसमेंट किया है किस आधार पर ? पहले आपने कहा यार्न के आधार पर।

श्री चंदनमल बैद : नहीं। पहले हमने फैब्रिक माना। उस आधार पर एसेसमेंट किया था। उसके बाद हमनें दो साल यार्न मानकर असेसमेंट किया उसके बाद तीन साल के फैसले। उसका भी रिवीजन किया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : पीछे की जो बकाया रही, फैब्रिक मानकर असेसमेंट वसूल कर रहे हैं ?

श्री चंदन मल बैद : यह प्रश्न हाई कोर्ट में चल रहा है कि इसको फैब्रिक माना जाय या यार्न। अगर हाई कोर्ट यार्न मान लेती है तो दो साल का जो असेसमेंट किया है और जो रिवीजन किया है वह हमारे पक्ष में होगा। अगर उन्होंने मान लिया कि यार्न नहीं है, फैब्रिक है तो तीन सालों का हमारा रिवीजन फेल होगा। दो साल का असेसमेंट भी हमारा फेल होगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सेल्स टैक्स की बकाया जिन पार्टियों में है उसमें दिल्ली क्लॉथ जनरल मिल्स में 64, 69, 169.96। दूसरा प्रश्न था वह था वृहद् उद्योगों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर की राशि, बकाया राशि उसका वर्षवार विवरण दें। केन्द्रीय बिक्री कर राशि की बकाया 45, 24, 186 रु. और 1971-72 की 945010) रु. है। यह कौनसी राशि है जो हमारे राज्य की बाकी है?

श्री चंदनमल बैद : आप जो आंकड़े पढ़ रहे हैं, वह मेरे सामने नहीं हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं पेश कर सकता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : मेरे सामने आंकड़े मौजूद नहीं हैं मुझे कम्पेल करके टेली करवाना चाहें, यह सम्भव नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : बकाया राशि दिल्ली क्लाथ मिल्स में केन्द्रीय बिक्री कर और राज्य बिक्री कर दोनों प्रश्नों में आपके उत्तर हैं। केन्द्रीय बिक्री कर और राज्य बिक्री कर दोनों प्रश्न आपके विभाग के सामने पेश कर सकता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आज जो जवाब दे रहा हूँ वह ठीक है।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री मोहन लाल छंगाणी : इसी प्रश्न से सम्बन्धित है। बिक्री कर की बकाया की राशि कौनसी सही है ?

श्री चन्दनमल बैद : दोनों को जोड़कर 54 लाख होते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : केन्द्रीय बिक्री कर और राजस्थान बिक्री कर दोनों का

(श्री मोहनलाल झंगाणी)
बताया गया है। दोनों के अलग अलग उत्तर हैं। बिक्री कर जो वृहद् उद्योगों में बकाया है उसमें सी.एस.टी. और आर.एस. टी. दोनों का जवाब है और हमारी जो बकाया है बिक्री कर की राज्य की, सारी की सारी विस्तृत सूचना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितनी दिल्ली क्लाथ मिल्स की बकाया है और कौनसा उत्तर सही है?

श्री चन्दनमल बैद : जो कुछ आपको पूछना है इस प्रश्न के बारे में पूछिए, पहले मैंने क्या फिगर्स दी हैं उनमें कोई डिस्पैरिटी है, आई स्टेन्ड कमिटेड, मैं ठीक करूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुझे एक प्रश्न पूछना है।

प्रश्न संख्या 494

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह, नाहर
(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 495

श्री मीठालाल
(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन

पूगल क्षेत्र के पशुओं की चिकित्सा के लिए मोबाइल यूनिट

496. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के राठी ग्राम क्षेत्र वाले पूगल इलाके के पशुओं की चिकित्सा हेतु एक मोबाइल यूनिट स्वीकृत कर रखा है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष पूगल क्षेत्र में गाय, भेड़ों में माता की बीमारी तथा ऊंटों में तिबरसा की बीमारी होते हुए भी उक्त मोबाइल यूनिट ने उपचार हेतु कोई व्यवस्था नहीं की?

(3) अगर हां, तो ऐसे मोबाइल यूनिट की क्या उपयोगिता है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त बीमारियों की सूचना समय समय पर मेरे द्वारा एवं सम्बन्धित ग्रामीणों द्वारा संबंधित अधिकारियों को दी गई?

(5) उक्त मोबाइल यूनिट का मुख्यालय कहां है तथा सम्बन्धित अधिकारी ने पिछले 6 माह में किन किन गांवों का दौरा करके पशु पालकों के मवेशियों की चिकित्सा की है?

(6) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के क्रमश: पूगल एवं छतरगढ़ में स्थायी पशु चिकित्सालय खोलने का इरादा रखती है? अगर हां; तो कब तक?

पशुपालन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां।

(2) चूंकि चल पशु चिकित्सा-इकाई को प्रारम्भ हुए अभी एक माह का ही समय हुआ है, अभी यह पूर्णरूप से क्रियाशील नहीं हो पाई है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी हां।

Page No 19

(5) मुख्यालय पूगल है। क्योंकि यह इकाई अभी हाल में स्थापित की गई है। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा पिछले 6 माह में दौरा करने का प्रश्न नहीं उठता।

(6) धनाभाव के कारण अभी सम्भव नहीं है।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों से मोबाइल यूनिट काम कर रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी धारणा गलत है।

श्री भीमसेन : मेरी धारणा कतई गलत नहीं है। वहां नोमेडिक ट्राइब्स के लिए पशु चिकित्सालय तीन वर्ष से है, वही मोबाईल यूनिट है, मैं फिर जानकारी देना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : सरकार के पास आपसे ज्यादा जानकारी है पूगल वेटिरैनरी यूनिट की राज्य सरकार ने 31-3-72 को दी है और डाक्टर का पोस्टिंग 21-3-72 को हुआ और उसके बाद में डाक्टर लगाया था उसकी पोस्टिंग 2-5-72 को हुई है।

श्री भीमसेन : गलत बात है। वहां डाक्टर तीन वर्ष से काम कर रहा है और मोबाइल यूनिट भी काम कर रहा है। उस इलाके में पशुओं की बीमारियां चल रही हैं और इलाज नहीं हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : जो वेटिरैनरी मोबाइल यूनिट पूगल की स्वीकृति दी है उसमें डाक्टर जे. एस. रंधावा की पोस्टिंग की गई है। माननीय सदस्य शायद गलतफहमी में है। बीकानेर में दो मोबाइल यूनिट्स हैं उनमें से एक को पूगल का समझते हैं।

श्री भीमसेन : हो सकता है आपने हैडक्वाटर्स चेंज किया हो।

श्री परसराम मदेरणा : पहली बार स्थापित हुआ है। हैडक्वाटर्स पूगल में रहेगा।

श्री भीमसेन : हैडक्वाटर्स चेंज किया होगा लेकिन उसी इलाके का मोबाइल यूनिट है। तीन वर्षों में कभी दौरा नहीं किया पशु बीमारियों का कोई इलाज नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : दो मोबाइल यूनिट्स बीकानेर में हैं। आप समझते हैं उस क्षेत्र के लिए है, बीकानेर वाले किसी भी क्षेत्र में आ सकते हैं लेकिन पूगल के लिए स्वीकृति 21-3-72 को दी गई है। डाक्टर की पोस्टिंग 2-5-72 को हुई है।

श्री भीमसेन : पशुओं की बीमारियों का इलाज नहीं किया, मोबाइल यूनिट होते हुए भी, राज्य सरकार का क्या कहना है ?

श्री परसराम मदेरणा : इलाज करना चाहिये था, मैं जानकारी करूंगा। मेरी जानकारी के अनुसार मोबाइल यूनिट बीकानेर ने 2306 टीके लगाये हैं और उपचार भी किया है, जानवरों का बंध्याकरण भी किया है, बीकानेर तहसील में किया है।

श्री भीमसेन : पूगल बीकानेर तहसील में है, वहां पशुओं का इलाज नहीं किया है। एक डेढ़ हजार पशु मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

चूरू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था

497. **श्री रावतराम** (छापर अ. ज) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी खारा और बिरापा है तथा गहरा है? यदि हां, तो ग्रामीण जनता को मीठा पानी पहुँचाने की सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

(2) अब तक गांवों में मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितनी क्षेत्रीय योजनायें कहां कहां बनाई हैं? किन किन का कार्य चालू हो गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कितनी क्षेत्रीय योजनायें स्वीकृति के लिए सरकार के विचाराधीन पड़ी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) भविष्य में अतिशीघ्र ग्रामीण अंचलों में पीने का पानी पहुंचाने के लिए सरकार क्या प्रभावशील कदम उठा रही है?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दन मल बैद) : (1) जी हां, उपलब्ध धनराशि के अनुसार चूरू जिले में विभाग द्वारा पेय जल सम्बन्धी जो जो कार्य किए गये, उनकी सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) राज्य सरकार चतुर्थ योजना के अंत तक कुल लगभग 42 करोड़ रुपये की राशि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था करने के लिए खर्च कर चुकेगी व आगे भी इन कार्यों के लिये अधिक से अधिक प्रयत्न किये जायेंगे।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री रावतराम : एक तो आपकी योजना है सरदारशहर की 26 लाख रुपये की, इसमें आप बता सकते हैं कितने गांव शामिल किये गये हैं?

श्री चन्दनमल बैद : माफ करें नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सी योजनायें हैं। एक गांव दूसरे से कितना दूर है, मुझे मालूम नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मेरे पास उनकी प्रयोरिटी है।

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

Page No 21

पशुधन के विकास की योजनायें.

498. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): श्री वृद्धिचन्द जैन की अनुपस्थिति में, क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के राज्यपाल के सन् 1972 के अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 10 पैरा संख्या 13 में यह उल्लेख है कि पशुधन के विकास क्षेत्र में भी 120 करोड़ रुपये की दो योजनायें तैयार की गई हैं ? कृपया सदन के समक्ष उक्त दोनों योजनाओं की प्रतियां प्रस्तुत करें।

(2) उक्त योजनाओं की राशि की उपलब्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा किस प्रकार कहां से व्यवस्था की जा रही है ?

(3) उक्त योजनाओं से राज्य के किस क्षेत्र को किस प्रकार लाभ पहुंचेगा ?

पशुपालन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) इन योजनाओं के प्रारूप का परीक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी समितियों द्वारा किया जा रहा है इस परीक्षण के पश्चात् परियोजना प्रतिवेदन जब उपलब्ध होंगे तब सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जावेंगे।

(2) इन परियोजनाओं के लिए वांछित धनराशि हेतु भारत सरकार के द्वारा विश्व बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

(3) दुग्ध पशु विकास योजना का क्षेत्र पूर्वी राजस्थान प्रस्तावित किया गया है तथा भेड़ विकास योजना के लिए चूरू, झुन्झुनू, नागौर सीकर, जयपुर के क्षेत्र तथा भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर के कुछ क्षेत्र प्रस्तावित किए गए हैं। यह योजना संकरण (क्रास ब्रीडिंग) पर आधारित है और इसमें विपरण पशुओं के चारे और पशु स्वास्थ्य सुधार के साधनों का समुचित समावेश है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह योजना आपने पूरे राजस्थान के लिए बताई, क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान में कैटिल वेल्थ है और लोगों का मैन आक्यूपेशन कैटिल हैं, वहां इसको उपयुक्त क्यों नहीं समझा गया ?

श्री परसराम मदेरणा : यह योजना अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर के पार्ट्स के लिए हैं, अभी तक इस प्रकार की कोई परियोजना पश्चिमी राजस्थान के इलाकों के लिए नहीं बनाई गई है।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : जहां जो चीज होती है जैसे शीप और दूसरे पशु पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं, वहां कोई योजना नहीं। टेक्सटाइल मिल तो फलोदी में लगा दी और शीप फार्म जहां पशु हैं वहां कोई योजना नहीं। 116 का रेश्यो है पशुओं का पश्चिमी राजस्थान में फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में। वहां कोई योजना नहीं और सारी सारी योजनायें जहां भेड़ नहीं, गाय नहीं कुछ नहीं, वहां लगा रहे हैं, आपका क्या मापदंड है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या इस बारे में विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था ?

Page No 22

श्री परसराम मदेरणा : मुझे जानकारी नहीं है लेकिन योजना बनाकर भारत सरकार के पास भेजी है, टेकनिकल कमेटी उस पर विचार कर रही है उसके बाद में तय करेंगे कि इस योजना को पूरे भाग में शामिल किया जाएगा या नहीं। भारत सरकार की टैक्नीकल कमेटी के सामने यह मामला विचाराधीन है। और जब वह टैक्नीकल कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी तब राज्य सरकार उस पर विचार करके कार्यवाही शुरू करेगी। इस योजना में पशु चिकित्सा के लिये भी व्यवस्था की गई है। दूसरे इसमें ग्रीन फोडर पशुओं के लिये देने की भी व्यवस्था की जायेगी। दूसरे इस योजना में क्रोस ब्रीडिंग के लिये जो व्यवस्था है वह चार हजार सेन्टर्स में पूरे राजस्थान में होगी। इस प्रकार इस स्कीम का क्षेत्र काफी लम्बा है। आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन के यूनिट हर सेन्टर पर उपलब्ध होंगे जिससे कि अच्छी ब्रीड पैदा की जा सके। इसके अलावा डेयरी के लिये दूध के वास्ते जो एक मुर्दा भैंस होती है जो कि दूध काफी मात्रा में देती है इन्हीं क्षेत्रों में उपलब्ध है.....

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप इस प्रकार क्रोस ब्रीड से जो राजस्थान की असली बढ़िया किस्म की जो नस्ल है उसे खराब कर रहे हैं। आपको चाहिये कि पश्चिमी राजस्थान जिसमें जालौर, बाड़मेर फलोदी का क्षेत्र है वहां पर अच्छे किस्म की पशु नस्ल है वहां पर अपनी योजना नहीं लगाकर दूसरे क्षेत्र में आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन से क्रोस ब्रीड करा रहे हैं। और वहां पर ऐसे प्लान्ट एक करोड़ रुपये लगाकर योजना की क्रियान्विति कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपके क्षेत्र में मुर्दा भैंस नहीं होती है। और दूसरे यह है कि...

श्री मोहन लाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे फलोदी के क्षेत्र में काफी अच्छी नस्ल है वहां पर यह योजना बनी होती तो अच्छा होता।

श्री परसराम मदेरणा : आपके यहां पशु धन होगा। पर हमारे यहां जो योजना बनी है वह कैटल के किस्म के साथ उसका कितना दूध होता है, तथा भेड़ में भी यह देखा जाता है कि कैसी ऊन होगी, कितनी मात्रा में होगी यह सभी देखने के बाद योजना बनती है। दूसरी बात है कि राज्य सरकार ने आपरेशन फ्लड प्रोग्राम के लिये भी योजना बनायी है। इसके लिये राज्य सरकार ने 95 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। जिसके अन्तर्गत इन्टरनल ट्यूब वैल की योजना है उससे काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा कैटल डेवलपमेन्ट के लिये हमारे यहां 10 डिस्ट्रिक्ट में योजना चालू की जायेगी जिसमें बीकानेर, अलवर वगैरह का क्षेत्र होगा। इसके अलावा अभी जो फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा कि फलोदी में भेड़ ज्यादा और अच्छी किस्म की पायी जाती हैं तो उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना के अन्तर्गत कहां कहां पर हैड-क्वार्टर्स कैटल डेवलपमेन्ट के रखे जायेंगे उसका दो प्रकार की बातों को ध्यान में रख

(श्री परसराम मदेरणा)

कर किया गया है पहला तो वहां पर कैसी भेड़े हैं कितनी मात्रा में हैं उनकी ऊन कैसी है दूसरी उन भेड़ों से मटन कितना प्राप्त हो सकता है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मटन व अच्छी किस्म की भेड़ें प्राप्त हो सकती हैं वहां पर रखे गये हैं। दूसरे इसके लिए स्लाटर हाउस भी स्थापित करने की योजना है। हमारे यहां मालपुरा में एक रिसर्च इन्स्टीट्यूट भेडों के बारे में है उसकी रिकमन्डेशन पर कि कहां पर अच्छा मटन हो सकता है उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। दूसरे मटन के लिए ड्रोट प्रोन-रेन्स को क्रास ब्रीड करके अच्छी नस्ल तैयार की जावेगी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि····

श्री परसराम मदेरणा : आप ठहरिये। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो अच्छी नस्ल की ब्रीड तैयार की जायेगी उसके बारे में, उसके माल के लिए काफी मांग मैट्रो-पोलिटन सिटीज में हैं और कोस्मोपोलीटन सिटीज में इसकी मांग है वह करीब 1 करोड़ 96 लाख की है। वैसे यह 120 करोड़ की है जिसके अन्तर्गत यह खोले जायेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, 120 करोड़ की योजना पशु धन के विकास के लिये खोली जा रही हैं और मेरे क्षेत्र में जहां की अच्छी किस्म की भेड़े और दूसरे पशुधन हैं वहां पर कोई विकास कार्यक्रम नहीं रखा गया है। आपको चाहिये कि कम से कम वहां पर सर्वे तो करा दिया जाय। वहां के पशु धन में दूध अधिक है, और भेड़ों में ऊन और मटन भी बहुतायात में मिल सकता है। पर बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। कम से कम अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सर्वे तो कराया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपकी मारफत मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि हमारे सांचोर, जालोर, बाड़मेर, फलौदी के क्षेत्र में वहां पशुओं की अच्छी नस्ल पायी जाती है और वह पशुधन पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। पर वहां पर कोई योजना केटल डेवलपमेन्ट के लिए नहीं की जा रही है और जो रुपया राज्य सरकार को मिलता है केन्द्र सरकार से वह इन अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु धन के विकास के लिए लगाया जाना चाहिये ताकि वहां की जनता को राहत मिले। दूसरे जो स्कीम्स हैं वह अमल में नहीं आ रही हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कम से कम सर्वे तो करा लिया जाय यह तो आश्वासन दें, हमारे यहां पर भेड़ों की सबसे अच्छी नस्ल है।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, अभी मटन के बारे में जो बात कही गयी है उसके बारे में मेरा आपके मारफत मन्त्री महोदय को यह निवेदन है कि असली बात तो यह है कि जैसलमेर क्षेत्र की भेड़ों के शरीर के तोल, ऊन की किस्म, ऊन की उतार के उत्पाद के हिसाब से सबसे अच्छी नस्ल जैसलमेर की है।

Page No 24

(श्री भोपालसिंह)
जैसलमेर की भेड़ का वजन 65 से 80 किलो तक का होता है और हर भेड़ से 2.5 किलोग्राम ऊन हाथ आ सकती है दूसरे ऊन की किस्म भी बढ़िया है। इसके अलावा नाली की जो भेड़ें हैं उनका वजन 60 से 77 किलोग्राम है और उनसे 2 किलोग्राम तक ऊन हाथ आयेगी तथा ऊन की जो किस्म है, वह मिडीयम फाइन है। तीसरी चोखला की जो भेड़ें हैं उनका वजन 45 से 65 किलोग्राम के बीच है और उनसे 1.8 किलोग्राम ऊन उतारी जा सकती है वह मिडियम फाइन क्वालिटी की ऊन है, इसके अलावा जो मारवाड़ी भेड़ हैं उसका वजन 55 से लेकर 65 किलो ग्राम तक होगा और उनसे 1.3 किलोग्राम ऊन मिलेगी तथा उसकी क्वालिटी मिडियम फाइन होगी। इसके अलावा पूंगल की जो भेड़ें हैं उनका वजन 55 से लेकर 65 किलो तक होता है और 1.8 किलोग्राम तक ऊन उनसे प्राप्त हो सकती है और ऊन भी मिडियम कोर्स की ऊन होती है। मालपुरा की जो भेड़ें हैं व सोनाड़ी की जो भेड़ें हैं वह 55 से लेकर 65 किलोग्राम तक वजन में होती हैं और उनसे जो वूल हाथ आयेगी वह कोर्स वूल आयेगी और वजन भी एक किलोग्राम होगा। तो मेरा निवेदन है कि जैसलमेर की भेड़ें हैं जो वजन में भी ज्यादा हैं, उनकी ऊन की किस्म भी अच्छी और तादाद भी ऊन ज्यादा है वहां पर होना चाहिये था।

श्री परसराम मदेरणा: वजन तो कितना इसमें है इसकी तो मैंने जानकारी नहीं की है। यह सभी चीजें देख कर स्थापित किये जाने की योजना है। सिर्फ चारागाहों के आधार पर ही नहीं स्थापित किये जा सकते। सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के बाद यह तय किया गया था।

श्री भोपालसिंह: अध्यक्ष महोदय, क्वालिटी के लिये मैं कह सकता हूं कि कोई जानकारी इन पशुधन के लिये नहीं की गयी है। क्योंकि जो आंकड़े मैंने बताये हैं वे भारत सरकार द्वारा सेन्सस के अनुसार ही हैं। जिसमें जैसलमेर की भेड़ ऊन के लिये, मटन के लिये और भेड़ों की किस्म के लिए सबसे अच्छी पायी गयी है। इधर राजस्थान के चूरू, सीकर झुंझुनू, नागौर, बीकानेर की भेड़ों की नस्ल ठीक है पर इनसे भी जैसलमेर में जो भेड़ें पायी जाती हैं वह सबसे अच्छी हैं मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि जैसलमेर क्षेत्र में पशुधन का विकास होना बहुत ही जरूरी है। आज तक इस क्षेत्र की उपेक्षा की गयी है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: जैसलमेर की भेड़ की ढाई किलो ग्राम तक ऊन निकलती है।

श्री मोहनलाल छंगाणी: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अभी तक जब सर्वे ही नहीं हुआ, फलोदी के क्षेत्र की भेड़ों का सर्वे नहीं हुआ तो फिर राज्य सरकार ने उसके बारे में फैसला कैसे कर लिया? मैं आपसे निवेदन कर दूं कि फलौदी, जैसलमेर, की जो भेड़ें उनका मटन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ऊन भी ज्यादा होती है उनके विकास के लिये वहां योजना बननी चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा के मन्त्री महोदय ने जो खुद काश्तकार के लड़के हैं जंगलों में रहे हैं वे खुद भी इस बारे में काफी जानकारी रखते हैं कि कहां कहां का पशुधन अच्छा है। मेरे खयाल से पशुओं की शक्ल से बता सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो डिस्टिंगक्शन भेड़ों के बारे में किया और कहा कि जैसलमेर की भेड़ें सबसे अच्छी हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि अभी जब पहले अकाल पड़ा था जब लाखों भेड़ें इसमें मर गयी थीं। और सेन्सस हुआ था पहले सन् 66 में और बाद में काफी फर्क पड़ गया। अब दूसरा सेन्सेस होने वाला है और अगर उसके अनुसार कोई बात इस योजना के अन्तर्गत आने वाली हुई तो वहां पर दूसरी योजना बनाने के बारे में विचार किया जायेगा।

दूसरी बात यह मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि इन योजनाओं के लिये ड्रोट कन्डीशन्स होना जरूरी हैं। जिस प्रकार की जानकारी माननीय सदस्यों ने दी है उससे ज्यादा जानकारी मेरे पास केटल डवलपमेन्ट के बारे में है। अभी नेचूरल कमीशन आन एग्रीकल्चर के वाईस चेयरमैन श्री वी. शिवरमन आये और उन्होंने इन सब का दौरा करके अपनी एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं देखूंगा कि ये सब मुद्दे माननीय सदस्यों द्वारा कमीशन के सामने रखे गये हैं, जैसलमेर और जोधपुर में ये मुद्दे दिये यहां की ब्रीड को बढ़ाया जाय, राठी, कांकरेज, थरपारकर चाहे खास ब्रीड हों या नान खास ब्रीड हों, बड़ी अच्छी है।

शीप के डेवलपमेंट के बारे में जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया। यह उनके सामने आयगा। एग्रीकल्चर कमीशन क्या सिफारिशें करेगा, दूसरी योजना भारत सरकार को रखी जाय इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : फलौदी का ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि विभाग में सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पद

489. श्री भरतलाल (वामनवास) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि कृषि विभागों में सहायक अभियन्ताओं के पद काफी समय से रिक्त चले आ रहे हैं ? राज्य सरकार द्वारा इन पदों पर बार बार आश्वासन के बावजूद अभी तक पदोन्नति नहीं की गई है ?

(2) यदि हां, तो क्यों और अब राज्य सरकार इन पदों पर पदोन्नतियां कब तक करने का विचार रखती है।

(कृषि मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां कुछ सहायक अभियन्ताओं के पद थोड़े समय से रिक्त हैं।

(2) जैसे ही रिक्त स्थानों को भरने पर लगा प्रतिबन्ध हटा लिया जावेगा, ये पद भर दिये जायेंगे।

प्रोस्पेक्टिग लाइसेन्स या लीज मिलने का समय

494. **श्री यशवन्तसिह नाहर** (बनेड़ा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या मिनरल कन्सेशन रूल्स के अधीन प्रोस्पेक्टिग लाइन्सेस या लीज मिलने का समय ज्यादा से ज्यादा नौ माह रखा गया है?

(2) ऐसे कितने कन्सेशन की अर्जियां गत 5 वर्षों में प्राप्त हुई और उनमें कम से कम क्या समय लगा? ऐसे सब कन्सेशन एवं उनमें लगने वाले समय की तालिका सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार इस समय को उचित समझती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। पहले अवधि नौ माह की थी किन्तु भारत सरकार के संशोधन आदेश दिनांक 23-2-68 से अवधि 12 मास की हो चुकी है।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(3) भारत सरकार द्वारा अर्जियों के निस्तारण की निर्धारित अवधि उपयुक्त ही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में नये महाविद्यालय

495. **श्री मीठालाल** (लालसोट): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या यह सच है कि अगले दो वर्ष तक राज्य सरकार का राज्य में कोई नया महाविद्यालय (कालेज) खोलने का विचार नहीं है?

(ख) यदि हां, तो क्यों?

(ग) क्या यह भी सही है कि कई स्थानों पर महाविद्यालयों की अत्यन्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये क्या राज्य सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(क) जी नहीं। परन्तु चालू वित्तीय वर्ष में इस हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No 27

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजपत्रित अधिकारियों के रिक्त पद

177. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी-नगर)** : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जन सम्पर्क विभाग में राजपत्रित अधिकारियों के कितने पद कब से और क्यों रिक्त हैं ?

(2) क्या रिक्त पदों का कार्यभार अराजपत्रित कर्मचारियों को सौंपा हुआ है ? यदि हां, तो किस किस ने अब तक कार्य किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. जन सम्पर्क विभाग में निम्न पद उनके सामने अंकित आदि से रिक्त हैं:—

(1) जन सम्पर्क अधिकारी, बीकानेर	— 1 जुलाई 71 से अब तक।
(2) शोध-संदर्भ अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर	—17 जनवरी 72 से अब तक
(3) सहायक संपादक, मुख्यालय, जयपुर	— 1 दिसम्बर 71 से अब तक
(4) जन सम्पर्क अधिकारी, सिरोही	—30 दिसम्बर 71 से अब तक
(5) जन सम्पर्क अधिकारी, पाली	— 6 अप्रेल 72 से अब तक

इन पदों को भरने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(2) रिक्त पदों में जन सम्पर्क अधिकारी, बीकानेर व सहायक सम्पादक मुख्यालय का कार्यभार अराजपत्रित अधिकारियों को सौंपा हुआ है। इनमें सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, बीकानेर का कार्यभार यहां के सहायक जन सम्पर्क अधिकारी को दिनांक 1-7-71 से सौंपा हुआ है व सहायक सम्पादक का कार्यभार मुख्यालय के पत्रकार को दिनांक 1.12.71 से सौंपा हुआ है।

बाड़मेर जिले में खनिज सम्पदा का सर्वे

178. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर)** : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार बाड़मेर जिले में खनिज संपदा की खोज के लिये सर्वे कराने का भी विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और किस एजेन्सी द्वारा ? यदि बाड़मेर जिले में खनिज संपदा की खोज के लिये सर्वे किया हो तो सर्वे रिपोर्ट्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा समय समय पर बाड़मेर जिले में खनिज संपदा की खोज के लिये सर्वे किया जाता रहा है। इसके फलस्वरूप ज्ञात हुआ था कि उन दरोर और जाकली गांव के कुओं में भूरे किस्म का कोयला (लिगनाइट) मिलता है, इसलिये 1954-55 व 56-57 में उक्त स्थानों पर छिद्रण कार्य किया गया। परन्तु लिगनाइट कहीं भी नहीं पाया गया।

(खनिज मंत्री)

1959–60 व 60–61 में गांव थोब के निकट सेलीनाइट खनिज का पता लगाने हेतु विस्तृत जांच की गई। सेलीनाइट करीब 13 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में मिलता है। यहां पर ज्योलोजिकल मेपिंग का कार्य किया गया और साथ ही यह पता लगाने के लिये कि सेलीनाइट कितनी गहराई तक मिलता है, निर्धारित स्थानों पर खड्डे लगाये गये। इस जांच द्वारा यह पाया गया कि इस क्षेत्र में 17 लाख टन सेलीनाइट मिलने की संभावना है। (रिपोर्ट संलग्न है)

1971–72 में 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिनरल सर्वे का कार्य किया गया और विशेष प्रकार की मिट्टी जिसको सिलीशियस अर्थ कहते हैं, कोटरा, मार्टी का गोल, मंदाई, धारवी खुर्द आदि गांव के निकट पाई गई। गांव कोटरा व मार्टा का गोल के निकट विस्तृत जांच की गई इस क्षेत्र में 45 खड्डे लगाये गये और इनमें से जांच के लिये नमूने ले लिये गये हैं। सिलिशियस अर्थ के खोज का कार्य अभी चल रहा है।

भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भी बाड़मेर जिले में खनिज पदार्थों का पता लगाने के लिये जांच की जाती रही है। इस विभाग द्वारा खोरियास से लेकर महावर गांव तक बेंटोनाइट खनिज की विस्तृत जांच की गई, रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में 2 करोड़ टन बेंटोनाइट मिलने की संभावना है। इस विभाग द्वारा कपुरड़ी और शीव के निकट मुल्तानी मिट्टी के लिये और बोटिया गांव के निकट सफेद मिट्टी के लिये जांच की गई। इसकी विस्तृत रिपोर्ट भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग (जी. एस. आई) द्वारा तैयार की गई थी। वह राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

कर्मचारियों की वेतन का भुगतान

179. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या कोलायत निर्वाचन क्षेत्र में स्थित नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को उनका मासिक वेतन का नियमित भुगतान हो रहा है?

(2) यदि नहीं, तो किस-किस नगरपालिका के कर्मचारियों का वेतन भुगतान होना बाकी है और कितने मास का?

(3) वेतन भुगतान के लिये कुल कितनी राशि की आवश्यकता है? और सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपाय कर रही है?

(स्थगित किया गया)

आवासीय प्लाट की सीमा आवंटन तथा नीलामी का अधिकार

180. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत** (गांधीनगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

नगर विकास न्यास जयपुर को अधिकतम कितने वर्ग गज के आवासीय प्लाट के आवंटन तथा निलामी का अधिकार है?

(स्वायत्त शासन मंत्री)

उत्तर

नियमान्तर्गत नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा भूखण्ड आवंटन की सीमा 500 वर्ग गज है। नीलामी भू-खण्डों के प्रति वही सीमा होती है जिस क्षेत्रफल के भूखण्ड योजना में अंकित होते हैं।

सघन पशु विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम सेरेरा का ट्यूब वेल

181. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सघन पशु विकास योजना द्वारा ग्राम सेरेरा तहसील बीकानेर में ट्यूबवैल खुदवाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ट्यूबवैल का लाभ केवल सेरेरा गांव के लोगों को ही मिल रहा है, तथा फिलहाल दूरी के कारण दूसरे पड़ौस के गांवों के लोग एवं पशु-धन को लाभ नहीं मिल रहा है ?

(3) क्या सरकार उक्त ट्यूबवैल का संचालन पी.एच.इ.डी. को सौंपने को तैयार है जिससे इन गांवों के लिए प्रस्तावित क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजना की क्रियान्विति में सुविधा रहे ?

(4) क्या उक्त ट्यूबवैल को सम्बन्धित ग्राम पंचायत ने पी. एच. इ. डी. को सौंपने एवं उसके संचालन का खर्च उक्त योजना के सम्पूर्ण होने पर वहन करने का उत्तरदायित्व लिया है ? अगर हां, तो उक्त ट्यूबवैल का संचालन पी.एच.इ.डी. को सौंपने के आदेश कब तक प्रसारित हो जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) इसकी जानकारी विभाग को नहीं है।

विश्वविद्यालय द्वारा सीमेस्टर प्रणाली

182. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अगले सत्र में सभी विषयों में सीमेस्टर प्रणाली लागू की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि इस हेतु 'ए' 'बी' एवं 'सी' तीन स्कीमें निर्धारित की गई हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इन स्कीमों से विश्वविद्यालयों में एवं राजकीय महाविद्यालयों में भेद भाव स्थापित होगा ?

(4) क्या यह सही है कि इस स्कीम में ऐसा भी कोई प्रावधान है जिसके अनुसार एक ही महाविद्यालय के दो विभागों में दो भिन्न स्कीमें लागू की जा सकेंगी ?

(श्रीमति कान्ता कथूरिया)

(5) क्या इन स्कीमों से छात्रों में कोई असन्तोष उत्पन्न नहीं होगा ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) इन वैकल्पिक स्कीमों से भेद-भाव उत्पन्न होना तो नहीं चाहिये, क्योंकि ये स्कीमें सभी इकाइयों के लिए समान रूप से खुली हैं चाहे वो विश्वविद्यालय का विभाग हो या राजकीय महाविद्यालय हो अथवा गैर सरकारी महाविद्यालय हो।

(4) जी हां। यह सम्भव है क्योंकि स्कीम 'बी' के लिए महाविद्यालयों का प्रत्येक विभाग एक इकाई के रूप में माना जावेगा, और 'बी' स्कीम तभी लागू की जायेगी जब कोई विभाग इसके लिए इच्छुक होगा और विशेषज्ञ उसे इसके योग्य समझेंगे।

(5) इसके बारे में कुछ भी कहना अभी सम्भव नहीं है। किन्तु यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि 1971–72 सत्र में सितम्बर से दिसम्बर तक के छात्र आन्दोलन में विद्यार्थियों की यह जोरदार मांग थी कि सेमेस्टर प्रणाली और 'बी' स्कीम लागू की जाय। इसी कारण सिंडिकेट और एकेडेमिक काउंसिल की विशेष मीटिंग बुलाई गई और यह प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र के स्कूल

183. श्रीमती कान्ता कथूरिया: (कोलायत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित अधिकांश स्कूल भवन बिना छतों के हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन क्षेत्रों के ग्रामीणों की हालत इतनी खराब है कि वे स्कूल भवन की छतों का निर्माण नहीं करा सकते ?

(3) क्या सरकार इन स्कूल भवनों की व्यवस्था को सुधारने का कोई उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के दुरगामी शालाओं के भवन अधूरे हैं।

(2) कुछ अंश तक सही है। ग्रामीण जनता की स्थिति अकाल आदि के कारण ठीक नहीं रहती।

(3) यद्यपि स्कूल खोलने की शर्त के अनुसार भवन बनाना जनता का कार्य है फिर भी सरकार जन सहयोग पर अनुदान भी देती है। बजट में धन राशि की उपलब्धि यह कार्य गुणावगुण के आधार पर करने हेतु प्रयास किया जायेगा।

गर्ल्स सैकेण्डरी स्कूल दौसा का भवन

184. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) गर्ल्स सैकेण्डरी स्कूल दौसा में कुल कितनी छात्राएं हैं तथा किस किस

(श्री मूलचन्द सामरिया)
कक्षा में कितनी कितनी छात्राएं हैं तथा कुल कितनी सैक्शन्स में लड़कियां पढ़ रही हैं?

(ख) उक्त स्कूल में कुल कितने कमरे हैं तथा उनमें से प्रधानाध्यापिका व कार्यालय अधिकारी आदि के लिये कितने कमरों की आवश्यकता है?

(ग) क्या उक्त स्कूल का भवन वर्तमान परिस्थितियों में पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो सरकार इस में कब तक समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उत्तर

(क) गर्ल्स सैकेन्डरी स्कूल दौसा में कुल 223 छात्राएं हैं। सात सैक्शन हैं। छात्र संख्या कक्षावार निम्न प्रकार हैं:—

कक्षा	छात्रायें
कक्षा—10	28
,, 9 अ	34
,, 8 अ	25
,, 8 ब	25
,, 7 अ	25
,, 7 ब	25
,, 6	61

(ख) इस भवन में कुल मिलाकर 6 कमरे, एक हाल जाफरीदार, एक लम्बा बरामदा पार्टीशन सहित एवं 9 कोठरियां हैं। इसमें से एक कोठरी 8'×8" की प्रधानाध्यापिका के कार्यालय के लिये है जो पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त एक कमरा विद्यालय कार्यालय के लिये है जो पर्याप्त है।

(ग) वर्तमान भवन सैकेण्डरी स्तर के लिये पर्याप्त नहीं है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में काम चलाया जा रहा है। बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जावेगा।

संस्कृत शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतनमान

185. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सामान्य शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का क्या वेतनमान है? विभिन्न श्रेणियों का वेतनमान दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) संस्कृत शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का क्या वेतनमान है? विभिन्न श्रेणियों का वेतनमान दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनमान में अन्तर का क्या कारण है?

(4) क्या संस्कृत शिक्षा को सरकार सामान्य शिक्षा की तुलना में घटिया मानती है? यदि हां, तो कैसे? यदि नहीं तो क्या सरकार सामान्य शिक्षा व संस्कृत शिक्षा के कर्मचारियों का वेतनमान समान बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

1. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. उपरोक्त सूची में यह सूचना निहित है।

Page No 32

(शिक्षा मंत्री)

(3) व (4) संस्कृत शिक्षा को घटिया मानने का कोई कारण ही नहीं है। परन्तु संस्कृत शिक्षा के अध्यापकों का वर्क लोड, सामान्य शिक्षा के अध्यापकों से तुलनात्मक कम है।

(परिशिष्ट 5 देखें)

जयपुर शहर के क्रमोन्नत स्कूल

186. श्री ओंकारमल गोटेवाला (किशनपोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत 5 वर्षों में विभिन्न जिलों में कितने स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर में किन किन स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है?

(3) जयपुर शहर का एक सौ वर्ष पुराना दरबार मिडिल स्कूल, जो बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग पर स्थित है, के क्रमोन्नत करने के बारे में सरकार का क्या विचार है इसे कब तक क्रमोन्नत किया जावेगा यदि क्रमोन्नत नहीं किया जावेगा तो क्यों?

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में क्रमोन्नत शालाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(2) उपरोक्त सूची में अंकित है।

(3) इस वित्तीय वर्ष में उच्च प्राथमिकता से माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने हेतु बजट में प्रावधान नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

कोलायत निर्वाचन क्षेत्र में नलकूपों का निर्माण

187. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोलायत निर्वाचन क्षेत्र में अब तक कुल कितने नलकूपों का निर्माण हो चुका है और उन पर कुल कितनी राशि व्यय हुई?

(2) इन नल-कूपों में से कितने नलकूप चालू दशा में हैं? विशेषकर किलचू और केसर देसर के नलकूपों की वर्तमान दशा क्या है?

(3) बंद नलकूपों को चालू करने के सम्बन्ध में सरकार क्या उपाय कर रही है।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) 250 नलकूप प्रोग्राम के अन्तर्गत निर्मित नलकूप जलदाय विभाग के पास हैं। उनमें से पांच नलकूप चालू हैं। दियातरा नलकूप चालू हालत में है किन्तु अभी ग्रामवासियों द्वारा पानी नहीं लेने से बन्द है। ताल नलकूप सेना के पास है। किलचू और केसर देसर नलकूप राजस्थान भू-जल मंडल के पास है और अभी चालू नहीं है। राजस्थान भू-जल मण्डल के पास उपलब्ध 5 नलकूप अभी जिलाधीश की मांग पर चलाये जाते हैं। बाकी के 2 नलकूप (किलचू व

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

केसर देसर भी जिलाधीश की मांग पर चलाये जावेंगे।

(3) बन्द नलकूप जिलाधीश की मांग पर चलाये जावेंगे।

(परिशिष्ट 6 देखें)

ग्राम गढियाला की रोजनल वाटर सप्लाई योजना

188. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोलायत तहसील के ग्राम गढ़ियाल की रोजनल वाटर सप्लाई योजना का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है?

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में यही एक मात्र मीठे जल का कुआ है।

(3) क्या यह सही है कि इसी कुए से पानी भरने के लिए आस पास के आठ-आठ दस-दस मील दूर स्थित गांवों से लोग आया करते हैं?

(4) इस योजना को स्वीकृत कर सरकार कब तक कार्य प्रारम्भ कर देगी?

उत्तर

(1) जी हां,

(2) जी हां।

(3) सम्भव है।

(4) योजना बनाई जा रही है। तकनीकी जांच के उपरान्त शीघ्र ही राज्य सरकार द्वारा विचार कर लिया जावेगा।

पूगल क्षेत्र के कुओं का पानी

189. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील एवं बीकानेर तहसील के पूगल इलाके के अधिकांश गांवों का पानी खारा व जहरीला है?

(2) क्या यह भी सही है कि ब्लाक कांग्रेस कमेटी लूणकरणसर एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि ने ऐसे खारे पानी वाले गांवों को मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना माह सितम्बर में मुख्य मन्त्री को लूणकरणसर कस्बे के दौरे के वक्त प्रस्तुत की गई थी?

(3) सरकार इस क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान हेतु कैनाल एवं राजस्थान मुख्य नहर से पाइपों द्वारा पानी पहुंचाने की मांग पर सर्वे एवं एस्टीमेट्स बना कर योजनाबद्ध तरीके से समाधान करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) जी हां, पानी खारा है।

(2) जी हां, सुझाव प्रस्तुत किये थे।

(3) जी हां, क्षेत्रीय जल योजनाऐं बनाये जाने के लिए सर्वे कार्य किया जा रहा है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): मनोहरलालजी के कैस को बाद में लेंगे?

श्री अध्यक्ष : मैं सूचित कर दूंगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. सर्व श्री सुरेन्द्र प्रसाद, योगेन्द्रनाथ हांडा, गुमानमल लोढ़ा, शान्तिलाल कोठारी, दिनेश डांगी, श्रीराम गोटेवाला, मोहनलाल छंगाणी व जय किशन, सदस्य, विधान सभा द्वारा सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज जयपुर के होस्टल में डाक्टर सत्य-नारायण खूंटेटा की आत्म हत्या के सम्बन्ध में चार स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी गई है। मैं चाहूंगा कि इन स्थगन प्रस्तावों पर माननीय गृह मंत्रीजी सदन में कल दिनांक 16 मई, 1972 को एक वक्तव्य दें। मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

2. श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री योगेन्द्र नाथ हांडा, श्री केसरीमल, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 11 मई 1972 को शहरी सम्पत्ति के अनुचित हस्तान्तरण में भारी बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं इस प्रश्न को अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं मानता। अतः इस स्थगन प्रस्ताब को भी स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

3. श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 10 मई, 1972 को एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना, जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल में हो रही हड़ताल के सम्बन्ध में दी गई थी। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं किन्तु मैं चाहूँगा कि माननीय श्रम मंत्री जी इस विषय में एक वक्तव्य देने की कृपा करें।

4. श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 11 मई, 1972 को उदयपुर विश्व विद्यालय में चल रही परीक्षा में लगातार कोर्स से बाहर पर्चे आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। सदन में कल दिनांक 16 मई, 1962 को शिक्षा की मांगों पर बहस के समय माननीय सदस्य इस विषय में भी चर्चा उठा सकते है, अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

विशेषाधिकार प्रस्ताव पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री मनोहरलाल, सदस्य, विधान सभा के साथ डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा तथा-कथित दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में एक विशेषा-धिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : इससे पहले कुछ कहने का मौका दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार का प्रस्ताव आया। जिन माननीय सदस्यों ने भेजा वे हैं श्री मनोहरलाल, श्री फूलचन्द सामरिया आदि हैं। कुछ कहना चाहें तो कह दें। वरना फैसला सुना दूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : फैसला ही सुना दीजिए।

श्री अध्यक्ष : दिनांक 11 मई, 1972 को सदस्य श्री मनोहरलाल, श्री मूलचन्द सामरिया, श्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री व श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा ने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है जो कि इस प्रकार है :—

आज प्रात: हड़ताली मजदूरों से मिलने सदन के सदस्य श्री प्रोफेसर केदार, श्री गुमानमल लोढ़ा व श्री मनोहरलाल गुप्ता सदन के नीचे गये। उस समय डिप्टी सुपरिन्टन्डेन्ट पुलिस ने श्री मनोहरलाल से सदन के बाहर आते समय पोल पर दुर्व्यवहार किया व धक्का घुक्कम किया। सदन के माननीय सदस्य अपना कर्तव्य व कार्य निभाने सदन के बाहर मजदूरों से मिलने जाना चाहते थे। डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने इसमें बाधा डाली जो सदन का अपमान है व सदस्य के विशेषाधिकार का हनन हैं। अत: इस हेतु अविलम्ब विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही की जावे व पुलिस अधिकारी को सदन में उपस्थित करा सजा दी जावे।

मैं इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को सदन की विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करता हूं।

श्री मनोहरलाल (कामां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 12 को कांग्रेस के मुख्य सचेतक महोदय ने मेरे विरुद्ध कोई प्रस्ताव रखा। उस सम्बन्ध में मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं रखते। मन-भेद से मेरा मतलब है कोई रंजिश, जलन या चिढन नहीं है। माननीय सदस्य जो उधर बैठे हैं कल परिस्थिति बदलने पर हमारी तरफ आ सकते हैं इसलिये मतभेद तो रखते हैं लेकिन रंजिश नहीं रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिनांक 11 को जो कुछ घटना सदन में हुई इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। पहले, एक बात निवेदन कर दूं कि जहां तक लोकतन्त्रीय व्यवस्थाओं का प्रश्न है, माननीय सदस्यों का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन, गरिमा और सम्मान का प्रश्न है, और इस सदन की मान मर्यादाओं का प्रश्न है, उसके प्रति मैं पूर्ण जागरूक हूं और सम्मान करता हूं सदन का, माननीय अध्यक्ष महोदय का, और सदन के माननीय सदस्यों का, चाहे वे किसी भी दल के हैं। लेकिन मैंने बार बार माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन से निवेदन किया और उन माननीय सदस्य महोदय से भी निवेदन किया कि जब हम बोलते हैं तो हम सब का अधिकार है। सब के मौलिक अधिकार हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, एक दूसरे को बात कहें, सुनें, आलोचना करें। लेकिन बीच में व्यवधान करना यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है जैसा माननीय आचार्यजी ने उस दिन भी कहा था कि जो कुछ मैंने किया वह बाद की बात थी उससे पूर्व माननीय राजेन्द्र भारतीय जो बूंदी से पधारे हैं, वे बार बार हमारे बोलने में व्यवधान करते हैं, माननीय आचार्यजी ने भी उस दिन कुछ संकेत दिये लेकिन, मैं समझता हूं, मुख्य सचेतक महोदय उस बात को दर गुजर कर गये और ऐसा मालूम देता है कि बहुमत का आदेश है उसमें चेचक को छिपाया जाता है लेकिन फुंशी पर ध्यान जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात याद आ रही है एक कथा महाभारत की। 143 के आधार पर, महाभारत से तुलना

(श्री मनोहरलाल)

कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारे बीच में गुरु द्रोणाचार्य की तरह बैठे हुए हैं, सामने सारे मंत्रिमंडल के सदस्य चश्मा लगाये धृतराष्ट्र की तरह बैठे हुए हैं और सी. पी. आई. के लोग दुशासन और शकुनि की तरह बैठे हुए हैं और हम लोग पांडव की तरह इधर बैठे हुए हैं। उधर से आये हुए भगवान कृष्ण के वंशज उपाध्यक्ष के रूप में यहां बैठते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे अभिमन्यू बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर कलियुग के कौरव कोई बात करना चाहते हैं तो मैं कलियुग का अभिमन्यू हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक छोटी सी बात, जिसको माननीय राजेन्द्रजी ने उठाया था, उसको कांग्रेस दल के माननीय सचेतक महोदय जो मुझसे अलग से कह सकते थे, मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे से सीनियर हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूं, मेरी आयु और उनकी आयु में दुगने का अन्तर है वह मुझसे कह देते तो मैं खेद प्रकट कर देता। लेकिन अपने बहुमत के बल को दिखाना चाहते हैं, अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं। मुझे खुशी होती यदि आप बहुमत की ताकत कश्मीर में दिखाते····

श्री अध्यक्ष : यह ताकत दिखाने का प्रश्न नहीं है। वह सदन के प्रति और अध्यक्ष के प्रति व्यवहार का प्रश्न रहा है।

श्री मनोहरलाल : मैं आसन का सम्मान करता हूँ और सदन का सम्मान करता हूं।

श्री अध्यक्ष : करें, जो सम्मान करना है वो करें।

श्री मनोहरलाल : मैं निवेदन करता हूं कि 11 तारीख की घटना के लिये मैं खेद प्रकट करता हूं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : व्हिप साहब अपना प्रस्ताव को वापिस ले लें।

श्री अध्यक्ष : मैं भी अपनी राय इस सम्बन्ध में कह दूं।

मुख्य सचेतक के प्रस्ताव पर व्यवस्था

माननीय सरकारी मुख्य सचेतक ने दिनांक 12 मई, 1972 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सूचना दी थी जिसमें श्री मनोहरलाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मई, 1972 को सदन में अपनी मेज पर खड़े होकर सदस्यों को चुनौती देने और अभद्र एवं उच्छृंखल व्यवहार करने तथा आसन के आदेशों की निरन्तर अवहेलना करने के कारण उन्हें सदन की सेवा से तीन दिन के लिए निलम्बित करने का प्रस्ताव किया गया है।

सदन के प्रायः कई माननीय सदस्यों ने श्री मनोहर लाल के उक्त आचरण को खेदजनक बताया है। जनसंघ दल के सचेतक ने भी इस घटना पर खेद प्रकट किया है और विपक्ष के भी माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि यदि श्री मनोहर लाल अपने उक्त व्यवहार के लिए क्षमा याचना कर लें तो इस मामले को समाप्त समझा जाये।

माननीय सदस्यों को सुविदित है कि विधान सभा की गरिमा और मर्यादा की एक सुदीर्घ और सुनिश्चित परम्परा है और नियमों के

(श्री ग्रध्यक्ष)

अनुसार किसी भी माननीय सदस्य को बोलते समय केवल अपने स्थान पर खड़ा होना आवश्यक है किन्तु इस प्रकार के आचरण से, जो कि माननीय सदस्य ने प्रदर्शित किया, सदन की मर्यादा को बाधा पहुंचती है। इस प्रकार के व्यवहार की ओर आसन की ओर से माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया गया और उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाने को कहा गया, किन्तु वे बहुत देर तक, आसन से कई बार कहने के बाद मेज पर से नहीं उतरे और अपना भाषण करते रहे। इसके उपरान्त उन्हीं के दल के कुछ सदस्यों के अनुरोध पर वे मेज पर से नीचे उतरे।

आम तौर पर किसी माननीय सदस्य के इस प्रकार के व्यवहार पर सदन में उसी समय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, किन्तु आसन की ओर से इस बात पर विचार किया गया कि माननीय सदस्य विधान सभा में पहली बार चुनकर आये हैं और उन्हें सदन की मर्यादाओं और परम्पराओं का अभी सम्यक् ज्ञान नहीं है। इस कारण इस प्रश्न पर आसन की ओर से उसी समय कार्यवाही करने के विचार को स्थगित रखा गया।

अब चूंकि सम्बन्धित सदस्य श्री मनोहरलाल तथा उनके दल की ओर से सचेतक ने सदन में माननीय सदस्य के उक्त आचरण के लिए क्षमा याचना कर ली है अतः इस विषय में अब अन्य कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझता। फिर भी मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि सदन की स्वस्थ्य परम्पराओं और मर्यादाओं को बनाये रखने का दायित्व सदन के माननीय सदस्यों पर ही है, चाहे वे इस पक्ष में बैठने वाले हों चाहे उस पक्ष में, और यदि किसी माननीय सदस्य ने इस सदन की मर्यादाओं के विपरीत या उस पर आघात पहुंचाने वाला किसी प्रकार का आचरण किया तो उसमें इस सदन की ही शोभा और मर्यादा घटेगी। प्रजातन्त्र में शासन में बहुमत की नीतियों का पालन किया जाता है परन्तु अल्पमत को भी अपनी बात कहने और अपने सुझाव प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु यह सब सदन की मर्यादा के अन्तर्गत और उसकी परम्पराओं के अनुरूप होना चाहिये। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्यों की ओर से इस विषय में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और भविष्य में कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं की जावेगी जिससे सदन की प्रतिष्ठा और सम्मान में किसी भी प्रकार कमी आने की आशंका हो।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्षमाशीलता की परम्परायें भी हैं इस सदन में उसका भी उल्लेख हो जाता।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : इसमें वापिस लेने का प्रश्न ही नहीं है। यह तो अपने आप ही समाप्त हो गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is dead.

श्री अध्यक्ष : औपचारिक रूप से वापिस तो लेना ही है।

श्री खेतसिंह : क्योंकि श्री मनोहर लाल जी ने क्षमा याचना कर ली है इसलिये मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जयपुर में पानी की बहुत कमी है, इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया। मैं निवेदन करता हूँ कि आपने जो अभी स्थगन प्रस्तावों के बारे में व्यवस्था दी.....

श्री अध्यक्ष : नियमों के अन्तर्गत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बारे में कोई बात उठाई नहीं जाती।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री ओंकारलाल चौहान (पंचायत मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूँ :

(क) राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 89 (3) के अन्तर्गत अधिसूचना सं. एफ 4 (एल. जे.) 4 (7) 68।1103।8 दिनांक 26 अप्रेल, 1972, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत तथा न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 203 में संशोधन किया गया है।

(ख) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 की धारा 79 (2) के अन्तर्गत—

(1) अधिसूचना संख्या एफ 41। एल।पी एस।ए आर।1170। 1083–92 दिनांक 24–4–72, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (वित्तीय लेखा तथा बजट) नियम, 1959 में संशोधन किये गये हैं, तथा

(2) अधिसूचना संख्या एफ 4।एल पी. एस।ए आर।6।71/ 1063–82 दिनांक 24–4–72, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।

अशासकीय संकल्प

वियतनाम संबंधी प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : वियतनाम संबंधी प्रस्ताव।

मैं इस संबंध में इतना निवेदन कर दूं कि मैं इसके लिए एक घण्टे की अवधि निश्चित करता हूं और उसी अवधि में इसको समाप्त करना है और एक माननीय सदस्य दस मिनट से ज्यादा न बोलें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:–यह सदन संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा उत्तरी वियतनाम पर किये जा रहे बर्बर हवाई हमलों की तीव्र निन्दा करता है। यह सदन महसूस करता है कि अमरिकी राष्ट्रपति द्वारा सुरंगें बिछा कर उस देश में जाने वाले माल को रोकने की चेष्टा करने में स्थिति को और भी विस्फोटक बना दिया है जो कि विश्व युद्ध का रूप धारण कर सकता है और जिससे हमारे देश, एशिया और तमाम संसार की शान्ति को खतरा पैदा हो गया है।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

यह सदन मानता है कि दक्षिणी वियतनाम की जनता को अपनी आजादी के लिये संघर्ष करने का न्यायोचित अधिकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप करना उनकी साम्राज्यवादी गतिविधियों का द्योतक है।

अतः यह सदन इस मांग का समर्थन करता है कि अमरिका साम्राज्यवादी उत्तरी वियतनाम के ऊपर हवाई हमले तुरन्त बन्द करे और अपनी तमाम ेनायें वियतनाम से तुरन्त वापस बुलावे ।

यह सदन दक्षिणी वियतनाम की जनता के मुक्ति आन्दोलन का हार्दिक अभिनन्दन करता है कि भारत सरकार अविलम्ब दक्षिणी वियतनाम की अन्तरिम क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता देकर वहां की जनता के संघर्ष को मजबूत बनाने में अपना पूरा सहयोग देगी। यह जो प्रस्ताव कई माननीय सदस्यों की तरफ से रखा गया है वह मानवता के नाते और इन्सानियत के नाते बहुत अहमियत रखता है। जैसा यहां के जितने भी विधान सभा के मेम्बर्स हैं वह भली भांति जानते हैं कि वियतनाम का इतिहास उनके संघर्ष और जंगे आजादी इतिहास बहुत वैदिक है। वह सैकड़ों वर्षों से अपनी आजादी की जंग मुख्तलिफ लोगों से लड़ते चले आ रहे हैं। जो मौजूदा अध्याय है उसका प्रारम्भ 1945 से हुआ जिस समय नार्थ वियतनाम में होचिमिन ने फ्रांस की फौज को शिकस्त देकर नार्थ वियतनाम की आजादी करायी और यह 1945 से शुरू होकर 1954 में खतम हुई। 9 साल के संघर्ष के बाद 1954 में जब नार्थ वियतनाम आजाद हुआ उस समय अमेरिकन साम्राज्यवाद ने यह सोचकर कि फ्रांसीसी साम्राज्यवाद समाप्त हो चुका है, यह फैसला किया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और हस्तक्षेप करने का भी तरीका निकाला कि पहले उन्होने एक पपेट गवर्नमेन्ट साऊथ वियतनाम को मदद देकर कायम की और उसके बाद धीरे धीरे फौजी एक्सपर्ट्स की शक्ल में कुछ लोगों को भेजा गया। उसके बाद यह संघर्ष बराबर चलता रहा और वहां नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट के लोगों ने मोर्चा कायम किया अमेरिकन इम्पीरियेलिज्म के खिलाफ और फ्रांसीसी इम्पीरियेलिज्म के खिलाफ। उसके बाद यह नौबत आई कि वहां धीरे धीरे 5 लाख अमेरिकन फौज पहुंच गयी। आप जरा देखिये कि जिस मुल्क की आबादी 1 करोड़ और 4 लाख के करीब हो वहां अमेरिकन 5 लाख फौजी भेज दिये गये और वह इसलिए कि साउथ वियतनाम में जाकर अपनी आजादी की जंग कर रहे थे। जो लोग अपने मुल्क को आजाद करना चाहते थे साम्राज्यवादियों के पंजों से उसको कुचलने के लिये और बरबाद करने के लिए, उनको मिटाने के लिए। उसके बाद जैसा कि आपको भलीभांति मालूम है कि 1964 में अमेरिका ने शुमाली वियतनाम पर दमबारी शुरू की और बम्बारी इतने बड़े पैमाने पर की कि न सिर्फ फौजी अहमियत के ठिकानों पर बम्ब गिराये कि जहां उनके कुछ फौजी अड्डे थे या उनके जहाज थे या उनका और फौजी साजोसामान रहता था, बल्कि ऐसे इलाकों पर भी बमबारी की गयी कि जिसका फौज से कोई ताल्लुक नहीं था। उसके बाद यह संघर्ष बराबर चलता रहा और यहां तक नौबत आई कि अमेरिका को इस

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

बात पर गौर करना पड़ा और उन्होंने ऐलान किया हम अपनी फौज को वापिस बुलाना चाहते हैं। हम समझौता चाहते हैं। वह समझौता इस किस्म का चाहते हैं कि वहां मेरे मुल्क को भी देखना चाहते हैं। यह चीज वहां के मुल्क ने, जो आजादी हांसिल करने के लिए जंग कर रहे हैं और उस आजादी के परवानों ने इस चीज को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि हम यह चाहते हैं कि अमेरिकन साम्राज्यवादी इस मुल्क को छोड़ कर चले जायं, वे इस मुल्क से चले जायं इसके बाद हम अपनी समस्या खुद हल करेंगे। उन्होंने अपनी यही शर्त रखी कि अमेरिकन साम्राज्यवादी वहां से चले जायं लेकिन अमेरिका ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस शर्त को मानने से इन्कार कर दिया। अभी आपने सुना होगा कि दो रोज पहले ही उन्होंने उत्तरी वियतनाम के जितने पोर्ट थे उनको बन्द कर दिया है और बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं और बिछाने के बाद अब वे इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। आजादी की दो जंगे इससे पहले भी हुई हैं। एक जंग 1914 में हुई और दूसरी जंग 1939 में हुई। इन दोनों जंगों में जितने बम्ब इस्तेमाल किए गए, जितने विस्फोटक इस्तेमाल किए गए, जितना साज समान इस्तेमाल किया गया, उन सबसे ज्यादा बम्बों का इस्तेमाल इस जंग में अमेरिका ने किया है और जितना नुकसान इन दोनों जंगों में हुआ है उससे ज्यादा नुकसान अमरिका में नौर्थ वियतनाम में किया है। आज हालत यह है कि उस मुल्क पर फासफोरसले बम्ब डाले जा रहे हैं, कीटाणुओं के शस्त्र चलाए जा रहे हैं और केमिकल्स का यूज किया जा रहा है। वे चाहते हैं कि साउथ वियतनाम का एक एक चप्पा, एक एक इंच जमीन बर्बाद हो जाय। उसमें दरखत पैदा न हों। उसमें घास तक पैदा न हो। जंगलों को बर्बाद कर दें और दरखतों को मिटा कर मैदान कर दें ताकि वहां के लोग भूखों मर जायं। अमेरिकन साम्राज्यवादी केवल यही नहीं चाहते हैं कि सिर्फ साउथ वियतनाम को ही बर्बाद कर दें बल्कि मैं सदन के इन मैम्बरों का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करूंगा कि आज अमेरिकन साम्राज्यवादी इस कोशिश में हैं कि वह एशिया के लोगों को आपस में लड़ा कर तमाशा देखें, फिर एक कौम की मदद करें और दूसरी कौम पर हमला करने के लिए उसको उकसाएं। आपको याद होगा कि सन् 1947 में जब कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों आजाद हुए उस वक्त भी अमेरिका के इशारे पर हिन्दुस्तान के ऊपर, काश्मीर के ऊपर, जो कि भारत का एक हिस्सा था, काश्मीर पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को उकसाया और काश्मीर पर अपनी फौजें भेज दीं। फौजें कबालियों की शक्ल में आईं और आपने देखा कि हमें किस प्रकार उनका मुकाबला करना पड़ा। उसके बाद 1965 में फिर उन्होंने एक बार और कोशिश की कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हो। पाकिस्तान को उन्होंने उकसाया और एक बार फिर पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान पर हमला किया। फिर आपने देखा कि वह जंग 17 दिन या 21 दिन तक चली और बहुत जान माल को खतरा हुआ और उस वक्त भी बहुत से पेटन टैंक और सेवर जेट विमान अमेरिका ने पाकि-

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

स्तान को हुकूमत को दिये लेकिन हमारी फौजों ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया। यहां के लोगों ने और यहां की फौजों ने और यहां की सारी जनता ने अमेरिकन साम्राज्यवाद का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। क्योंकि हम यह जानते हैं कि क्या तो पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, पाकिस्तान हमारा क्या बिगाड़ सकता था लेकिन पाकिस्तान के हुकमरानों को भरोसा था कि जो अमेरिकन मदद उनको मिल रही है उससे कुछ कर सकेंगे। अब उन्होंने आखिरी हमला हम पर दिसम्बर 71 में किया और अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने एक बार फिर इस बात की कोशिश की कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान एक बार फिर लड़ें और (समय समाप्ति सूचक घण्टी) अभी पांच मिनिट में समाप्त करता हूं। तो अमरिकन हुक्मरानों ने एक बार फिर 71 में कोशिश की कि हिस्दुस्तान और पाकिस्तान आपस में लडें। उन्होंने फिर दोनों में झगड़ा कराया। वे चाहते हैं कि एशिया के लोग एशिया वालों से लड़कर तबाह और बर्बाद हो जायं। और उसके बाद उनको समझौता कराने का मौका मिले। तो, अध्यक्ष महोदय, आज जो वियतनामी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जंग लड़ रहे हैं वह अपने लिए नही बल्कि पूरे एशिया के लिए लड रहे हैं, ऐसे पिछड़े हुए लोगों की जंग लड़ रहे हैं। दलिल हैं, गिरे हुए हैं और गुलाम हैं। वे अपने आपको गुलामी से आजाद कराना चाहते हैं। हमारा कर्त्तव्य है कि हम इस लड़ाई में कोरी अखलाकी मदद ही न करें बल्कि हमारा फर्ज है कि हम फौजी मदद भी करें। जो वहां की प्रोविजनल गवर्नमेंट है, रिपब्लिक आफ साउथ वियतनाम है, उसको मान्यता दें और उनको हम इस तरह की इमदाद दें कि अमेरिकन साम्राज्यवादियों को अपने मंसूबों में कामयाबी हासिल न हो सके। आज अमेरिका का पूरा प्रशासन, निक्सन की पूरी हुकूमत इस बात पर लगी हुई है कि साउथ वियतनाम पर वह पूरी तरह से हक हासिल कर सके और उस मुल्क को तबाह कर दे। आज अमेरिकन्स साउथ वियतनाम पर करोड़ों टन बम्ब गिरा रहे हैं, सोफिस्टीकेटेड बम्ब साउथ वियतनाम पर गिरा रहे हैं और आज साउथ वियतनाम का एक एक बच्चा, एक एक औरत, एक एक मर्द अपने मुल्क की जंग में लगा हुआ है। आज आठ आठ वर्ष का बच्चा अपने हाथ में हेंड ग्रेनेड लेकर अपने खेतों में काम करता है और मौके पर हमला कर देता है। मैं अपने मुल्क में भी वैसी ही जंगे हौसले अफजाई देखना चाहता हूं। मैं यह भी देखना चाहता हूं कि मेरे मुल्क के लोग उनको भाई समझें और उनको ऐसी मदद दें कि वे अमेरिकन साम्राज्यावादियों का मुकाबला कर सकें। आज हिन्दुस्तान ने अमेरिकन साम्राज्यवाद की कमर तोड़ दी है, उससे हिन्दुस्तान का ही हौसला नहीं बल्कि संसार का हौंसला बुलन्द हुआ है। आज दुनियां यह जानती है कि हिन्दुस्तान किसी भी साम्राज्यवाद के आगे झुकने को तैयार नहीं है।

हिन्दुस्तान आज किसी को ऐसी मदद देने को तैयार नहीं है, चाहे वह फौजी मदद हो और चाहे और किसी किस्म को मदद हो, चाहे हथियारों की मदद हो और चाहे और कोई मदद हो, वह देने को तैयार नहीं है जिसमें उसकी इज्जत को ठेस लगे। आज

(श्री गफ्फार अली)
साउथ वियतनाम भी इसी तरह से चल रहा रहा है और वह भी हर हालत में दोस्ताना तरीके की इमदाद लेने को तैयार है।

मैं इस रिजोल्यूशन का समर्थन करते हुए यह चाहता हूं कि सदन इसको यूनानीमसली पास करे और वह यह बतला दे अमेरिकन साम्राज्यवादियों को कि जंगे आजादी लड़ने वाले किसी के सामने घुटने नहीं टेका करते। चाहे वह हिन्दुस्तानी मुल्क हो और चाहे और कोई मुल्क हो। मैं इस रिज्योलूसन का समर्थन करते हुए यह अपील करूंगा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे रिजोल्यूशन के खिलाफ जाने की कोई बात हो। यह रिज्योल्यूशन कई मेम्बरों की तरफ से पेश किया गया है, उसका समर्थन करते हुए इसको पास करेंगे और इसकी कापी अमेरिकन एम्बेसी और रशियन एम्बेसी और इससे सम्बन्धित जितनी एम्बेसीज हैं, उनको भेजी जानी चाहियें, यही मेरा निवेदन है।

(श्री सुरेन्द्र व्यास एवं श्री शंकरलाल (पाली) एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री शंकरलाल (पाली) : My name is there

श्री अध्यक्ष : दोनों के हो नाम है।

श्री शंकर लाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय, वैसे वियतनाम पर अमेरिकन बम्बारी की और नाकेबन्दी की विश्व के बाकी करीब करीब सभी राष्ट्रों ने भर्त्सना की है और की भी जानी चाहिए। लेकिन जहां तक हमारी विदेश नीति का प्रश्न है, हमारी विदेश नीति लोकतंत्र, धर्म-निरपेक्षता और समाजवाद पर आधारित हैं। भारत कभी यह नहीं चाहेगा कि कोई भी देश, जो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और अपनी समस्याओं को खुद हल करना चाहता है, उसमें कोई विदेशी ताकत दखल करे। वैसे वियतनाम एशिया का एक अल्प विकसित देश है और सन् 1965 के बाद, जब कि फ्रांसिसी वहां से हटे, तब अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को पेट्रोनाइज करना शुरू किया। उसके बाद दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के अन्दर आपस में झगड़े पैदा हुए। उसका मुख्य कारण यह था कि उन्होंने आत्म निर्भरता प्राप्त करने का प्रण लिया और सन् 61 में उत्तरी वियतनाम का राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा गठित हुआ। उसके बाद में जब 1965 में अमेरिका ने बम्बारी द्वारा उत्तरी वियतनाम पर हमला किया। अमेरिका के इस निर्णय के खिलाफ सोवियत प्रधान मंत्री कोसिजिन ने नोर्थ वियतनाम से इस बात की संधि की थी कि अगर उन पर बम्बारी हुई तो वह उनकी मदद करेगा। अमेरिका ने अपना यह कार्यक्रम चालू रखा और सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम में भेजा और दक्षिणी वियतनाम के अन्दर भी आखिरकार वहां पर भी एक क्रांतिकारी सरकार का गठन हुआ। और कम्युनिस्ट पार्टी, जिस सरकार को रिकोग्नीशन देने की बात कह रही है, वह सरकार 1969 में दक्षिण वियतनाम में बनी। जहां तक रिकोग्नीशन देने का प्रश्न है, हमारी भारत सरकार के जो विदेश मंत्री हैं स्वर्ण सिंहजी, उन्होंने लोक सभा में

Page No 43

(श्री शंकरलाल)

कहा है कि यह बात सही है कि दक्षिणी वियतनाम को स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्म निर्भर रहने का उनको हक है, लेकिन उनको भारत सरकार कब मान्यता दे या मान्यता न दे यह भारत सरकार का प्रश्न है और एप्रोप्रियेट टाइम पर इस बात पर विचार किया जाएगा और इसके ऊपर काफी पत्रकारों ने भी टिप्पणी की हैं। जिस तरह से बंगलादेश को मान्यता देने के लिए बराबर आवाज उठाई गई तो भी भारत सरकार ने यही कहा था कि एप्रोप्रियेट टाइम पर मान्यता दी जाएगी। इस लिए हो सकता है कि दक्षिणी वियतनाम के सम्बन्ध में भी, जो यह प्रश्न रखा गया है कि सरकार उसको मान्यता दे तो वह भी समय पर ही मान्यता देने का प्रश्न है।

इस बारे में कतई दो राय नहीं हो सकती कि जो अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर बमबारी की है जो नाकेबंदी की, उससे दूसरे विश्व के लोग ही नहीं बल्कि अमरीका के लोगों ने विरोधी प्रदर्शन किये। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में स्वयं अमरीका के अन्दर, वाशिंगटन के अन्दर करीब दो लाख लोगों का प्रदर्शन हुआ और उन लोगों ने उसकी भर्त्सना की थी। इतना ही नहीं बल्कि बाद में चार छात्र प्रदर्शन करते हुए शहीद हो गये। उन्होंने अमरीका के अन्दर यह आवाज उठायी है कि अमरीका को वियतनाम के अन्दर इन्टरफिरेन्स नहीं करना चाहिये। अमेरिका की जनता यह नहीं चाहती है कि वियतनाम के युद्ध में दखल किया जाये। राष्ट्रपति निक्सन केवल अपनी विदेश नीति चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव आने वाले साल के अन्दर होने वाला है, की असफलता को नहीं दिखाना चाहते हैं, और इसलिये उन्होंने दक्षिणी वियतनाम के युद्ध के बारे में यह घोषणा की थी कि अमेरीका वहां से अपने सैनिकों को हटा लेगा और इस पर अमल भी शुरू कर दिया था परन्तु इसको पूरा नहीं किया इसलिये कि उन्होंने देखा कि उत्तर वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के युद्ध में उत्तरी वियतनाम काफी कब्जा करता जा रहा है और ये दोनों टुकड़े एक होने वाले हैं, अपनी इस विदेश नीति की असफलता को छिपाने के लिये अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर बमबारी शुरू कर दी और इससे पेरिस की शांति वार्ता भी अधर में लटक गई है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की क्रान्तिकारी सरकार के विदेश मंत्री, दोनों ने कहा है कि बमबारी से समझौता वार्ता में दखल हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में जहां तक हमारे स्वयं प्रधान मंत्री ने कहा है, यह बताया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की नीति है वह अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा है:–

> We think it is a very deplorable state of affairs especially when all indications were that the war was coming to an end and that the American forces were going to withdraw. But it is quite remarkable how courageously the Vietnamese people have held out against such a mighty force for so many years."

यह स्वयं हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है। उन्होंने यह भी कहा है:–

(श्री शंकरलाल)

We cannot do anything directly, but we can only try and rouse world conscience.

इस प्रकार हमारी प्रधान मंत्री ने कहा है कि इस वक्त केवल यह कर सकते हैं कि विश्व के अन्दर एक विचारधारा पैदा कर कर सकते हैं अमेरिका के एक्शन के विरुद्ध। इसलिये हम इस सदन के अन्दर यह प्रस्ताव लाये हैं और यह इस उद्देश्य से लाये हैं कि इस सदन की मार्फत प्रस्ताव पास करके इस बात के लिये अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के कार्य की भर्त्सना की जाये कि उन्होंने इस प्रकार उत्तरी वियतनाम के ऊपर बमबारी की और उसकी नाकेबंदी की। इस प्रकार की नीति साम्राज्यवादी है और इसकी आलोचना की जाये यही हमारा मकसद है और मैं समझता हूं कि इसी मकसद के लिये यह प्रस्ताव रखा गया है। इसलिये यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाना चाहिये जिसके द्वारा हम यह कह सकें कि हमारी लोकसभा में हमारे विदेश मंत्री श्री स्वर्णसिंह ने जो नीति रखी है, और हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो राय जाहिर की है, कांग्रेस पार्टी की जो नीति है कि वह लोकतंत्र में विश्वास रखती है, उसको मान्य करती है, तब इस प्रकार की कार्यवाही चाहे, वह बड़े राष्ट्रों के द्वारा हो, उसकी हम भर्त्सना करेंगे और यह सदन अमेरीका के एक्शन की भर्त्सना करता है और यह भारत सरकार से निवेदन किया जाये कि समय समय पर उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के जो टुकड़े हैं, उनको मिलाना और एशिया में किस प्रकार से शांति कायम हो सके और छोटे राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र विकसित हो सके उसके लिये भारत सरकार सक्रिय रूप से भाग ले। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, आज आपने माननीय सदस्यों की भावनाओं को और आपने जो आश्वासन दिया था कि वियेतनाम के मसले के ऊपर हम लोगों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जायेगा, उसके लिये आपने यह जो मौका दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय, अमेरिका जैसे साम्राज्यवादी और पूंजीवादी राष्ट्र की शुरू से ही यह कोशिश रही है कि छोटे और अविकसित देशों के अन्दरूनी मामलों के अन्दर शुरू शुरू में आर्थिक सहायता के रूप में और आगे चल कर मिलिटरी ऐड देकर और इस तरीके से उनके कामों के अन्दर हस्तक्षेप करें कि वे वहां पर अपना प्रभुत्व कायम रख सकें। खासतौर से एशिया के छोटे छोटे और अविकसित राष्ट्रों के मामलों में अमेरिका की यह नीति ज्यादा स्ट्रोंग रही है। अध्यक्ष महोदय, आज वियेतनाम के मसले के ऊपर अमेरिका किस हद तक दूसरे राष्ट्रों से लड़ कर अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है, किस हद तक अपने स्वयं को, अमेरिका की जनता की भावनाओं को उपेक्षित कर, किस हद तक उसकी मदद कर रहा है, किस हद तक वह नर संहार कर रहा है, अमेरिका एशिया के अन्दर अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम करने के लिये कर रहा है। यह बात स्वतंत्रता की इस लड़ाई के अन्दर स्पष्ट होती जा रही है। दुनियां

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

के इतिहास के अन्दर यह लम्बी लड़ाई है। इतना बलिदान और कुर्बानी किसी राष्ट्र ने नही की है। जितनी वियतनाम की जनता कर रही है। आज वहां की जनता अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र से टक्कर ले रही है और उसके बदले अमेरिका उनके ऊपर हर प्रकार का युद्ध थोपता चला जा रहा है। करीब करीब वहां का युद्ध आणविक युद्ध के आस पास पहुंच गया है। नापाम बमों का प्रयोग शुरू हो गया है। इस प्रकार अमेरिका वहां की जनता का नर-संहार कर रहा है। यह शोचनीय स्थिति है। वियतनाम का युद्ध, अमेरिका की नीतियों के बैक ग्राउन्ड में, अमेरिका जो कुछ हस्तक्षेप वियतनाम में कर रहा है, उसके बैक ग्राउन्ड में कई मसलों को लेकर यह युद्ध हो रहा है। आज वियतनाम के युद्ध से बहुत बड़ी शंका, यहां तक फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका की बमबारी के कारण, प्रकट की गई है और इस बमबारी की निन्दा की गई है। इस लड़ाई के बारे में इन राष्ट्रों के द्वारा शोच प्रकट किया गया है। सारे विश्व के अन्दर यह शंका प्राप्त हो गई हैं कि यह युद्ध कहीं आणविक युद्ध के रूप में न हो जाये। यह युद्ध ऐसा रूप ले सकता है जिससे मानव जाति के एग्जिस्टेन्स का प्रश्न खड़ा हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आज भारतवर्ष दो तरीकों से इस युद्ध में फंसा हुआ है। एक तो भारतवर्ष इसमें भावनात्मक रूप से उलझा हुआ है और यह प्रश्न है मानवता के अस्तित्व का। दूसरा प्रश्न है एशिया के छोटे और अविकसित राष्ट्रों के अन्दर सहायता के रूप में हस्तक्षेप करना। बंगला देश का जो मसला था वह एक मानवीय पहलू था। भारत ने इस दिशा में पहल कर उसको हल किया है। मानवीय आधार पर बड़े राष्ट्रों को कोई अधिकार नहीं है कि वे छोटे राष्ट्रों की सहायता के नाम पर, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे फौजी हो, हस्तक्षेप करें और उन पर अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम करें या अपने राजनीतिक लाभ के लिये छोटे राष्ट्रों को मजबूर करें कि वे अपनी फॉरेन पोलिसी उनके अनुसार बनावें। यह उनकी हरकत बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिये। आज बंगला देश की आजादी के बाद, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी न केवल भारतवर्ष की बल्कि विश्व के अविकसित और छोटे राष्ट्रों की एक उम्मीद की किरण हो गई है और इस प्रकार श्रीमती इन्दिरा गांधी समस्त मानव जाति की नेता के रूप में उभरी हैं।

अध्यक्ष महोदय, एशिया के छोटे-छोटे राष्ट्रों को उम्मीद हो चली है। आज बंगला देश के मसले पर अमेरिका को मात खानी पड़ी है। आज छोटे-छोटे राष्ट्रों में यह उम्मीद हो चली है कि एशिया के अन्दर कोई भी देश, जो साम्राज्यवादी और पूंजीवादी अमेरिका से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनकी आवाज का समर्थन करेंगे, और छोटे-छोटे राष्ट्रों को स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने का अधिकार होगा। तो, अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियों के अन्दर आज इस हाउस के अन्दर यह प्रस्ताव आया है। रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने वियतनाम को मानवीय आधार पर सहायता दी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से अमेरिका के बमबारी के मामले से मानवीय आधार को खतरा पहुंच

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

रहा है। उसके बारे में अमेरिकन सरकार और निक्सन प्रशासन का जो रवैया है और जो नीति है वह सर्वथा निन्दनीय है और इसकी भर्त्सना करनी चाहिए।

साथ ही साथ आज रूस ही एक ऐसा देश है जो इस वियतनाम के मसले पर मानवीय आधार पर मदद कर रहा है, तो हमको उसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, साथ में, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि चीन, जो अपने आपको एक साम्यवादी राष्ट्र कहता है, मार्क्सवादी राष्ट्र कहता है और वियतनाम में किसी हद तक चला भी है, लेकिन अमेरिका से उसकी दोस्ती होने के बाद वह खुले दिल से सामने नहीं आ रहा है और उसकी मदद नहीं कर रहा है जो उसको करनी चाहिए। और इसी प्रकार का रवैया बंगला देश के लिए लिया था। उस रवैये की अब जाकर पुष्टि होती है वियतनाम के इश्यू पर। इसलिए मैं समझता हूं कि एक ऐसा राष्ट्र, जो अपने आपको साम्यवादी राष्ट्र कहता है, जो अपने आपको एक मार्क्सवादी राष्ट्र कहता है उसका रवैया एक स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्र के प्रति, एक छोटे राष्ट्र के मामले में अपने देश के हित के आधार पर, स्वयं के हित के आधार पर और अमेरिका की जो दोस्ती अभी हुई है चीन से उसके आधार पर, अपनी नीति से वह हट जाय तो, मैं समझता हूं कि चीन की भी हमें भर्त्सना करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज श्रीमती इन्दिरा गांधी से बहुत बड़ी उम्मीद लेकर एशिया के छोटे राष्ट्र चल रहे हैं (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) तो, अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नहीं है कि जहां कहीं पर भी नेतृत्व का प्रश्न आता है, तो पैसों के आधार पर, यदि कोई नेतृत्व ले सके तो मैं समझता हूं कि वह देश अमेरिका ही हो सकता है, लेकिन नीतियों और सिद्धान्तों के आधार पर अगर कोई देश नेतृत्व ले सकता है तो वह भारत है, और नीतियों और सिद्धान्तों के आधार पर, सहानुभूति के आधार पर, जनमत के आधार पर और भावनाओं के आधार पर कोई नेतृत्व प्रदान कर सकता है तो श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रदान कर सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रधान मन्त्री का अभी अभी, जो, वियतनाम के बारे में सहानुभूति का रवैया है और यह भी निवेदन करना चाहता हूं और यह सदन भी अच्छी तरह से जानता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने निवेदन किया है कि मैं यह अच्छी तरह जानती हूं कि हमारा राष्ट्र इकोनॉमिकली बैकवर्ड है और हमको भी अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, वियतनाम का यह युद्ध मानव जाति की स्वतन्त्रता की लड़ाई है, इसलिए हमारी सरकार और श्रीमती इन्दिरा गांधी की यह मान्यता है कि यह जनता की मुक्ति का आन्दोलन है और वियतनाम की जनता का यह आन्दोलन है, उसका हम सब सही तौर से समर्थन करना चाहते हैं इस प्रकार का यह प्रस्ताव मैं सदन के समक्ष पेश कर रहा हूं। इसको पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के साथ सारे बड़े

(श्री केदार नाथ)

राष्ट्रों की विदेशनीति का सबंध है। अध्यक्ष महोदय, दुनिया के नक्शे पर जर्मनी के दो हिस्से देखे, कोरिया के दो हिस्से देखे, वियतनाम के दो हिस्से देखे हैं और हिन्दुस्तान के दो हिस्से देखे हैं। हमें, अध्यक्ष महोदय, इजराइल का अरब देशों पर हमला सुनने को मिला, ब्रिटेन ने स्पेन पर हमला किया, क्यूबियन क्राइसिस पैदा हुआ, लेकिन यू. एन.ओ. फंक्शन नहीं कर पाई है। वियतनाम का सुना है कि लगातार चार साल से बमबारी हो रही है। तो उसके लिए 54 में जेनेवा कान्फ्रेन्स के नाम से एक कान्फ्रेन्स बनी थी उसका कुछ नहीं देखा। इसलिए दूसरी लड़ाई के बाद बड़े देशों की, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो उनकी क्या नीति रही है? इसलिए अमेरिका की बढ़ते हुए देशों के प्रति क्या नीति रही है इसको हमें समझ लेना चाहिए अमेरिका का हमारे पार्टीशन के अन्दर क्या रोल रहा है, काश्मीर के सवाल पर क्या रोल रहा है, उसके बाद पहले पाक एग्रेशन के अन्दर क्या रोल रहा, और अब बंगला देश के बारे में क्या रोल रहा? तो अमेरिका की नीति हमारे सामने है। अमेरिका के डलेस जो फारेन सेक्रेटरी थे उन्होंने दूसरी लड़ाई के बाद यह तय कर लिया फारेन पालिसी के आधार पर कि काम्युनिज्म के विस्तार को हमें रोकना है, लेकिन एशिया और अफ्रीका में कम्युनिस्ट देश नहीं थे और कई ऐसे देश थे जिनका अपना फिलसफा था और फारेन पालिसी थी तो उनके साथ में इकोनामिक डील और फाईनेन्शियल एड के एग्रीमेंट करने की बात की और उसके जरिये से अपने से मिलाने का प्रयत्न किया और अपने पेक्टस और ब्लाक्स बनाने की बात की। यह फारेन पालिसी अमेरिका की रही है। अगर हम देखें सेकेण्ड वर्ल्ड वार के बाद में तो हमारी समझ में आजायेगा कि 4–5 देश ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया पर अपना वर्चस्व करने की कोशिश की किसी इकोनामिक डील के मातहत या मिलिट्री पेक्ट के मारफत। इसलिए हिन्दुस्तान ने हमेशा नान-एलाइनमेन्ट की पालिसी पर जोर दिया है और यह बात अपनी फारेन पालिसी में तय की है और एशिया में इस नॉन-एलाइनमेन्ट की पालिसी को तोड़ना अमेरिका और बड़े देशों की स्ट्रेटेजी है।

आपस में टॉक्स चल रही हैं। चायना में अमेरिका के हेड जाते हैं और आपस में टॉक्स कर रहे हैं। अब मास्को जा रहे हैं लेकिन बमबारी वहां पर तेज हो गई है, लेकिन हनोई का दिमाग साफ है। वे कहते हैं कि वियतनाम का फैसला न पेकिंग में तय होगा, न मास्को में तय होगा और न न्यूयार्क में तय होगा। यह फैसला हम अपने आप करेंगे। दुनिया के बड़े देश कहने को तो मानते हैं कि सेल्फ डिटरमिनेशन की पालिसी मानते हैं, लेकिन अगर आज दुनिया के बड़े देश सेल्फ-डिटरमिनेशन को पालिसी को मानते तो यूरोप का मसला तय हो गया होता, वियतनाम का मसला तय हो गया होता। मगर इस पालिसी को कोई नहीं मानता है, इस प्रिन्सिपल को कोई नहीं मानता है। सब यह चाहते हैं कि अगर कोई देश मेरे कब्जे में है तो वह देश मेरे कब्जे में रहे। हंगरी का सवाल हमारे सामने है, चेकोस्लोवाकिया का सवाल हमारे सामने

(श्री केदार नाथ)

है। रूस ने वहां पर हस्तक्षेप किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई देश आज हमारा साथी है न मालूम कब क्या पार्ट उसका होगा। हमने देखा है कि ताशकन्द के मामले में रूस का क्या रोल रहा है और आयन्दा भी उसकी फारेन पालिसी क्या हो सकती है? कोई देश यह नहीं कह सकता है कि ह्यूमेनिटेरियन ग्राउन्ड्स पर वे चलते हैं। कोई देश नहीं कह सकता है कि वे सेल्फ-डिटरमिनेशन के प्रिन्सीपल को मानते हैं। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि केवल अमेरिका का ही सवाल नहीं है। अमेरिका का रोल एशिया, अफ्रीका के देशों के साथ में, लेटिन अमेरिका के साथ में पुराने इम्पीरियेलिज्म का रोल बन्द करके उसको इकोनामिक डील की नई शक्ल में बदल दिया। इकोनामिक डील के मारफत वह उसको प्राप्त करना चाहता है। मैं सोचता हूं कि वियतनाम में 10-15 दिन की लड़ाई का मामला है। दोनों देश एक होंगे। यह हम भी चाहते हैं कि जो कुर्बानी लोगों ने की है और इतनी लम्बी लड़ाई लड़ी है और आज भी वे लड़ रहे हैं तो उस देश के लोगों के साथ में हमारी हमदर्दी है, जो कि दरअसल में इस उसूल को मानते हैं। बंगला देश की लड़ाई हमारे सामने हुई है। इसलिए अभी भी मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि निक्सन जैसे आदमी का क्रिमनिल ट्रायल होना चाहिए। उसको एक बार क्रिमिनल मानकर इसको ट्रायल होनी चाहिए जैसी कि जर्मनी में हुई थी। इसका कारण था। उस वक्त अमेरिका के राबर्ट जैकसन एक वकील थे उन्होंने एक बात कही जो कि न्यूरेम्बर्ग ट्रायल इन 1946 में एक दर्शक थे। उन्होंने लिखा है—

At the Nuremberg Trials in 1946 Robert Jackson the American Prosecutor said—if certain acts in violation of treaties are crimes, they are crimes whether the United States does them or Germany does them and we are not prepared to lay down rule of criminal-conduct against others which we would be unwilling to have revocked against us.

जो उसूल अपने पर लागू नहीं कर पाये तो ऐसे रूल आफ कन्डक्ट नहीं बनाना चाहिए और रूल्स आफ कन्डक्ट अमेरिका पर भी लागू हैं। इसलिए वर्ल्ड ओपीनियन ऐसी पैदा हो, इसकी ट्रायल ऐसी हो जैसी कि जर्मनी के वार क्रिमिनल्स की हुई थी, जैसा कि बंगला देश में जो पाकिस्तान के लोग थे उनकी ट्रायल होने की बात कही जाती है ताकि आयन्दा कोई ह्यूमेनिटी पर बमबारी नहीं करे। वर्ना न तो नाकेबन्दी से फर्क पड़ने वाला है और न ब्लॉकेड से फर्क पड़ने वाला है। वह देश आजाद होकर रहेगा।

अगर कांग्रेस के माननीय सदस्यों को एतराज न हो तो इसमें दो शब्द नहीं जाने चाहिए। फॉरेन पालिसी ठीक है। यूनेनिमस प्रस्ताव हो। एक लफ्ज अगर कोई माननीय सदस्य चाहें डिलीट करना तो इसके करने में कोई एतराज नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

एशिया की स्थिति है उसमें वियतनाम में अपनी प्रभुता और स्वतन्त्रता के लिये कई वर्षों से संघर्ष चला आ रहा है और वह सर्वप्रथम चीन से जूझा, उसके बाद आक्रमणकारी जापान के साथ जूझा, उसके बाद में उपनिवेशवादी फ्रान्स के साथ उसकी लड़ाई हुई है, और अब संसार की सबसे 'बड़ी' शक्ति जो अमेरिका है, उनके 'साथ में जूझ' रहे हैं। वास्तव में वियतनाम का इतिहास संघर्षों का इतिहास है। मैं समझता हूं कि 'वियतनाम का रक्तरंजित इतिहास है, उसको देखते हुये उसके प्रति सहानुभूति का एक प्रस्ताव पास करके ही हम अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लें तो यह उचित नहीं होगा। 1954 में जिनेवा सम्मेलन हुआ था। लेकिन अमेरिका में जो आदमी कभी कपड़े धोया करता था, उनको यहां उठाकर लाये और उनका राष्ट्रपति बना दिया गया। आज तक उस जिनेवा सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित नहीं किया गया। उसमें यह था कि एक तो चुनाव कराये जायें। दूसरे वहां पर कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। भारत, उनका जो कन्ट्रोल कमीशन है, उसका चेयरमैन भी बना हुआ है। यों समझना चाहिए कि वहां पर कमीशन तो है लेकिन कन्ट्रोल नहीं है। भारत को चाहिए कि उस कन्ट्रोल कमीशन से त्याग पत्र दे दे। त्यागपत्र देकर वह उससे बाहर आ जाये। आज जो एशिया की प्रतिरक्षा की बात करते हैं, यह तब तक नहीं हो सकती है, जब तक कि ये बाहरी शक्तियां छोटे छोटे देशों में अपना हस्तक्षेप करती रहेंगी। वियतनाम का संघर्ष एक वास्तविक संघर्ष है। मैं समझता हूं कि राष्ट्र संघ के तीन सदस्य देश, रूस, अमेरिका और चीन हैं। चीन ने बड़ी चतुरता के साथ अपने सम्बन्धों को सुधार लिया है। वह सौदेबाजी के रूप में अपनी कीमत वसूल करना चाहता है। भारत को चाहिए कि वह इस अवसर पर केवल धन्यवाद का प्रस्ताव या अभिनन्दन का प्रस्ताव ही पास करके अपने कर्तव्य को इतिश्री न समझ ले। इस प्रश्न को यू. एन. ओ. में अपने प्रतिनिधी से उठवाये, ताकि दुनियों को यह पता लग सके कि कौन क्या चाहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत यह प्रश्न उठाये। उसमें पहला प्रश्न यही होगा कि अमेरिका यह नर संहार बन्द कराये। एक दिन ऐसा आयेगा कि वियतनाम से अमेरिका को जाना होगा। जैसे भारत में अंग्रेज नहीं रहे। उसी प्रकार से वियतनाम से अमेरीका को भी जाना होगा। एक दिन अवश्य ऐसा आयेगा कि वियतनाम के साथ ऐसा होकर रहेगा। अमेरिका वियतनाम से जायेगा। भारत को चाहिए कि वह इस अवसर पर अपनी कार्यकुशलता का, अपनी राजनीतिज्ञता का परिचय दे। इस समस्या को पहल दे। एशिया की शान्ति और सुरक्षा के लिए उसे इस और कदम उठाना चाहिए। मैं अपने दल की ओर से यह विचार प्रकट करते हुये सन्तोष मानता हूं। वियतनाम के स्वभाग्य का निर्णय वहां की जनता स्वयं करे।

श्री मोहनलाल छंगानी : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, दक्षिण वियतनाम के प्रश्न पर माननीय सदस्यों द्वारा जो

Page No 50

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

प्रस्ताव रखा गया है, उसमें खासतौर से समस्या इस बात की है कि आज विश्व के अन्दर अमेरिकन शक्ति इस बात के लिए प्रयत्नशील है वह आज से नहीं, काफी समय से प्रयत्नशील है। वह चाहता है कि किसी न किसी प्रकार एशियाई देशों पर अपना प्रभाव कायम करे। वियतनाम में जो नर संहार उसने किया है, वह नया नहीं है। जब जब विश्व की प्रगतिशील नीतियों ने या देशों ने मानव की रक्षा के प्रयत्न किये हैं। तब तब अमेरिका की ओर से ऐसा किया गया है। इसी तरह का प्रश्न कश्मीर से जुड़ा हुआ है। आज वियतनाम में उसने जो हवाई हमला किया है किसी न किसी तरह से उसको कुचल दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज वियतनाम अपनी स्वयं की लड़ाई लड़ रहा है। प्रश्न यह है कि हमारे देश की प्रधान मन्त्री की नीति मानवता को बचाने की रही है। भारत ने आगे बढ़कर इस प्रकार के कार्य किये हैं। हमारे पड़ौसी बंगला देश को कुचलने के लिए अमेरिका ने साधन उपलब्ध कराये। भारत ने अपनी नीति का परिचय दिया है। उसने विश्व में शान्तिवादी नीतियों का समर्थन किया है। आज अमेरिका इस बात के प्रयत्न में है कि किसी प्रकार से हो, वियतनाम को कुचल दिया जाये। इस बारे में, अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव रखा है, उसे विधान सभा के माननीय सदस्यगण सर्वसम्मति से पास करके भेजें। यह बहुत ही आवश्यक और उचित भी है। हमारी भारत की प्रधान मन्त्री की विदेशी नीति काफी शानदार रही है। वियतनाम के प्रश्न पर भी हमें उसी दृष्टिकोण को सामने रखकर आवश्यक प्रयत्न करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा एक अमेण्डमेण्ट है। इस प्रस्ताव में अमेरिकी प्रेजीडेण्ट निक्सन और अमेरिकी पापुलेशन के साथ में कोई भेद नहीं रखा गया है। We must distinguish between Mr. Nixon's Government and the American people.

आज अमेरिकी जनमत और प्रेस इस वियतनाम वार को कण्डेम करता है। अमेरिकी जनमत वियतनाम वार के पक्ष में नहीं है। इसलिए यह छोटा सा अमेण्डमेट है। यह फर्स्ट लाइन में जहां पर यह आता है कि "संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा है यहां पर यह होना चाहिए कि "प्रेजीडेन्ट निक्सन की सरकार द्वारा।" और सैकेण्ड पैराग्राफ के लास्ट लाइन में "हस्तक्षेप करना उनकी साम्राज्यवादी गतिविधियों का द्योतक है" इसके स्थान पर होना चाहिए "उनकी" के स्थान पर "प्रेजीडेण्ट" निक्सन "होना चाहिए।" प्रेजीडेण्ट निक्सन की साम्राज्यवादी गतिविधियों का द्योतक है"।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अमेरिकी जनमत है, वह प्रेजीडण्ट निक्सन के साथ नहीं है। अमेरिकी जनता इस वार के खिलाफ है। प्रेजीडेण्ट निक्सन को युद्ध बन्द करना होगा। यह अमेरिका की जनता भी चाहती है। लेकिन उसको नहीं लेते तो कम से कम प्रेसीडेंट निक्सन गवर्नमेंट की पालिसी और प्रेसीडेंट निक्सन की साम्राज्यवादी पालिसी को कन्डम करते, न

(श्री पी. के. चौधरी)

कि अमेरिकन पीपुल एज सच को। अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन पीपुल को डिस्टिंग्विस करते तो इसका इशारा आना चाहिए। इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट रखा है कि पर्टीक्यूलर्ली पिन पाइन्ट करें प्रेसीडेंट निक्सन को। इसके दो मतलब होंगे, एक तो यह है, प्रेसीडेंट निक्सन वियतनाम पालिसी को अपने इलेक्शन के प्रास्पेक्ट्स को सामने रखते हुए तय करते हैं, दूसरे वर्ल्ड ओपिनियन उनके खिलाफ जाती है तो उसके रिपरक्शन्श होते हैं और उसका रिफलेक्शन उनकी पालिसी पर पड़ता है। हम वियतनाम पालिसी का विरोध करते हैं। वह इसलिए करते हैं कि जो साम्राज्यवादी पावर हैं, जो सुपर पावर हैं उनके ऊपर कोई कानून कायदे लागू नहीं होते हैं वह छोटे राष्ट्रों के हकूक का किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं रखते हैं, रूल आफ पावर चलाते हैं। हम इसको खिलाफत करते हैं इसलिए यह प्रस्ताव है। छोटे राष्ट्र अपने अन्दरूनी मामलों को खुद हल कर सकते हैं, किसका शासन रहे, किसका नहीं रहे, यह वह देख सकते हैं और इसमें बड़े राष्ट्र जाकर हस्तक्षेप करते हैं तो उसका हमें विरोध करना पड़ेगा। विदाउट डिक्लेयरिंग वार, अभी वार डिक्लेअर नहीं की है। विदाउट डिक्लेयरिंग वार हस्तक्षेप करना यह बताता है कि किस प्रकार की उनकी नीति है। इसलिए इस नीति को कण्डेम करते हैं। मेरा सजेशन है कि इस प्रस्ताव के द्वारा अमेरिकन गवर्नमेन्ट और अमेरिकन पीपुल को डिस्टिंग्विस करना चाहिये। अमेरिकन जनता का जो बहुमत है वह वियतनाम पालिसी को कन्डेम करता है; उसके कन्डेमनेशन को हम रिकगनाइज करते हैं- यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, आज वियतनाम की लड़ाई आखिरी दौर से गुजर रही है। साम्राज्यवादी ब्रिटेन खत्म हो गया, फ्रेन्च खत्म हो गया, स्पेन खत्म हो गया, जितने साम्राज्यवादी देश हुए वह खत्म हो गये, आज केवल अमेरिका साम्राज्यवादी देश के रूप में बचा है, उसके खिलाफ वियतनाम साहस के साथ समूचे स्तर पर लड़ रहा है। इसके लिए वियतनाम की जनता, वहां की सेना और सेनापति- उन सबका हम अभिवादन करते हैं। पहले पहल तो साम्राज्यवादियों ने बहुत सो साजिशें कीं, यहां तक कहा कि चीन का पिट्ठू है, किसी ने कहा, रूस का पिट्ठू है, किसी ने कुछ कहा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा अमेरिका के प्रोफेसर ही चिन मिन्ह से मिले, उन्होंने एक बात कही, आपको याद होगा, वियतनाम चीन से दो सौ साल तक लड़ा, और आज भी हनोई में, जो चीन से लड़ने वालों का स्मारक है, वह सबसे ज्यादा पापूलर जगह है। इसलिए वियतनाम हमेशा आजाद रहा है और हमेशा आजाद रहेगा और आजादी के लिए सर्वस्व कुर्बान कर देगा। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि सारे के सारे साउथ वियतनाम में अमेरिका के डिफेन्स पर हावी हो रहे हैं। अमेरिका ने कहा, उसने आठ लाख पांच सौ वियतनामियों को मार दिया है। अमेरिका कि नीति यह है, उसका मापदण्ड यह है कि उसकी केपेसिटी किल करने की कितनी है,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कितने आदमी उसने मारे । इस नृशंसता के के लिए, बर्बरता के लिए अमेरिका ने जो केमिकलवार फेअर किया है, उसकी भरपूर और पुरजोर निन्दा करनी चाहिए। इन सब का सामना करते हुए भी वियतनाम आज सैगोन के आस पास पहुंच गये हैं और यहां तक खतरा बढ़ रहा है, वहां तो तेरहवां हाईवे है, वह हाई वे बहुत महत्वपूर्ण हाई वे है. उस पर करीब करीब वियतनामी कब्जा कर चुके हैं और इस लड़ाई में अमेरिका को हार निश्चित हो ही चुकी है। मैं निवेदन करूंगा, आखिरी लड़ाई में अब अमेरिकन साम्राज्यवाद थरथरा रहा है और कभी भी वह टूट सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमें केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहिए कि केवल बहस से ही नहीं होगा, बल्कि सेना को सहायता या ऐसी मदद करें जिससे हम भी यह जो इतिहास बन रहा है उससे अलग न रह कर इसका महत्वपूर्ण हिस्सा बनें। इन्दिरा जी ने जो लड़ाई लड़ी है, जो विश्व का दृष्टिकोण बना कर बंगला देश को आजाद कराया है, जिस तरह से आज कार्य कर रही हैं और जिस तरह से देश के अन्दर एकता कायम की है इसके लिए मैं समझता हूं कि अभी भी ऐतिहासिक, भूमिका भारत की ऐतिहासिक भूमिका को देखते हुए हमें नम्र निवेदन इन्दिरा जी से करना चाहिए, साउथ वियतनाम की जो प्राविजनल सरकार है, रिवोल्यूशनरी सरकार है, उसको मान्यता दें और टोकन मदद दें जिससे भी उनकी लड़ाई में योगदान दे सकें। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करके नार्थ वियतनाम की सरकार, रूस की सरकार और जो भी ताकतें इस लड़ाई में भाग ले रही हैं, उनको इसकी प्रति भेजें।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजन नाथ आचार्य

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्य श्री पी. के. चौधरी के प्रस्ताव से सहमति भी प्रकट कर सकता हूं, किन्तु कुछ वैधानिक स्थिति भी रखना चाहता हूं। यह सही बात है कि इस सदन ने ऐसे प्रश्नों को लेकर हमारी परम्पराओं को कुछ व्यापक रूप दिया है। इस सदन ने अपनी चिन्ता व्यक्त की थी बंगला देश की स्थिति पर और यह सदन अब वियतनाम की विषम और विकट स्थिति पर चिन्ता व्यक्त कर रहा है। संसद में इस प्रश्न पर कई बार माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है और मंत्री, फारिन अफेयर्स ने कई बार इस प्रश्न पर स्टेटमैंट्स भी दिये हैं। उन स्टेटमैंट्स के आधार पर अमेरिका सरकार विक्षुब्ध हुई है और स्टेटमेंट्स को अनफ्रेन्डली एक्ट कहा हैं, किन्तु संसद के प्रांगण पर कोई ऐसा रिजोल्यूशन अभी तक नहीं आया है जिस पर माननीय सदस्यों को पूरे रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का थोड़ा अवसर मिला हो। ऐसी स्थिति में यह सद्भाग्य है इस सदन का कि इस विषय को चर्चा के लिए यहां उठाया है और माननीय अध्यक्ष ने पहले परम्पराओं के संदर्भ में इसको उठाने भी दिया। किन्तु प्रस्ताव के रूप में इसको भेजें तो मुझको वैधानिक खतरा है। चूंकि यह प्रश्न हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हमारी चिन्ता का तो प्रश्न है लेकिन हमारे नियम और संविधान के अन्तर्गत इस

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

प्रस्ताव का प्रश्न नहीं आता। चिन्ता का तो प्रश्न रहता है, लेकिन मोशन और रिजोल्यूशन का प्रश्न नियमों में नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में माननीय सदस्यों द्वारा चिन्ता व्यक्त करना मानवीय दृष्टिकोण है, न्यायसंगत है किन्तु उस चिन्ता को प्रस्ताव के रूप में भेजा जाना–दूसरा रूप धारण कर सकता है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, संसद ने इस प्रश्न को किसी रूप में अभी तक नहीं लिया है और माननीय सदस्यों ने जो भावनायें यहां पर व्यक्त की हैं उसके प्रतिकूल यदि संसद की कोई सम्मति रही, वैसी न होते हुए एक सामान्य रूप की रही तव निरर्थक ही एक भिन्नता आ जायगी। इस स्थिति में मैं यह समझता हूं कि चिन्ता व्यक्त करना, चर्चा इस प्रश्न पर करना तो उचित होगा यह मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर ऐसे प्रश्नों को उठाने की परम्परा इस सदन की हो गई है, लेकिन इसको रिजोल्यूशन के फार्म में भेजा जाना, मेरा विश्वास है, उचित नहीं है। जहां तक नार्थ वियतनाम का सम्बन्ध है, आज सारा विश्व इस पर उद्विग्न है। यह मानवीय प्रश्न बन गया है और हमारे राष्ट्र के लिए तो यह मानवीय विषय है ही क्योंकि यह हमारी मान्यताओं का प्रश्न रहा है। हमने, यदि किसी भी देश में मानवता संत्रस्त हुई है तो उस पर चिंता व्यक्त की है और हमने सहायता देने आदि का प्रश्न उठाया है। ऐसी स्थिति में वियतनाम के योद्धा, वहां के शूरवीर, जो सिर्फ अपने वल पर लड़ रहे हैं, हथियारों के विरुद्ध खुद की ताकत के आधार पर लड़ रहे हैं, उनके प्रति हमारी सहानुभूति होना स्वाभाविक है और हमारा विश्वास है कि जो जाति अपने देश के लिए लड़ती है, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ती है, आक्रांता के विरुद्ध लड़ती है–वह कभी पराजित नहीं होती। इसलिए कोई देश आक्रमणकारी के रूप में अपने निहित स्वार्थों के आधार पर उस पर हमला कर रहा हो और जिस पर हमला किया जा रहा हो उसके प्रति सारा संसार उद्विग्न होकर सहयोग देने का विश्वास दे रहा है उस देश के पराजित होने की सम्भावना कभी नहीं हो सकती है। जो माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, सहानुभूति व्यक्त की है और योद्धाओं के प्रति जो प्रशंसा की भावनायें व्यक्त की हैं, उनमें मैं भी अपनी भावनाओं को सम्मिलित करता हूं और चाहता हूं, इस प्रश्न पर चर्चा कर ली जाना संवैधानिक होगा बजाय इसके कि प्रस्ताव के रूप में इसे पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रकुमार।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बून्दी): अध्यक्ष महोदय, वियतनाम का प्रश्न आज हमारे सामने है क्योंकि दुनिया में साउथ ईस्ट एशिया के अन्दर यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज अमरीका मानवता के विरुद्ध वरबतापूर्वक जो काम करने जा रहा है वह दुनिया के उस हिस्से में है जहां कुछ दिन पहले हमने अमेरिकी साम्राज्यवाद को एक भारी चुनौती दी थी। हमने देखा बंगला देश के मामले में हमने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों कोहमारी नेता श्रीमती गांधी के नेतृत्व में हमने अमरीका व चीन दुनिया की दो बड़ी ताकतों को इस प्रकार की करारी चोट दी कि वह जिन्दगी भर भूल नहीं सकते। मेरा निवेदन है कि आज से नहीं जब से हमारी आजादी का इतिहास शुरू हुआ है और जबसे हमने आजादी हासिल की

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

है, स्वर्गीय श्री जवाहरलालजी ने इस बात की वकालत की है दुनिया के सामने, और...

श्री अध्यक्ष : सम्बन्धित विषय पर बोलें।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बूंदी): एफ्रो एशियन देशों ने इम्पीरियलिज्म के खिलाफ आवाज बुलंद की है। हमारे स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के समय में पंचशील और कोएग्जिसटेन्स के सिद्धांत उन्होंने हमारे सामने रखे जिसको अभी हमारी नेता श्रीमती गांधी ने अमली जामा पहनाकर दुनिया को बता दिया कि हम किस प्रकार से इन सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। दूसरे राष्ट्रों की आजादी के लिए, दूसरे राष्ट्रों को कालोनिएलिज्म से छुड़ाने के लिए, इम्पीयरिल्ज्म से दूर करने के लिए किस प्रकार हमने सर्वस्व लुटाकर हमारे देश पर आर्थिक बोझे आने पर भी हमने पूरी ताकत लगाकर बंगला देश को आजाद करके और दूसरे दिन ही उसको पूर्ण रूप से आजाद कर के किसी प्रकार का कोई समझौता न रखकर और पूर्ण रूप से आजाद कर दिया। यह पंचशील और कोएग्जिस्टेन्स के सिद्धांतों को अमली जामा पहनाना था।

इस समय जबकि इस प्रकार अमरीकी साम्राज्य द्वारा बर्बरतापूर्ण व्यवहार वियतनाम के अन्दर किया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने इस बात की चुनौती दी है कि आज उससे बड़ा राष्ट्र कोई भी दुनिया में नहीं है। वह अपने आपको आज सबसे बड़ा राष्ट्र मानता है, वह दूसरे देशों को चुनौती दे रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि सन् 1964 की जैनेवा कान्फरेंस में जो ट्रीटी की गई है, उसका उल्लंघन करके आज वर्ल्ड पावर की हैसयत से दुनिया के सामने आना चाहता है। जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर सारे सदन की सहानुभूति है और मैं उसका समर्थन करता हूं कि जब सारी दुनिया इस पर चिंतित हैं, इस सदन का, राजस्थान की जनता का और हिन्दुस्तान की जनता का परम कर्त्तव्य है कि इस प्रकार की भावनाओं का जो प्रस्ताव रखा गया उसका एक ही मकसद है कि हमारी भावनाएं हैं वहां तक पहुंच जाएं और मनुष्य के खिलाफ आज जो बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें।

श्री पी. के. चौधरी : मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात रखी कि पहले हमने बंगला देश का जो प्रस्ताव किया था उसमें हमने हमारे सामने गाइडलाइन्स के रूप से संसद में जो प्रस्ताव पास हो गया था वह रखा था। दूसरा पाइंट यह रखा है कि अमरीका गवर्नमेंट के फारेन सेक्रेटरी रुष्ट हो गये थे उस प्रस्ताव को पास करने से...

श्री निरंजननाथ आचार्य : रुष्ट का कहीं प्रश्न नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उत्तर प्रदेश व पंजाब विधान सभायें ऐसा प्रस्ताव पास कर चुकी हैं और उस स्पिरिट से हम प्रस्ताव पास करेंगे।

श्री पी. के. चौधरी : फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें कोई आपरेटिव पार्ट नहीं है। एक्सप्रेशन आफ ओपीनियन है। दूसरे पैरा में जो लिखा है, संसद ने प्रस्ताव पास नहीं किया लेकिन केन्द्रीय सरकार ने मांग की है कि वहां से अमरीका फौजें हटायें इसलिए हमने कोई बात नहीं कही। जो केन्द्रीय

(श्री पी. के. चौधरी)

सरकार की नीति है वैसे ही हमने कहा है। लास्ट पैरा में हमने जरूर कहा है कि केन्द्रीय सरकार उसको रिकग्नीशन दे। भारत सरकार ने कोई ओपीनियन जाहिर नहीं की है। लास्ट पैरा को हम ड्राप कर सकते हैं।

श्री गफ़्फ़ार अली व श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : आशा करते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : We only wish.

श्री पी. के. चौधरी : आपका जैसा कहना है वह हम कर सकते हैं बाकी कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें संसद से हमारी विपरीत राय जाहिर हो जाए। इस प्रस्ताव को पास करने में किसी प्रकार की कठिनाई हमारे सामने नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर): इस तरह का प्रस्ताव पंजाब विधान सभा में पास हुआ है और उसकी कापी सम्बन्धित सरकारों को भेजी गई है। इस तरह से यू. पी. सरकार ने भी पास किया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यह पास न किया जाए। अगर करना ही है तो इसकी कापियां न भेजें, मांग नहीं की गई है। आज इसका आपरेटिव पोरशन है इस हद तक कि हम आशा करते हैं कि हिन्दुस्तान की हुकूमत प्रोवीजनल गवर्नमेंट आफ रिपब्लिक आफ साउथ वियतनाम को मान्यता दे देगी। ऐसा तो हम कर सकते हैं लेकिन हमें आशा है कि संसद या भारत सरकार पाबन्द नहीं हैं। अगर हम मांग करते तो आपत्तिजनक हो सकता था इसलिए प्रस्ताव की लैंगुएज गाईडेड है, कोई आपत्तिजनक चीज नहीं है। हो सकता है अगर कान्सटीट्यूशनली, अध्यक्ष महोदय, समझें तो इसकी कापियां सम्बन्धित हुकूमतों को न भेजी जाय तो न भेजें। आप तय करलें। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि प्रस्ताव जिस लैंगुएज में लिखा है उसी लैंगुएज में एडाप्ट करना और पी. के. चौधरी साहब ने जैसे कहा, हो सकता है इसमें कि अमरीका की जनता जो वहां लड़ाई बन्द करने की और अमरीकी फौजों को वापिस बुलाने की मांग कर रही है और आन्दोलन कर रही है, उसका हम अभिनन्दन करते हैं तो अमरीका की जनता का जो पार्ट है वह भी आ जाएगा। अमरीका की जनता जिस तरह से सहानभूति दिखा रही है दक्षिण वियतनाम के लोगों के प्रति, हम उसका आभार प्रकट करते हैं। इसमें ऐसी कोई वैधानिक कठिनाई नहीं है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : पंजाब का है। मैं चौधरी साहब को आपोज नहीं कर रहा हूं। उनकी भावना की बिल्कुल कदर करता हूं। जो कुछ लिखा है ठीक है। पंजाब का प्रस्ताव है ठीक है, हमारे पास गाइडलाइन्स हैं।

The House through this resolution expressed its deep anguish at the escalation of war in Vietnam by the American occupation forces under the direction of the Goverment led by Shri Nixon.

अध्यक्ष महोदय, इसका पहला पार्ट बहुत ही सुन्दर है और मैं उसके लिए उनका

Page No 56

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली..)
हार्दिक अभिनन्दन करता हूं। इसके साथ जो साउथ वियतनाम की जनता है जोकि अपनी स्वतन्त्रता के लिए अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ आज इतने वर्षों से लड़ रहे हैं उनका भी मैं अभिनन्दन करता हूं। लेकिन इस प्रस्ताव के अन्दर जो तीसरा पैरा है जिसमें कि यह कहा गया है कि अमरीकी साम्राज्यवादी उत्तरी वियेतनाम के ऊपर हवाई हमले तुरन्त बन्द करें और अपनी तमाम सेनाएं वियेतनाम से तुरन्त वापिस लें। इस बारे में हम पार्लियामेन्ट को डाईरेक्शन देते हुए कोई प्रस्ताव नहीं भेज सकते।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ऐसे करने की नीयत से नहीं लिखा गया था। आप देख लें।

श्री अध्यक्ष : श्री आचार्यजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें जो संशोधन करने को कहा है उसके लिये क्या किया जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप कहें तो मैं वापिस ले लूं। मैं वापस लेता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : मैं क्या समझूं ? मैं मावली से आने वाले माननीय सदस्य को इस प्रस्ताव से सहमत समझूं या क्या समझूं ?

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : मेरा संशोधन नहीं था मेरा तो सुझाव था। और सुझाव प्रस्ताव नहीं होता है। और प्रस्ताव जो है वह विद्रूा भी नहीं होता। यह तो मेरी आत्मा है वह मैंने बतायी है।

श्री अध्यक्ष : आप सहमत हैं और अगर सहमत नहीं होते हैं तो फिर मतदान की प्रणाली अपनाना अनिवार्य हो जाता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभी सहमत हैं। लेकिन राज्य सरकार क्या कहना चाहती है ? यहां पर माननीय फुल फ्लज्ड मिनिस्टर बैठे हैं उनसे पूछिये।

श्री**मती कमला बेनीवाल** (राज्य गृह मंत्री) : आज अभी सदन में जो प्रस्ताव आया था अमेरिकी सरकार द्वारा उत्तरी वियेतनाम पर किये जा रहे बमबारी के बारे में उसमें कई सदस्यों ने अपनी अपनी भावनाओं को इस सदन में प्रगट किया। जहां तक प्रस्ताव के प्रथम और द्वितीय पैरा में जो कहा गया है उससे सम्बन्ध है उसका मैं समर्थन करती हूं। इसमें ऐतराज करने का कोई सवाल राज्य सरकार का नहीं हो सकता। आज इतिहास के अन्दर ऐसी घटनायें आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसा अमरीका सरकार ने बर्बरतापूर्वक हवाई हमले उत्तरी वियतनाम पर किये हैं जिससे कि लाखों व्यक्तियों की जान चली गयी और इतना होने के बावजूद भी आज इतने साल होगये हैं जिस बहादुरी से वियतनाम की जनता अपनी स्वतन्त्रता के लिये खड़ी है, उसके लिये उत्तरी वियतनाम की जनता बधाई के काबिल है। इतने घोर अत्याचार होने के बाद भी उनकी आजादी को नहीं रोका जा सका। आज बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्र को इस तरह से रौंद रहे है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इतना बड़ा धनी सम्पन्न राष्ट्र, इतना बड़ा शक्तिशाली

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

राष्ट्र एक छोटे से राष्ट्र को इतने सालों तक तबाह करे लेकिन वह राष्ट्र उसके सामने आज तक नहीं झुकता है आज अमेरिका द्वारा जो कार्यवाही उत्तरी वियतनाम में की गई है उसकी भर्त्सना जितनी की जाय वह थोड़ी है। मैं इस सदन की भावनाओं से सहमत हूं। क्योंकि एक राष्ट्र पर कोई बड़ा राष्ट्र हमला करे और वह छोटा राष्ट्र अपनी आजादी के लिये, अपने विकास के लिये अपने तरीके से, अपने विचारों के अनुसार अपना राष्ट्र बनाना चाहता है, अपने देश में समाजवाद की स्थापना करना चाहता है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है ऐसे देश पर जो नृशंस अत्याचार करे उसके लिए अगर ऐसी भर्त्सना की जाती है तो अच्छा है। छोटे राष्ट्र को अपने देश में समाजवादी लोकतन्त्र की सरकार की स्थापना करने का हक है। लेकिन बड़े राष्ट्र अपनी साधन सम्पन्न स्थिति होने से इस प्रकार उस छोटे राष्ट्र को बर्बरतापूर्वक हमला करके उसे खतम करना चाहता है। दूसरी ओर वियतनाम की जनता आजादी के लिये, लोकतन्त्र की रक्षा के लिये, संघर्ष कर रही है, मैं समझती हूं कि ऐसा बर्बरतापूर्वक अत्याचार सहते हुए इतना लम्बा समय किसी भी युद्ध में नहीं लगा। एक छोटा सा स्वाभिमानी समाजवादी राष्ट्र इतने बड़े साम्राज्यवादी राष्ट्र के खिलाफ में जूझ रहा है और आज तक इतने बलिदान होने के बाद भी झुका नहीं है। इस प्रस्ताव के दो पार्ट तक तो मैं सहमत हूं और मेरी तरफ से वियेतनाम की जनता का अभिनंदन करती हुई उनको बधाई देती हूं। लेकिन तीसरी जो प्रस्ताव में बात कही गई है कि अमरीकी साम्राज्यवादी उत्तरी वियतनाम के ऊपर हवाई हमले बन्द करें और अपनी सेनायें वियेतनाम से तुरन्त हटालें ऐसा हम भारत सरकार को निर्देश नहीं दे सकते हैं और यह सदन इतना सक्षम नहीं है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत सरकार पर दबाव डाले। हम तो भारत सरकार के पास ऐसे सुझाव भेज सकते हैं जिसमें कि यह सदन भारत सरकार को कह सके कि वह इस मामले में पहल करे और दूसरे राष्ट्रों से भी अपील करे कि हवाई हमले वियेतनाम में बन्द किये जाने चाहिये। यह मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि आप लोगों में से किसी को इसमें ऐतराज नहीं होगा और इस प्रकार का प्रस्ताव भेजें कि भारत सरकार इसमें पहल करे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय यह जो कहा गया है वह राज्य सरकार के माननीय राज्य मन्त्री द्वारा कहा गया है जबकि ट्रेजरी बेन्चेज में माननीय श्री रामचन्द्रजी रेवेन्यू मिनिस्टर बैठे हैं। यह फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर है उनकी राय क्या है ? उनकी सहमति इसमें है या नहीं। होनी चाहिये तो फिर वे इस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करते और सहमति देते।

श्री अध्यक्ष : राज्य मंत्री और मन्त्री एक ही बात है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, फुलफ्लेज्ड मिनिस्टर में फर्क है।

श्री अध्यक्ष : Minister includes Minister and Deputy Minister.

श्री पी. के चौधरी : मेरे प्रस्ताव में अगर आप चेन्ज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सुझाव दिये हैं उनमें भी अगर आप चाहें तो एमेन्डमेन्ट कर लें ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह तो सारे सदन की राय है ।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सदन की राय है कि जो प्रस्ताव इस सदन में आया है और उसके बाद में जो मंत्री महोदया ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और उसमें जो संशोधन करके, जो सुझाव दिये है वे उसमें सम्मिलित कर लिये जायं और बाद में उसे स्वीकार कर लिया जाय ? क्या इसमें ये परिवर्तन करने का मुझे अधिकार है ?

माननीय सदस्य : हां, आपको अधिकार है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको अधिकार है । हमें आपमें विश्वास है । आप भेज सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकार किया गया। प्रस्ताव, संशोधित रूप में, निम्न प्रकार है :–

"यह सदन प्रेसीडेन्ट निक्सन की सरकार द्वारा उत्तरी वियतनाम पर किये जा रहे बर्बर हवाई हमलों की तीव्र निन्दा करता है । यह सदन महसूस करता है कि अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा सुरंगें बिछा कर उस देश में जाने वाले माल को रोकने की चेष्टा करके स्थिति को और भी विस्फोटक बना दिया है जो कि विश्वयुद्ध का रूप धारण कर सकता है और जिससे हमारे देश, एशिया और तमाम संसार की शान्ति को खतरा पैदा हो गया है ।"

"यह सदन मानता है कि दक्षिणी वियतनाम की जनता को अपनी आजादी के लिये संघर्ष करने का न्यायोचित अधिकार है और संयुक्त राज्य अमेरीका द्वारा इसमें हस्तक्षेप करना साम्राज्यवादी गतिविधियों का द्योतक है ।"

"अतः यह सदन इस मांग का समर्थन करता है कि अमरीकी साम्राज्यवादी उत्तरी वियतनाम के ऊपर हवाई हमले तुरन्त बन्द करें और अपनी तमाम सेनाऐं वियतनाम से तुरन्त वापस बुलावें । अतः इस सम्बन्ध मे भारत सरकार से सिफारिश की जावे ।"

अनुदानों की मांगें ।

मांग संख्या 26, 27 व 41 का प्रस्तुतीकरण

सिंचाई मन्त्रीजी ।

श्री रामचन्द्र चौधरी (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–42 –वृहद् प्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 5,14,17,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखा अनुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ।

(विराम)

(2) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक–43

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) 44, सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) 44–सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 11,19,78,000) रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(विराम)

(3) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या 41–मुख्य शीर्षक–98–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत, 99–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक)

100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 24, 61, 49,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(1.30 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

उपाध्यक्ष : मांगे प्रस्तुत हुई।

मांग संख्या 26,27 एवं 41 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री मोहरसिंह (चूरू): 1. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42– बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (सरकार सिद्धमुख नहर निर्माण कार्य चालू करवाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ओट्टू से नहर निर्माण का कार्य चालू करने में सरकार असफल रही है इन पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग राजस्थान नहर से जल ऊंचा उठाकर चूरू जिले को सिंचाई, व्यवसायिक कार्यो के लिए जल प्रदान नहीं कर सकी है तथा इसके लिए केन्द्रीय सिंचाई के आदेश होने के बावजूद 6 साल होने पर भी उपरोक्त क्षेत्र का सर्वे तक नहीं करवाया है इस पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़): 4. मांग संख्या 36, शीर्षक 42–बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना के विकास पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 45– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में सिंचाई की सुविधा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): 6. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42– बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल नहर का पानी हेड से टेल तक समय पर नहीं पहुँचने से होने वाली हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42– बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल एरिया में नहर से ग्राम रास्ते नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील पाटन में नालियां नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील पाटन में नहर का पानी नहीं पहुँचने से ग्राम झाडल, पापड़ीडी, धुराड़ता, प्रतापगढ़ आदि में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील नैनवा के ग्राम आतरदा कर वर में बांध का कार्य चालू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

11. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से राज्य सरकार को हुए लाखों रुपयों के नुकसान पर चर्चा के लिए)।

12. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन नौचालन, तटबन्धन, आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में बान्याखेड़ी एनीकट पर खर्चा किये जाने व सिंचाई न होने पर चर्चा के लिए)।

13. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में भीमसागर बांध में सन् 71–72 में हुई अनियमितताओं की जांच न कराये जाने पर चर्चा के लिए)।

14. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में भीमसागर बान्ध पर इस वर्ष का निर्माण कार्य चालू न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(श्री राम प्रसाद बोहरा)

15. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 100-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में राजपुरा व सामरिया लिफ्ट सिंचाई योजना को पूरा न करने पर चर्चा के लिए)।

16. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति को सौंपे गये तालाबों की मरम्मत हेतु सिंचाई विभाग द्वारा अनुदान नहीं दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भिनाय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई विभाग के तालाबों की मरम्मत एवं देखभाल न होने पर चर्चा के लिए)।

18. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति के तालाबों को सिंचाई विभाग द्वारा अपने अधीन वापिस न लेने पर चर्चा के लिए)।।

19. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 100-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में सिंचाई के तालाबों की मरम्मत न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

20. **श्री नाथूराम** (बागीदोरा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा बांसवाड़ा में लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

21. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्र में रियायत करने पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 99-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बजाजसागर बोर्ड को शीघ्र बनाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 99-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कडाना बान्ध की ऊंचाई 419 फीट से 410 फीट घटाने और नए एग्रीमेन्ट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

24. **श्री देवीलाल** (सराड़ा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन, आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में घोमती नदी में गोपालपुरा योजना को सर्वे कराने पर चर्चा के लिए)।

25. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के

(श्री देवीलाल)
अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में लटी ग्रामली (डाया योजना) का निर्माण कार्य कराने की मन्जूरी पर चर्चा के लिये)।

26. **श्री चिम्मनसिंह भाटी** (भीम): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति भीम व देवगढ़, जिला उदयपुर में कोई नदी पर बांध नहीं बांधने व एक भी रपट का निर्माण न होने पर चर्चा के लिये)।

27. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचन निर्माण कार्य के विस्तार और सुधार के सम्बन्ध में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टीडी बांध के निक्षेप कार्यों के लिये विशेष स्थापना में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये)।

29. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुख्य अभियन्ता सिंचाई द्वारा राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिक्रूटमेंट अगैंस्ट वैकेन्सीज आफ अरलियर ईयर्स) नियम 1972 में दी गई अवधि 3 माह समाप्त होने पर भी कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 98– बहु प्रयोजन नदी योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सचिव राजस्थान नहर मण्डल द्वारा वरिष्ठता सूची की अवहेलना कर की गई पदोन्नतियों पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 99–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के निर्माण कार्य की मन्थर गति पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बजाजसागर बांध माही परियोजना, बांसवाड़ा जिले की नींव में पाये गये पेराईट के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

33. **श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया** (बूंदी): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा डिवीजन की इर्रीगेशन चम्बल ड्रेनेज डिवीजन को तोड़ देने के बारे में चर्चा के लिये)।

34. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर एवं बाड़मेर जिलों में सिंचाई

(श्री भगराज चौधरी)
हेतु उचित योजनायें बनाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिए)।

35. श्री भरतलाल (वामनवास) : मांग सख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीगटोली बांध तहसील वामनवास के योजना कार्य को सरकार द्वारा तुरन्त प्रारम्भ कराने पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन, नौचालन, तटवन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोरैल सागर की पूर्वी केनाल की सीपेज को रोककर हजारों बीघा खराब हो रही किसानों की जमीन को बचाने हेतु चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बनास नदी के चरण का देह से लिफ्ट इर्रीगेशन कर बौंली तहसील के सूखाग्रस्त क्षेत्र को हराभरा करने हेतु चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्ध गोपालपुरा की नहर की सीपेज से ग्राम बागड़ोली के तन की नहर की सीपेज से ग्राम बागड़ोली के हजारों बीघा जमीन खराब हो रही है उसको बचाने हेतु चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बामनवास तहसील में बन्ध मोरेल सागर की नहरों को बढ़ाकर किसानों को सिंचाई के लिए पानी देने हेतु चर्चा के लिये)।

40. श्री फारुक हसन (सवाई माधोपुर): मांग संख्या 27, मुख्य, शीर्षक 44–सिचन, नौचालन, तटवन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर विधान सभाई हलके में कमांड एरिया की भूमि को पानी उपलब्ध नहीं किया इस सिलसिले में विकास न करने पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिचन, नौचादन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर विधान सभा हलके में सिचाई के साधन जुटाने की आवश्यकता पर एवं बन्ध गोपालपुरा की नहर से ग्राम बागड़ील में सीपेज से नुकसान हो रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

42. श्री गौरीशंकर (खानपुरा) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानपुर विधान सभा क्षेत्र जिला झालावाड़ भीमसागर बांध व हीचर बांध में लाखों रुपया खर्च हो गया और वे पूरे नहीं हो रहे इस पर चर्चा के लिए)।

43. श्री जेठमल (परवतसर) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिचन,

Page No 64

(श्री जेठमल)
नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भड़सीया बांध का ठेका देना तथा भकरी बांध की मरम्मत करना और परवतसर तहसील में छोटे बांध बनाने पर चर्चा के लिये)।

44. **श्री भैरूंलाल (अकलेरा)** : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मानपुरा, गोपालपुरा नदी पर बांध तथा छापी नदी पर दहलनपुर बांध की योजना कार्यान्वित कराये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

45. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशन पोल बाजार) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में सिंचाई हेतु कार्यक्रम निर्धारित करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

46. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 100–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के निर्माण में हो रही अनावश्यक देरी एवं अनावश्यक व्यय पर चर्चा के लिए)।

47. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा तहसील में छोटे पांच और एनिकट निर्माण के प्रश्न पर चर्चा के लिए)।

48. **श्री महेंद्रकुमार** (पाडवा) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले में सिंचाई की आवश्यकता तथा सिंचाई विभाग में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

49. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचाई, नौचालन, तटबन्धन आदि की मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में आज तक सिंचाई सुविधा की कमी पर चर्चा के लिये)।

50. **श्री शंकरलाल** (पाली) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांधों से सिंचाई हेतु पानी देने में समाजवादी प्रणाली अपनाने हेतु चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांगों में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के अन्तर्गत हेमावास और सरदार समन्द के बांधों के कमांड एरिया के काश्तकारों से पेनल्टी वसूल न करने की चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 99–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री शंकरलाल)
दिया जाय (सेई डाईवर्शन के निर्माण कार्य में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के अन्तर्गत सिंचाई के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये)।

54. श्री रामचन्द्र (चोरासी) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अमरापुरा बांध व कोडियागढ़ (मेवाड़) बांध के निर्माण में विलम्ब व धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

55. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झाझरी तलाब तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर का सर्वे कराने पर चर्चा के लिए)।

56. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मल्हिा हाथिया तालाब नया गांव तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर के सर्वे कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूदर तालाब के नहर तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर को पक्की कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 43 सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सोम पिक अप वियर की नहर भोराई घाटा तहसील सराडा जिला उदयपुर को पक्की बनाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीलख तलाव ऋषभदेव नदी तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर के तालाव का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 99–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (सोम बांध तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर का निर्माण कार्य शुरु कर कागदर, वरना, ढेलाना, टोकर, भोराई, ओडा तक नहर तथा बांध बांधकर पानी देने के संबंध में चर्चा के लिये)।

61. श्री ज्ञानसिंह (भादरा) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

62. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन,

(श्री गुरुदयालसिंह संधु)
नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारानी भूमि चक जीवन देवर को नाजायज पानी देने पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोतीराम की रिपोर्ट लागू नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टेल के चकों में सिंचाई योग्य भूमि को पानी न देने पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नहरों का पानी नाजायज ढग से बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग द्वारा काश्तकारों को अपनी अपनी टर्न पर व उपयुक्त समय पर सिंचाई हेतु पानी नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारखानों व मंडियों को अधिक व नाजायज पानी देने पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ए. ए. राजवाद का नाके (Head) को नीचा किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संगरना माईनर आर. बी. नहर के टेल के चकों को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से चक 94 आर. बी. बी. 95 आर. बी. के लिये नये मोगा लगाने तथा चक 24 आर. बी व 77 आर. बी. के मोगे ठोकर के ऊपर नाजायज लगा देने पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रबी 1972 की नहरी मामला जो जनवरी में वसूल किया जाना था, चुनाव के कारण मामला तैयार न हो सका वह सिंचाई की बढ़ी हुई दरों के आधार पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग द्वारा गंग नहर के आबादी के इलाके को पीने का पानी उपलब्ध कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के

Page No 67

(श्री गुरुदयालसिंह संधु)
अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग नहरक्षेत्र में किसान की भूमि को पूरा नहरी पानी नहीं देने और खालों का पानी नाजायज रूप से काट कर लेने पर चर्चा के लिये)।

73. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला अलवर के हरसोरा बांध के नव निर्माण में सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

74. श्री बनवारीलाल (धौलपुर): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिसलपुर बांध के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

75. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 99–सिंचन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहरक्षेत्र में भूमि समतल करने एवं टीबा स्थिरीकरण कार्यक्रम पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के द्वितीयचरण निर्माण हेतु पाइलेट चेनल निर्माण में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 41; मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल के निर्माण कार्य में योजना अवधि में अधिक समय लग जाने पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान मुख्य नहर की नौसेर ब्रांच के निर्माण की मंद गति पर चर्चा के लिये)।

79. श्री यशवन्तसिंह नाहर (वनेड़ा): मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 100-सिंचन, नौचालन, तटबंधन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (अवाणिज्यिक कार्यों में लगी पूंजी के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 98–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बहु प्रयोजन नदी योजनाओं में विनियोजित पूंजी का उचित लाभ नहीं प्राप्त होने पर चर्चा के लिये)।

81. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 99–सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेतपुरा, बड़गांव नदी योजनाओं एवं लूनी इनन्डेशन नदी योजना की क्रियान्विति पर चर्चा के लिए)।

82. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 99–तटबन्धन आदि के मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर योजना की शीघ्र क्रियान्विति पर चर्चा के लिये)।

Page No 68

83. श्री भंवरलाल (भीलवाड़ा) : मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 100-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले के अधूरे बान्धों और तालाबों तथा इनकी डूब में आये हुए लोगों की समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

84. श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक 100-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिंगलोट तहसील छबड़ा सिंचाई योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

85. श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 99-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले के आलनिया बान्ध से निकली नहरों पर पूरा पानी नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

86. श्री चैतराम (टोडाभीम) : मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 100-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई योजनाओं की विभाग द्वारा उपेक्षा की गई है इस पर चर्चा के लिये)।

87. श्री मीठालाल (लालसोट) : मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 98-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति लालसोट व चाकसू में सिंचाई हेतु विद्युत का विकास कराने हेतु चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 100-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति चाकसू के श्यामपुरा के बान्ध को शीघ्र पूरा कराया जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 26, 27 व 41 पर विचार एवं पारण

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के सम्बन्ध के मेरे चार कटौती प्रस्ताव हैं। सबसे पहले मैं कडाना बान्ध के विषय में आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर बांसवाड़ा को राष्ट्रपतिजी ने आदिवासी क्षेत्र घोषित किया है। उसमें माही नदी बहती है। उसमें गुजरात सरकार कडाना बान्ध, बान्ध रही है। हमारी सरकार और गुजरात सरकार ने एक आपस में एग्रीमेन्ट किया था। उसके बारे में, कडाना बान्ध के बारे में मार्च 1968 से इस सदन में इस विषय को मैं ला रहा हूं। और मार्च 68 से आज तक कडाना बान्ध के बारे में इस विषय को उठाया गया और सदन के माननीय सदस्यों ने 25 अगस्त 1968 को इस समस्या पर एक मत होकर अपनी अपनी भावना व्यक्त की थी।

इस आदिवासी क्षेत्र को समस्या के बारे में कई बार हाउस में चर्चा हुई और सिंचाई मंत्रीजी ने 25 अगस्त 1970 को सदन में आश्वासन दिया था कि 410 एफ. आर एम. डूब में आने वाली भूमि का उदय कराया जायगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री नाथूराम)

राज्य सरकार की ओर से सर्वे भी हुई लेकिन सर्वे कोई संतोषजनक नहीं हुई। दूसरा आश्वासन यह दिया था कि गुजरात सरकार के एरिये में डूब में वाली जमीन के लिए दूसरी ओर उनको बसाने के लिए जमीन रखी जावेगी। लेकिन गुजरात सरकार ने जो आदिवासी डूब में आ रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं किया। एक समिति जरूर गठित की गई। लेकिन उसमें किसी जनप्रतिनिधि को नहीं रखा। सरकार के द्वारा 410 की सर्वे की, उसके कुछ आंकड़े भी सरकार को बताना चाहता हूं। 419 एफ. आर. एल. क्षेत्र प्रभावित हो रहा था। राज्य सरकार ने 410 का निर्णय भी लिया लेकिन उस एग्रीमेन्ट में संशोधन नहीं हुआ और न नया एग्रीमेन्ट हुआ। एक वर्ष हो गया लेकिन समिति द्वारा भी सुधार नहीं हुआ। 11-5-72 को मेरा प्रश्न था और मंत्री महोदय ने जवाब दिया था उस से लगता है कि हमारे क्षेत्र में जो तबाही हो रही है उस ओर माननीय मंत्रीजी का कोई ध्यान नहीं है। लाखों लोग बेघरबार हो रहे हैं सरकार की ओर से कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है। कडाना बांध के लिए विश्व बैंक से ऋण मंजूर हो गया है। गुजरात सरकार ने प्रभावित क्षेत्र में बसे लोगों को दूसरी जगह बसाने के लिये भूमि और मुआवजा दे दिया। हमारी सरकार आज तक नींद में सोई हुई है, उसको कोई चिन्ता ही नहीं है। सरकार ने गलत एग्रीमेन्ट किया था और जिस पर कई बार माननीय सदस्यों ने हाउस में अपने अपने विचार रखे थे लेकिन सरकार की ओर से कोई भी संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई। सरकार की ओर से कोई नया एग्रीमेन्ट नहीं हुआ। 416 का सर्वे हुआ उसके कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। 410 एफ.आर. एल. की ऊंचायी रहेगी तो 113 गांव डूबेंगे और जन संख्या 15 हजार 299 बतायी गयी है जो प्रभावित होगी। इसी प्रकार से 40218 बीघा भूमि डूब में बताई गई है और उसके प्रभाव में, वाटर में 12 हजार गांव आते हैं। 56961 बीघा जमीन डूब में बताई गयी है। 410 के सर्वे के आंकड़े मैंने अभी बताये। गुजरात सरकार ने पिछली बार सर्वे की थी उसमें काफी अन्तर है। वांसवाड़ा क्षेत्र से जो लोग परिचित हैं वे जानते हैं कि माही नदी पर बांध नहीं है। जब वर्षा होती है तो माही नदी में बाढ़ आती है, कई गांव डूब जाते हैं। नदी के दोनों तरफ गांव और कस्बे हैं। गलिया कोटा एक बड़ा तीर्थ स्थान है दाऊजी बोहरा समाज के लोगों का अन्तर्राष्ट्रीय तीर्थस्थान है जहां हजारों तीर्थ-यात्री आते हैं। लोगों ने मांग की कि इस बांध की ऊंचाई कम की जाय जिससे कम लोग प्रभावित हों वरना वे सब भी प्रभावित होंगे। जब 425 पर सर्वे करवा रहे थे लोग उस समय बड़े भयभीत हुए और उसके लिये चर्चा यहां भी उठायी। जिससे सर्वेयर वापिस लिया लेकिन अभी तक भी लोग भयभीत हो रहे हैं। अपने निजी मकानों की कोई मरम्मत नहीं करते हैं। उनमें हर तरह का भय फैला हुआ है। कई वर्ष हो गये गुजरात सरकार बड़े जोरों से काम करवा रही है लेकिन आपने एग्रीमेन्ट का संशोधन नहीं कराया। इसलिये 410 का सर्वे कराया जाय मेरा यह

(श्री नाथूराम)

निवेदन है और लोगों को मुआवजा दे देना चाहिये और उनको बसाने का शीघ्र इन्तजाम करना चाहिये। यह सब 410 के एग्रीमेन्ट में संशोधन करके कर लेना चाहिये। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लाखों आदमी प्रभावित होंगे, लोगों के घर बार जमीन जायदाद डूब जायेगी और बहूमूल्य वन सम्पदा भी डूब जायगी। इसलिये सरकार से निवेदन है कि इस ओर जल्दी से जल्दी कदम उठाकर समस्या को हल कर लेना चाहिये। पुनर्वास के लिये कमेटी का निर्माण किया। उसमें मेरा सुझाव है डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो जन प्रतिनिधि हैं उनको उसमें शामिल करना चाहिये। अगर उनको नहीं रखा गया तो सरकार की ओर से काम होगा उसमें लोगों की ओर से सहयोग नहीं मिल सकेगा। लोग बराबर भयभीत और चिन्तित रहेंगे। इसलिये पुनर्वास कमेटी में जन प्रतिनिधियों को रखना चाहिये जिससे वे आवश्यक सुझाव समय समय पर दे सकें और उनका सहयोग भी मिल सके।

गुजरात सरकार द्वारा इसी नदी पर कणकबोरी बांध और बांधा गया है। जो एफ. आर. एल. 90 फीट ऊंचा है। उस नदी पर गुजरात सरकार उत्पादन बढ़ा रही है और 410 पर कडाना बांध-बांध रही है उससे पानी भी मिल जाता है। जिस तरह से पानी चाहिये माही से मिल जाता है। ऐसी स्थिति में गुजरात सरकार को रुकावट नहीं करनी चाहिये। मैं नहीं चाहता कि गुजरात में खुशहाली न हो। वहां हर तरह से खुशहाली हो। गुजरात सरकार इससे पानी लेकर उत्पादन बढ़ा रही है और कडाना बांध बांध कर ज्यादा खुशहाली गुजरात सरकार चाहती है।

मैं भी चाहता हूं कि गुजरात में हर तरह की हरियाली हो, हर तरह का उत्पादन हो लेकिन यह नहीं कि राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका–डूंगरपुर और बांसवाड़ा है जहां लाखों की तादाद में आदिवासी रहते हैं वह बरबाद हो जायें। इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी एग्रीमेन्ट संशोधित कराके रेडियो द्वारा इसकी घोषणा करनी चाहिए ताकि वहां जनता भयभीत न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं आपके द्वारा सरकार को निवेदन कर देना चाहता हूँ कि बजाजसागर डैम का 7 मई, 1960 को भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा शिलान्यास हुआ था और 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ लेकिन आज तक बजाजसागर की स्कीम मामूली गति से चल रही है। पिछले वर्षों में प्लानिंग कमीशन से इसकी मन्जूरी नहीं हुई थी और इस साल बजाजसागर की प्लानिंग कमीशन से मन्जूर हो गयो है। नहरें बन गयी हैं, और मैनहैड का काम शुरु हुआ है लेकिन बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो बजाजसागर डैम का निर्माण हो रहा है उसका काम तीव्र गति से चलना चाहिए और भारत सरकार से ज्यादा पैसा लेकर उसका जल्दी निर्माण करना चाहिए। आज बजाजसागर में 2 करोड़ रुपया खर्च हो गया लेकिन मैनहैड का काम इसी वर्ष शुरु हुआ है और अभी काम जिस गति से चल रहा है अगर देखा जाये तो दस साल में भी काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए

Page No 71

(श्री नाथूराम)

आपके द्वारा मैं निवेदन करता हूं कि बजाज सागर डेम के लिए भारत सरकार और गुजरात सरकार से पैसा लेकर जल्दी से जल्दी इसके निर्माण का काम करना चाहिए और आपके द्वारा मैं सरकार से यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि बजाजसागर डेम में एक इन्जीनियर से लेकर लेवर तक जो काम पर लगाये जाते हैं उसमें स्थानीय आदमी बहुत कम लगाये जाते हैं । एल. डी. सी., यू. डी. सी. और जो टेक्नीकल आदमी हैं उनमें कोई भी स्थानीय आदमी नहीं लगाया जाता है । डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहुत बेरोजागारी है इसलिए वहां के लोकल आदमी जो मारे मारे फिरते हैं उनको वहां पर काम पर लगाया जाना चाहिए। अगर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देगी तो बाहर से आदमी आयेंगे और स्थानीय आदमी रोजगार के लिए भटकते रहेंगे । इसलिए बेरोजगारी में जो लोग मारे मारे फिरते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम पर लगाना चाहिए और इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। बजाजसागर डेम में पहले बिजली उत्पादन करने की स्कीम थी लेकिन

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

केबिनेट ने निर्णय लेकर वहां से बिजली उत्पादन का प्रावधान हटा दिया है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से पहले बिजली उत्पादन की योजना थी उसी तरह की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए । आज गुजरात सरकार एक बांध तो बना चुकी है और दूसरा बांध बना रही है और हमारे यहां आज कई वर्ष हो गए लेकिन बजाजसागर डेम पूरा नहीं हुआ···

श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट) । बजाज सागर का काम तो चालू है लेकिन वहां के लोगों को बसाने के लिये सरकार क्या कर रही है इसके लिये भी तो कुछ बोलो ?

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से कडाना डेम की समस्या है उसी तरह से बजाज सागर डेम की भी समस्या है। बजाज सागर में जो डूब में आने वाले गांव हैं उन लोगों के पुनर्वास लिये भी सरकार ने अभी तक भूमि की व्यवस्था नहीं की है और उनको बसाने के लिये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। वहां के लिये जो पुनर्वास कमेटी है वह सरकारी कर्मचारियों की है और वह जनप्रतिनिधियों की कमेटी नहीं बनी है इसलिये बजाजसागर के डूब में आने वाले गांव हैं उनको बसाने के लिये सरकार को पुनर्वास कमेटी में जनप्रतिनिधियों को रखना चाहिए और उन लोगों को भी जल्दी से जल्दी बसाना चाहिए। कडाना डेम के लिए तो यह है कि गुजरात सरकार इसका काम तीन साल में करवा लेगी लेकिन बजाजसागर दस साल में भी बन जायेगा या नहीं इसमें भी मुझे सन्देह है। वहां के लोगों को काश्त के लिए भूमि देनी चाहिए मकान के लिए व्यवस्था करनी चाहिए और जो वनसम्पदा डूब रही है उसका भी हर तरह का मुआवजा देकर उनको बसाना चाहिए।

(श्री नाथूराम)

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरे दो कटौती के प्रस्ताव और हैं। एक तो यह है कि आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई की दरें बहुत ज्यादा हैं। आदिवासी बहुत गरीब हैं और उनके पास छोटी छोटी जमीन के टुकड़े हैं और उसी पर अपना निर्वाह करते हैं और वहां ऐसे धंधे नहीं हैं कि लोगों को मजदूरी मिल सके अतः हजारों की तादाद में गुजरात में जाकर अपनी मजदूरी कमाते हैं इसलिए आपके द्वारा निवेदन है कि जो सिंचाई की दरें सरकार ने रखी हैं उसमें रियायत देनी चाहिए और दरों को कम करना चाहिए।

इसी तरह से लिफ्ट के बारे में भी मेरा प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष महोदय बांसवाड़ा और डूंगरपुर में प्राकृतिक देन है कि जब पानी बरसता रहता है तो वहां पर पानी नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता है और कई नाले और नदियां हैं जहां पूरे साल पानी बहता रहता है लेकिन वहां सूखी जमीन भी बहुत पड़ी रहती है इसलिए मैंने 15 सालों से लगातार मांग की है कि जो प्रकृति की देन से पानी बहता रहता है लिफ्ट के द्वारा सरकार को पानी देने की व्यवस्था करनी चाहिये। वहां की सोना उगलने वाली भूमि है लेकिन पानी बिना तरस रही है इसलिए आपके द्वारा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि वहां लिफ्ट की योजना की मन्जूरी हो गई है और बिजली भी पहुंच रही है लेकिन बिजली की लाइन न आने से वह लिफ्ट योजना योंही पड़ी है। इसलिए आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में और डूंगरपुर जिले में जहां पानी बहता रहता है वहां पर जल्दी से जल्दी लिफ्ट के द्वारा सूखी जमीन को पानी पहुंचाना चाहिए ताकि गरीब किसानों को पानी मिलेगा तो वे मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ायेंगे। यही मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

श्री मोहरसिंह (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सिंचाई विभाग के कारण पिछले बीस वर्षों से राजस्थान में आर्टीफिशियल फेमिन पड़ा है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में जितने भी विभाग हैं उनमें सबसे ज्यादा अकर्मण्यता और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी विभाग में होता है तो वह सिंचाई विभाग में होता है। कई ऐसी योजनायें हैं कि जिनसे जल्दी से जल्दी लाभ हो सकता था उनको यह विभाग किसी न किसी कारण से और किसी न किसी बहाने से टालता रहता है। इसके मैं कुछ उदाहरण सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। एक उदाहरण है सिधमुख नहर का। यह योजना दस साल पहले बन गई था और इस योजना का खर्चा सवा दो करोड़ रुपये था और इस नहर से 1½ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती थी। 200 रुपया प्रति एकड़ खर्चा आता था और वह नहर बहुत ही खारे इलाके से जाती। इसकी वजह से कुओं से भी सिंचाई हो सकती थी लेकिन उसकी उपेक्षा करके न जाने कहां यह योजना टाल दी गयी और उसके पानी का पता नहीं कहां गया ?

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : इसमें सरकार का दोष हो सकता है। विभाग का क्या दोष है ?

श्री मोहरसिंह : सारा विभाग और सारी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं और आप का भी इसमें कोई हिस्सा हो तो आप देख लें।

तो मैं कह रहा था कि योजना को किसी न किसी प्रकार से आज तक टाला जा रहा है और सदन में हर बार कहा गया है कि धन उपलब्ध नहीं है। एक तरफ पिछले वर्ष सिंचाई विभाग के 3 करोड़ रुपये लेप्स हो गये। और कोई विभाग ऐसा नहीं होगा जिसमें सरकार के द्वारा दी गयी धनराशि का दुरुपयोग हुआ हो और फिर भी पैसे लेप्स हो गये हैं। यह ऐसा विभाग है जहां इन्जीनियर्स रिश्वत के नोटों से मोटरें भरकर अपने घर पहुंचाते हैं। उस विभाग में खुली लूट और खुले भ्रष्टाचार के बावजूद भी पैसा खर्च नहीं हो सका—इससे ज्यादा दयनीय स्थिति किसी विभाग की मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में तो कहीं नहीं होगी. अगर हो तो मैं जानना चाहूंगा कि इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और कहां होता है और इस प्रकार के सुनियोजित भ्रष्टाचार को घटाने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

दूसरी इसी प्रकार की योजना नहर ग्रोट्ट की योजना थी, और नहर के निर्माण की योजना थी और मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इस नहर से किसानों को लाभ पहुंचाने की बराबर घोषणा की जाती रही लेकिन आज तक काम शुरू नहीं किया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो पानी बहकर नष्ट होता जा रहा है, नाली के जरिए किसानों ने अगर लाभ उठा लिया हो तो भले ही उठा लिया हो और पानी का उपयोग कर लें लेकिन इस प्रकार की नहर बनाने की योजना आज तक प्रारम्भ नहीं हुई। फिर आपने बाढ़ से रोकने के लिए कदम उठाने की कोशिश करने की बात कही थी लेकिन न तो बाढ़ रुकी और न पानी का उपयोग ही हुआ और न नहर का निर्माण कार्य ही शुरू हुआ।

तीसरी योजना चूरू जिले की लिफ्ट इर्रीगेशन की योजना थी। अगस्त 1966 में केन्द्र के सिंचाई मंत्रीजी राव साहब ने यह सुझाव दिया था कि योजना बहुत ही अच्छी है, उपयोगी है, अच्छे इलाके से जाती है। जिले के जिस हिस्से में, राजस्थान नहर के वर्तमान में प्रस्तावित है उस एरिया में पांच इंच सालाना वर्षा होती है उसके मुकाबले में चूरू के इस क्षेत्र में 15 इन्च वर्षा हो सकती है और कम पानी से भी ज्यादा खेती हो सकती है। इस क्षेत्र के काश्तकार नहर निर्माण की बराबर मांग कर रहे हैं और साथ ही चूरू जिले में अगर नहर लायेंगे तो कोलोनाईजेशन का कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। न सड़क पर खर्चा करना पड़ेगा। न आवागमन के साधनों पर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। बिजली की सुविधा भी बहुत सारे इलाकों में हैं। दूसरे जो साधन, सुविधायें, आवास और कोलोनाईजेशन की हैं उन पर भी कोई ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और इस

(श्री मोहरसिंह)

नहर निर्माण पर राजस्थान नहर प्रस्तावित क्षेत्र के मुकाबले में भी बहुत कम खर्चा पड़ेगा। मजदूर कम पैसों में मिलेंगे, बिल्डिंग मेटिरियल सस्ता मिलेगा और वहां कम से कम दूरी पर। दूसरी ओर आपको सौ-सौ और 60-60 मील से पानी लाना पड़ता है तो यहां पर पांच दस मील से ही पानी लाना पड़ेगा। इस उपयोगी योजना को पता नहीं किस कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया है और आज तक इस बड़े भारी महकमे के ईमानदार और योग्य अफसरों ने इस स्कीम का सर्वे कराने की चेष्टा नहीं की। और यह तो मैं भी निवेदन करता हूं कि इससे ज्यादा निकम्मा विभाग और कौनसा हो सकता है? सेन्टर के सिचाई मंत्रीजी और राजस्थान में सिंचाई मंत्रीजी ने जब इस बारे में उपरोक्त बातें कहीं थीं तो उसी समय यह प्रगट कर दिया था, हमारे अधिकारियों ने, कि वे इस योजना को पसन्द नहीं करते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम नागौर तक पानी दे सकते हैं, एक तरफ, हम यह कहते हैं कि हम पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। पर आज सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान को जाता है और उस पानी को हम रोक नहीं सकते हैं। उस पानी का उपयोग भी हिन्दुस्तान न कर सके इससे बड़ी बेबसी क्या हो सकती है। हमारे सिचाई विभाग की और हमारी सरकार की।

तो तीन चार छोटे मोटे उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मैं यह बताता हूं कि इस विभाग ने कितनी फिजूलखर्ची की है, जितनी अन्धेरगर्दी इस विभाग में है और जिस प्रकार से इस योजना का सत्यानाश करके राजस्थान के भविष्य पर कालिमा पोत दी गई है, अगर अकाल में 90 करोड़ का खर्चा हुआ तो और जो ओवर ड्राफ्ट हुआ तो इस प्रोग्राम में भी कोई कम खर्चा नहीं हुआ है। सारी योजनाओं का और राजस्थान का सारा विकास इसने रोक दिया है और रुपयों का भी उपयोग नहीं किया है। जितना रुपया खर्च हुआ उसका रिटर्न क्या मिला? जिस प्रकार कि इस योजना को प्रस्तुत किया गया था तो उसमें यह सोचा गया था कि इस योजना का निर्माण होगा तो राजस्थान को पूरा लाभ मिलेगा लेकिन आज इससे ज्यादा कोई अनुपयोगी योजना नहीं है। इस योजना को, राजस्थान कैनाल को कहा तो यह जाता था कि यह संसार की सबसे बड़ी योजना है लेकिन वही योजना आज सबसे बड़ी दुखदायी योजना राजस्थान की जनता के लिए हो गई है। मैं समझता हूं कि इस सारी योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए और राजस्थान का भविष्य बनाने के लिए इस पर अधिक समय दिया जाय, अधिक विचार करने के लिए योजना को रोका जाय और इस विभाग का ओवरहॉलिंग किया जाय तो मैं समझता हूं कि हमारा जो बहुत बड़ा घाटा है, हमारे खुद के कारण जो दुर्दशा आज हमारी हो रही है, उससे हम वंचित हो सकेंगे। राजस्थान के गरीब किसान वर्षों से टैक्स दे रहे हैं इस उम्मीद पर देते रहे हैं कि राजस्थान नहर बनेगी और हमारा खेत भविष्य में लहलहा उठेगा। हमारे यहां समृद्धि आएगी तो जो हमने नुकसान उठाया है उससे आगे वंचित रहेंगे आगे भी अगर इसका ठीक से विकास किया

(श्री मोहरसिंह)

जाय, ठाक से काम करवाया जाय तो मैं समझता हूं कि हमारा इतना बड़ा घाटा जो है वह पूरा हो जाएगा। आज सरकार इस क्षेत्र में जमीन वितरण करने में असफल रही है, अपने ड्यू चार्जेज जो हैं उनकी वसूल करने में असफल रही है और कई प्रकार के गुण्डे तत्व जमीन वितरण में बाधा डालते हैं। जमीन का वितरण नहीं हो सका, सरकार अपना टैक्स वसूल नहीं कर सकी, सारी योजनाएं अपने निर्धारित समयावधि में पूरा नहीं कर सकी, इस पर भी हमको यह बताया जाता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। आपने प्रगति रिपोर्ट पेश की है इसमें कहीं नहीं लिखा है कि तीन करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सके यह रिपोर्ट भी कल दी गई है जब कि सदस्य-गण छुट्टी पर चले गए, इधर उधर चल दिए तब यह रिपोर्ट बांटी गई जिससे कि कोई इसको पढ़ नहीं लें। इस रिपोर्ट का नाम प्रगति विवरण रखा गया है लेकिन मैं तो इसको बर्बादी विवरण ही कहूंगा। जिसने राजस्थान की गहरी कमाई का 25 वर्षों तक अप-व्यय करके हमारा सत्यानाश कर दिया हमारे बच्चों का और हमारी भावी पीढ़ी का भविष्य बिगाड़ दिया। इसे हम प्रगति कैसे समझें यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता ने जो सदन के सम्मुख बातें रखी उनसे सहमति प्रगट करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में यह सिंचाई विभाग, जो एक गरीब आदमी कड़ी धूप में बैठ कर सूरज की किरणों की तपती हुई धूप में कार्य करता है और अपनी कमाई में से सरकार को टैक्स देता है, उस टैक्स का भी इस ढंग से दुरुपयोग हो तो मैं तो यह कहता हूं कि उस गरीब की चमड़ी उधेड़ कर, उसके खून का, उसके रक्त का शोषण करने के बराबर होगा। आज हम जन-तंत्र और समाजवाद की दुहाई देते हैं, लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, जैसी कि आज परम्परा चल पड़ी है उस परम्परा के अनुसार जब कोई यह कहे कि यह क्षेत्र कांग्रेस का है या किसका है, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे या आज जो हमारे वर्तमान मंत्री महोदय हैं वे किसी भी स्थान पर जायं, मेरा यह मान्यता है कि मंत्री जब जाता है तो सरकार जाती है, सरकार का काम है, व्यक्ति का काम नहीं, लेकिन जब कोई भी मंत्री वहां पर जाता है और कोई वचन देता है तो सरकार का काम है उस वचन को पूरा करने का। लेकिन होता यह है कि वह राजनैतिक आधार मन में रख कर इस प्रकार को चिन्ता करता है कि क्या यहां से कांग्रेस जीत कर आई है या जनसंघ जीत कर आया है। क्या होगा अगर इस प्रकार के विचार रख कर देश के हित में, राज्य के हित में कार्य करेंगे। जनहित, कल्याणकारी राज्य हमारा नारा है लेकिन इस दृष्टि-कोण के कारण वह सारी योजनाएं हम समाप्त कर देते हैं।

उदयपुर के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ ही महीने पहले राज-

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
स्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने, घोराणा बांध बना था, उस बांध के उद्घाटन के अवसर पर यह कहा था कि पिछोला फीडर के बनने के बाद घोराणा की जो दूसरी स्टेज है उस पर कार्य प्रारम्भ करेंगे और कुछ ही दिनों में कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। उसका सर्वे किया गया, बोरिंग की गई उसका इन्वेस्टिगेशन भी हुआ। उस पर चार पांच लाख रुपया भी खर्च हो गया और उसके बाद आज योजना बन्द कर दी गई। कितना जनतंत्र का मखोल है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का ही क्या यह समाजवाद है, क्योंकि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री चले गये तो अब उस क्षेत्र को छोड़ दीजिए, उस क्षेत्र का कार्य बन्द कर दिया जाय, मैं समझता हूं कि जनतन्त्र के साथ यह एक खिलवाड़ होगा मन्त्री महोदय इसके बारे में विचार करेंगे।

दूसरी बात, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि यह विभाग और मुझे आश्चर्य होता है कि इस विभाग में एसी अन्धेरगर्दी भरी हुई है, यह विभाग भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, अनियमितताओं और अव्यवस्था से भरा हुआ है और आज इस विभाग में ज्यादा से ज्यादा अन्धेरगर्दी बढ़ रही है लेकिन सरकार ने आंख बन्द कर और हाथ पर हाथ रख कर इसको खुली छूट देकर कह दिया है कि जाओ हमारा वरद्हस्त मिला हुआ है, जितना भ्रष्टाचार करना चाहो, कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं इस रिपोर्ट को पढ़ने से पहले एक बात निवेदन करना चाहता हूं। मैं कुछ दिन पहले घोराणा बांध पर गया था। घोराणा बांध जो बना हुआ है उसके जीरो पोइन्ट से 21 फिट तक खुदाई दिखाई गई है लेकिन एक इंच भी खुदाई नहीं हुई है और ठेकेदार को पैसे का पेमेंट हो गया है। वहां के इंजीनियर इतना शायद जान गए हैं कि इस योजना को जैसा चाहें वैसा बदल दें तो भी कोई चैक करने वाला नहीं है। आज वहां आप आश्चर्य करेंगे कि जिसको अपनी लोकल भाषा में ड्रोमुट कहते हैं और अंग्रेजो में इसे अर्थ मास्टर कहते हैं। इसकी कीमत का क्या अन्दाज आप करते हैं? अधिक से अधिक तीस रुपया, चालीस रुपया इसकी कीमत हो सकती है, लेकिन इस अन्धेर विभाग ने, जो कि भ्रष्टाचार की सिंचाई कर रहा है, ठेकेदारों को पनपाने के लिए 280 रु. के हिसाब से इसकी खरीद की है मेरा यह सुझाव है कि यदि सरकार वास्तव में समाजवाद को लाना चाहती है तो यह सबसे बड़ा कल्याण होगा कि वह इस बात का श्रीगणेश करे कि सिंचाई विभाग में आज से ही ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी जाये और एक हाई पावर कमेटी बना दी जावे। यह कमेटी माईनर और मेजर प्रोजेक्ट्स के कार्यों को देखें, उस पर विचार करे कितना करोड़ रुपया इन पर व्यय किया गया है और कितनी उन से रिटर्न हो रही है। अगर इस पर विचार कर आगे कदम रखेंगे तो राज्य सरकार की और राजस्थान का हित इसमें अन्तर्निहित है। अगर जैसी परम्परा चल रही है, वैसी ही परम्परा चलने दी तो जैसे अकाल राहत कार्यों के अन्दर खर्च कर दिया तो कोई फायदा राज्य और जनता को नहीं मिलने वाला है। अकाल राहत कार्यों के बारे में भीलवाड़ा के कलक्टर ने रिपोर्ट दी।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

सरकार को उन्होंने रिपोर्ट दे दी और सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार ने तीन व्यक्तियों की एक कमेटी बना दी। कमेटी ने भी रिपोर्ट पेश करदी। यह सरकार का कमिटमेन्ट था कि रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी जावेगी। इसमें पक्षपात करने की आवश्यकता नहीं है और जो भ्रष्टाचारी है उनको सजा दी जानी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार स्वयं इस रिपोर्ट को देखे और जो इन्जीनियर्स दोषी हैं उनको सजा दें। इसमें लाखों रुपयों का गबन किया गया है। घोराणा बांध के अन्दर बताया जाता है कि 56 हजार क्यूबिक ईंटें पानी में बह गईं। जांच बिठाई गई और पत्थर निकले। तो ईंटें कहां गई? दो लाख क्यूबिक फीट रैत बह गई। इसके लिए इन्जीनियर को दण्ड क्यों नहीं मिला? जो दण्ड मिला वह था उसका ट्रान्सफर। कोई मर्डर करता है तो उसका आप चालान करते हैं। अपराधी को दण्ड मिलना चाहिए। यह नहीं होना चाहिये कि झूठे बिल बनाकर एक्सेस पेमेन्ट कर दिया जाये। यह नहीं होता है तो राज्य सरकार की कोई योजना सफल नहीं होगी। अखबारों में यह निकाला जाता है कि कोई भ्रष्टाचार को बताने वाला नहीं है। कोई भ्रष्टाचार को बतावे। मैं खुले रूप से इस सदन के अन्दर बता रहा हूं परन्तु कोई इसकी जांच करने को तैयार नहीं है। इसके लिए कमीशन को बिठावें और जो जानकार हों उन जानकार लोगों को बिठावें और जांच करके एक रिपोर्ट इस सदन के समक्ष रखें। इस प्रकार की व्यवस्था रखें। आप देखिये यह आडिट रिपोर्ट छपी है। एक दो पेज है, उदयपुर के अन्दर सिंचाई विभाग के इन्जीनियर ने 7 सौ होज पाइप्स खरीदे हैं जिसके अन्दर सन् 68 के अन्दर अधीक्षक अभियन्ता उदयपुर ने कांकरोली सिंचाई डिवीजन के लिए 700 होज पाइप एक फर्म से खरीद डाले। इसकी कोई मांग नहीं थी। यह क्रय किया गया 00.45 लाख का विभिन्न आकारों के 693 मीटर खरीदे गये। 419 मीटर की कीमत 00.29 लाख है। अब भी ये स्टॉक में पड़े हुए हैं। कांकरोली के अधिशांसी अभियन्ता ने जनवरी 70 को यह बताया है कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। याने आवश्यकता नहीं है और माल खरीदा गया है। यह रिपोर्ट सरकार के पास में चली जाती है। इसकी यह किताब छपी है। तो इससे बढ़कर भ्रष्टाचार का और क्या उदाहरण हो सकता है। मेरा निवेदन है कि एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट को खतम कर देना चाहिए। इस प्रकार एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट रख कर भी हम लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन पर कोई एक्शन लेने की आवश्यकता यह सरकार महसूस नहीं कर रही है। यह रिपोर्ट है पैरा 80 1, 2 और 3 वर्ष 67–68। इस किताब में लाखों रुपयों के घोटाले का उल्लेख किया है। यह राज्य सरकार के अंकेक्षक का प्रतिवेदन है। वर्ष 70–71 में भ्रष्टाचार का विरोध और निरोध हो सकता है और यह तब सम्भव है कि हमारा मन्त्रीमण्डल इस बात के लिए स्ट्रिक्ट हो और वह एक्शन ले। इन्जीनियर्स परचेज करते हैं। परचेज करने के लिए उसके पास कोई आर्डर नहीं है कि उसे कितनी मात्रा में करना चाहिये। कोई आदेश नहीं होने

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

के बाद भी वह खरीददारी करता है। जो सरकार की चापलूसी करते हैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। जो नहीं करते हैं उनको दंडित किया जाता है। इसका एक उदाहरण है। एक इन्जीनियर बांसवाड़ा को 3.3 परसेन्ट एक्सेस खर्च करने पर सस्पेन्ड कर दिया गया। लेकिन बूंदी, झालावाड़, पाली, जालोर, अजमेर, नागौर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनूं और टोंक जिलों में किसी भी इन्जीनियर को इस आरोप में सस्पेन्ड नहीं किया गया है। यहां पर भी एक्सेस खर्च किया गया है। इन्होंने भी पच्चीस पच्चीस परसेन्ट अधिक खर्च किया है। इन के ऊपर किसी प्रकार का एक्शन अभी तक हमारे सिंचाई विभाग ने नहीं लिया है। मैं भ्रष्टाचार की दास्तान को लम्बा न करते हुए मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की एक हाई पावर कमेटी बनावें और वह कमेटी बैठ कर इसकी जांच करे और उसको जांच करने का आदेश दें। दूसरा वह यह आदेश करे कि जो खर्चा होता है उसका कितना तो रिटर्न होता है, उससे कितना काम होता है और कितना काम नहीं होता है। उससे कितना लाभ हुआ है। कितना पानी मिलता है और कितने पानी की क्षमता है ताकि उससे हमारे भविष्य की आधारशिला निर्धारित हो।

उपाध्यक्ष महोदय, अब एक दूसरी बात कह कर मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं। माही बांध पर हमारे भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने यह रिपोर्ट दी है कि वहां पर ग्रेफाइड की पट्टी है। यह एक बड़ी कीमती खनिज है। हम इम्पोर्ट कर के इस वस्तु को प्राप्त करते हैं और हमारा फौरन एक्सचेन्ज इस पर खर्च होता है। तो जो हमारी भूगर्भ विभाग की सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने जल्दी से जल्दी इस बांध को बनाने का काम इस पट्टी पर शुरु कर दिया है। इसकी जांच की जानी चाहिये। यह बीस, तीस मील लम्बी पट्टी है और यह ग्रेफाइड की पट्टी है, इसकी पूरी जांच पड़ताल की जानी चाहिये। वरना इस पर बांध का निर्माण कर देने का परिणाम यह होगा कि वह बांध कमजोर रह जायेगा, पानी नीचे चला जायेगा और इस बांध पर हमारा पैसा जो खर्च होगा वह बह जायेगा। केन्द्रीय सरकार के भूगर्भ विभाग ने यह सर्वेक्षण किया था इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी जांच की जाये। बांध की मिट्टी का काम शुरू हो गया है और यह उस बांध स्थल पर, उसकी तलहटी में चार से 8 फीट तक गहरी है। बांध के निर्माण के बाद यह बाधा उत्पन्न हो जायेगी कि जो आयात हम इस दुर्लभ खनिज का कर रहे हैं, वह हमेशा करते रहेंगे और हमारे देश को प्राप्त होने की संभावना रुक जायेगी और बांध से उचित मात्रा में भी पानी नहीं मिलेगा। अन्त में यही निवेदन करूंगा कि सरकार मेरे इस सुझाव पर विचार करेगी और इस प्रकार से फैले हुए भ्रष्टाचार को रोक कर सही दिशा में हमारे धन का उपयोग होगा तो हम सिंचाई विभाग के आधार से राजस्थान का विकास कर सकेंगे। इतना ही मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह सन्धु।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिला गंगानगर की

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

नहरों के सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं। गंगनहर की 1920 में योजना तैयार हुई है और 1928 में फिरोजपुर हुसैनीवाला हैड से उसको पानी दिया गया है. और 1946 क्यूसैक्स पानी था, और यह योजना 5,43,000 एकड़ के लिए बनाई गई थी, मगर बाद में इस क्षेत्र को पानी पूरा नहीं मिल सका, और एक ऐसा समय आया है जिसको 1934 का वर्ष कहते हैं कि पानी में बिल्कुल कमी हो गई और बहुत से लोग छोड़कर इस क्षेत्र से चले गये। तो उस वक्त यह सवाल भारत सरकार के सामने पेश किया गया और एक कमीशन बैठा, और उसके कुछ पानी में बढ़ोत्तरी की गई जिसकी बिना पर 1947 क्यूसेक्स से वह 2720 क्यूसैक्स पानी मिलना शुरू हो गया। लेकिन यह पानी उस क्षेत्र को पूरा नहीं मिल सका और 1947 में भारत की आजादी तक उस क्षेत्र को पानी बहुत कम मिलता रहा। उसके बाद में कुछ पाकिस्तान के पानी को बन्द करके उस नहर को पानी ज्यादा दिया जाने लगा। फिर उसमें सिंचाई की सुविधा आई। लेकिन 1960 में भारत पाक एग्रीमेंट हुआ जिसकी बिना पर उसमें फिर कमी आ गई, और 1965 का समय एक ऐसा आया कि उस समय उस क्षेत्र में जितना 1936 में आबपाशी होती थी उससे कम हुई, यानी आबपाशी कम होने और खास तौर से रबी की फसल में बहुत कमी आने लगी। 1965-66 में 1936-37 के मुकाबले में जहां 36-37 में 238651 एकड़ में सिंचाई हुई वहां 65-66 में 213380 एकड़ में सिंचाई हुई। इस तरह से सिंचाई में कमी आना जरूरी हो गई, और वहां पर बहुत बड़ी चिन्ता हुई उस क्षेत्र में और उस क्षेत्र के लोगों ने बार बार मांग भी की कि हमारा पानी बढ़ाया जाना चाहिये।

यह नहर सतलज से आती है, और सतलज पर रोपड़ के मुकाम से एक और भी नहर निकलती है। उस नहर पर भी 60 पर्सेन्ट पानी था यानी पानी इन्टेन्सिटी 60 पर्सेन्ट थी और इसमें भी 60 पर्सेन्ट थी। उसमें भी जो पानी है वह 1000 पर 2-04 मिलता था तो उस वक्त पानी ज्यादा मिलता था। लोगों को आहिस्ता आहिस्ता यह महसूस होने लगा कि यह पानी बहुत कम है। पंजाब वालों ने जब इन्टेन्सिटी 90 पर्सेन्ट कर दी और पानी था वह 3-5 कर दिया। लेकिन यह एक ऐसी बदकिस्मत नहर है कि आज तक इससे कम मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान में किसी की इन्टेन्सिटी कम नहीं है और न ही वाटर एलाउन्स है। सबसे कम वाटर एलाउन्स 2-85 और सबसे कम इन्टेन्सिटी 60 पर्सेन्ट है। इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता भाखरा क्षेत्र में जरूर है। इसमें 62-50 और 2-75 है। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां दूसरे क्षेत्र में इन्टेन्सिटी और वाटर एलाउन्स बढ़ा है वहां इस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इसी नहर में इन्टेन्सिटी वाटर एलाउन्स मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ है। अगर किसी बारह-मासी को लेलें तो 2-56, अगर नान-पेरिनियल चैनल मेजा की लेलें तो 4-61 है, अगर लालगढ़ चैनल को लेलें तो उस पर 5-12 है। यानी इसी नहर में इसी क्षेत्र में कितना

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

फर्क है ? इन्टेन्सिटी आफ वाटर बारहमास में 2–50 है, और इसके साथ ही लगा हुआ इलाका है राजस्थान कैनाल का उसमें 5–38 । मेरे ख्याल से जहां पर पंजाब की बात करते हैं तो राजस्थान में 5–38 इसलिए रखा गया है कि राजस्थान कैनाल में क्योंकि पंजाब के अन्दर जो वाटर लेवल है वह ऊपर है, जमीन के अन्दर का वाटर लेवल ऊंचा है । वहां पर बारिश ज्यादा होती है इसलिए 3–04 के बराबर 5–38 समझा गया इसलिए राजस्थान कैनाल में इन्टेन्सिटी आफ वाटर एलाउन्स बढ़ाया गया है और वाटर की इन्टेन्सिटी 110 पर्सेन्ट है, लेकिन और कहीं 110 पर्सेंट नहीं आई । इस क्षेत्र में 60 पर्सेन्ट और 62–50 पर्सेन्ट भाखरा क्षेत्र में ।

तो इस पर एक एजीटेशन हुआ । उस एजीटेशन पर एक कमीशन बिठलाया गया । 25 मार्च 1970 को यह कहा गया कि एक कमीशन बिठलाना चाहते हैं, और उसका नाम है मोतीराम कमीशन जो कि अपनी रिपोर्ट तीन महीने के अन्दर अन्दर दे देगा । उसने अपनी रिपोर्ट दे दी । सरकार ने आज तक उस पर अमल नहीं किया । इस रिपोर्ट के आधार पर जो पाकिस्तान का पानी बंद हुआ है और हमारा रावी का हिस्सा है और व्यास का हिस्सा है वह 150 सी. सी. पानी हैं तो उसमें से 470 क्यूसेक पानी को और बढ़ाकर 560 तक हमें दिया जा सकता है । वह अगर हमें मिल जाता है और वह भी रावी का हिस्सा तो यह पानी जो है उसमें जब तक पौंग बान्ध नहीं बनता हैं पानी की कमी को दूर किया जा सकता हैं, लेकिन सरकार ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया । यह मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट में दिया हुआ है कि जब पौंग बांध बन जायगा तो पंजाब और हरियाणा की जमीन ऐसी है इस क्षेत्र में कि जिसको पानी दिया जा सकता है । लेकिन वह पानी तो दिलाना शुरू कर दिया लेकिन 470 क्यूसेक्स पानी जो रावी और व्यास के हिस्से में से मिलना चाहिए था वह हमें नहीं मिला लेकिन पंजाब व हरियाणा को पानी मिलना शुरू होगया और लोगों को पानी देना शुरू कर दिया । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को चाहिए कि मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी लागू करें और इस क्षेत्र में इन्टेन्सिटी आफ वाटर जो है उसको बढ़ाया जाय और मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर वह 80 पर्सेन्ट किया जा सकता है । लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है और न ही 470 क्यूसेक्स पानी ही दिया जा रहा है । मैं इसके अलावा कुछ और भी अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट है इसको करने से पहले वह जो पंजाब और हरियाणा को 50 हजार एकड़ पानी है वह नहीं दिया जाना चाहिए था । लेकिन उसके देने में भी पक्ष–पात किया जा रहा है । उधर बैठने वालों का कोई आदमी है तो उसको पानी दे दिया जाता है और अगर दूसरे पक्ष का है तो उसको यह कहकर पानी नहीं दिया जाता है कि तुम इस पानी के लेने के हकदार नहीं हो । मेरे सामने की एक मिसाल है जो कि मैंने मन्त्री महोदय को पेश की थी, लेकिन वह दूसरे पक्ष का था इसलिए पानी नहीं होने की बिना पर उस गांव का पानी बन्द कर दिया । पिछले

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

दो साल से पानी मिल रहा था और इसलिए बन्द कर दिया कि टेल का गांव है। मैं पूछना चाहता हूं कि शुरू के गांव में जब पानी नहीं जा सकता है तो उसकी इन्टेन्सिटी उसी तरह की है जितनी कि पहले थी और पानी उतना ही फ्लो कर रहा है, उसमें से अगर बारानी जमीन को दे दिया जाय तो क्या उसका असर टेल वाले मोघे पर नहीं पड़ेगा। जब टेल वाले पर असर पड़ेगा तो टेल वाले गांव की जमीन को पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है? या तो आप कहें कि नहीं देना चाहते हैं। मैं तो चाहूंगा कि किसी को नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन जब दिया जा रहा है तो कुछ लोगों को तो दे दें और कुछ को न दें, यह उचित नहीं है। कुछ बारानी जमीनों को भी पानी दिया जाता है। बारानी जमीन के लिए सरकार से जब पूछा गया तो कहा गया कि उस क्षेत्र में जमीन नहीं है, नहरी क्षेत्रों में जमीन नहीं है, और जो बारानी है वे पानी के हकदार नहीं हैं. उनको पानी क्यों दिया जा रहा है? मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह बतलाया गया है कि पानी इसलिए दिया जा रहा है कि वह पानी लेने वाला एक राजनैतिक पीड़ित है। बड़ी मखौल की बात है कि वह राजनीतिक पीड़ित हैं या उधर बैठने वालों का आदमी है। मैं तो यह कहूंगा कि वह राजनैतिक पीड़ित आदमी नहीं है। वह आप लोगों का दलाल है। वह झूठी गवाही देने वाला है। वह एजीटेशन के समय झूठी गवाही दे दे कर लोगों को जेल में भेजने वाला आदमी था। उसको जमीन देनी थी तो पोलिटिकल सफरर कहकर पानी दे देंगे, और उसकी जमीन जो है वह किसी गांव के अन्दर नहीं है, वह किसी मोघे के अन्दर नहीं है। वह एक जीवन देसर नाम का गांव है। वह एक पुराना गांव है, उसके अन्दर आता है। उसको पानी इसलिए दे दिया गया है कि वह एक राजनैतिक पीड़ित है। उसकी लोगों से सांठगांठ है। एक गांव है, जहां एक के पास 51 मुरब्बा जमीन है, एक के पास 8 बीघा है। माफीदार को मिली है। एक को 15 बीघा मिली है। तो जिसकी जमीन नहीं थी, उसने दरखास्त दे दी कि हमारे मुरब्बे ऊंचे हैं। उनको अनकमाण्ड कर दिया जाये। उसने लिख कर दिया जो कि उसका मालिक नहीं था। किसी ने जांच नहीं की और उस जमीन को अनकमाण्ड डिक्लेयर कर दिया। जब कि उनको कहा गया कि उसमें पानी लगा रहे हैं तो कह दिया गया कि ट्यूब वैल का पानी लगता है। उसके अन्दर ट्यूबवेल है नहीं, न उसका पानी लग सकता है। इसी तरह के बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं। आज वहां पर यह हो रहा है। मैं और भी अर्ज करूंगा कि मैंने एक जमीन खरीदी थी। 25 बीघा जमीन खरीदी। हमारी आधी जमीन को पानी इसलिये नहीं मिला कि उसके अन्दर एक खाड़ा बन रहा है। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आधा बीघा माना जा सकता था। लेकिन उसके कारण 25 बीघा जमीन में 15 बीघा को पानी दिया जाता है। मैं यह भी अर्ज करूंगा कि नहर विभाग सबसे ज्यादा करप्ट है। उसमें भी गंग नहर के आदमी ज्यादा करप्ट हैं। एक्सीयन के दफ्तर के सामने आप को भीड़ मिलेगी। जो पानी की बारी बनवाते हैं,

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

पीछे से वारी बदल देते हैं। एक आदमी के पानी की वारी आती है तो उसकी बदल देते हैं। किसी आदमी की बारी रात में है तो उसका दिन हो जाता है। किसी का दिन है तो रात हो जाती है। एक हफ्ते तो पानी देते हैं, उसके बाद उसको भी बदल देते हैं। अगर इसके बारे में कुछ कहा जाता है तो एक्सीयन यह कह देता है कि हमने तो तरीका ही बदल दिया है। गंगानगर में जो नहरें चल रही हैं, वह बिल्कुल पक्षपात पूर्ण चल रही हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। वह अगर सोमवार की बारी आती है तो साल भर तक सोमवार को ही आयेगी। अगर मंगलवार को आयेगी तो साल भर तक मंगलवार को ही आती रहेगी। तो वह जब चाहेंगे, तो सोमवार को वह बारी बन्द कर देंगे। मैंने एक बार एक प्रश्न पूछा था। साल में 15 सोमवार या इतवार आयेंगे। अगर एक दिन को बन्द रहे तो आप अन्दाजा लगा लें कि उसने क्या बोया होगा, क्या कमाया होगा ? जो उनके विरोधी हैं, उनकी तरफ में नहर बन्द की जायेगी। हमारे सामने मिसाल है। ऊपर नहर में 150 क्यूसेक पानी चाहिए। 58 क्यूसेक नहीं चलता है। अगर 52 को बन्द कर दिया जाये और लोअर में छोड़ दिया जाये तो चल सकता है। अभी एक प्रश्न पूछा गया था तो कहा गया कि मिलेट्री को जरूरत थी। 9 ता. को पानी टेल पर पहुंच गया था। मिलेट्री को क्या जरूरत थी ? यह नहर रह नहीं सकती है। लेकिन वह ऐसा करते हैं। वहां नहर चलाने का यह तरीका है। तो मैं आप से अर्ज करूंगा कि आप कोई तरीका नहर चलाने के लिये बनाना चाहिये। नहर ठीक तरीके से नहीं चलाई जा रही है। आप की नीति भारी पक्षपात की नीति है। एक पक्ष के लोगों को आप देना चाहते हैं। एक पक्ष के लोगों को नहीं देना चाहते हैं। करनपुर मण्डी है। उधर बैठने वाले उपमन्त्रीजी थे पिछले वर्षों में, उन्होंने 13 नम्बर पर एक कारखाना लगा लिया। उन्होंने कहा पानी लेंगे। 13 नम्बर का मोघा किस तरह से जाता है। उसका जो मोघा है, उसको एक मुरब्बे के लिये .04 होता है। उसको बढ़ाया। कारखाने को .05 होता है। तो इसका मतलब है कि सवाया पानी मिलना चाहिये। यह हालत आज गंगानगर में चल रही है। तो सरकार इस पर ध्यान दे। मोतीराम कमीशन ने जो राय दी· · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उन्होंने लिखा है कि पानी की हालत सेटिसफेक्टरी नहीं है। टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है। यह आप को प्रयत्न करना चाहिए। पानी के ऐसे वहां के कई मामले हैं। होता वहां क्या है? मोतीराम कमीशन में इसका जिक्र किया गया है। वहां साईफर लगाया जाता है। यह वहां गांवों के किसानों को नहीं लगाया जाता है। ये राइट्स में लग रहे हैं। वहां पर 6 महीने का 4 हजार रुपया होता है। एक हजार एक्सीयन का, एक हजार एक्सीयन डिपार्टमेण्ट का, एक हजार कुछ और लोगों का, और एक हजार कौन लेता है, यह मैं नहीं कहूंगा। 4 हजार रुपया साइफर लगाने का होता है।

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

है और उसको पकड़ नहीं सकते। मोखे लगते हैं, आउट लेट्स लगते हैं, एक मोखा पकड़ा गया था तो एक्स.ई.एन. ने कह दिया कि नया नया आया है, जब कि वह सात साल से कायम था, नया बनाया हुआ नहीं है। उसने कहा, नाली चार पांच फीट बन्द हुई है उसका तला फूट कर आ गया है। यह कहा गया और रात ही रात में गुम हो गया। यह हालत चलती है। उस क्षेत्र में मैं कहूंगा कि महकमा नहर को चाहिए कि सिचाई के लिए वहां की स्थिति बतलाई गंग कैनाल की उसकी तरफ ध्यान दे। क्योंकि मैं आपके आदेश का पालन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, वरना मैं चाहता था कुछ भाखरा के लिए कहना, लेकिन मैं इस पर बस करना चाहता हूं। मैं यह अर्ज करूंगा कि आप उस ओर ध्यान दीजिये। इन्टेन्सिटी आफ वाटर और वाटर अलाउन्स का सिस्टम है इससे वहां के किसान चैन से नहीं बैठेंगे। दुनियां से सबसे कम इन्टेन्सिटी आफ वाटर है, सबसे कम वाटर अलाउन्स है और सबसे ज्यादा वाटर रेट्स हैं। यह कहीं देखने में नहीं आयी वाटर रेट्स, आप पंजाब से पानी लाते हैं, सरहिन्द कैनाल से लाते हैं, सरहिन्द ऊपर से पानी लाये हैं गंगानगर से डेढ़ मील से वह पानी आता है। आप कहेंगे, दूर से पानी लाये हैं तो आप मुकाबला कर लें, वह पानी ज्यादा दूर से लाये हैं। आपने इक्यासी मील दूर से पानी लाकर दे दिया है तो वह जो पानी ला रहे हैं वह सौ मील से ऊपर हैं, इतने ऊपर से पानी लाकर दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहां जो वाटर रेट्स हैं उनका उनकी वाटर रेट्स से मुकाबला कर लीजिये, भाखरा से मिला लीजिये सरहिन्द कैनाल से मिला लीजिये, वह भी पानी दूर से लाये हैं। भाखरा का पानी हनुमानगढ़ में लगता है, लेकिन जो रेट्स पंजाब में लगती हैं उससे अधिक रेट्स क्यों होनी चाहिए, आपको भी कमी नहीं आ रही है, आप यदि मैनेजमेंट को ठीक कर लें। आज दरख्त काटे जाते हैं, लाखों रुपये के दरख्त काट लिये जाते हैं, जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं उनके नम्बर छोटे पर लगा देते हैं और इस प्रकार चार पांच दरख्त काट लिये गये हैं। इसी तरह से यह हो रहा है कि जो ठेका दिया जाता है, वह भी इस प्रकार दिया जाता है। पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, उसके अन्दर बताया कि पचास पचास हजार के ठेके लालदीप को दिये गये, लेकिन उनके द्वारा कोई काम नहीं हुआ। इस प्रकार दरख्त काट लिये जाते हैं, पानी ले लिया जाता है लेकिन कोई चिन्ता करने वाला नहीं है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं थोड़ा और समय लेकर अर्ज करूंगा। मेरा निवेदन है कि यह जो ठेके दिये जाते हैं, इन ठेकों में थोड़ा परिवर्तन कीजिये, अच्छे आदमियों को ठेका दीजिये। ठेके का काम चैक करवाइये, ठेके का काम का चैकिंग होता है उसमें आप आस पास के सरपंचों को साथ में लीजिये और जांच पर उनके हस्ताक्षर करवा लीजिये तो इससे आपको शहादत मिलेगी और कितने ही आदमियों को सहायता मिल जायगी। मैं आखिर में निवेदन करूंगा गंग कैनाल की इन्टेंसिटी आफ वाटर और वाटर अलाउन्स को जरूर बढ़ाइये इसमे वहां के लोगों को राहत मिलेगी, नहीं तो वहां के लोग चैन से नहीं

Page No 84

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
बैठेंगे और दूसरे जो बढ़ी हुई दर है इसमें भी कुछ कमी कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेश चन्द्र शर्मा।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग की मांग के सम्बन्ध में काफी कुछ कहा जा चुका है। मुख्य बात यह है कि यदि वास्तव में हम अपने देश का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें किसी भी प्रकार किसानों को उनकी फसलों के लिए पानी देना पड़ेगा, चाहे वह बिजली से दिया जाय, चाहे सिंचाई की सुविधा बढ़ा कर दिया जाय। लेकिन इस सम्बन्ध में जिस गति से हमारे यहां सिंचाई विभाग का कार्य चल रहा है, उसको देखने से इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि वास्तव में इस गति से यह काम चलता रहा तो हम किसान को जितनी सिंचाई सुविधा देना चाहते हैं वह दे नहीं पायेंगे। मैं निवेदन करूंगा विशेष रूप से, उपाध्यक्ष महोदय, कोटपूतली के लिए ऐसा लगता है।

(2.35 म.प.)

(श्रीमती मदन कौर, सभापति, पदासीन)

इस विभाग ने कोटपूतली के लिए नीति उल्टी बना रखी है यानि जो सिंचाई की सुविधा पहले थी, उसे कम करने की नीति इस विभाग की है। बुचारा बांध है, यह बहुत पुराना बांध नहीं है। मेरा निवेदन है कि जो पहले सिंचाई मंत्री रहे उन्होंने मौके का निरीक्षण किया है, लेकिन सिंचाई के जो मौजूदा मंत्री हैं उनके अलावा उन सबने यह महसूस किया है कि इस बांध में जो पानी इकठ्ठा हो सकता है उससे कम पानी इकठ्ठा होता है क्योंकि अब इसमें मिट्टी भर गई है। इसके अन्दर मिट्टी भर जाने की वजह से जो पहले हजारों एकड़ जमीन को सिंचाई के लिए पानी दिया जाता था, वह सिंचाई का पानी दिया जाना बन्द हो गया है और बहुत कम खेतों में पानी दिये जाने की वजह से वहां के उत्पादन में कमी हुई है। वहां काफी उत्पादन इसलिए घटा है। क्योंकि इस बांध की मिट्टी को साफ नहीं करा सके हैं। जब इस सम्बन्ध में मांग की गई और बांध की मिट्टी साफ करने के बारे में जांच की गई जो उसके बाद में यह जानकारी दी गई, मुझे इस प्रकार की जानकारी मिली है कि इस बांध की सफाई नहीं की जा सकती है। इस बांध पर काफी खर्च किया गया, लेकिन उसमें मिट्टी भर जाने के कारण वह बेकार हो गया है। मुझे जानकारी मिली है, जांच से यह बतलाया गया कि इसका कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि इस बांध की ऊंचाई को बढ़ाया जाय। इससे ही पानी रुक सकता है। यह टेक्निकल तरीका हो सकता है इसमें पानी भरने का। इस जांच का यह निर्णय हुआ। मुझे खेद है, सिंचाई मंत्री जी मौजूद हैं, इस निर्णय के बावजूद, जब कि इस निर्णय की घोषणा दो साल पहले हुई थी, कि इस बांध की ऊंचाई बढ़ाई जायगी, इसके लिए आदेश भी दिया जा चुका है यहां तक घोषणा की गई, तत्कालीन सिंचाई मंत्री, रामप्रसाद लढ़ा द्वारा लेकिन आज तक उस बांध की ऊंचाई को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसका नतीजा यह हुआ कि आज काश्तकारों को पानी नहीं मिल रहा है, जिन काश्तकारों को पानी मिल

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

रहा है उनको पूरा पानी नहीं मिल रहा है इस कारण से पांच छः साल से पानी नहीं मिलने के कारण काश्तकार परेशान है और कृषि उत्पादन में कमी हो रही है उपाध्यक्ष महोदय, इस बांध से नहर निकलती है, उस नहर को पक्का करने की योजना थी। इस योजना का सर्वे हो चुका है, एस्टीमेट भी बन चुका है। कुछ पक्की बनी भी है, लेकिन जितनी बड़ी नहर है, उनको पक्का बनाने की योजना उस हिसाब से नहीं चल रही है. इस कारण कार्य आगे बढ़ नहीं रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस बांध से सिंचाई का कार्यक्रम है, उसके लिए सर्वे हो गई है और एस्टीमेट भी बन गया है इसलिए तेजी से कार्य कराकर इस नहर को पक्का किया जाय। इस बुचारा बांध की बात के लिए सिंचाई मंत्री जी ने कहा था कि इसका सर्वे हो चुका है लेकिन वित्तीय स्थिति के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा रहा है इस लिए इसके लिए धन राशि की स्वीकृति नहीं हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी स्वीकृति की जाकर इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाय ताकि सभी किसानों को पानी दे सकें और कृषि की पैदावार बढ़ सके।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, बैराठ में छीत्तोली बांध है उसमें पानी की काफी तादाद है, उसमें पानी काफी बच रहता है लेकिन जिन गांवों में इस बांध के बनने से पानी आना चाहिए वहां नहीं जा पाता है और उस पानी को रास्ते में रोक लिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप निश्चित योजना बनायें, पानी ज्यादा देना चाहते हैं यह किस प्रकार से देना चाहते हैं आज इसमें बहुत धांधली होती है. इसमें ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, वह पानी के वितरण के कारण होता है। जो अधिकारी रहते हैं उनकी कृपा पर निर्भर रहता है कि किस काश्तकार को पानी देना चाहते हैं. किस गांव को पानी देना चाहते हैं। किसी गांव में तीन तीन चार चार बार पानी दे किया जाता है. किसी में एक बार भी नहीं। इस छीतोली बांध के बारे में अर्ज है कि बैराठ तहसील में राजस्व विभाग इसे कंट्रोल करता है और सिंचाई विभाग मेन्टेन करता है। इससे जो पानी दिया जाता है उससे बैराठ और कोटपुतली के गांवों में आपस में झगडा चलता है। वहां पर एस. डी. एम. और पुलिस बैठी रहती है लेकिन फिर भी व्यवस्था नहीं हो पाती। इसका कारण यह है कि पुलिस और एस. डी. एम. चौबीस घण्टे नहीं बैठ सकते हैं। रात को पानी दिया जाता है तो पानी को काट लिया जाता है और इस कारण से झगड़ा होता है। यहां तक स्थिति हो जाती है कि आपके विभाग और पुलिस अधिकारियों की पिटाई तक का मौका आ जाता है। मेरा निवेदन है कि इसकी आप निश्चित योजना बनाइये अगर आपको एक पानी देना है तो एक पानी दीजिये, दो पानी देते हैं तो दो पानी दीजिये। लेकिन इसका सिस्टम होना चाहिए। आप अधिकारियों की कृपा पर मत छोडिये, इसको स्थानीय अधिकारियों के डिस्क्रिशन पर मत छोडिये, वरना परिणाम यह होता है कि वह स्थिति का फायदा उठाते हैं, जो लोग खुश कर देते हैं उनको अधिक पानी

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

दे देते हैं बाकी को बिल्कुल नहीं मिलता है। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि छीत्तोली बांध की जो नहर है उनको पक्का बना दें तो मैं समझता हूं कि दस गांव को और पानी दे सकते हैं और हजारों एकड जमीन की सिंचाई कर सकते हैं। इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा। केवल कुछ खर्चा होगा। मै समझता हूं कि लाख, डेढ लाख का खर्चा है, उससे आप नहर पक्को बना दें तो हजारों एकड़ जमीन की और सिंचाई हो सकती है। तो छीत्तोली नहर को पक्का बनाया जाए।

मेरी तहसील में एक दूसरे बांध पाछोडाला का काम प्रारम्भ कर दिया गया है। कुछ दिन चालू रहा लेकिन अब बन्द पड़ा है। मेरी समझ में नहीं आता कि स्वीकृति होने के बाद, ठेका हुआ और काम चालू हुआ वह काम अब क्यों बन्द पड़ा है? इस बारे में जांच की जानी चाहिए। इसी प्रकार बरसात के दिनों में कोटपुतली तहसील में कुछ गांवों में पानी आता है और वह मकानों और फसलों को बरबाद करता है और किसानों की संपत्ति को बरबाद करता है। इस सम्बन्ध में योजना बनाई गई और उसके बाद तय किया गया कि जिस पानी से हर समय परेशानी होती है और फसल बरबाद होती है उसका उपयोग नाली बनाकर दूसरी तरफ किया जाएगा और इस पानी का दूसरी जगह उपयोग किया जा सकेगा। अब फिर बरसात आ रही है और कागजात में योजना बन चुकी है लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया तो बरसात से पहले आप उसको शुरू कर दें तो अच्छा होगा वरना बरसात आएगी, तो फ़सल बरबाद होगी, जनता परेशान होगी और लाखों रुपये का नुकसान होगा।

क्रेश प्रोग्राम में पिछली बार कार्यक्रम लिया गया था लेकिन दुख है कि क्रेश प्रोग्राम में पूरे साल भर में आपके सिंचाई विभाग ने इसके अन्तर्गत जो कार्य रखे थे, उनमें से एक काम भी पूरा नहीं कर सके। खास तौर से मेरे क्षेत्र में जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिलाधीश के कार्यालय में मीटिंग के समय तो अजीब रिपोर्ट आई। यह कह दिया गया था कि स्थानीय विकास अधिकारी को सरपंचों से सहयोग प्राप्त न होने से कार्य नहीं हो सका। मुझे आश्चर्य व दुख होता है कि अधिकारी इस प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करें, साल भर तक चुप बैठे रहें साल भर योजना शुरू न करें और जब मीटिंग हो पैसा लैप्स हुआ, 4.60 लाख का खर्चा हुआ पूरे जिले में और सिंचाई विभाग का मेरे क्षेत्र में तो काम ही शुरू नहीं हुआ और रिपोर्ट आई कि विकास अधिकारी को सरपंचों का सहयोग नहीं था और जब पूछा गया कि कौनसा विकास अधिकारी तो जवाब नहीं। असल में बात यह है कि काम करने की नीयत अधिकारियों की नहीं है और इस दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। यदि आप चाहते हैं कि वास्तव में काम हो समय पर तो आपको देखना पडेगा कि जो योजना बनी है गांव तक पहुँची या नहीं आप विधान सभा में घोषणा कर दें उसके बाद बजट लैप्स हो जाए और आप कह दें कि यह कठिनाई हुई। आप हमें संतोष दे सकते हैं, आंकड़े दे सकते हैं लेकिन दरअसल जो आप समृद्धि लाना चाहते हैं उसमें आप कहां तक पहुंच पाए इस बारे में विचार करना पड़ेगा। जो आप योजना

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

बना रहे है, जो घोषणायें करते हैं, जो कार्यक्रम बनाते हैं, वे कार्यक्रम वास्तव में पूरे होने चाहिये, इस बात पर विशेष बल देना चाहिये। तो एक पानी के वितरण में निश्चित नीति निर्धारित करनी चहिये। जिस प्रकार से वहां के स्थानीय प्रधान, सरपंच या विधायक जो भी हों उन लोगों को साथ लेकर फिर पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। डिस्क्रीशन अधिकारियों का नहीं होना चाहिये जिसको चाहे दें जिस गांव में चाहे दें। एक गांव में तो 2–2 पानी दें और किसी में एक भी न दें। ऐसा नहीं होना चाहिये। उनको भ्रष्टाचार का मौका मत दें। आपको बुचारा बांध पर कार्य चालू कराना चाहिये नहर को पक्का कराया जाय और पाछोडालो बांध में पानी की कमी नहीं है। नहर पक्की कर दें तो हजारों एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकती है। पानी के कारण गांव के लोगों में मारपीट होती है। इस कार्यवाही से उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की पैदावार बढ़ेगी और राज्य की तरक्की होगी।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : मुझे अपने कटौती प्रस्तावों पर निवेदन करना है कि आज झालावाड़ जिले में जितनी सिंचाई की योजनायें हैं वे सब अधूरी पड़ी हैं। भीमसागर मीडियम योजना के नाम से, जिससे 20 हजार एकड़ भूमि सिंचित हो सकती थी परन्तु वह अब अधूरी पड़ी है 15 साल से। इसका काम दो साल पहले शुरू किया गया था। इस योजना से पहले जो योजना बनाई थी वह 18 लाख की थी और दुर्भाग्य है कि अब यह योजना 73 लाख की बन गई है और आज भी इसका काम बन्द पड़ा है धनाभाव के कारण। कहते हैं कि इस साल इसका बजट नहीं है। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भीमसागर की योजना एक अच्छी योजना है और जिला झालावाड के लिये अच्छा रिटर्न देने वाली और उत्पादन बढाने वाली है। दूसरी योजनायें जो चालू हैं उन पर दो हजार रुपये प्रति एकड़ खर्च आ रहा है ऐसी योजनाओं को हाथ में नही लिया जाए और दूसरी योजनायें जो महंगी नहीं हैं जिनसे रिटर्न अच्छा आता हो उनको लिया जाय, यह सही नही है। इस योजना को अब तक 3 बार लिया गया। एक बार शुरु शुरु में नहर बनाई गई, यह ऐसी ऐसी योजना थी जिसको पहले बनाना चाहिये था, गत 2 वर्ष में 25–30 लाख और लगाया लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, फाऊंडेशन खोदा गया। दुर्भाग्य की बात है कि धनाभाव बताकर जितना रुपया उसमें लगाया गया है वह ही चला जाएगा इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस योजना को जारी रखना चाहिये।

इसी प्रकार दूसरी योजना है चीवर बांध की उसम 50 हजार बीघा सिंचाई करने की योजना थी वह बांध पूरा हो चुका था। दो बार टूट भी चुका है और आज उस काम को पूरा करने के बजाय मरम्मत भी नहीं हो पाई और सिंव योजनायें इसी प्रकार ठप्प पड़ी हैं। उस 15–20 लाख का खर्चा है। 5 हजार बीघा भी सिंचाई नहीं हुई जबकि लक्ष्य था 50 हजार बीघा जमीन का तो योजनायें बनाने वाले क्या बनाते हैं। यह विचार करना विभाग का कर्तव्य है। इस प्रकार की

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

योजनायें बनाकर लाखों रुपये राज्य सरकार किस प्रकार से अपव्यय करती है और अनियमितताओं के नाम पर और दुरुपयोग के नाम पर भीमसागर डैम जो झालावाड़ में बन रहा है, नहर बन जायगी 15–20 लाख रुपये खर्च होने पर भी वहां देखा जाय तो कोई काम नहीं है । सिवा इसके कि अनावश्यक चीजें खरीदी गई हैं और इसकी शिकायत मैंने 22-8-71 को ज्ञापन के रूप में यहां मुख्यमंत्री व मंत्री महोदय के सामने, लेकिन उस जांच का क्या हुआ ? मंत्री महोदय जानते हैं कि साल भर के करीब समय हो चुका है अभी भी विभागीय जांच चल रही है और 5 लाख रुपये का घोटाला है । उसमें तिरपाल अनावश्यक रूप से खरीदे गए । बाजार में 80–85 में मिलते हैं वह 360) में खरीदे गए । जितने तिरपाल खरीदे गए, उनकी आवश्यकता नहीं थी । 100) करीब ले लिये । दस पन्द्रह हजार सिरकियों का पेमेंट किया गया । बरसात में कोई मजदूर काम पर नहीं जाता और तिरपाल व सिरकी खरीदे गये । वैसे 3.80) में सिरकी आती है उसके बजाय 7.50 में प्रति सिरकी के हिसाब से पेमेंट किया गया वाटर टैंकों की कोई आवश्यकता नहीं थी अभी भी सड़ रही हैं, सिरकियों का पता नहीं, कितनी आई या नहीं, वैसे पेमेंट हो गया । किसी प्रकार की जांच नहीं हुई । इस प्रकार पैसे का दुरुपयोग और अनियमिततायें हुई । उसके लिये हम लोगों ने काफी पत्र-व्यवहार किया, परन्तु समझ में नहीं आता किस कारण से इसकी जांच नहीं हो पाती जो अधिकारी ऐसे काम करते हैं उनको सजा देने के बजाय उनके ट्रांसफर्स हो जाते हैं । तो मंत्री महोदय पुनः विचार करें, मौकेपर जाकर इस बांध को शुरू कराएं । यह योजना एक अच्छी योजना है, उत्पादन बढ़ाने की योजना है और झालावाड़ जिले के लिये अच्छी योजना साबित होगी और इसमें जितना हो सके, रुपया इस साल के बजट में रखा जाय । वैसे 25 साल के अन्दर प्रशासन की दृष्टि से कर्मचारियों और अधिकारियों पर सिंचाई विभाग झालावाड़ में कितना खर्च हुआ है, योजनाओं के नाम पर कितना हुआ है, विभाग बताने में सक्षम नहीं है । कहीं 5 हजार बीघा जमीन की सिंचाई शुरू कर दी और करोड़ों रुपये इस पर खर्च हो चुके हैं ।

सभापति महोदया, इससे मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार का इस प्रकार से धन का दुरुपयोग किया जा रहा है । इतने करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी न तो सिंचाई हो सकी है और न सिंचाई होने के कारण उत्पादन हो बढ़ सका है । और सिवाय बरबादी के कुछ भी हाथ नहीं लगा है । इसी प्रकार जिला झालावाड़ में जान्धाखेड़ी एनीकट पर खर्च किये जाने के बाद में भी कोई सिंचाई नहीं हो रही है । आप नयी नयी योजनायें चालू करने के प्लान बनाते हैं पर आप से पुरानी जो योजनायें आज अधूरी पड़ी हैं वे पूरी नहीं हो रही है । आज एक डेढ लाख रुपया अगर आप खर्च करदें तो वहां पर सिंचाई होने लग जायेगी और किसानों के उस एरिया में खुशहाली आनी शुरू हो जायेगी । आज जिला झाला-वाड़ की बान्धा खेड़ी एनीकट पर काम नहीं हो रहा है । आज जरूरी काम जो पड़े

Page No 89

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

हैं, ये योजनायें जो पहले खत्म हो जानी चाहिये थीं जिससे जनता को फायदा पहुंचता है वह खत्म नहीं की गयीं और नयी योजना के प्लान बना रहे हैं। आज आप डेढ़ लाख रुपये तो सैंक्शन करते नहीं है और 30 लाख रुपये की योजना शुरू करने की बात कर रहे हैं। नयी योजना का प्लान बनेगा, उसका सर्वे होगा और उसमें काफी समय लगेगा। और अगर दूसरी पुरानी योजनायें हैं जो कि नियरिंग कम्पलीशन है या जिनमें मरम्मत की जरूरत है वह अगर कार्यवाही पहले करली जाय तो लोगों को पानी भी मिलेगा सिंचाई के लिए व उत्पादन भी बढ़ेगा। कहने को तो आज किसानों के बारे में काफी उनके फायदे के लिये कहा जाता है पर किया कुछ नहीं जाता है। आज किसान को पानी सिंचाई के लिए नहीं मिलता है जिससे कि उत्पादन नहीं बढ़ता और खेती भी नहीं होती है जिससे किसान आज बहुत ही परेशान है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पहले पुरानी योजनाओं को पूरा किया जाना चाहिये। ताकि किसान को सिंचाई के लिए पानी मिले। दूसरे राज्य सरकार द्वारा ऐसी गलत योजनाओं का प्लान बनाया जा रहा है कि जिससे सिंचाई तो कम होगी सो होगी ही पर इन गलत योजनाओं को अगर शुरू कर दिया गया तो वह गांवों को खाली होना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या राज्य सरकार उन लोगों को कम्पेन्सेशन देगी? दूसरे हमारे यहां पर चार लिफ्ट सिंचाई योजनायें हैं उन्हें पूरी करायी जानी चाहिये। अगर वो पूरी हो जायेगी तो बीस हजार बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है। और उससे जनता को अच्छा फायदा होगा। इन योजनाओं के पूरा होने से पैदावार भी अच्छी होगी और उससे अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से राज्य के मन्त्री महोदय, से यही निवेदन है कि जो योजनायें अधूरी पड़ी हैं उन्हें पूरा करवायी जाय। दूसरे जिले झालावाड़ में भीमसागर बान्ध का इस वर्ष का जो कार्य शुरू होना था वह भी अभी तक नहीं शुरू हुआ है। राज्य सरकार को कई बार निवेदन किया गया पर अभी तक कोई सुनवायी नहीं हो रही है। तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये की पुरानी योजनाओं को जो कि अधूरी पड़ी हैं उन्हें पूरी करायी जाय। ये योजनायें थोड़े पैसों में पूरी हो जायेगी और जनता को ज्यादा लाभ होगा। उत्पादन ज्यादा बढ़ सकेगा। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज जो सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें खूब ही भ्रष्टाचार है। आज राज्य सरकार का करोड़ों रुपया इन योजनाओं के अन्दर खर्च हुआ पर उसका रिटर्न बिल्कुल नहीं के बराबर ही मिला इस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं कि आज वहां पर सिर्फ 50 बीघा की जमीन की ही सिंचाई हो सकती है जबकि अगर प्लान की तरह काम चलता और इन पुरानी योजनाओं को जो कि अधूरी हैं पूरी करायी जाती तो उत्पादन बढ़ता और सिंचाई के लिए पानी मिलता। आज जो स्टेट के जमाने में बान्ध वगैरह बने हुए थे उनका मेन्टीनेन्स नहीं हो रहा है। जिससे वे टूट रहे हैं और जनता को जो पानी सिंचाई के लिये मिलता वह भी बन्द हो जाने से

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
काश्तकारों की हालत खराब है। दूसरे हर साल जो निर्माण कार्य में खर्चा किया गया है उसमें कई जगह काम नहीं हुआ है पर ठेकेदारों को बिल का पेमेन्ट होगया है। वहां पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिली भगत से झूठे मस्टर रोल बनाये गये हैं; इसकी शिकायतें की गयीं पर यही सुना जाता है कि डिपार्टमेंन्टल जांच हो रही है पर उस जांच में किस किसको कितनी सजा मिली यह कुछ पता नहीं लगता। मैं मंत्री महोदय, से निवेदन करूंगा इन अधिकारियों को पूछा जाय किस किस जगह कितना कितना काम हुआ, और काम पूरा नहीं होने के क्या कारण हैं। सभापति महोदय, झालावाड़ जिला एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है वहां विकास होना बहुत ही आवश्यक है। आज जहां योजनाओं में 5 हजार एकड़ जमीन सिंचाई की बतायी जाती है वहां पर 500 एकड़ जमीन की सिंचाई होती है और इस प्रकार सब जिम्मेदारी आप लोगों पर आयेगी कि जनता का करोड़ों रुपया कहां गया। और उस करोड़ों रुपयों के खर्च होने के बाद कितनी जमीन सिंचाई के लिए हुई। बस यही मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने अनियमितताएें कीं सिंचाई की योजनाओं में उन्हें दण्ड दिया जाय। तथा पुरानी योजनाएें जो अधूरी हैं उन्हें पूरा कराया जाय ताकि जनता को ज्यादा लाभ हो।

श्रीमती सभानेत्री : श्री सज्जनसिंह।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : सभापति महोदया, आज सदन में सिंचाई विभाग की मांगों के बारे में बहस चल रही है इसमें मैं भी जवाई स्कीम के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं दूसरी योजनाओं के बारे में तो नहीं कहूंगा पर इतना जरूर कहूंगा कि राज्य सरकार जवाई बान्ध के प्रति हमेशा से उदासीन रही है। यह तो पता नहीं लग सका है कि राज्य सरकार इसके प्रति इतनी उदासीन क्यों रही। इस उदासीनता के कारण आज किसानों में, वहां की जनता जो कि उससे प्रभावित है उसमें बहुत ही असन्तोष है। इसके अलावा सभापति महोदय। वहां पानी के देने में बहुत ही घोटाला है और उस घोटाले का खामियाजा गरीब किसानों को भुगतना पड़ता है। आज स्थिति ऐसी है कि जो तावान आते हैं वे हर साल न आकर पांच पांच सालके बाद आते हैं और उसमें किसानों को रकम एक साथ भरने में काफी दिक्कत पड़ती है। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि किसानों को इस प्रकार रियायतें दी जारही हैं दूसरी तरफ इस तरह तावान मिलते हैं जिससे किसानों को बहुत ही भारी परेशानी होती है। आज जो किसानों की खुशहाली की बात की जा रही है दूसरी तरफ सिंचाई विभाग के अधिकारियों का रवैया किसानों के प्रति बहुत ही खराब है। आज किसानों को पानी देने में अनियमितता है और पूरा पानी नहीं मिलने से किसानों की जमीन पर खेती नहीं होती और दिन दिन किसानों की हालत खराब होती जा रही है। किसानों में असन्तोष है। दूसरे जो प्लान बनाये जाते हैं वे गलत बनाये जाते हैं जो जवाई बान्ध की नहरों के लिये जो प्लान बनाया जाता है और उसमें जो आउट किया गया है उसमें जवाई बान्ध से सिंचाई के लिये

(श्री सज्जन सिंह)

कमाण्ड एरिया करीब एक लाख एकड़ बताया गया है। मैं आपको निवेदन कर दूं कि वहां पर इतनी भूमि सिचाई के लिये कमाण्ड एरिया में नहीं आती है। वहां पर सन् 67-68 में जब जवाई बान्ध पूरा करीब करीब भर गया था तो 40 हजार एकड़ भूमि सिंचित होने का अनुमान था उसमें से वास्तविक भूमि की सिंचाई 32 हजार एकड़ भूमि ही सिंची जा सकी। इसके बाद में 70-71 में बान्ध में पानी आया और उससे जो सिंचाई हुई उसके अनुमानों के अनुसार इससे सिंचाई नहीं हो सकी। फिर भी नहीं मालूम जवाई बान्ध के एरिया में राज्य सरकार क्यों एक लाख एकड़ भूमि कमाण्ड एरिया में मानती है। यह राज्य सरकार की हठधर्मी है। इसका अर्थ यह होगा कि सीलिंग में काश्तकारों को जो जमीन मिली है या मिलेगी उसे सिंचित भूमि मानकर एक नयी किस्म की सिंचाई जमीन मानी जावेगी और जिसे हम चाहें तो जवाई किस्म कह सकते हैं क्योंकि वास्तव में वहां पानी जाता ही नहीं। लेकिन राज्य सरकार अपनी हठधर्मी से उसे सिंचित भूमि मानकर जो लगान वसूल करेगी वह सिंचित भूमि के हिसाब से करेगी। तो इस प्रकार से शोषण काश्तकारों का आज हो रहा है। आज राजस्थान सरकार का सिंचाई विभाग किसानों के प्रति उदासीनता बरत रहा है और जो किसानों के वास्तविक हक हैं उनसे उन्हें महरूम किया जा रहा है। आज स्थिति ऐसी है कि नहर से पानी कई जगहों पर मिलता नहीं है। आज भी इस क्षेत्र में ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पर कि आज दिन जवाई बान्ध से सिंचाई का पानी नहीं मिला है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार द्वारा उस एरिया की जमा की काश्तकारों से सिंचित भूमि के हिसाब से लगान वसूल किया जा रहा है। यह अनुचित है इसे रोका जाना चाहिये। दूसरे हर साल जिला हैड क्वार्टर पर भी मीटिंग होती है, तब भी मुझे वहां पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वहां पर इन समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श होता है और हर साल यह विश्वास दिलाया जाता है कि अब की बार पानी किसानों को पूरा दिया जायेगा और जो सीपेज वहां पर हो रहा है उसको रोकने के लिये कार्यवाही की जायेगी। विश्वास तो हर साल दिया जाता है पर अभी तक उसके रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी हैं। जल का वितरण गरीब और अमीर, बड़े किसान और छोटे किसान में बराबर किया जावेगा। यह भी विश्वास दिलाया जाता है परन्तु वास्तविकता इससे भिन्न ही रहती है और इसके प्रति विभाग संपूर्णतः उदासीन रहा है। जब भी कभी अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया। जिलाधीश ने भी प्रयत्न किया कि जल का वितरण बराबर किया जाय परन्तु विभाग इसमें पूर्ण रूप से असफल रहा। मैं यह आरोप तो लगाना उचित नहीं समझता कि विभाग ने जान बूझ कर ऐसा षड़यन्त्र कर रखा है जिससे किसान जमीन जोत कर तैयार कर रखे, बीज डाल कर एक पाण पानी उसको दे, दूसरी पाण में पानी उसको न मिले, फसल से जानबूझ कर महरूम रखा जाय ऐसी भी परिस्थितियां

(श्री सज्जन सिंह)

जवाई बांध में देखने को मिली हैं और मैंने विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को बताया भी। इसके बावजूद भी इसमें आज तक कोई सुधार नहीं है।

सभापति महोदया, यह जवाई बांध दो पतियों की एक स्त्री के माफिक है। यह सिंचाई विभाग का है या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग का है। जोधपुर के लिये पानी देना ही होगा।

(गणाभाव सूचक घंटी)

(गण पूर्ति के पश्चात्)

श्रीमती सभानेत्री : शुरू कीजिये।

श्री सज्जनसिंह : सभापति महोदया, मैं निवेदन यह कर रहा था कि जवाई बांध मालूम नहीं किसके स्वामित्व में हैं। इर्रीगेशन विभाग यह समझता है कि बांध हमारा है और जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग यह समझता है कि यह बांध हमारा है। सिचाई के लिये जब जल वितरण का समय होता है तो इतना पानी जोधपुर के लिये सुरक्षित रखना होगा और रखा जाता है और डेड वाटर करीब 500 आता है उसका लिफ्ट इर्रीगेशन करते हैं और पड़ौसी गांवों में जब मीटिंग हुई थी तो मैंने उस समय स्पष्ट कहा था कि जोधपुर के लिये पानी सुरक्षित रखना चाहते हैं उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं हैं। लेकिन नहर से जुड़े हुए जो गांव हैं जहां अकाल के समय में भी पानी दिया गया है उनके लिये भी पानी रखना होगा और उनको देना होगा और डेड वाटर को पहले एक दफा लिफ्ट किया है तो इस समय भी लिफ्ट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिये। यदि आपके पास फन्ड्स नहीं हैं तो यह आपका लुक आउट है, जनता का नहीं।

मैंने यह भी कहा था कि पानी नहीं देंगे तो हम लोग नहर तोड़ देंगे और उस वक्त अजीब परिस्थति पैदा होगी और खामख्वाह राज्य सरकार को आप ऐसी परिस्थति में पटकेंगे। हुआ यह भी कि पाली जिले और बाली जिले को पानी देना स्वीकार किया, फिर न मालूम क्यों इनकार कर दिया। सदन के प्रांगण में जब मंत्री महोदय जवाब देते हैं तो उनका जवाब सुन कर दुख भी होता है और हंसी भी आती है। मैं अधिकृत रूप से यह तय नहीं कर पाया कि राज्य अधिकारियों का है या मंत्रीजी का राज है। शायद राज मोटर में बैठे हैं, बंगलों में बैठे हैं उनके पास हो, हो सकता है राज विधान सभा में भी हो। हम समझते हैं राज हमारे पास है लेकिन वास्तव में राज अधिकारियों के पास है। इनका कोई जबाब नहीं। सभापति महोदया ये चाहें जिस पर लागू कर दें और जिस पर नहीं चाहें नहीं करें। और कोई ब्रह्मास्त्र है तो इनके पास 'तकनिकी' शब्द है। तकनिकी पोइन्ट पर किसी भी बात को काट दें। और मंत्रीजी उनकी हिमायत करना चाहते हैं, उनके किये हुए को जस्टिफाई करना चाहते हैं। मारली वे समझते हैं, मैं ठीक नहीं कर रहा हूं लेकिन आज के युग में उनको ठीक करना पड़ता है। शायद मंत्री उनसे प्रभावित हैं या वे मंत्रियों से प्रभावित हैं। मैं इसका अभी तक भी कोई निर्णय नहीं कर सका हूं।

(श्री सज्जन सिंह)

जोधपुर के लिये पानी सुरक्षित रखना उन्होंने जन्म सिद्ध अधिकार मान लिया है। जवाई बांध बना, नहरें ले आउट हुईं, नहरें खुदी, कमान्ड एरिया बना उस समय जोधपुर को पानी देने का कतई प्रश्न नहीं था और न ही उसकी केपेसिटी है कि उसको पानी दे सकेगा। कभी स्केयर-सिटी की वजह से, कभी इमरजेन्सी की वजह से जोधपुर को पानी देना किसी ने अस्वीकार नहीं किया। आज तक दिया क्योंकि जोधपुर की जनता पोलिटिकली कोन्शियस है. पोलिटिकली अलाइव है और ज्यादा जोर से बोल सकती है, अपनी मांगों को रख सकती है लेकिन ग्रामीण जनता अपने हक के लिए भीख मांगती है अधिकारियों और मंत्रियों के पास, वह गिड़गिड़ा कर कहती है और ये रोब में आकर जवाब देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। इस साल भी यही हुआ कि इन्होंने इन्कार कर दिया। फेमिन की मीटिंग में हमने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि जोधपुर को पानी दिया जाय तो आप जोधपुर को पानी दीजिये लेकिन गांवों को क्यों वंचित रखते हैं और किस प्रकार से अधिकारी इसको जस्टिफाई करते हैं। मैं नहर को तोड़ूंगा और पानी लेऊंगा तब इन्होंने मंजूर किया और सभापति महोदया पानी दिया। फिर मुझे नहीं मालूम इन्कार क्यों किया? जवाई बांध ऐसी औरत बन गया है जिसके खाविन्द कभी इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट और कभी जन स्वास्थ्य अभि-यान्त्रिक विभाग हैं। डिपार्टमेन्ट में कोई कोओर्डिनेशन नहीं, तालमेल नहीं। जिलाधीश बीच में है! गांव वालों की दरख्वास्त लेकर हम लोगों की बात स्वीकार करें यह निर्णय ये नहीं कर सकते हैं। कभी यह विधान-सभा के अन्दर मंत्री महोदय कुछ स्टेटमेन्ट देते हैं और उसके बावजूद पानी देना स्वीकार कर लेते हैं लेकिन देते नहीं। यह समझ में नहीं आता।

इसलिये सभापति महोदया, मैं तो यह निवेदन करूंगा विशेषतया इर्रीगेशन मंत्री महोदय को कि आपका आपके विभाग पर अंकुश होना चाहिये। उनको यह महसूस होना चाहिये।

Government is different from Beaurocracy and particularly from this Beaurocracy which always has dominated the people.

यह तब तक नहीं होता तब तक हमारी वास्तविक मांगों की ओर इन लोगों का उपेक्षापूर्ण रवैया दुरुस्त नहीं होगा और आज तक तकलीफ, दिक्कतें बर्दाश्त करते आये हैं उनमें सुधार नहीं होगा। क्योंकि आज यह सोचते हैं कि जो तकनीकी लोग होते हैं वे सारी काबलियत के ठेकेदार हैं, बुद्धिमानी के ठेकेदार हैं और सारी बुद्धि उन लोगों के पास है और उनकी बुद्धि, चातुर्य, प्रताप और माध्यम से ही यह राज्य चलता है। यह हमें स्वीकार नहीं है। हम यह निवेदन करेंगे कि कम से कम जवाई को प्रोब्लेम्स को स्टेडी करना चाहिये, ओन स्पोट स्टेडी करना चाहिये और स्टेडी करेंगे तो महसूस करेंगे कि किस प्रकार बैठ कर ये लोग घोटाला करते हैं। इस बार इन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा।

(श्री सज्जन सिंह)

The entire department faught the election against the Congress in the division.

एक्स.इ.एन. ओवरसीयर, स्टाफ और यहां तक कि फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स सब प्रोपेगण्डा करते हुए घूम रहे थे, इनके ठेकेदार घूम रहे थे, इनके ठेकेदारों ने हजारों लाखों रुपया खर्च किया। लेकिन जनता ने जो फैसला करना था वही किया और इतना करने के बावजूद भी आज भी वही लोग बैठे हैं, राज्य उनके पास है, वही लोग हमारे ऊपर आतंक फैलाते हैं इसलिए मैं आपको विशेष रूप से निवेदन करूंगा पर्टीकुलरली एक्स. ई. एन. जवाई बांध जहां रहते हैं वह भवन पी. डब्लू. डी. का डाक बंगलो है और उन्होंने कब्जा कर लिया उस पर। इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट से उन्होंने डाक बंगले के लिए न जाने कितने पैसे खर्च किये हैं यह तो आप जाने, आपका विभाग जाने या आपके हिसाब किताब जाने, हमको तो देखने की फुरसत मिलती नहीं है। हम तो अपनी ही परेशानियों से तंग हैं और आपके हिसाब किताब नहीं देखना चाहते। यह आप देखिए कि डाक बंगलों के नाम पर कितना पैसा खर्च किया गया। मैं तो इतना जानता हूं कि एक डाक बंगलो बना है जो कि बिल्कुल फ्यूडल गवर्नमेन्ट को रिप्रजेन्ट करता है। जवाई बांध पर मोती महल बनाया जहां इनकी गोठें उड़ती हैं और जहां सब एकत्र होते हैं और जहां इन्होंने अपनी सुविधा के लिए बिजली भी लगा दी और सारा कुछ कर दिया और जो डाक बंगलो इनके अधीन में है वह वास्तव में इतना नहीं है कि पी. डब्लू. डी. का है।

श्री योगेंद्रनाथ हांडा : सुरा और सुन्दरी का भी उपयोग होता है क्या ?

श्री सज्जनसिंह : I am not the Inspector.

तो मैं यह निवेदन कर दूं कि यह पता लगाना चाहिये कि वह डाक बंगलो किस का था और इन्होंने कैसे कब्जा कर लिया। सभापति महोदया, जैसी मुझे जानकारी है मैं निवेदन कर दूं कि वह डाक बंगलो केवल इसलिये उपयोग में आने लगा था कि जोधपुर स्टेट में जब जवाई बांध का शिलान्यास हुआ था उस समय हिज हाईनेस के हाथों शिलान्यास हुआ था और हिजहाईनेस कुछ समय के लिये ठहरे थे और एक तकनीकी आफीसर अमेरिका या इंग्लैण्ड से आया था फ्रेजर नाम का वह जबरदस्ती से वहां रहने लग गया और वह परम्परा बन गई। हम लोग दर दर के भिखारी बने हुए हैं। मिनिस्टर तो मोती महल में ठहर सकते हैं, हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट ठहर सकता है लेकिन साधारण मेरे श्रेणी के आदमी को डाक बंगलो की सेवा से महरूम कर दिया गया। इसकी भी आपको जांच करनी होगी।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं अपनी थोड़ी सी बात कह कर समाप्त करता हूं।

(श्री सज्जन सिंह)

मैंने यह निवेदन किया कि तावान हर साल लगाया और वितरित नहीं किया और अब पांच-साल के एक साथ तावान वितरित हुए और उसकी वसूली जारी है। उसके लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि उससे किसान दुखी हैं। इस साल बंध से पानी नहीं दिया और एक साथ आप वसूली करना चाहते हैं यह गैरवाजिब है और न किसानों को अपना केस रिप्रेजेन्ट करने का मौका मिला। Second part of the story is Shahi.

यह योजना सन् 75 में समाप्त होने वाली थी। मैं जवाई के बारे में एक बात और निवेदन कर दूं कि फेमिन के वक्त में सेंक्शन ली थी और यह कहा था कि 10 लाख रुपया लास्ट ईयर में सेंक्शन हुआ था सिदरू के काम के लिए वह रूरल प्रोग्राम है या क्रेश प्रोग्राम–यह भी तकनीकी समस्या है जो कि साधारण तौर पर मेरी समझ में नहीं आती। वह पैसा लेप्स हो रहा है और उस पर काम नहीं होता। वह काम कम्पलीट हो जाये तो भी एक बांध पूरे कमाण्ड एरिया में पानी दे नहीं सकता। This is the thing which can be never realised. लेकिन फिर भी काफी उससे मसला हल हो सकता है। The department is sleeping over the matter. साही का काम तो इतनी स्लो स्पीड से चल रहा है कि बेचारे मानते हैं कि पैसा दिया जायेगा और हम इस पोजीशन में हैं कि काम कर लेंगे या उसके लिए सेंक्शन नहीं किया जाता तो मैं अन्त में केवल निवेदन करूंगा कि या तो आप यह डिक्लेयर कर दीजिए कि This project is entirely mant for drinking water. वहां पर चाहे फ्लस की टट्टियां चलें या बगीचे सींचें या ऐश के सारे काम कर दिये जायें, और लोकल पब्लिक मरे इसकी आपको चिन्ता नहीं, मवेशी मर जाये इसकी आपको चिन्ता नहीं। आप यह डिक्लेयर कर देते हैं कि Jawai is entirely meant for drinking water in Jodhpur. तो आपको साही को जल्दी से जल्दी समाप्त करने के लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए और देखना चाहिए कि साही काम चलता है। 150 मील दूर और एक्स. ई. एन. सुमेरपुर में बैठा रहता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कैसे काम होता है क्योंकि मैं तकनीकी आदमी नहीं और तकनीकी आदमी की तकनीक जानने की आज तक कोशिश नहीं की। मुझे केवल इतना ही निवेदन करना था। धन्यवाद।

श्रीमती सभानेत्री : श्री अजीतसिंह।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरी पार्टी की ओर से कोई नहीं बोला है इसलिए हमें भी अवसर दिया जाना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : आपकी पार्टी की ओर से बोलने की किसी भी सदस्य ने लिखित में इच्छा व्यक्त नहीं की।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह तो हर पार्टी से एक आदमी बोलता है।

श्रीमती सभानेत्री : मिल जायेगा।

श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : सभापति महोदय, मैं सिंचाई के सम्बन्ध में मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब तक आप अपने विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको नहीं मिटायेंगे तब तक काम नही चलने वाला है। यह भ्रष्टाचार इतनी तबाही लाता है कि इससे जन और धन और सारे गांव की अर्थ–व्यवस्था तहस–नहस हो जाती है। मैं अपने जिले के बारे में निवेदन करूं कि हमारी मासी पर बांध है और उस पर और तीन–चार बांध है और ये बांध धीरे धीरे एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा बांध टूटते हैं और तबाही इतनी जोरों से

(3–17 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आती है कि सड़कें, गांव और मवेशी वगैरह सारे के सारे बह जाते हैं। इसलिए मन्त्री महोदय मेरा यह निवेदन है कि आपके विभाग में भ्रष्टाचार को मिटाइये और ठेकेदारी प्रथा को खतम कीजिए और अच्छे काम कराइये जिससे बांध न टूटे। एक बांध के बाद दूसरा बांध टूटता है और फिर उससे तबाही आती है। मेरा यह निवेदन है कि विशेष ध्यान देकर इसकी व्यवस्था करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे टोंक जिले में केवल 70 प्रतिशत काश्तकारों के पास जमीन और उसके अन्दर से सिंचित भूमि केवल 7 प्रतिशत के पास ही है। यह सारे राजस्थान के हिसाब से भी यहां पर इतनी कम व्यवस्था पानी की है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर और ध्यान दिया जाये। हमारे जिले में दो–तीन नदियां बहने वाली हैं। बनास नदी बारहों महीने बहती है लेकिन उसका कोई उपयोग हमारे लिए और मेरे जिले के लोगों के लिए नहीं है। हमारे यहां बीसू–मल बांध का विचार चल रहा है लेकिन बार-बार निवेदन करने पर भी उसको टाला जा रहा है। समझ में नहीं आता कि यह इतना अच्छा बांध बनने वाला था उसको क्यों टाला जा रहा है और इसमें जो लाभ टोंक जिले को होने वाला था उससे उसे महरूम क्यों रखा जा रहा है। उसके बाद दूसरी योजना टोडी–सागर में पानी डालने की योजना थी साही नदी से उसका सर्वे भी हो गया, सारी व्यवस्था हो गयी लेकिन उसकी कोई मन्जूरी इस साल नहीं हुई इस लिए उसकी भी मन्जूरी कराके हमारे यहां पानी की व्यवस्था कराई जाये।

अब उपाध्यक्ष महोदय, छोटे छोटे बांध जो आपने बनवाये हैं वे इतने कमजोर हैं कि टूट जाते हैं और उनको कोई संभाल नहीं होती है। बरसात के अन्दर बेलदार नहीं रखे जाते और वह यों टूट जाते हैं और छोटे बांध जो पहले के बने हुए हैं उनके ऊपर तहसील की व्यवस्था है और वहां से उनका इन्तजाम नहीं होता इसलिए वह टूट जाते हैं और टूटने के बाद सारी जमीन का नुकसान कर देते हैं। इसलिए इसकी सारी व्यवस्था या तो सिंचाई विभाग अपने हाथ में ले तहसील से हटाकर तो इनकी सम्भाल सुचारु रूप से हो सकती है। इसके साथ ही छोटे बांधों के ऊपर नहर है उनकी भी कोई सम्भाल

Page No 97

(श्री अजीतसिंह)

नहीं है। उनको भी ठीक व्यवस्था हो तो जितना पैसा लगाया है उसका सदुपयोग हो सके और अच्छे घोरे वगैरह बनाकर इनको व्यवस्था कराई जाये।

तीसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि मेरे जिले में थ्रो टायर व्यवस्था है। तीन तरह की व्यवस्था एक-एक जिले के अन्दर है। छोटे बांध पंचायतों के पास हैं, उससे बड़े बांध तहसील के पास हैं और उससे भी बड़े बांध सिंचाई विभाग के पास हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसी व्यवस्था है जिससे बहुत परेशानी होती है क्योंकि सिंचाई विभाग कमाण्ड एरिया के अन्दर जो केनाल है उनसे पानी देता है तो वह अपने रेकार्ड में दर्ज कर लेता है और 10 रुपये फी एकड़ के हिसाब से गेहूं की पिराई का रखा है वह तो रहेगा और छोटे बांधों से जो पानी देते हैं वहां से भी वसूली कर ली जाती है। तो इस तरह से दोनों जगहों से पैसे लिये जाते हैं इसलिए यदि पूरा पानी ही सिंचाई विभाग से दिया जाये तो काम ठीक हो सकता है।

श्री जेठमल बरबड़ : कोरम नहीं है।

(गणाभाव सूचक घंटी)

(गण पूर्ति के पश्चात्)

श्री अजीतसिंह : मैं निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि सिंचाई विभाग के बंधों से जो पानी दिया जाता है उसे केनाल के पटवारी रिकार्ड करते हैं और तहसील के बंधों से जो पानी दिया जाता है उसको पटवारी रिकार्ड करते हैं। अब होता क्या है कि दो पानी तो हमने तहसील के बंधों से से लिया और एक पानी अगर हमने बड़े बंधे से ले लिया तो उस पर भी दस रुपया एकड़ लिया जायगा और सिंचाई के बंधे से पानी लिया तो भी दस रुपया एकड़ लिया जायेगा। इस प्रकार काश्तकार पर डबल रेट हो जाएगी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस व्यवस्था को ठीक करायें और जो तहसील के नीचे बंधे हैं उनको सिंचाई विभाग में लगा दें तो यह व्यवस्था ठीक हो सकती है। यह बेकार की दिक्कत है। काश्तकार बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। पानी छोड़ने में भी दिक्कत होती है और अलग अलग रिकार्ड होने से अलग अलग रेट देनी पड़ती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस व्यवस्था को ठीक कराइए और तहसील के नीचे जो बंधे हैं उनको वहां से हटा कर सिंचाई विभाग में दे दें ताकि सम्भाल भी अच्छी तरह से हो सके और व्यवस्था भी ठीक हो जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, फेमिन वर्क के अन्दर जो काम हो रहे हैं, उसके बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। फेमिन वर्क के तहत जो सिंचाई के काम होते हैं, मेरे जिले के अन्दर वहां ओवरसियरों की इतनी कमी पड़ रही है कि अभी जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ की वजह से बंधों को ठीक करने में और सड़कों को ठीक करने में ओवरसियर लग गए और फेमिन वर्क को सम्भालने वाला कोई नहीं है इसलिए उनकी जो नाप वगैरा होती है वह मनमाने ढंग से होती है ढाई रुपये की दर से, उसमें मिस्त्री वगैरा ज्यादा लगाते हैं और लेबरर को जितना पैसा मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता। इस-

(श्री अजीतसिंह)

लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि फोर्स वर्क के लिए और ओवरसियरों की नियुक्ति मंत्री महोदय कर दें तो यह काम ठीक ढंग से और उपयोगी तरीके से हो सकता है। दूसरा मेरा निवेदन है कि जितना भी इसमें भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को मिटा कर आपका जो यह डिपार्टमेंट है इसकी व्यवस्था को ठीक करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, समय की पाबन्दी के कारण मैं संक्षिप्त रूप में ही अपने विचार व्यक्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक राजस्थान सरकार की ओर से जो भी सिंचाई की योजनाएं बनाई गई हैं उनके बारे में जो कार्यविधि तय की गई, एक भी कार्य सरकार की ओर से सरकार की जो निश्चित अवधि थी उसके अन्दर सम्पूर्ण नहीं हुआ। यही हाल राजस्थान नहर का है। कारण कुछ भी रहे हों लेकिन राजस्थान नहर का जिस गति से काम चल रहा है, राजस्थान की जनता चाहती है कि इसका कार्य जितनी जल्दी पूरा किया जाय उतना ही जल्दी हमारे राजस्थान के हित में है। लेकिन जो योजनाएं बनाई गई हर स्टेज को पूरा करने की, उपाध्यक्ष महोदय, उसका सारा कार्य तीन चार साल बाद पूरा होगा। यह स्थिति एक योजनाबद्ध विकास के लिए उचित नहीं कही जा सकती। आज हमारी राजस्थान नहर के निर्माण में जो स्टाफ लगा हुआ है उस पर प्रति वर्ष दो करोड़ में ढाई करोड़ का खर्चा आता है और जो राशि ऐसे कार्यों के लिए लगाई जा रही है उसका सालाना ब्याज ही करीब चार से पांच करोड़ रुपया प्रतिवर्ष होता है। इस नहर के निर्माण में जितना ही विलम्ब होता है उतना ही अधिक हमारी राज्य सरकार पर आर्थिक भार बढ़ता है और प्रतिवर्ष इससे जो रिटर्न आना चाहिए वह आने में विलम्ब होता है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस राजस्थान नहर का कार्य जितना जल्दी सम्पूर्ण किया जाय उतना ही हमारे राज्य के हित में होगा, हमारे हक में होगा।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां लिफ्ट कैनाल के कार्य चल रहे हैं। मेरे क्षेत्र में, उसको अक्टूबर 1972 तक पूरा करना चाहिए था, इसके बारे में भारत सरकार द्वारा पार्लियामेंट में भी कई बार कहा गया है लेकिन वह पानी अक्टूबर 72 तक देंगे लेकिन मुझे भय है कि जिस गति से चल रहा है उसमें अभी भी दो तीन साल और लग सकते हैं, इसमें दो तीन साल का समय और लगेगा और इससे हमारी योजना से जो लाभ उस क्षेत्र की जनता को मिलना चाहिए, उसमें विलम्ब होता जा रहा है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, लो लेवल ब्रांच और नोहर की ब्रांच से इस प्रकार का ख्याल था कि यहां से बिजली का उत्पादन किया जाएगा लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जब हम सस्ती बिजली इन दोनों नहरों से पैदा कर सकते हैं लेकिन इस योजना को भी पता नहीं क्यों स्थगित किया जा रहा है।

(श्री भीमसेन चौधरी)

इसके अलावा हमारे जो नहर के वाटर कोर्सेज हैं, डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है, उसको पक्का करने की आवश्यकता है। इससे हमारा जो उत्पादन होगा वह करीब थर्टी परसेंट हमारा प्रोडक्शन इससे बढ़ जाएगा। अभी जो वाटर कोर्सेज हैं वे कच्चे हैं और उनसे जो वाटर डिस्ट्रिब्यूशन होता है उससे 30 परसेंट पानी का नुकसान होता है और इसलिए अगर पानी के स्रोतों को पक्का किया जाता है तो इससे जिस एरिया में आवपाशी होगी उससे करीब तीस परसेंट पैदावार का लाभ पहुंचेगा। इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान नहर का निर्माण करने जा रहे है लेकिन यह राजस्थान नहर राजस्थान के जिस एरिया में जाएगी उसके विकास के बारे में अभी तक हमारा ध्यान नहीं दिया गया। उस इलाके में जहां पानी जाएगा, जमीन जिस पर सिंचाई होगी, उसमें जहां-जहां ऊंची जमीन है उसको समतल करने का कार्य है और इसके अलावा वहां पर जो टीले हैं उन टीलों को लेवलाईज करने का काम है, यह दोनो काम हैं जिनकी ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है और सरकार इस दिशा में सोई हुई है। मैं चाहता हूं कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में फण्ड्स का एलोकेशन चार छः महीने में होने वाला है, राजस्थान सरकार अभी से उस ओर जागरूक नहीं रहेगी तो हम इस क्षेत्र का विकास जो करना चाहते हैं, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो धन उपलब्ध कराना चाहते हैं, वह नहीं हो सकेगा, और हमें फिर अगले पांच वर्षों की इन्तजार करनी पड़ेगी। राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में जागरूकता बर्तने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस क्षेत्र में जो टीले हैं, जमीन को समतल करने का कार्य है, यह बहुत बड़ा काम है और इस काम के बारे में हमने योजना नहीं बनाई है तो ऐसा अन्दाजा लगाया है कि हमें इस काम को करने में करीब तीस से पचास करोड़ का खर्चा आएगा। लेकिन अगर यह तीस से पचास करोड़ का खर्चा हम कर सकेंगे तो इससे प्रतिवर्ष 70 करोड़ का उत्पादन हमें मिल सकेगा। इसलिए सरकार को इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उपनिवेशन विभाग के बारे में भी कुछ निवेदन करना है। उपनिवेशन विभाग बीकानेर में कार्य कर रहा है और पोंग डेम के जो विस्थापित लोग है उनको बसाने के लिए काम हो रहा है। इसके बारे में हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। प्रारम्भ में जो विस्थापितों की संख्या हिमाचल सरकार की तरफ से दी गई थी वह केवल 9 हजार के करीब थी लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, विस्थापितों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। आज 9 हजार व्यक्तियों की जगह, अब मुझे बताया गया है कि वह संख्या करीब 32 हजार हो जाएगी। इसके अलावा वहां पर ऐसे विस्थापित हैं जिनकी आधा एकड़, एक एकड़ भूमि उस बांध में आ रही है। ऐसे विस्थापितों को हमारी सरकार की ओर से भाखरा की कमाण्ड से भी बहुत ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है और मुआवजा देने के बाद भी ऐसे लोगों को हिमाचल प्रदेश की सरकार ऐसा प्रयत्न कर रही है कि ऐसे

(श्री भीमसेन चौधरी)
लोगों को राजस्थान नहर क्षेत्र में कम से कम एक-एक मुरब्बा भूमि दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो वास्तव में विस्थापित हो रहे हैं और जिनकी आजीविका पौंग डेम की जमीन पर निर्भर करती है तो ऐसे लोगों को जमीन देना जरूरी है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो दूसरा धन्धा करते हैं। ऐसे लोगों को जमीन देना और हमारे उस क्षेत्र के लोगों को जमीन से महरुम करना होगा। हमारे राजस्थान नहर में भूमिहीनों की समस्या इतनी विकट है कि हमारे यहां पर जमीन देने को उपलब्ध नहीं है और अगर बाहर के लोगों को जमीन दी गई तो हमारे यहां के लोगों को वंचित रहना होगा और एक अजीब स्थिति पैदा हो सकती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि विस्थापितों को बसाने के लिए मुआवजा देने के लिए जो बात है, वह सरकार ने कुछ रेट तय की है और मार्केट रेट कुछ और कर दी है। इस तरह से मुआवजे की राशि बढ़ रही है और साथ ही साथ विस्थापितों की संख्या भी बढ़ती आ रही है। सरकार को इस विषय की ओर जागरुकता बरतने की आवश्यकता है और हमारे इलाके के लोगों को जमीन अधिक से अधिक मिल सके इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में भी काफी भूमि उपलब्ध है और हमारी सरकार को यह कहना चाहिये कि ऐसे लोगों को बसाने का जो काम है वह वहीं पर करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में जो लिफ्ट कैनाल आ रही है, उसमें कुछ गांवों की सौ सौ बीघा जमीन आयेगी। कुछ की दो सौ बीघा जमीन आयेगी। इस क्षेत्र को उपनिवेशन विभाग में शामिल करने से मेरे क्षेत्र के किसानों को कठिनाई आ रही है। इसलिए जितनी जमीन सिंचाई में आने की सम्भावना हो उससे दस, बीस परसेन्ट रख कर बाकी को उससे जुदा करने की आवश्यकता है जिससे काश्तकारों को राहत मिल सके वरना काश्तकारों को बड़ी परेशानी होती है। उपनिवेशन के कानून कायदे लागू होने से हमारे जो गांव हैं, वहां के काश्तकार अभी तक पशुपालक ही रहे हैं लेकिन अभी वहां पर जो उपनिवेशन विभाग द्वारा अलाटमेंट किया गया है, वह दूसरों को किया गया है। वहां के लोगों को जमीन के आवंटन में पहले हक मिलना चाहिये था लेकिन 17 से 21 जो चक हैं उन चकों में बाहर के लोगों को जमीन दी गई है जबकि उनका कोई हक नहीं था और इसके अन्दर ऐसा मालूम होता है कि कुछ पक्षपात किया गया है। वहां के रहने वाले लोगों को नियमों के मुताबिक जमीन न देकर उनको उनके हकों से महरूम रखा गया है। यह कुछ सुझाव थे जिनके सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आज सिंचाई की वृहद् योजनाओं, मध्यम योजनाओं और छोटी योजनाओं पर विचार हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैंने कुछ कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। सिंचाई की जो अवस्था है और जो राशि गत चार योजनाओं में हम व्यय करते रहे हैं, सबसे पहले मैं उसका

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
निरीक्षण सदन के माननीय सदस्यों को कराना चाहूंगा।

पहली प्लान के अन्दर 7.54 करोड़ रुपया सिंचाई योजनाओं के लिए रखा गया था। पहली योजना में इस सारी राशि का हम उपयोग नहीं कर सके हैं और इसमें से दो करोड़ रुपये की राशि लेप्स हो गई और सिर्फ 5.34 करोड़ की राशि का ही उपयोग कर पाये। दूसरे प्लान के अन्दर 28.30 करोड़ की राशि रखी गई थी जिस राशि का भी उपयोग नहीं हो पाया है। मीडियम प्रोजेक्ट्स पर 21.36 करोड़ की राशि रखी गई थी। उसका भी उपयोग नहीं कर पाये। हमारी तीसरी प्लान में यह राशि घटकर 19.12 करोड़ ही रह गई और चौथी प्लान तो एक दिवालिया प्लान है तब तो राज्य की छाती पर कर्जे का बोझ बैठ गया था और उसकी स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी।

69-70 में 374 लाख, 70-71 में 817 लाख, 71-72 में 626 लाख, 72-73 में 358 लाख का प्रावधान किया गया था। इस सारी स्थिति को देखने से सिंचाई के प्रति सरकार की जो सजगता है, यह जो स्थिति है, वह सबसे बड़ा खेद का विषय है। विश्व की महानतम योजना जिसे 'राजस्थान नहर' कहते हैं और जो सारे देश की दरिद्रता को दूर कर सकती है, अगर अकेले इस योजना का निर्माण हो जाये तो 70 लाख टन अनाज हम पैदा कर सकते हैं और सारे देश के अन्दर हरित क्रान्ति से भी बड़ी क्रान्ति पैदा कर सकते हैं लेकिन इस योजना के प्रति जो सरकार का दुर्लक्ष्य रहता चला आया है, उससे स्पष्ट हो जायेगा कि 71-72 के अन्दर साढ़े नौ करोड़ का प्रावधान रखा था, उसमें से 6 करोड़ बजट के अन्दर रखा था और तीन करोड़ कुछ लाख हमें भारत सरकार से प्राप्त हुआ था। तो अब आप गौर फरमाईये कि ये जो 9 करोड़ 30 लाख का प्रावधान रखा गया था उसमें से किस प्रकार व्यय किया गया है। इसमें ढाई करोड़ हमारे एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है। 58 परसेन्ट हमने सीमेंट के लिये एडवान्स दे दिया और एक बोरा सीमेन्ट भी आज तक प्राप्त नहीं हुआ। यानि 64 लाख रुपया तो यह एडवान्स के रूप में दे दिया और कोल के लिये 36 लाख रुपया दे दिया। आज तक कोयले की एक गाड़ी भी प्राप्त नहीं हुई है और राजस्थान नहर के जो भट्टे हैं वे बन्द पड़े हैं। जो एडवान्स आर. एस. ई. बी. को दिया गया वह एक करोड़ रुपया है। इस प्रकार इस सारी राशि में से साढ़े चार करोड़ के एडवान्सेज दिये गये हैं और बाकी का खर्च किया है साढ़े चार करोड़ रुपया और इस साढ़े चार करोड़ रुपये से, उपाध्यक्ष महोदय, केवल 1.8 माइल लाइन निकली है। इससे राजस्थान केनाल के कन्स्ट्रक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई अर्थ वर्क नहीं हुआ केवल राजस्थान केनाल की लाईनिंग ही हुई है। पिछले दस सालों में लाईनिंग का एवरेज निकालें तो किसी वर्ष में भी दस मील से ज्यादा यह एवरेज नहीं आता है। इस योजना को हमने समय समय पर उल्टा है, पल्टा है। पहले कंवरसेन ने यह योजना प्रस्तुत की थी, उस समय यह 66 करोड़ की रूपरेखा की बनाई गई थी और उसमें 75 परसेन्ट इन्टेन्सीटी रखने की बात तय की

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

थी। उसमें नेवीगेशन की भी बात है। फिर योजना का आकार बढ़ा और यह इरादा किया गया कि इन्टेन्सिटी को अधिक बढ़ावें। यहां तक योजना कागजों में चलती रही। कम्पलीट लाईनिंग करके इन्टेन्सिटी 110 तक रखी गई और उसमें 28 लाख एकड़ सिंचित क्षेत्र तय किया गया। यह सारा तय करने के बाद आज जो स्थिति है, वह योजना इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाती है। यह जहाजरानी की योजना है। इस पर सैंकड़ों बन्दरगाह बनने वाले हैं। एशिया की कई योजनाओं का मैंने अध्ययन किया है। इजराइल, जोर्डन, की योजनाएं, मिसीसिपी की योजनाओं को लीजिये, इनका मैंने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूँ कि इन प्रोजेक्टस के बाद भी विश्व में यह एक ऐसी योजना है जो सब से कम पैसा खर्च कर के, सब से ज्यादा इन्टेन्सिटी इससे क्रियेट हो सकती है। यह एक ऐसी योजना है जिसको पूरा होते देख कर संसार आश्चर्य चकित हो सकता है। इस योजना की ओर बढ़ा कदम सोशलिज्म की तरफ बढ़ा हुआ हमारा कदम हो सकता है। तो यह सारी स्थिति इस योजना से सम्बन्धित है।

अब यह अर्ज करना चाहूंगा कि गंगानगर के अन्दर एक किसान आन्दोलन हुआ और वह केवल दो समस्याओं को लेकर हुआ एक उसमें धरती की समस्या थी और दूसरी पानी की समस्या। बीस हजार किसान जेल गये। राजस्थान की सारी जेलें किसानों से भर गईं और उनको मध्य प्रदेश भेजा गया। कलक्टर गंगानगर ने लिखा 'कि सिंचाई विभाग में करप्शन है और नहरों के प्रति राज्य सरकार के कर्मचारियों की दुर्लक्षपूर्ण स्थिति है और नहरों का रनिंग जिस तरह से डिफेक्टिव है वह ही इस आन्दोलन के अन्दर, बुनियादी का सब से बड़ा कारण था। और उसकी रिपोर्ट के बाद कलेक्टर का वहां ट्रान्सफर कर दिया गया।

उस आन्दोलन के कारण तीन कमेटियों का गठन हुआ। एक हाई पावर कमेटी जो कि भूमि सम्बन्धी जांच के लिए थी। दूसरी कानून बनाने के सम्बन्ध में और तीसरी वह मोतीराम कमेटी जो कि वन मैन कमेटी थी और वन मैन का कमेटी का क्रियेशन किया उसने अपनी रिपोर्ट समय के अन्दर अन्दर प्रस्तुत कर दी, लेकिन आज तक मोतीराम कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं उसके किसी भी अंग का आज भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है. और न ऐसा मालूम होता है कि सरकार कोई एक्शन लेना चाहती है। गंगानगर के इरिगेशन के आफिसर्स ने पौने तीन करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाकर मोतीराम कमेटी की अलग अलग सिफारिशों को लागू करने के लिए भेजा, लेकिन इस बजट में कोई नजर नहीं आता है कि उसमें से किसी बात की स्वीकृति हुई या सरकार की तरफ से कोई तैयारी है कि मोतीराम कमेटी की सिफारिश को लागू करने के लिए उस पैसे को मन्जूर किया जाय और उन कार्यों को आरम्भ किया जाय।

सबसे पहले गंग कैनाल की स्थिति को ले लीजिये, उपाध्यक्ष महोदय। जिस प्रकार मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट ने गंग कैनाल की स्थिति रखी है। सन् 1920 से 26 के बीच में गंग कैनाल का निर्माण हुआ था। कोई मशीनरी नहीं थी, रोड्स नहीं थी।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

सारे का सारा मैशनरी का सामान मनुष्य अपने कन्धों के ऊपर लाया। आज तो राजस्थान कैनाल बनाने के लिए हमारे पास बढ़िया से बढ़िया मशीनरी है। राज्य सरकार ने 71 लाख की मशीनरी खरीदी और 5 लाख की मशीनरी भी काम में नहीं आई, और बाकी सारी की सारी 70.50 लाख वर्क हाउस में चली जा रही है। यह बात दूसरी है, लेकिन मशीनरी है। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय एक प्लानिंग था। सबसे पहले इन्होंने रेलवे लाइन बनाई। उसके बाद में रोड्स ली, उसके बाद में मण्डियों में प्लाट्स बेचे और गंग कैनाल की इकोनामी को सैल्फ जेनेरेटिंग बनाने की कोशिश की। मण्डियों के प्लाट्स का आक्शन किया। अकेले गंगानगर में प्लाट्स के आक्शन से 80 लाख गंग कैनाल को प्राप्त हुए और 28 लाख का कर्ज लेकर 3।। करोड़ 3 लाख और कुछ महीने में बीकानेर की रियासत ने वहां पर लगाये। आज, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में जितना हमारा कन्सर्न था वह यह था कि आज एक बहुत बड़ी बात यह थी कि किस तरह से ट्रेनें चालू करना चाहिए थी ताकि सारा मेटेरियल वे लोड करतीं, किसी प्रकार से मण्डियों के प्लाट्स काटने चाहए थे। किस तरह से प्लाट काटे हैं कि वे सारे के सारे प्लाट्स अस्त-व्यस्त कर दिये। सन् 26 के अन्दर एक कैनाल सैल्फ जेनेरेटिंग इकोनामी क्रियेट कर सकती है। वहीं से आमदनी, वहां दूसरे टैक्सेज, वहां से रेवेन्यू, वहीं से वाटर रेट और फिर उसी योजना के फर्दर एक्स्टेन्शन के लिये लगा सकते हैं, तो आज हम यह सब क्यों नहीं कर सकते? आज भाखरा मंडी के संबंध में जो पालिसी बनाई है तो आज भाखरा क्षेत्र की 23 की 26 मंडियां बेकार पड़ी हैं। थोड़ी सी सड़कें बन गई हैं। ऐसी इम्पासिबल शर्तें रखी हैं कि मिडिल क्लास का आदमी या गरीब आदमी प्लाट नहीं ले सकता। जब आक्शन से प्लाट देंगे तो बड़े लोग ही ले सकते हैं। इसकी उनको चिन्ता नहीं है कि एक सैल्फ जेनेरेटिंग इकोनोमी क्रियेट की जाय।

और गंग कैनाल की यह स्थिति है कि 2720 क्यूसेक्स इसकी केपेसिटी हैं, लेकिन जो अलग से कवरसेन ने 470 क्यूसेक्स, आई एम सारी मौतीराम कमेटी ने, रबी की क्राप्स के लिये एक्स्ट्रा रिकमण्ड किये और डेटा के आधार पर दिये हैं, लेकिन गंग कैनाल में 2300 क्यूसेक्स से ज्यादा पानी अपने अन्दर नहीं ले सकती है और इसलिये नहीं ले सकती है कि जगह जगह पर वह वियर आउट हो गई है, जगह जगह से गिर गई है, टूट गई है। आखिर 45 साल पुरानी नहर है और इन सारे सालों के बजट में बताइये कि गंग कैनाल को मेन कैनाल के रिपेयर्स के नाम पर कितना पैसा खर्च किया गया है। जगह जगह कैनाल के अन्दर वाटर लाग्स क्रियेट हो गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1923 के अन्दर जब एन्डरसन एवार्ड हुआ तब 2144 क्यूसेक्स इस गंग कैनाल को ऐवेलेबल हुआ और यू. पी. के चीफ इन्जीनियर एन्डरसन इस काम के लिए तंग किये गये और उन्होंने पंजाब, भावलपुर और उस वक्त की बीकानेर स्टेट से शेयर्स तय किये गये और उस वक्त के शेयर्स के अन्दर जहां पर पंजाब को 21222, भावलपुर को 13040 और बीकानेर को

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

2730 का एवार्ड उनको प्राप्त हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी तय हुआ कि जो रावी के वाटर्स का 16 पर्सेंट 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मिलेगा और 21 पर्सेन्ट ब्यास के वाटर्स का हमें मिलेगा रोपड़ से इसी प्रकार से नीचे के सतलज के जितने भी वाटर्स हैं वह हमारे हक के वाटर्स थे, लेकिन 47 के बाद उपाध्यक्ष महोदय, यह आंकड़े मौजूद हैं और इस सरकार की सजगता बताता हूं। 46 तक बीकानेर राज्य था उस वक्त तो सतलज वाटर एवेलेबल नहीं थे लेकिन दूसरे वाटर थे जो एवेलेबल होंगे और जिसके कारण यह नहर चलती रही। यह मोतीरामजी ने कहा है और स्थिति यह रही कि 4, 4ll, लाख 38-39 में 5-4, 4-8, 4-7, 3-8, 5-2, 4-9, 5-2 फिर 5-5 इस प्रकार से खरीफ और रबी का दोनों का टोटल रेग्युलेट होता रहा। लेकिन इन्डो-पाक ट्रीटी के बाद में यह स्थिति इतनी गम्भीर हो गई कि यह टोटल वाटर्स स्टाप्ड हो गये। सन् 1948-49 से लेकर अगर आप 60 की स्थिति देखें तो इतनी गम्भीर स्थिति हो गई 60 के अन्दर और उसके बाद 61-62 से आज तक की स्थिति का देखें तो गंग कैनाल की स्थिति वही हो गई जो प्रि-एण्डरसन एवार्ड की स्थिति थी। यह सारे के सारे आंकड़े मौजूद हैं। विशेष तौर से रबी की क्राप को बहुत बड़ी चोट पहुंची और रबी की क्राप उस हालत को पहुंच गई जो कि प्रि-एण्डर्सन एवार्ड में थी। इसलिये कंवरसेन (मोतीराम) ने यह रिकमण्ड किया कि 470 क्यूसेक्स पानी तो कैनाल को दिया जाय। और जो अब नई हालत पैदा हुई है 60 के बाद और जिस प्रकार से नये वाटर्स क्रियेट हुए हैं जिनको उन सारी बातों का इसमें डिटेल में बताया गया है। पंजाब और बीकानेर को काफी नये वाटर्स मिले हैं, किन्तु सन् 60 की पोजीशन के बाद डिसचार्ज आफ रावी फीडर 5000 क्यूसेक्स वाटर की स्थिति क्रियेट हुई। रावी वाटर्स का प्रि-पार्टीशन युटिलाइजेशन इन इंडिया 1000 क्यूसेक्स वाटर और क्रियेट हो गया एप्रोक्सीमेट ग्रेन आफ सतलज वाटर्स बिटविन रोपड़ एण्ड हुसैनीवाला 200 क्यूसेक्स क्रियेट हुआ है। इस प्रकार से 2900 क्यूसेक्स वाटर क्रियेट हुए हैं। 1050 क्यूसेक्स पानी है, यानी सारे इंडिया में पंजाब में अगर 52-60 पर्सेन्ट है तो 2730 क्यूसेक्स पानी एवेलेबल है जिसमें 470 क्यूसेक्स पानी बड़े आराम से गंग कैनाल को दिया जा सकता है और इस पानी के एवेलेबल होने के अन्दर कोई दिक्कत नहीं आ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, भाखरा की नहर के संबंध में भी कुछ कहना चाहूंगा। भाखरा की दो नहरों की तो स्थिति बिलेकुल हैं—एक तो जैसोना डिस्ट्रीब्यूट्री और दूसरी अमरसिंह डिस्ट्रीब्यूट्री और बाकी नहरों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। सारी की सारी नहरों के, हमारा यह दुर्भाग्य है कि, हम टेल पर आते हैं, अगर गंग कैनाल है उसमें तो हम टेल पर आते हैं, अगर भाखरा सिस्टम है तो हम टेल पर आते हैं। अगर राजस्थान कैनाल सिस्टम हैं तो हम टेल पर आते हैं। जितनी की जितनी भाखरा की कैनाल्स आती हैं तो 5-2 पर लेते हैं तो वह सारी की सारी हरियाणा में है और हमारा दुर्भाग्य है कि

Page No 105

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

पंजाब और हरियाणा के लोग हमेशा से कैनाल माइन्डेड है। मैं नहीं समझ पाता कि हमारे मन्त्री आज तक क्या कर रहे हैं? हमारी नहर काट ली जाती है और पानी ले लेते हैं भाखरा का हमारा छोटा सा लिंक हरियाणे में है लेकिन उसमें हरियाणा 10 परसेन्ट पानी काट लेता है। कैनाल भाखरा बोर्ड में गई। उसके हाथ में बोर्ड है और भाखरा बोर्ड 10 परसेन्ट पानी काट ले। आज किसी भी कैलकूलेशन के हिसाब से 10 परसेन्ट लास किसी भी कैनाल में नहीं हो सकता है। आप बराबर देखिये। जैसाना को ले लें, अमरसिंह की हालत तो यह है कि काजल हैड से निकलती है और हर तीसरे और चौथे दिन कटी रहती है। मैं इरिगेशन मिनिस्टर को चैलेन्ज करके कहता हूं कि आप देखें कि अमरसिंह ब्रान्च पर जो कि हरियाणे से होकर निकलती है तो उसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने 50 मोघे लगा रखे हैं और अमर सिंह ब्रान्च से उनको ले गये हैं, और सारी की सारी स्थिति यह है।

भाखरा के अन्दर पहले तो आपका प्लानिंग है कि पहले तो आपने भाखरा के अन्दर 920000 कलचरेबल लैण्ड का कमाण्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया, और उसके मुताबिक आपने वहां पर जमीन एक्वायर कर ली। उसके मुताबिक एरिया कमाण्ड कर लिया, मोगे लगा दिये गये, लैण्ड एक्वायर कर ली गई और करोड़ों रुपये खर्च कर दिये गये और उसके बाद अकाल में 37 हजार एकड़ भाखरा में अनकमाण्ड डिक्लेयर कर दिया। सुखाड़ियाजी की सरकार ने आदेश दे दिया कि उन पर तावान नहीं लगना चाहिए। लेकिन आज उन्हीं लोगों पर हजारों रुपयों के तावान के नोटिस जारी किये जा रहे हैं। उनको नोटिस दिये जा रहे हैं। हजारों रुपयों के तावान के नोटिस मिले हैं। पटवारी ने उनको बेदखल कर दिया। हजारों रुपया किसानों पर बना लिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, इस सारी स्थिति के बारे में मोतीराम कमेटी ने एक लाख एकड़ का भाखरा, गंग केनाल और सूरतगढ़ का प्रोग्राम रखा हैं। उन्होंने मोटेतौर पर योजना रखी है। उन्होंने 66 क्यूसेक पानी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने अन्य स्थानों पर 235 क्यूसेक और 71 क्यूसेक पानी इन्क्रीज करने की बात की है उसकी मौजूदा कैपिसिटी से। इसी प्रकार से जसाना में 106 क्यूसेक पानी इन्क्रीज करने के लिये बात की है। यह एक लाख 80 हजार एरिया आता है। वह इसी प्रकार का आता है। यह गंग कैनाल का 77 हजार एकड़ है, जो सारा का सारा सींच दिया जाये। इसी प्रकार घग्घर कैनाल को राजस्थान नहर से निकालते हैं। इसी प्रकार पीलीबंगा में जहां से यह गुजरती है,

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

वह क्षेत्र कुल मिलाकर 1 लाख 80 हजार का है। तीन प्रकार की इण्टेनसिटी है, राजस्थान नहर, 5.8, भाखरा 2.75, गंगकैनाल 2.75, भाखड़ा में 62 प्रतिशत आंकड़े भी पानी के बढ़े। राजस्थान केनाल इण्टेनसिटी 110, गंगकैनाल में 80 पहुंच गई है। प्रश्न यह था कि

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

इस की मुख्य दिशा होनी चाहिये। एक कामन इण्टेनसिटी होनी चाहिये। आपका लाजिक यह है कि वाटर फ्लोरिश को राजस्थान में कामन करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मोतीराम ने कहा है कि यह डिस्क्रिमिनिटी होगी। एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे क्षेत्र में। वहां 158 हजार एकड़ रकबा ऐसा है जो कि कमाण्ड है। पानी लगता है। लेकिन वह नहरी कागजों में अनकमाण्ड है। एक आदमी सुबह उठता है, जो कि 40 साल से लगातार पानी लगा रहा है। लेकिन उसको नोटिस मिलता है कि तुम्हारी जमीन अनकमाण्ड है। मोतीराम ने यह रकबा रखा है। खेद की बात यह है कि रैवेन्यू रिकार्ड और इर्रीगेशन विभाग में कोई तालमेल नहीं है। इर्रीगेशन में पुलिस डिपार्टमेण्ट में कोई भी तालमेल नहीं है। सिविल डिफेंस की मीटिंग हो रही थी, उसमें ऐसी पचासों फाइलें रखी गई जिनमें केसेज में ओवर सीयर और गवाह होस्टाइल हैं। दिन दहाड़े वहां लोग जो चाहे वह करते हैं। जब चाहते हैं पानी खोल लेते हैं। मोतीराम कमेटी ने यह माना है कि अपर और लोअर में काफी फर्क है। चौधरी मनफूलसिंह ने 2000 एकड़ का पानी ले लिया। चौ. मनफूलसिंह ने अपनी बुआ के बेटे के नाम पर भी लिया। राज्य सरकार में यह सवाल उठा है। घग्घर माइनर है, 37 हजार रुपया सालाना चौ. मनफूलसिंह ने लाभ लिया है। एक करोड़ 6 लाख की तो आपने पाइप लाइन डाल दी है। तो फिर यह घग्घर इस तरीके से क्यों चल रही है? वहां रहने वाले 50 गांव थे जो चाहते हैं कि पानी की सिंचाई होती रहे। उपाध्यक्ष महोदय, ये समस्यायें हैं, सबसे पहली बात यह है कि आप के और रेवेन्यू रिकार्ड में तालमेल होना चाहिए। पुलिस का आपको कोआपरेशन होना चाहिये। मैंने इस बात को बराबर कहा है। तीनों विभागों की मीटिंग बुलाइये। वहां तो हालत यह है कि अगर चालान पुलिस में जाये तो पुलिस खा जाये। एस.डी.ओ. के पास जाये तो एस.डी.ओ. पैसा खा जाये। एस. डी. ओ. और पुलिस में तनातनी हो जाये। वह कह दें, उन्होंने खाया उनके पास ही चले जाओ। विभागों में आपस में कोई तालमेल नहीं है। गंगानगर में नहरें मंत्रियों के इशारे पर चलती रही हैं। सरदार पृथ्वीसिंह नहर में दो दो महीने तक पानी का अभाव रहा है। कुलदीपसिंह नहर चलती रही हैं। साइण्टीफिक नहीं हैं। आज तो वैज्ञानिक युग रोटेशन है। आप तो प्रेक्टिकल आदमी हैं। सात रोज तक सूखीवारी, गीलीवारी चलती है और सात दिन की सूखीवारी गीलीवारी के बाद में आठवें नवें दिन नहर चलती है। इस प्रकार रोटेशन पानी का होता है। आपके यहां पर जो एक्स.ई.एन. होते हैं वह खातेदारवारी करते हैं। मेरा निवेदन है कि सारे गांवों में सूखी गीली–वारी होते हैं तो सारे गांवों में सूखी गीली वारी होने के कारण पानी नहीं लगने के कारण लोग परेशान होते हैं और एक्स.ई.एन. के दरवाजे के चक्कर काटते फिरते हैं एक गांव में सौ में से अस्सी नब्बे के खेतों में सूखी गीलीवारी कर दी और बाकी के बीस तीस में खातेदारवारी कर दी। इस तरह की सारी स्थिति बना रखी है लेकिन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कोई भी सुनने को तैयार नहीं हैं। एक आदमी ने, एक सिंगल आदमी ने, कोई दरख्वास्त दे दी तो वह जिस किस्म की वारी चाहे वह बना दें, और दूसरी तरफ सब बाकी के लोग परेशान हों। मेरा निवेदन है कि आपको कोई सिद्धान्त बनाना चाहिये, कुछ मान्यतायें तय करनी चाहिए। आप कम से कम पैरेनियल एरिया में, जहां पानी बारह महीने लगता है, कोई ऐसा कानून बनायें और कानून बनाकर सूखी गीलीवारी की नीति तय कीजिये और उसका रोटेशन कीजिये (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, इर्रीगेशन एण्ड ड्रेनेज एक्ट है वह सड़ा-हुआ एक्ट है। आप ट्रेडिशन्स पर चलते हैं, आज के युग में 1954 का इर्रीगेशन एण्ड ड्रेनेज एक्ट बदलिये। आपका एक कार्मशियल डिपार्टमेंट है, इस कारण से पानी की चोरी हो, नाली लगाने का आफेन्स है वह वेलेवल आफेन्स है, कम्पाउन्डेबल आफेन्स है। किसी ने नहर काट ली तो नीचे के बीस गांव प्यासे मर जायेंगे, उन गांवों की फसल बरबाद हो जायेगी, लेकिन यह भी वेलेबल आफेन्स है। मेरा निवेदन है, यह पुराना, सड़ा, गला इर्रीगेशन एण्ड ड्रेनेज एक्ट है, इसको आप बदलिये। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी.के. चौधरी।

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो कट मोशन है वह खास करके सरकार का ध्यान जयपुर डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई के काम हैं उनकी तरफ आकर्षित करने के लिए है। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में फर्स्ट फाइव ईयर प्लान शुरू होने के पहले 103 तालाब और बांधों से सिंचाई हुआ करती थी और उनसे 59 हजार एकड़ में सिंचाई हुआ करती थी। तीन प्लान बनने के बाद में भी स्थिति वही है, तीन प्लान बनने के बाद में भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट में 59 हजार एकड़ में सिंचाई होती है। तीन प्लान में सिर्फ छः प्रोजेक्ट आपने लिये हैं। छह प्रोजेक्ट का काम फर्स्ट प्लान, सैकिण्ड प्लान, और थर्ड प्लान में सरकार ने किया है जिससे सिर्फ सात हजार एकड़ की सिंचाई होती है। जो जमुआ रामगढ़ का बांध है, उससे साढ़े सात हजार एकड़ की सिंचाई हुआ करती थी, उससे सिंचाई बंद करके जयपुर शहर को उससे पीने का पानी दिया जाता है, उससे साढे सात हजार एकड़ में सिंचाई के लिए पानी देना बन्द हुआ और उसके बाद में छः प्राजेक्ट आपने तीन प्लान में तैयार किये उनसे सात हजार एकड़ में सिंचाई के लिए पानी देना शुरू किया इसका मतलब यह हुआ एक प्रथम पंच-वर्षीय योजना के पहले जितनी जमीन की सिंचाई नहर से हुआ करती थी, आज भी जाकर उतनी ही जमीन की सिंचाई नहर से हुआ करती थी, आज भी जाकर उतनी ही जमीन की सिंचाई होती है। आज तक इर्रिगेशन के मद में हमने खर्च किया है, फर्स्ट, सैकिंड, थर्ड और फोर्थ प्लान में जो खर्च किया है, वह फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में 24 करोड़ रुपया खर्च किया है, सैकिंड फाइव ईयर प्लान में 35 करोड़ रुपया इर्रिगेशन पर खर्च किया है, थर्ड प्लान में बहुत कम किया, यानि 1966 से 69 तक, तीन साल के समय में 42 करोड़ रुपया खर्च किया, 1970-71 में

(श्री पी. के. चौधरी)

बीस करोड़ रुपया खर्च किया और 1971—72 में भी बीस करोड़ का बजट है, जिसमें से अठारह करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इस प्रकार 236 करोड रुपया इर्रीगेशन में खर्च किया है सारे राजस्थान में। इसके मुकाबले में जयपुर जिले में आपने पच्चीस लाख रुपया लगाया है। इस जिले का एरिया है, वह करीब 14 हजार किलो मीटर का एरिया है, लेकिन तीन प्लान में आपने 27 लाख रुपया सिर्फ खर्च किया है। छः प्राजेक्ट यहां हाथ में लिये गये और उन पर तीन प्लान में 27 लाख रुपया खर्च किया और वह तब जब हमने काफी इसके सम्बन्ध में आवाज उठाई, इस विधान सभा में कहा और बाहर भी शोर शराबा किया तो चौथे प्लान के सैकिंड ईयर के अन्दर यानि 1970—71 में जाकर पांचूडोला, चन्दराना, बारया, श्यामपुरा-फोर्थ फाइव ईयर प्लान में इर्रिगेशन के यह चार प्लान लिये, उसमें 31 लाख का प्रावधान था, उसमें से आज हम देखते हैं कि इस 31 लाख में से 22 लाख रुपया आज के चालू बजट तक मंजूर हुआ है, उसमें भी सात लाख रुपया इस बात के लिए है कि सैकिण्ड थर्ड प्लान के अन्दर जो वर्क थे, जो प्लान में लिये गये और जो अधूरे रह गये, उनको पूरा करने के लिए है। जो काम हाथ में लिये और अधूरे पड़े उनको पूरा करने के लिये इतना रुपया है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जयपुर जिले के अन्दर इर्रिगेशन के लिए सरकार ने पैसा ही नहीं दिया। इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ, पिछले साल फ्लड आया, उस फ्लड में सैकड़ों तालाब टूट गये, लेकिन एक भी तालाब की रिपेअर नहीं हुई है। नतीजा यह होगा कि इस वर्ष में उन तालाबों में पानी नहीं टिकेगा। इस वजह से जो छोटी मोटी सिचाई हुआ करती थी तालाबों से वह नहीं होगी और जो कुओं का पानी पहले ऊंचे लेवल पर हुआ करता था वह भी नहीं आयेगा। सैकड़ों तालाबों से छोटे मोटे एरिया में सिचाई हुआ करती थी, वह तालाब पंचायत के तालाब, गहरे करने के तालाब के नाम से पंचायत समिति को दे रखे हैं। पंचायत समिति के पास न तालाब की रिपेअर करने की व्यवस्था है और न तालाब को गहरा करने के लिए। तालाबों का सिल्टिंग होता है और तालाब से बाहर पानी जाता है। तालाबों का सिल्टिंग होता है, उसके लिए मेरा सुझाव है कि जयपुर जिले में जितने तालाब हैं, उनको इर्रिगेशन विभाग को देखना चाहिए और उनका डीसिल्टिंग होना चाहिए ताकि इर्रिगेशन की पोटेंसियलिटी है वह बढ़ सके। उसके बाद में दूसरी तरफ ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा मैं इस तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जयपुर जिले में दस पन्द्रह साल में वाटर लेवल छः इंच पर ईअर कम होता जा रहा है। इससे जयपुर जिले के अन्दर पिछले दस पन्द्रह साल में काफी इंच पानी नीचे चला गया। अगर आप तालाबों का डीसिल्टिंग करेंगे तो उससे पानी का ऊंचा लेवल होगा।

दूसरा मेरा निवेदन है कि फ्लड वगैरह का वाटर है वह बाण गंगा वगैरह से आता है और अलवर भरतपुर की तरफ चला जाता है। उस पानी को बांध कर इर्रिगेशन फेसेलिटी बढ़ाई जाय।

(श्री पी. के. चौधरी)

मैं इस तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पच्चीस लाख रुपये जयपुर जिले में खर्च होते हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में जहां तीन प्लान में और फोर्थ प्लान के दो तीन सालों में 250 करोड़ रुपया खर्च किया है, वहां जयपुर जिले में 27 लाख और 22 लाख, यानि 49 लाख रुपया आज तक खर्च किया है जब कि लेजिटिमेटली 5 करोड़ रुपया आबादी के लिहाज से खर्च करना चाहिए था। आपको इतना खर्च करना चाहिए था लेकिन नहीं किया है। हमने बार बार कहा है कि इरिगेशन के बांध बनाने की, नहर बनाने की गुंजाइश यहां नहीं है, लेकिन यहां वाटर का लेवल इतना नजदीक है कि वेल इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन की बहुत गुंजाइश है। हम चाहते हैं कि आप पच्चीस करोड़ नहीं दें तो पांच सात करोड़ देकर लिफ्ट इरिगेशन के लिए जयपुर जिले के कुओं को आप इलेक्ट्रिफाई कर दें। होल जयपुर के अन्दर 1 लाख वैल हैं, उनको इलेक्ट्रिफाई किया जाय, आपने बीस–तीस परसेन्ट किये हैं लेकिन सत्तर अस्सी परसेन्ट अभी बाकी है और जिस गति से यह कर रहे हैं उससे तो बीस साल और चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि तालाबों में डीसिल्टिंग करायें और जो पैसा इरिगेशन में दूसरी जगह खर्च कर रहे हैं, उसको कुओं का इलेक्ट्रिफिकेशन करके इरिगेशन पोटेंसियलिटी बढ़ाई जाय। आपने सारा प्राविजन जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रखा है वह सात करोड़ का है, वह पूरे राजस्थान में लगेगा तो जयपुर के हिस्से में पचास-साठ लाख आयेगा। इस सम्बन्ध में मेरा सजेशन है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी आपको पूरा रुपया नहीं देना पड़ेगा, जो आर.एस. ई. बी. की स्कीम है, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम है, उसको इन्टेन्सिव स्कीम के रूप में आपको लागू करना चाहिए, ताकि सिंचाई की प्राब्लम सोल्व हो सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बार बार सदन में हम कहते हैं, सारी बातें कहते हैं, लेकिन जब तक जोरों से नहीं कहते, डिमान्स्ट्रेशन करके नहीं कहते तब तक कदम नहीं उठाते। हमने डिमान्स्ट्रेशन किया तब जाकर फोर्थ प्लान में पांचूडोला, चन्दराना, बारसा, श्यामपुरा को लिया, अब इनका काम अधूरा पड़ा है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारी वाजिब मांग है, इसकी ओर आप ध्यान दीजिये, लिफ्ट इरिगेशन की तरफ ध्यान दीजिये। आपने ट्यूब वेल्स लगाये हैं, एक को भी काम में नहीं लिया है, जिसमें ढ़ाई सौ एकड़ की सिंचाई की कैपेसिटी है, और सैंकड़ों क्यूसेक पानी सिंचाई के लिए मिल सकता है। तो आपने ट्यूबवेल्स खुदवाने में पैसा लगाया है लेकिन काम में क्यों नहीं लेते ? एक ट्यूबवेल से एक डेढ़ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। तो जयपुर जिले में सिंचाई की समस्या की तरफ सरकार ध्यान देगी। ट्यूबवेल की सिंचाई आपके दूसरे सिंचाई जैसे कि लिफ्ट इरिगेशन से बहुत सस्ती पड़ेगी। वेल इरिगेशन से रिजल्ट्स भी लेट आते हैं। आज राजस्थान कैनाल से आप लूणकरणसर तक करोड़ों रुपये के खर्च से लिफ्ट इरीगेशन कर रहे हैं। राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बना, उसमें आपके 400 करोड़ रुपये खर्च हुए। वहां पर एक बीघा की सिंचाई पर 8000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपका होगा जबकि जयपुर

(श्री पी. के. चौधरी)
जिले में खाली आप बिजली का कनेक्शन दें तो सरकार की लागत होती है एक ट्यूबवेल पर तीन हजार रुपये। उस तीन हजार रुपये की लागत से कम से कम 20 बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है, जिसका मतलब एक बीघा की सिंचाई के ऊपर आपका खर्चा 200 रुपये से भी कम पड़ा। बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, वे कैपीटल इन्टेन्सिव होते हैं जबकि वेल इर्रीगेशन में आप 3000 रुपये प्रति कुआं खर्च करेंगे तो बीस से पच्चीस बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है और उसके रिटर्न्स भी इमीजेट होते हैं, तीन माह के अन्दर ही आपको रिटर्नस मिलने शुरू हो जायेंगे जबकि राजस्थान कैनाल से रिटर्न मिलने में आपको दस बीस साल वेट करना पड़ेगा। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि चार पांच करोड़ रुपया तो ब्याज का दे चुके हैं और रिटर्न मिलने में अभी दस बीस साल और लगेंगे। और कुओं से आपको रिटर्न तीन माह में ही मिलने शुरू हो जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि जयपुर जिले की जो उपेक्षा कर रखी है सिंचाई विभाग ने, उसकी तरफ सरकार देखेगी और इन बातों का ध्यान रखते हुए जयपुर जिले की तरफ भी ध्यान देगी। (समय समाप्ति सूचक घंटी)। जयपुर जिले में लिफ्ट इर्रीगेशन की तरफ अधिक से अधिक इलेक्ट्रिसिटी दी जाये।

हमने कई तालाब पंचायत समितियों को सुपुर्द कर रखे हैं, जिनकी रिपेयर नहीं होती और सिल्ट पड़ गया है। सिंचाई विभाग को चाहिये कि उनकी रिपेयर का काम अपने हाथ में ले और उनका डीसिल्टिंग करवाये, ताकि उन तालाबों का रिपेयर का काम अच्छी प्रकार हो सके और वह काम में आ सकें। बरसात के दिनों में हमारे यहां फ्लड्स आ जाते हैं, उसका मुख्य कारण यह ही है कि तालाबों का रिपेयर नहीं हुआ है। यह तालाब पुराने जमाने के बने हुए हैं, उनकी रिपेयर नहीं हुई है और उनके पाल टूट गये हैं। पानी आता है और टूटे हुए पाल के कारण गांवों से पास होता है। इसलिये इर्रीगेशन डिपार्टमेंट को चाहिये कि इन तालाबों की रिपेयर का काम अपने हाथ में लेवे ताकि फ्लड्स भी चेक हो सकें, यह ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विद्यासागर।

श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग ने सारे राजस्थान को सिंचाई की दृष्टि से चार हिस्सों में विभाजित कर रखा है। उसमें उदयपुर जिला तीसरे हिस्से में आता है जिसमें उदयपुर के अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ भी आता है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार ने वहां पर तालाब ही ज्यादातर मैदानी इलाकों में बनवाये हैं। हम लोग उस पिछड़े इलाके से हैं जहां पर कि बहुत ही कम तालाब बनाये गये हैं। मैं [illegible] और से उन तहसीलों का जिक्र करूंगा जिनमें बहुत ही कम तालाब बनाये गये हैं, जैसे खेरवाड़ा, कोटरा, सराड़ा, गोगुंदा। अभी तक राजस्थान सरकार ने इन इलाकों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। तो मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि जो हुआ वह तो हुआ लेकिन आने वाले बरसों में इन आदिवासी तहसीलों की तरफ राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये। जो

(श्री विद्यासागर)

भी तालाब और बांध हैं वह राज्य सरकार ने विशेष परिस्थितियों में, जब कि वहां पर अकाल था, उस समय में निर्माण किये हैं।

अब मैं उन बातों पर आता हूं जिन पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। मेरा पहला कटौती प्रस्ताव खेड़वाड़ा तहसील में झाझरी तालाब की सर्वे कराने के बारे में है। समय समय पर वहां के लोगों ने उसकी सर्वे कराने के बारे में राज्य सरकार से प्रार्थना की है, मगर अभी तक उस तालाब की सर्वे नहीं हुई है। इस तालाब के बनने से झाझरी के लोगों को, जहां कि सारा सूखा इलाका है, बहुत राहत मिलेगी और यह इलाका सरसब्ज बन जायेगा। दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव मलिका हाथिया, नया गांव तहसील खेड़वाड़ा में तालाब के बांध के बारे में है। मैंने और कई लोगों ने इसके बारे में समय समय पर राज्य सरकार को कहा है लेकिन उसकी सर्वे अभी तक नहीं हुई है। मेरा यह निवेदन है कि इस बरस तो इसकी सर्वे हो जानी चाहिये।

तीसरा मेरा कटौती प्रस्ताव मंदर तालाब के नहर पक्की कराने के बारे में है। यह तालाब राज्य सरकार ने बनाया है और इसमें जो नहरें आती हैं वह ज्यादातर कच्ची हैं, इसलिये उनमें सीपेज ज्यादा होता है। जितना पानी आना चाहिये उतना नहीं आ पाता है और उसका मुख्य कारण यह है कि वहां की नहरें कच्ची हैं और सीपेज ज्यादा होता है। अगर वह नहरें पक्की हो जायें तो सीपेज बन्द हो जायेगा वहां के लोगों को राहत मिल जायेगी।

इसके अलावा एक मेरा कटौती प्रस्ताव सोम पिक अप वेयर की तरह भोराई घाटा, तेहसील सराड़ा के बारे में है। इस पिक अप वेयर का निर्माण राज्य सरकार ने किया था और यह खास तौर से उन लोगों को पानी देने के लिये बनाया गया था जो भोराई और भोराई घाटा में रहते हैं। वहां के लोग चोरी का धन्धा करते थे, और राज्य सरकार ने उनसे चोरी छुड़वाने के लिये, पर सेंट्रल और राजस्थान गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी गये और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपको पानी देंगे। लेकिन आज भी वहां के लोग भूखे हैं और वहां पर अकाल की स्थिति है। इसलिये वहां अगर नहरें पक्की होती हैं तो भोराई और भोराई घाटा के लोगों को आराम से पानी मिल पायेगा।

इसके बाद मेरा कटौती प्रस्ताव है सोम बांध निर्माण, कागदर भोराई आदि तक नहर तथा बांध बांधना, इसके बारे में इसका अभी अभी सर्वे हुआ है। यह बहुत बड़ा तालाब है और उसका अगर निर्माण हो जाये तो खेरवाड़ा तहसील के आधे हिस्से को पानी मिल सकता है और डूंगरपुर के कुछ इलाके को भी पानी मिल जायेगा। इससे भोराई और भोराई घाटी के लोगों को भी पानी मिल सकेगा।

आखरी मेरा कटौती प्रस्ताव बीलख तालाब, रषभदेव नदी और तालाब का निर्माण के बारे में है। इससे बीलख और रषभदेव के आसपास की जमीन को पानी मिल सकता है, इसका निर्माण किया जाये तो वहां के आदिवासी लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी।

(श्री विद्यासागर)

उन्हीं विचारों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जेठमल !

(अनुपस्थित)

श्री भीमराज ।

श्री भीमराज (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में सिंचाई की मांगों पर बहस चल रही है। इस संबध में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहला मेरा निवेदन है कि राजस्थान नहर परियोजना का कार्य है वह बहुत ही मन्द गति से चल रहा है। इसे शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिये। आज इस नहर से जितनी सिंचाई होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। दूसरा इस नहर का जो कम्पलीशन होने के टारजेट होते हैं वह पूरे नहीं हो रहे हैं जिससे किसानों को जो राहत मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है। सन् 69–70 में इसका टारजेट जो 124 मील के ऐरिया का था वहां सिर्फ 80 मील तक ही नहर कम्पलीट हो सकी है। इसके अलावा यह सन् 70–71 में सिर्फ 11 मील ही बन सकी और सन् 71–72 में तो यह सिर्फ साढ़े तीन मील ही कम्पलीट हुई। जो नहर सन् 72–73 तक कम्पलीट हो जानी चाहिये थी वह अभी तक पूरी नहीं बन सकी है। निवेदन है कि इसे जल्दी से जल्दी पूरा कराया जावे ताकि किसानों को सिंचाई के लिये पानी मिल सके। आज राजस्थान नहर में कई जगह पानी नहीं दिया जा रहा है, जहां कि यह बन चुकी है। किसानों को पूरा पानी मिलना चाहिये। इसके अलावा जो इस नहर के आस पास या बीच में जमीन आती है वहां पर भी पानी दिया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, अगर जो बीच में जमीन पड़ती है उसका सर्वे करा कर सिंचाई के लिये पानी दिया जाये तो काफी प्रगति होगी। पर आज सरकारी अधिकारी इस बारे में निवेदन करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। मैं आपको गंगानगर जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर नहर से जो पानी दिया जाना चाहिये। उसमें बहुत ही अव्यवस्था है और किसानों को फसल के वक्त पानी नहीं मिलता है। इसके बारे में मेरा निवेदन है कि किसानों को समय पर मिलना चाहिये। आज जो राजस्थान नहर पूरी नहीं हो सकी है जिसे जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाना चाहिये। ताकि गंगानगर के जिले में पानी की कमी नहीं रहे दूसरा मेरा निवेदन है कि जब राजस्थान नहर से पानी बीकानेर तक जायेगा तो गंगानगर जिले की जो नोहर तहसील का क्षेत्र है वहां पर राजस्थान नहर से पानी क्यों नहीं पहुँचाया जाय। मेरा निवेदन है कि अगर उस नहर से नोहर तहसील क्षेत्र में सिंचाई की योजना राजस्थान नहर से निकाली जाय तो करीब 4 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा अगर भाखड़ा की मुख्य नहर से ओट्ट फिडर आर. डी. 22367 ए. एफ. एस. एल. 693 14 को अगर ओवर टेंक करके इस क्षेत्र को पानी दिया जाय तो करीब 7 लाख बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है। इस के निर्माण में ज्यादा खर्चा नहीं होगा क्योंकि इसे हरियाणा से 9–10 मील से लाना पड़ेगा। अगर यह भाखड़ा से नहर इस इलाके

Page No 113

(श्री मोमराज)

से ले ली जाय तो काफी पानी मिल सकता है। यह आर्थिक दृष्टि से भी ठीक है। इस लिये मेरा आपके मारफत मन्त्री महोदय से निवेदन है कि ये योजनायें चालू की जायें। दूसरा मेरा निवेदन लिपट स्कीम के बारे में है कि आर.डी. 09, 71,000 एफ.एस.एल. 632–08 से भी पानी लिया जाय। इसके बारे में मेरा मुख्य निवेदन यही है कि अगर बीकानेर को 150 फिट की लिपट से पानी दें तो फिर 2–30 फीट के लिपट से नोहर तहसील के क्षेत्र को पानी क्यों नहीं दिया जाय। और उसके अन्तर्गत करीब 7 लाख बीघा जमीन जो उसर पड़ी है वह उपयोगी हो सकेगी। इसके अलावा अमरसिंह ब्रांच में नहर का पानी चलता है वह बहुत कम है। उसके पूरा चलाने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिये। आज अमरसिंह ब्रांच में पानी 127 क्यूसेक्स चलना चाहिये वहां पर 93 क्यूसेक्स पानी ही दिया जाता है। इसी प्रकार ससाणा में 105 की बजाय 84 क्यूसेक्स ही पानी दिया जाता है। इसके बारे में मेरा सिंचाई विभाग के मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि वे ऐसे आदेश दें कि पानी पूरा उन्हें मिल सके। इसके अलावा दूसरी बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह हमारे नौहर क्षेत्र से लिन्क की राजस्थान नहर से और भाखड़ा नहर से जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जानी चाहिये ताकी वहां पर जो आज जमीन ऊसर पड़ी है वहां पर सिंचाई हो सके और किसानों को इसका लाभ पहुंचे बस इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगन्न सिंह। अनुपस्थित।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बून्दी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44 के ऊपर कटौती प्रस्तावों पर बहस चल रही है। मैंने भी सिंचाई विभाग पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैं आपसे कोटा डिविजन के बारे में निवेदन करूं जहां पर कि चम्बल से पानी देने की व्यवस्था है वह बहुत कम है। और दूसरी जो व्यवस्था है भी तो वहां पर ड्रेनेज की बहुत भारी समस्या है। वहां पर चम्बल नहर की जो नहरें जाती हैं उसमें ड्रेनेज में बहुत ही भारी सीपेज हो रहा है इसका कारण यह है कि वहां कोटा में जो ड्रेनेज डिविजन था उसे तोड़ दिया गया है। और उसके टूट जाने से जनता के सामने बहुत ही भारी समस्या हो गयी है। आज जहां पानी पहुंचना चाहिये वहां पर नहीं पहुंच रहा है। कई जगह पर मरम्मत नहीं होने से ड्रेनेज टूट गये हैं और जब इसके बारे में जाकर इन्जीनियर्स को कहा जाता है तो विभागीय अधिकारी इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं करता है। आज कोटा डिवीजन के जो इन्जीनियर्स हैं जो वहां पर तीन तीन चार साल से मौजूद हैं वह अपने रवैये को नहीं बदलते हैं। बार बार निवेदन करने पर भी सुनते नहीं हैं। इसका कारण एक सबसे बड़ा है वह यह है कि अब की बार इस इलेक्शन में जो वहां के पुराने नेता थे उन्हें टिकट नहीं मिला और राजनैतिक पटल पर भारी चेन्ज आया इससे जो पुराने मठाधीश थे वे पॉवर में नहीं रहे। और उन्होंने कई प्रकार की गड़बड़ियें की। और तो क्यों इन्होंने जब

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया) ।

मेरा बून्दी का इलेक्शन होने वाला था तो इन इन्जीनियर्स ने अपने पुराने मठाधीश के कहने से हमारे बून्दी के क्षेत्र में नहरों से पानी देना बन्द कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इधर तो बूंदी के क्षेत्र में नहरों से पानी देना बन्द कर दिया उधर वहां इतना भयंकर सीपेज हो रहा था कि हजारों बीघा जमीन सीपेज की वजह से खराब हो रही थी वह आज भी हो रही है पर इसमें अभी तक कोई स्थिति में सुधार नहीं आया। इसके अलावा वहां पर पुराने मठाधीशों ने और उनके पीछे इन्जीनियर्स ने इस प्रकार की खिलाफत की जिससे कि मैं चुनाव में हार जाऊ पहले तो यह प्रचार किया गया कि गलत टिकट दिया गया, दूसरे बाद में कई प्रकार के भ्रामक प्रचार किये गये। और जब हमने पानी देने के लिये कहा तो किसी ने कुछ भी नहीं सुनी। क्योंकि दो इन्जीनियर्स पुराने मठाधीशों के कहने में थे। मैने पहले भी इलेक्शन चार चार देखे हैं और उन इलेक्शन में नेताओं के साथ साथ भी गया हूं। उस वक्त ऐसी स्थिति थी जहां जहां पर उस वक्त ये मठाधीश जाते थे वहां वहां आगे पानी उस क्षेत्र के किसानों के लिये और दिया जाता था। पर इस बार मेरे इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ। पानी बन्द किया गया और इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों को बहुत ही नुकसान हुआ। बार बार गवर्नमेन्ट का ध्यान आकर्षित किया गया पर इन्जीनियर्स लोग इन मठाधीशों की वजह से सुनने के लिये तैयार नहीं हुए। पर फिर भी जनता ने उन मठाधीशों की नहीं सुनी। तो मेरा निवेदन है कि उपाध्यक्ष महोदय आपके मार-फत मन्त्री महोदय से कि किसानों को समय पर पानी मिले ऐसी व्यवस्था की जाय दूसरे जो आज वहां पर ड्रेनेज डिविजन तोड़ दिया गया है उसके लिये व्यवस्था की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर ड्रेनेज डिविजन होना बहुत ही आवश्यक है। आज वहां सीपेज इस तरह से हो रहा है कि जमीन जो काश्त होती थी वह कम होती जा रही है। और इसमे खेतो में भी कमी आती है। आज उस क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं, विकास के कार्यक्रम बहुत ही पिछड़े हुए हैं। इसमें विकास कार्यक्रम होने बहुत ही आवश्यक हैं। इसके अलावा मेरा निवेदन है कि जो सरकार ने 12 लाख रुपये अनुदान के रखे हैं। इससे जो पुरानी नहरें हैं उनकी मेन्टीनेन्स करायी जाय। और इस लिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि जब एक की मरम्मत हो तो दूसरी चालू रखी जाय इस प्रकार एलटरनेटली ठीक की जाय। उनकी मरम्मत होना बहुत आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ड्रेनेज डिविजन वहां वापिस लाया जाय ताकि चम्बल नहर के क्षेत्र में जो ड्रेनेज की वजह से खराबियां हो रही हैं वह ठीक की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जब ड्रेनेज डिवीजन तोड़ा गया था तो हमने कई तार सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को दिये, इसके अलावा आज इस बारे में बार-बार राज्य सरकार को निवेदन किया जा रहा है कि अगर इन नहरों का मेन्टीनेन्स नहीं होगा तो वहां पर सीपेज की वजह से सब बरबाद हो जायेगा। इसके अलावा यह भी सुना गया है कि डिवीजन सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर के नीचे जाने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो, उपाध्यक्ष महोदय, सब कुछ बरबाद हो जायेगा। इस-

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया)
लिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि आज जो व्यवस्था वहां पर सीपेज की वजह से हो रही है कोटा डिवीजन में उसे रोकने की व्यवस्था होनी चाहिये। आज वहां कोटा डिवीजन में क्या स्थिति हो रही है। जगह-जगह नहरों को काटा जाता है, जगह-जगह रास्ते बन्द पड़े हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि पूरी की पूरी सड़कों पर उनके नीचे लेवल पर होने से, उन पर पानी नदियों की तरह फैला हुआ है। खलिहान से किसान अनाज नहीं ला सकता है। बड़े-बड़े इन्जीनियर्स को मौका दिखाया। वे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। इतनी भयंकर स्थिति के बावजूद उन्होंने सलाह दी कि इसको बन्द कर दो।

इसी प्रकार बूंदी जिले में सिंचाई की समस्या तीन भागों में विभक्त की जा सकती है। सबसे पहले चम्बल योजना, उसके बाद माइनर इर्रीगेशन और ट्यूब वेल्स। माइनर इर्रीगेशन का हाल यह है कि वहां भी इसी प्रकार की बातें हैं। माइनर इर्रीगेशन के सिलसिले में जब इन इन्जीनियर्स से कहा जाता तो वे हमेशा पैसे की ही बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गवां, गरड़दा पक्का लाइबा ये जगह ऐसी हैं, पहाड़ों में बसे हुए हैं, वहां छोटे-छोटे बांध हैं, जैसा पहले निवेदन कर चुका हूं कि वहां गरीब जौ मकई के लिये जानवरों की सी जिन्दगी बसर करते हैं, उनको मक्का पैदा करने से महरूम रखा जाता है। स्टेट के जमाने में 200 बांध बांधे गये थे। उनका कोई मेन्टीनेन्स नहीं है। क्यों फन्ड्स नहीं मिलते? क्या सिंचाई विभाग उनके प्रति अपना फर्ज निभा रहा है? रिपेयर्स की बात आती है तो पैसों का रास्ता दिखाते हैं। बरसात का समय आया है। गांव-गांव में नहरों और दूसरी शिकायतें होती हैं। हमसे कहा जाता है कि काम शुरू हो गया, ठेकेदार पहुंच गया, जाकर देखते हैं तो न तो ठेकेदार मिलता है और न कुछ। गांव गरड़दा के लिये कह सकता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से हमें मुगालता दिया जाता है, अफसर लोग हमें मुगालता देते हैं और पुराने इन्जीनियर्स, चाहे एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर हो या सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर हो, वे बजाय इसके कि अपना काम करें नेतागिरी में कदम रखना शुरू करते हैं। बड़े-बड़े नेताओं को बनाया। वे कोशिश यह करते हैं कि हम भी बनायें। इतनी गहराई से इन समस्याओं को लेना चाहिये माइनर इर्रीगेशन पर लोगों की जिन्दगी निर्भर है। अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि कोई काम होना चाहिये कि जिससे हम किसानों को जाकर कह सकें कि तुम्हारी भलाई के लिये यह काम करवाया है। अगर बरसात शुरू हो गई और काम नहीं हुआ तो यह बहुत मुश्किल हो जावेगा क्योंकि पहले जो काम शुरु किया था नींव बांध की बनी थी वह सारी की सारी बरसात में बह जावेगी और, लोगों की जिन्दगी, जो उस पर चलती है वह मुश्किल हो जावेगी।

पलाका के लिये रिपोर्ट दी गयी थी। चीफ इन्जीनियर भी गये थे और आज तक फैसला नहीं हुआ और इन्जीनियर साहब के बल का भी पता नहीं लगा। जनता इलेक्शन के पहले और आज भी मांग कर रही है।

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया)
आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो मठाधीश इन्जीनियर्स हैं जो लोकल जगह पर वर्षों से जमे हुए हैं उनको वहां अधिक समय तक नहीं रखा जाय। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सिंचाई विभाग की मांग पर यह विचार हो रहा है। सिंचाई विभाग का राजस्थान कैनाल वर्क शाप का जिसमें रिपेयरिंग और कुछ पार्ट्स भी बनते हैं उद्घाटन 7 मई, 1971 को किया गया और 6 मई 72 को यानि एक वर्ष में एक दिन पूर्व ही इस विभाग को बन्द कर दिया गया। उस विभाग में जो व्यक्ति काम करते थे और 50 व्यक्ति प्रतिदिन की मजदूरी इससे प्राप्त करते थे। कैनाल वर्क शाप 3.50 हजार की लागत से छतरगढ़ में खोला गया और एक वर्ष में ही बन्द कर दिया गया। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या इस कैनाल वर्क शाप को राजनैतिक आधार पर या इन्जीनियर्स की मनमानी पर आपने बन्द किया? एक वर्ष में ही उस सारे वर्क शाप को बन्द करने की आवश्यकता नहीं थी और उसके बन्द करने से जनता के धन का दुरुपयोग हुआ। जो भी व्यक्ति गाड़ियां और सामान को ठीक कराने के लिए जावेंगे वे मनमाने ढंग से टी. ए. डी. ए. के अलावा चार्ज करेंगे और सारी गाड़ियां बीकानेर में आकर करावेंगे जब कि छतरगढ़ में इस वर्कशाप के बन्द हो जाने से धन का दुरुपयोग भी हुआ। 35 कर्मचारी 6-5-72 से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हरिदेवजी जोशी वहां पर गये थे। माधोसिंहजी हैं, उनसे कहा गया था कि छः महीने से अधिक के नौकर हैं उनको नहीं हटाया जावेगा, इसके बावजूद भी उनको कम किया जा रहा है, चीफ केनाल प्रोजेक्ट से कोई उनकी गाड़ी सामान लेकर जा रही थी, उसका एक ट्रक से एक्सीडेन्ट भी हो गया एक व्यक्ति का, लोगों ने मांग की कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और गाड़ियों का वर्क शोप में रिपेयरिंग नहीं हुआ और जो व्यक्तियों को बेकार कर दिया गया।

दूसरी बनास योजना है। इर्रीगेशन मंत्री महोदय ने 7 मई 1971 को यहां वादा किया था कि बनास योजना का आधा भाग इर्रीगेशन में लेंगे। सारी कार्यवाही कर देने और आश्वासन के बाद भी कि दिसम्बर 71 में डेम बनाने का काम शुरू हो जावेगा, इससे जयपुर, टोंक और अजमेर में सिंचाई होगी लेकिन जो 7 मई 71 का वादा किया था उससे मुकर गये। इससे जयपुर, अजमेर और टोंक में सिंचाई की व्यवस्था हो जाती वह न होकर इस कारण आये दिन जयपुर की कच्ची पक्की बस्तियों में पीने का पानी का अभाव रहता है। यदि यह योजना शुरू हो जाती तो पानी की कमी नहीं रहती।

मैं सिंचाई विभाग से निवेदन करना चाहूंगा कि रामगढ़ का बन्धा जिसके बीच में मिट्टी की दीवार बनी हुई है और जिसका हकदार 1955 तक ही था क्योंकि वहां सिंचाई की लगान की दरें रामगढ़ के बंधे से पानी लिया करते थे उनसे वसूल किया करते थे और लाखों रुपया सिंचाई

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

विभाग ने कमाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर शहर के लिये पीने के पानी के मिलने का एकमात्र स्थान रामगढ़ है और गर्मी के दिनों में पानी नहीं मिलता उस मिट्टी की दीवार के कारण इसलिए लाखों रुपया जिससे आमदनी हुई है उसके सिंचाई की व्यवस्था भी इर्रीगेशन डिपार्टमेंट को करानी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में 1968 में अकाल था और लाखों रुपया सिंचाई विभाग के द्वारा अकाल के नाम पर खर्च हुआ और उसकी रिपोर्ट मीठालाल जो कलेक्टर थे उन्होंने दी और उस सारे काण्ड में रामप्रसाद जो लड्ढा और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता इनवाल्व्ड थे लेकिन वह रिपोर्ट आज तक सदन में पेश नहीं हुई और इसके बाद दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए 3 अधिकारियों की कमेटी बनी लेकिन उस कमेटी ने क्या कार्यवाही की यह भी आज तक सदन में नहीं आई है। इसी प्रकार से पाली में भी अकाल था और अकाल में काम सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया। 3 आफिसर्स की नियुक्ति की गयी लेकिन उस रिपोर्ट से भी सदन को अवगत नहीं कराया। इसी प्रकार राजस्थान केनाल में पाइपलाइन डालने का तय हुआ और 10 क्यूसेक्स पानी देना था और 1 लाख 26 हजार रुपया खर्च किया गया, पाइप लाइन खरीदी गई, चेनल बनाई गई लेकिन जब 10 क्यूसेक्स पानी पाइप लाइन में छोड़ा गया तो आखिरी छोर पर 2 क्यूसेक्स पानी पहुंचा और बड़े-बड़े नेताओं के फार्म पर पानी देने के लिये, पानी की चोरी के लिये 4 आउटलेट रख दिये गये और इन्जीनियर ने यह सब बिना गवर्नमेन्ट की सैंक्शन से किया और राजस्थान केनाल बोर्ड से भी अनुमति नहीं ली जब कि राजस्थान केनाल हमारे राष्ट्रीय महत्व की नहर है लेकिन न भारत सरकार को सूचना, न राजस्थान गवर्नमेन्ट को सूचना और राजनैतिक आधार पर लोगों को 4 आउटलेट पानी के निकाल दिये गये। मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इस राजस्थान सरकार को चाहिए कि प्रयास करके चूंकि इस प्रकार सरकार पर कर्जा हो जायेगा इसलिये राजस्थान केनाल का काम केन्द्रीय सरकार को सौंप देना चाहिए, यह मेरी वाजिब और उचित मांग है। इसी प्रकार से गंगानगर में किसान आन्दोलन हुआ और आन्दोलन के आधार पर एक समझौता हुआ और समझौता होने के आधार पर यह तय हुआ कि गंग केनाल, राजस्थान केनाल और भाखरा में किस तरह का सुधार किया जाये और उसके नाते एक मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट सदन में आनी थी और सदन में सरकार ने वादा किया था लेकिन आज खेद का विषय है कि इतना समय निकल जाने के बाद भी जो मोतीराम समिति ने रिपोर्ट दी है वह आज दिन तक सदन में नहीं आई।

इसी प्रकार से माईनर, मेजर और मीडियम सिंचाई की योजनायें हैं। इन सिंचाई की योजनाओं पर कितना रुपया खर्च किया और कितना उनसे रिटर्न मिला है, किसानों को कितना लाभ मिला

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

है, इसके लिये एक उच्च स्तरीय समिति बैठानी चाहिये जिससे कि हमारा जितना खर्चा हुआ है उतना लाभ भी हुआ है या नहीं, किसानों को उससे कितना लाभ हो रहा है वह हमको ज्ञात हो जाये और उसके बाद जो भविष्य की योजना है हम उसके आधार पर निर्धारित कर सकें। कितना खर्चा हुआ है, कितना पर फार्मेन्स हुआ है और मीडियम प्रोजेक्ट पर पृथक्-पृथक् रिपोर्ट आनी चाहिए कि कितना खर्चा हुआ, कितनी हमको आय हुई है–इन्हीं सारी बातों को विचार करने के लिये एक हाई पावर कमेटी का निर्माण होना चाहिए।

मैं निवेदन करूंगा कि हम राष्ट्रीयकरण की बातें करते हैं। हम राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज का। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि सरकार इस इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट का और पी. डब्लू. डी. का राष्ट्रीयकरण कर लें और ठेकेदारों के मार्फत यदि काम न कराकर स्वयं विभाग के आधार पर काम कराया जाये तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की लाखों रुपये की आय बच सकती है और लाखों रुपयों का घोटाला और भ्रष्टाचार होता है वह बच सकता है।

इसी प्रकार से मैं आगे निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई की दरें बढ़ाने के पीछे आखिर कार क्या क्राइटेरिया है ? हमारा कास्ट आफ प्राडक्शन क्या है इस पर विचार करना चाहिये, फसल में कितने पानी की जरूरत है। हमको इस पर भी विचार करना चाहिये और कितना पानी मिलता है, प्रति एकड़ उपज कितनी होती है, कीमत क्या होगी और यदि उसमें कीड़ा लग जाये तो सिंचाई की दरें कितनी होंगी–इन सारी बातों के ऊपर विचार करना चाहिये। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि सिंचाई विभाग का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और उसके आधार पर ही मैं समझता हूं कि किसानों को लाभ होगा। आज हम इस बात पर विचार करें कि राजस्थान में जो नहरी जिले हैं और जो हमारा जयपुर जिला है उसके ऊपर विचार करें तो हमारे जयपुर जिले में सिंचाई कुओं से होती है। जयपुर जिले में सिंचाई 18 रुपया प्रति बीघा आती है और सिंचाई नहर से होती है। जयपुर जिले में सिंचाई 18 रुपया प्रति बीघा आती है और सिंचाई नहर से होती है उसकी लगान दर कम है जब कि किसान स्वयं का कुआ बनाता है, वह कहीं से लोन लाता है, अपने जेवर बेचकर कुआ बनाता है। तो मैं समझता हूं कि जयपुर जिला जहां इर्रीगेशन की व्यवस्था नहीं है और सिंचाई विभाग ने बनास की योजना के लिये नाकर दिया–मैं समझता हूं कि सिंचाई विभाग को आगे आना चाहिये जयपुर टोंक और अजमेर जिले की भलाई के लिये। लोगों को पानी भी मिलेगा सिंचाई की व्यवस्था भी होगी। लगान के अन्तर को भी मिटाने के लिए हमें विचार करना चाहिये। मैं फिर राज्य सरकार से मांग करूंगा कि चाहे गेहूं की खेती हो, कपास की हो और चाहे चावल की हो। राज्य सरकार को घोषणा करनी चाहिये कि अमुक-अमुक खेत को इतना-इतना पानी देने वाले हैं। यदि ऐसी घोषणा हो जायेगी तो जो अनिश्चितता का वातावरण बना

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

रहता है वह नहीं बना रहेगा और राजनैतिक भेद-भाव के आधार पर कितना पानी देंगे मन में आया जिसका बढ़ा दिया और मन में आया उसका घटा दिया, इसके ऊपर भी विचार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर की जो प्रगति है वह संतोषजनक नहीं है। राजस्थान नहर की प्रगति पर विचार करें तो 10 मील प्रतिवर्ष रहती है लेकिन 1972 में यह प्रगति केवल 1.8 मील ही थी याने औसत प्रतिशत 18 मील आई और यह आंकड़ों से मालूम हो जायेगा कि 1971–72 में 9.23 करोड़ रुपया था इसमें एस्टेब्लिशमेंट का 2.50 करोड़, अग्रिम भुगतान का 2 करोड़, कोयला 36 लाख, सीमेन्ट 64 लाख और राज्य विद्युत मंडल को 1 करोड़ रुपया दिया, कार्यों पर खर्च हुआ 4.80 करोड़ रुपया। इस तरह से 9 करोड़ 23 लाख में से 4 करोड़ 73 लाख का काम हुआ अर्थात् कुल व्यय का 50 प्रतिशत ही काम हुआ है। यह सारी प्रगति देखने से मालूम होती है। यह प्रगति कम इसलिये हुई कि एक तो मजदूरों का हरियाणा चला जाना और ठेकेदारों को देरी से भुगतान करना। यदि हम इन सारी बातों पर विचार करें और राजस्थान नहर में जो घोटाले हुए हैं उन पर विचार करें तो यह सारा इससे स्पष्ट हो जायेगा। आज से 2½ वर्ष पूर्व टाइल्स का 75 रुपया प्रति हजार के हिसाब से दिया गया लेकिन अब टाइल्स का 112 रुपया प्रति हजार के हिसाब से दिया जा रहा है। एक मनिस्टर एन. के. कुमोरिया की एक फर्म है जो कि ग्रेटर कैलाश, दिल्ली में है उसका कहना है कि मैं 50 रुपया प्रति हजार के हिसाब से टाइल्स देने को तैयार हूं लेकिन किसी-किसी प्रकार राजस्थान कैनाल बोर्ड में ठेकेदारों का सिक्का है और इसके आधार पर 112 रुपया प्रति हजार के हिसाब से टाइल्स खरीदी जा रही है जबकि 50 रुपया प्रति हजार के हिसाब से देने वाला ठेकेदार मौजूद है। राजस्थान कैनाल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वे ठेकेदार को लाभ पहुंचाना चाहते हैं और वहां दो ठेकेदार हैं एक तो सन्तराम एण्ड कम्पनी और दूसरे है चौधरी कन्सट्रक्शन कम्पनी। इसी प्रकार से आज राजस्थान कैनाल में विभिन्न प्रकार के घोटाले हो रहे हैं इनके ऊपर भी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये।

अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार आज इतनी सुस्त क्यों है? राजस्थान नहर की जो मुख्य नहर है 681 माईल की उसके लिए कहा जाता है कि मिट्टी का काम हो गया है लेकिन टाईल्स तैयार नहीं हैं। अब टाईल्स तैयार होने का परिणाम क्या है कि अगर वहां पर रेत उड़ कर आ गई, तो रेत के उड़ने से ही जो इसका काम होगा उसमें ही लाखों के वारे न्यारे हो जाते हैं। लाखों रुपया भ्रष्टाचार में चला जाता है और केवल मिट्टी उड़ कर आ गई तो मिट्टी तो उड़कर आएगी ही और इसी प्रकार एक बूंद भी पानी पड़ जाय, थोड़ी सी भी बारिश हो जाय तो भी लाखों रुपयों का घोटाला हो जाएगा। इन गलत कामों के लिए। आखिर कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, कौन गलत प्लानिंग करने वाला है, किसको जिम्मेदारी है? जिसने गलत प्लानिंग किया है उसको सजा

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

देनी चाहिए। हालत तो आज यह है कि 23 मार्च, 1972 को हमारे यहां के तीन ओवरसियर, छतरगढ़ के जो तीन ओवरसियर थे सर्वे करने के लिए गए तो पाकिस्तानी सेना ने उनको लूट लिया, उनकी घड़ियां छीन लीं, उनके टायर बर्स्ट कर दिए गए और इस प्रकार जो पाकिस्तानी लोग हमारी सीमा में आ गए, हमारी सीमा के अन्दर घुस गए, वे पाकिस्तानी नागरिक क्या आज भी हमारे देश में हैं या पाकिस्तान वापिस भाग गए? जो हमारे ओवरसियर हैं उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जो हमारे बड़े-बड़े अधिकारी हैं वे अपने मत्थे पर लेने को तैयार नहीं है।

इसी प्रकार से आज सिंचाई विभाग में जो पदोन्नति के तरीके हैं वह तरीके भी भली प्रकार के नहीं हैं। आज सिंचाई विभाग में दो समान पद हैं। एक पद ओवरसियर का है और एक पद सीनियर ड्राफ्ट्समैन का है। अब जिस समय इनमें से इंजीनियर्स और जूनियर इंजीनियर्स बनाए जाते हैं उस समय इन्जीनियर्स बनाते वक्त जो सीनियर ड्राफ्ट्समैन हैं उनकी ड्यूटी को हार्ड बताया जाता है। उनकी ड्यूटी हार्ड होने की वजह से सीनियर ड्राफ्ट्समैन को सीनियर मानते हुए भी जो कुछ उनके विशेष कृपा पात्र हैं उन्हीं की पदोन्नति कर दी जाती है लेकिन अन्य लोग जो हैं उनकी इस प्रकार की पदोन्नति नहीं की जाती है। इसके बारे में और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि उनके वेतन बराबर हैं, योग्यता अलग-अलग है, लेकिन जिम्मेदारी सीनियर ड्राफ्ट्समैन की ज्यादा है और जो उनकी नियमावली बनी हुई है, किस प्रकार से कौन ऊंचे पद का है, जिसको जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर बनाया जाएगा, लेकिन उन सारी बातों को देखते हुए भी पदोन्नति करते समय सीनियर ड्राफ्ट्समैनों में से किन्हीं कृपा पात्रों को ही इंजीनियर बनाया जाता है। इसलिए मेरी राज्य सरकार से मांग है कि जो यह वाजिब मांग है, इस वाजिब मांग पर सरकार ध्यान दे और वाजिब मांग पर ध्यान देने के बाद मैं समझता हूं कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, राजस्थान नहर और अन्य सिंचाई योजनाओं में, इन पर विचार करना चाहिए।

और अन्त में जयपुर जिले के हित के नाते मैं इर्रीगेशन विभाग से निवेदन करना चाहूंगा कि बनास योजना जिसके बारे में सिंचाई विभाग ने आश्वासन भी दिया था, पिछले सदन में सरकार के द्वारा सदन में भी आश्वासन दिया गया था और यह बात कही गई थी कि नलकूपों की जो व्यवस्था जयपुर में पीने का पानी देने की है यह योजना उपयुक्त नहीं है, बल्कि नल कूप जो जयपुर में 160 कुए खोदे गए हैं उनसे आसपास के जो किसान हैं उनके कुओं का पानी सूख गया है। सौ और नलकूप अगर जयपुर शहर में खोदना चाहते हैं तो बाकी बचे किसानों की खेती भी चौपट हो जाएगी और किसान बिल्कुल गरीब हो जायेंगे। यदि आप उनको तबाह ही करना चाहते हैं तो आप जयपुर में दो सौ नल कूप और खोद दें। यदि आप जयपुर शहर के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी करना चाहते हैं, अजमेर जिले के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं और टोंक जिले

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं तो जो इर्रीगेशन विभाग ने जो वायदा किया था और 7 मई, 71 को जो वायदा सदन में किया था और जिसके बारे में आश्वासन दिया गया था और 9 अक्टूबर 71 को जो इर्रीगेशन विभाग अब उस वायदे से मुकर गया है तो इर्रीगेशन विभाग को अपना वायदा निभाना चाहिए और इस योजना को पूरा करना चाहिए ताकि जयपुर जिले को जहां पीने का पानी मिल सके वहां जयपुर जिले में सिचाई भी हो सकेगी। यहां का जो बहुत बड़ा कमाण्ड एरिया है, एक लाख एकड़ से भी अधिक कमाण्ड एरिया में पानी मिल सकेगा और अच्छी प्रकार से खेती हो सकेगी। जयपुर जिले को पानी मिल सकेगा, अजमेर जिले को पानी मिल सकेगा और टोंक जिले को पानी मिल सकेगा। गर्मी के दिन आ रहे हैं। आज आप जयपुर के किसी

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

कोने में चले जायं पानी की समस्या मिलेगी। चाहे आप तिलकनगर चले जायं, चाहें आप राजापार्क चले जायं, चाहे आप आदर्शनगर चले जायं, चाहे आप बनीपार्क चले जायं, चाहे आप ब्रह्मपुरी चले जायं, किसी भी कोने में चले जायं आपको पानी की समस्या खड़ी मिलेगी। आज भी लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि करते हुए मिलेंगे। किसी भी कच्ची बस्ती में चले जायं आपको पानी नहीं मिलेगा। अच्छी से अच्छी बस्ती में चले जायं, लोग यही कहते मिलेंगे कि हमारे यहां तो एक घण्टा पानी सुबह और एक घण्टा पानी शाम को आता है रात को 12 बजे बाद पानी चला दिया तो क्या इससे समस्या का समाधान होने वाला है। राज्य सरकार बार-बार यह कहती है कि जयपुर में पानी की समस्या नहीं आने देंगे लेकिन मैं जयपुर शहर की जनता की भलाई के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में निश्चित रूप से पीने के पानी की समस्या होगी। आज जितने नलकूप आपने खोदे हैं वे सूखते चले जा रहे हैं। हाईजिन कमेटी और अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने भी कहा है कि जयपुर में पानी का सतह नीचे होता जा रहा है। पिछले साल 15 नलकूप खोदे और उसमें आपने 16 लाख रुपया बर्बाद कर दिया, इस गर्मी में भी फिर आप पैसा बर्बाद करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप यह घोषणा करें कि आप बनास योजना पर अडिग हैं और जिसका आपने वचन दिया था उसका पालन करेंगे।

द्वितीय रामगढ़ के बंधे के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि सन 1955 में वाटर का यह काम सिंचाई विभाग को ट्रांसफर किया गया था। आज रामगढ़ के बंधे में इतनी अधिक मिट्टी भर गई है और उस मिट्टी से इतनी बड़ी दीवार बन गई है कि उसने बंधे को उत्तर और दक्षिण दो भागों में पानी को विभाजित कर दिया है। एक ओर के पानी का उपयोग तो हो जाता है लेकिन दूसरी तरफ का पानी काम में नहीं आता। उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग से मेरी मांग है कि वह रामगढ़ के बन्धे को पूर्ण रूप से साफ कराए और जो मिट्टी जमा हो गई है और मिट्टी के कारण जो दीवार पैदा हो गई है और दीवार जो पानी को विभाजित कर देती हैं, उस दीवार को हटा कर मिट्टी निकले ताकि जयपुर शहर को

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जनता को जो रामगढ़ बन्धे से विशेषकर पानी मिलता है वह अधिक मिल सके और गर्मी के दिनों में जो पानी की समस्या खड़ी हो जाती है उसका समाधान हो सके ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन का समय एक घण्टा और बढ़ा दिया जाय ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मांग पारित होने तक का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि अनुदान की मांग पारित होने तक समय बढ़ा दिया जाय ।

(सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया गया ।)

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, मैं आज राजस्थान की इर्रीगेशन पालिसी के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ । राजस्थान सरकार ने कभी भी यह नहीं ख्याल किया कि रूरल इकोनोमी आपकी रीजनरेशन के पोइन्ट पर पहुँच गई है, इर्रीगेशन और पावर की कितनी इम्पोर्टेंस है । इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में, चाहे इण्टर स्टेट प्रोजेक्ट हों, चाहे स्टेट के अन्दर के प्रोजेक्ट हों, कभी भी राज्य सरकार ने इनके लिए इंटीगेटेड अप्रोच नहीं किया । यही कारण है कि इतने प्लान्स के बाद भी, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जो असेट्स क्रियेट होने चाहिये थे वे क्रियेट नहीं हुए । मैं निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर, कि हिन्दुस्तान की इकोनोमी आज रूरल बेस्ड इकोनोमी है और स्टेट की इकोनोमी भी रूरल बेस्ड है । आज इस रूरल बेस्ड इकोनोमी को जो कि रीजनरेटिंग पोइन्ट पर पहुंच चुकी है, टेक आफ नहीं कर सकते । आज इतनी स्कीमें बना रहे हैं, रूरल वाटर वर्क्स प्रोग्राम हैं, क्रेश प्रोग्राम हैं, मार्जिनल लैंडलेस लेवरर्स का प्रोग्राम है, इनमें जितना पैसा आप खर्च करना चाहते हैं, कभी आपने सोचा कि इस सारे पैसे को डाईवर्ट कर दें इर्रीगेशन स्कीम्स पर । आपने 150 करोड़ रुपया खर्च कर दिया अकाल के लिए लेकिन इतना पैसा खर्च करके भी कोई परमानेंट असेट क्रियेट कर सके ? इसी का कारण है कि हमारे इण्टर स्टेट एग्रीमेंट्स में हम अपने इण्टरेस्ट को सेफ गार्ड नहीं कर पाए । आज तक राजस्थान केनाल की इम्पोर्टेंस तो कर दी मगर आज तक आप इसे नेशनल प्रोग्राम नहीं बना सके । आप वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जा सके मदद देने के लिए और इस प्रोजेक्ट की अहमियत को कम कर दिया । सेंट्रल अथोरिटी क्रियेट नहीं कर पाए । आप इसके लिए लोबी क्रिकेट नहीं कर पाए ताकि ऊपर तक आपकी बात पहुंचे । माही योजना है, गुजरात से फैसला नहीं करा पाये, पंजाब का झगड़ा नहीं निपटा सके । इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि मंत्री जो नए आए है, जितने प्रोजेक्ट्स हैं चाहे स्टेट के हों, चाहे इण्टर स्टेट प्रोजेक्ट्स हों, आप वहां पर जाओ, आप उनको ग्रास्प कीजिए, उनको स्टडी कीजिए ताकि कण्ट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन पर आप रख सकें । अगर आप की खुद की नालेज है उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, हर प्रकार की जानकारी आपको है तो आप प्रोजेक्टिव प्लान के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को कण्ट्रोल कर पायेंगे वरना एडमिनिस्ट्रेशन आपको डिक्टेट करेगा जैसा आज तक करता रहा है

(श्री केदारनाथ)

जैसा पहले इर्रीगेशन मिनिस्टर को डिक्टेट करता रहा है। पहले माननीय लड्ढा साहब इर्रीगेशन मिनिस्टर थे। उनको कई बार कहा कि आप पंजाब के प्रोजेक्ट पर जाओ अपने साथ एम. एल. एज. को ले जाओ कोई बात आप नहीं कह सकते तो हम लोग कहेंगे, पंजाब की वजह से कितना नुकसान हो रहा है जो शहर लोकेटेड है, उनको आप नहीं दे रहे हैं। कोई ध्यान नहीं है। किसी को यहां की पोलिटिक्स से फुरसत नहीं हैं। नेट रिजल्ट क्या है? आज हम सफर कर रहे हैं। यह निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर, कि 65–66 में पौंग डेम के रिजर्व एरिया के लिये जो जमीन एक्वायर की है, विस्थापितों को बसाने के लिये, उसके लिए एक फैसला किया है, एक एग्रीमेन्ट कर लिया गया है। इस एग्रीमेन्ट की धाराएं पढ़कर सुनाऊं तो आप महसूस करेंगे कि हमने केश में कम्पेनसेशन दे दिया है और 2 करोड़ की 25 लाख एकड़ जमीन देने का भी तय कर दिया। किसी स्टेट में, किसी भी मुल्क में, ऐसा फैसला नहीं होता है कि केश भी दें मुआवजे का और जमीन भी दी जावे मुआवजे के लिये। अब जमीन का एलाटमेन्ट करने का, एक्जीक्यूशन करने का, उसकी वेल्यूएशन करने का भी अधिकार वे रखना चाहते हैं। बीस हजार प्रति परिवार को बसाने की गिनती हो गई है। जब फैसला होता है या कोई मीटिंग होती है तो चीफ मिनिस्टर साहब जाते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब को फुरसत नहीं होती है और फिर उसमें हमारे आफिशियल चले जाते हैं। उधर उनके मुख्य मंत्री पहुंचते हैं। तब उनके सामने हमारे आफिशियल क्या कह सकते हैं? वे कभी उनको कोप नहीं कर पायेंगे। अब हम भी उसको रिवोक नहीं कर पायेंगे। उसमें कितना इम्प्रूवमेन्ट कर सकते हैं, कितना स्टेट के इन्टेरेस्ट को सेफ गार्ड कर सकते हैं। राजस्थान केनाल का कलेजा निकाल कर, दो लाख एकड़ जमीन हम उनको दे रहे हैं। यह कलेजा है राजस्थान केनाल का। आपका कोई एप्रोच नहीं है। क्या आप कोआपरेटिव बेसिस पर फार्मिंग करना चाहते हैं। मैंने यह अर्ज किया है पहले भी कि कलेक्टिव फार्मिंग का हम तय करें तो उसको इम्पलीमेन्ट करें। इसकी डिमान्ड हो रही है। अगर आप इस देश में समाजवाद लाना चाहते हैं तो यह कर दीजिये और इसको कोआपरेटिव बेसिस पर करना चाहते हैं तो शुरूआत कीजिये राजस्थान केनाल एरिया से। लैन्डलेस की सोसाइटी बना कर उनको जमीन दें; कर्जा दें और दूसरी फैसिलिटिज दें ताकि एक क्लाइमेट पैदा की जा सके। उनमें आप इनोशियेटिव पैदा करें। ताकि लोगों को यह मालूम पड़े कि यह बात है। परन्तु अभी तक आप इसका एक्सपीरिमेन्ट नहीं कर रहे हैं। कागजों में ही यह सब रह गया है। कलेक्टिव फार्मिंग हम नहीं करना चाहते हैं। यह ट्रायल ऑफ मेथड कब तक चलता रहेगा? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान केनाल के लिये 11 करोड़ इस वर्ष और 16 करोड़ नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो इसमें कुछ इम्प्रूव आपने किया है। मेरा निवेदन है कि आप वर्ल्ड बैंक के पास जाकर इसके अलावा भी डवलपमेन्ट स्कीम के लिये पैसा लावें और अलाकेशन का पैटर्न

(श्री केदारनाथ)

बनावें। आप राजस्थान में भूमिहीनों को जमीन देकर भी उनको एकनार्मक नहीं कर पायेंगे। फ्रेगमेन्टशन से आप नहीं बच पायेंगे। यह कौनसा आरबिट आप तैयार कर रहे हैं। जो मारजीनल किसान हैं, उनको कोआपरेटिव फील्ड में आप लिजिये। इसके लिये आप राजस्थान केनाल से शुरुआत कीजिये। मान्यवर, इर्रीगेशन एक्ट स्टेट के वक्त का बना था। उसके बाद कितने चेन्जेज आये हैं? कितनी हालत बदल गई है? परन्तु अभी तक हमारे इर्रीगेशन एक्ट में तब्दीली नहीं की गई हैं। आप एक एक्ट का मॉडल क्यों नहीं बनाते हैं? पंजाब, हरियाणा के पैटर्न का आप बना सकते हैं। एक्स. ई. एन. और कलक्टर में झगड़े होते हैं। एक फैसला देता है तो दूसरा उसको एक्जीक्यूट नहीं करता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एलाटमेन्ट के बारे में, एक्ट के बारे में आप कोई एक एप्रोच तय कीजिये। आज आपके हाथ में पावर है। आप इस मामले में कोई बिल पेश कर सकते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी स्कीम्स हैं, कितना बड़ा उसका इम्पेक्ट होगा प्रदेश की इकोनोमी पर, परन्तु उसके बारे में कोई कानून का मॉडल नहीं हैं। रोजाना झगड़े होते हैं और फिर उसमें पैसा चलता है। जब हमारे कानून में ही कमी है तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी कमियां होंगी। अफसरों को भी आप इससे नहीं बचा सकते हैं। वे करप्ट मैथड एडाप्ट करेंगे। राजस्थान केनाल के बारे में अर्ज करना चाहता हूं, चाहे और कोई योजना है, उसके बारे में आप एप्रोच को बदलें। पंजाब से इन्डस, रावी, व्यास की जितनी भी सप्लाईज हैं, उसमें आपके साथ एग्रीमेन्ट हुआ है उसको तो यूटिलाइज करने का हमारा हक है। पंजाब कैसे कह सकता है आपकी कम्पीटेन्स नहीं है? यह पंजाब नहीं कह सकता है। यह इन्टर स्टेट एग्रीमेन्ट है। एक थीग डेम है। वह कहता है कि इसमें राजस्थान पार्टी नहीं हैं। परन्तु हम पार्टी हैं। नर्बदा के बारे में सुप्रीम कोर्ट में आप गये, इसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह से थीग डेम है। इसके बारे में भी हमारा एग्रीमेन्ट है। हम पार्टी हैं और राजस्थान जब पार्टी बन जाता है तो उसका भी शेअर आफ ऐलाकेशन होगा और यूटिलाइजेशन करने का हमारा अधिकार है वहां पर। आप अपने इस रास्ते को बदलें। राजस्थान फीडर को जोड़ने के लिये एक लिंक चेनल का झगड़ा चल रहा है। पानी नहीं मिलता है। सात लाख रुपया खर्च कर दिया है। अब इसको रिओपन करने की इजाजत नहीं मिल पा रही है। लगातार 6 महीने से लिंक चेनल तैयार पड़ी है। उस पर कन्ट्रोल पंजाब का है, जमीन हरियाना की है और इस्तेमाल करेगा राजस्थान। राजस्थान को लीडरशिप नहीं मिल पाई। 6 महीने पहिले पानी मिल जाता तो इतनी फसल होती कि प्रति स्टेण्डर्ड एकड़ उत्पादन बढ़ जाता और लोगों का स्टेण्डर्ड ऑफ लीविंग भी बढ़ जाता। इनकी मीटिंग्स में कोई नहीं जाता है इसलिए यह अर्ज कर रहा हूँ। दूसरी बात है एक रोपड़, हरीका और फिरोजपुर। यहां, मान्यवर पंजाब का जो रिआर्गेनाईजेशन एक्ट है। उसके सैक्शन 90 के तहत फैसला हो गया कि ये जो

(श्री केदारनाथ)

तीनों डेम हैं, उनकी मेन्टीनेन्स, कन्ट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन। यह तीनों काम भाखरा मैंनेजमेन्ट करेगा। अब पंजाब कहता है कि आप पार्टी नहीं हो। आपका शेयर नहीं है। आप ताज्जुब करेंगे कि पैसा हमारा है। कास्ट आफ कन्स्ट्रक्शन में हमारा शेअर है। तीनों एक इनडिपेन्डेन्ट एजेन्सी के तहत में आ जाते हैं तो ही आप इन पर कन्ट्रोल कर पायेंगे। आप वहां पर जाकर लाबी क्रियेट करिये। यह बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हमारे यह तीनों हैड वर्क्स में स्टोर और फ्लोर में हमारा हिस्सा है और उनके यूटिलाईजेशन की पावर हमारे पास है हमारा अधिकार है। कोई हमारे इस राइट को चेलेन्ज नहीं कर सकता। पंजाब बार बार यह क्यूश्चेन कर रहा है। इस मसले के सिलसिले में मैंने लिंक चेनल की बात कही है। इसी ढंग से अनन्त पुर साहिब् हाईडल स्कीम है। पंजाब आब्जेक्शन कर रहा है कि आप पार्टी नहीं हैं। यह एक इन्ट' स्टेट मसला है। चाहे. गुजरात, पंजाब और यू.पी. हो, इण्टर स्टेट प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई इन्फरमेशन गेदर करके अपने ढंग से अपनी स्टेट के इन्टरेस्ट को आप सेफ गार्ड करें। जो हमारी कमजोरियां अब तक रही हैं, उन कमजोरियों पर अब आप हावी हों और हमारे इस इर्रीगेशन के अन्दर आप इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हम मानेंगे कि इसमें सुधार हो रहा है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि जब यह चीज इन्टर स्टेट के मसले में आती है तो यह देखना चाहिये कि राजस्थान में कितनी इर्रीगेशन की पोटेन्शीयेलिटिज हैं, कितनी एग्रीकल्चर लेन्ड को इर्रीगेटेड कर सकते है? अब तक सिर्फ 16 परसेन्ट कर पाये हैं जबकि नेशनल एवरेज है 29 परसेन्ट का। तो कितना सरफेज वाटर है और कितना अन्डर ग्राउन्ड इसकी पोटेन्सीलिटिज को हमें देखना चाहिये और यह भी कि कितना हम उसको यूटिलाइज कर पायेंगे। मास्टर प्लान की बात दो-तीन साल से चल रही है। जब तक मास्टर प्लान नहीं बनता है आपका विजिन कैसे साफ हो सकता है कि इतनी पोटेन्शीलिटिज है और उसका यूटिलाईजेशन है। यह कितना नेशनल स्टेण्डर्ड से कम है और इस कमी के लिए कितना पैसा चाहिए और उसके लिए कौनसी स्कीम्स बनानी है।

यह इन्टेग्रेटेड एप्रोच होना चाहिये। यह है नहीं। तो मैं सोचता हूं कि इसमें आप सुधार लायें। चाहे दो चीफ इन्जीनियर कर दें चाहे आप चार चीफ इन्जीनियर कर दें और कितना ही टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन कर दें, लेकिन जब तक कोआर्डिनेशन पैदा नहीं करते हैं और प्लानिंग में सोलिडेरिटी पैदा नहीं करते हैं इन स्कीमों के बारे में, टेक्निकल स्कीम्स के बारे में तो मैं सोचता हूं कि प्लानिंग के लेवल पर आप फेल हो जाते हैं और जब प्लानिंग लेवल पर ही फेल हो जाते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन के प्रश्न पर लाजिमी तौर पर फेल होंगे। यह मैंने इन्टेग्रेटेड स्कीम्स के बारे में कहा।

दूसरी बात मैं कालोनाइजेशन के बारे में कहना चाहता हूं मैंने पहले भी अर्ज किया था कि चाहे गंग कैनाल हो, चाहे भाखरा केनाल हो, चाहे राजस्थान केनाल हो। लैण्डलेस को बसाने के बारे में जो आप की पोलिसी हैं, पहले से काबिज हैं काश्तकार उनके बारे में जो आपका एप्रोच है वह ठीक नहीं। चाहे वह टी.वी. परगेन

(श्री केदारनाथ)

हो चाहे भाखरा हो और चाहे गंग केनाल हो। इसके बारे में एजीटेशन के बाद जो मीटिंग हुई थी और फैसला हुआ उनको मैंरिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात में निवेदन करना चाहता हू कि छतरगढ़ और छातासर, जो कि जागीरी इलाके थे तो जागीरदारी रिज्यूम हो गई और सारे पावर्स आपमें वैस्ट कर दिये गये। लेकिन कुछ लोगों ने रेकार्ड्स को बदल कर अपना काश्तकारों में नाम लिखाया। मैं उन लोगों की बात करता हूं जो कि गरीब हैं और जिनके पास में 15–20 बीघा जमीन हैं और कोई दूसरा रोजगार का साधन नहीं है तो उनको रिकमण्डाइन करिये, मगर जिनके पास मे 7–7, 8–8 मुरब्बा जमीन है, जो बहुत बड़े केपिटेलिस्ट हैं, जो बड़े खानदान के आदमी हैं, उनके पास में दूसरा सोर्स आफ इनकम भी है और जिन्होंने रेकार्ड्स को टैम्पर विद् किया है, उनको आप स्पेयर न करें, उन पर रहम नहीं होना चाहिए। इसके बारे में जल्दी ही एलाटमेन्ट के सम्बन्ध में मांग की है।

मान्यवर, ऐसे ही गंग केनाल में सन् 47 से पहले से काश्त करते रहे हैं और जब जमींदारी और बिस्वेदारी समाप्त हुई तो उनको खातेदारी राइट्स मिल जाने चाहिए, मगर अभी तक नहीं मिल पाये हैं। किसी को उसकी चिन्ता नहीं है। जो टैनेन्ट्स है, जो काश्तकार हैं और लगातार का बिज हैं जमीन पर तो जमींदारी के समाप्त होने के बाद में उनको खातेदारी के राइट्स क्यों नहीं मिले? अब आपने फैसला किया तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने यह फैसला किया है।

दूसरी बात मैं कोलोनाइजेशन के बारे में यह कहना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन इर्रीगेशन का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कोलोनाइजेशन का हो आफिशियल्स के बारे में एक व्यू बनाइये। राजस्थान के बारे में एक व्यू बनाइये कि 7 साल या 8 साल एक आदमी एक जिले में कितने दिन रह सकता है। यह मत करिये कि गंगानगर और उदयपुर में फर्क रखलूं, गंगानगर और जोधपुर में फर्क रखलें। राजस्थान में सब लोगों के लिए एक पैटर्न करदें। एक जिले में 8–10 साल से हो उसके बाद में नहीं रहे आपको चाहे कोई कितनी ही सिफारिश करे।

मैं, मान्यवर, कहना चाहता हूं कि अभी चुनाव के पश्चात् काफी संख्या में आप आये हैं और काफी अच्छी टीम है तो वह ट्रांसफर्स के विशियस सर्किल में न पड़े। अगर आप सोशियेलिस्ट इकोनामि का चैंज चाहते हैं तो इस विशियस सर्किल में न गिरें। ट्रान्सफर्स के मामले में एक स्ट्रीमलाइन तैयार करना चाहिये। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक स्ट्रीमलाइन तैयार करना चाहिये और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक स्ट्रीमलाइन तभी होगी जबकि आपकी एक सी पालिसी होगी। कुछ आदमी तो काम कर रहे हैं और कुछ को बदल दें तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, डिससेटिस्फेक्शन पैदा होता है और इनएफिशियेन्सी बढ़ती है। मैंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करली लेकिन आपका इर्रीगेशन का महकमा भी ऐसा ही है। आज पंजाब ने बाड़बन्दी और रिमोडलिंग के बारे में फैसला कर लिया है। अभी भी

(श्री केदारनाथ)

आप करदें। आज भी एस.ई.एन. के दरवाजे पर तीन-तीन सौ आदमी खड़े रहते हैं बाड़बन्दी के लिए। एक बार एक कानून बनाकर उसमें एक सेक्शन जोड़ दें कि यह बाड़बन्दी हमेशा के लिए है। गवर्नमेन्ट क्यों यह चाहती है कि वे घूमते रहें ?

रिमोडलिंग के बारे में, गंग कैनाल के बारे में काफी कहा गया है। उसका कुछ हिस्सा पंजाब में आता है। उसके मैंटीनेन्स की कोई परवाह नहीं की गई। मैं सोचता हूं कि आप हमारे इलाके से आये हैं और इसको जानते हैं तो मैन्टीनेन्स होना चाहिये। यह पैसों का प्रोपोजिशन है। यह कामर्शियल संस्था है। गंग कैनाल से लाखों रुपया सरकार ने पैदा किया है। यह लास नहीं दे रही हैं जैसा कि आडिट रिपोर्ट में है। इसलिए इस पर पैसा खर्च करें ताकि और पैसा पैदा हो। वह पैसा कहां से खर्च करेंगे ? इस बजट में तो है नहीं। और कहीं से एलोकेशन करेंगे तो और बात है। मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स हैं उनके एलोकशन्स के पैटर्न सेन्टर से कैसे बनवा पायेंगे ? अगर उनसे नहीं बनवा पायें तो और फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, वाहर की जितनी फाइनेन्सियल इन्स्टीटयूशन्स हैं उनके पास में एप्रोच करके प्रोजेक्ट स्कीम्स की बात आप करेंगे तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान का दशा सुधरेगी।

मान्यवर, अन्त में एक बात और एलाटमेन्ट, इर्रीगेशन और कालोनाइजेशन के बारे में कहना चाहता हूं। इनमें मंडियों का सवाल भी पैदा होता है। मंडीज में आप ऑक्शन कीजिये प्लाटस का जहां तक कि कामर्शियल प्लाट्स का सवाल है, मगर आवास के लिए आक्शन कर देंगे तो कौन लेगा ? एक आपने फैसला किया हैं। दो प्रस्ताव हैं। पहले जो प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरीज थे उन्होंने फैसला किया कि 73 तक कर देंगे, सब को दे देंगे। लेकिन मंडियों के फार्मेशन में आप आवास के लिए आक्शन करेंगे तो यह मेल नहीं खाता है। जो कुछ प्लेजेज आपने दिये हैं तो इसके मुताबिक पुराने सारे कानूनों को वापस बदल दें ताकि मंडियों का विकास राजस्थान में हो, वर्ना उनका विकास नहीं हो पायेगा।

इसलिए अन्त में यह लफ्ज कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि अगर राजस्थान में कैनाल एरिया का ठीक ढंग से सर्वे हो जाता कि कहां कहां पर कल्चरेबल लैण्ड है, कहां पर लेवल का सवाल है, कहां पर कितनी ऊंचाई है, कहां हिस्सा नीचा है तो ठीक रहता। यह किसी ने नहीं किया। नहर की योजना 90 पर्सेन्ट ऐसी जगह पर चालू होती है जहां कि जमीन ढालू होती है। आप तब्दीली के बारे में मान गये हैं तो उसको जल्दी इम्पलीमेन्ट करेंगे। आपने लैंडलेस हरिजनों को 90 पर्सेन्ट को वहां पर जमीनें दी है जहां कि टीले हैं और वह एरिया कमाण्ड में है। आप तब्दीली के बारे में मान गये हैं तो उसको जल्दी से इम्पलीमेन्ट करेंगे वर्ना इससे लैंण्डलेस में डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। आज तो वहां पर कोई ऐसी पोलिटिकल

(श्री केदारनाथ)

पार्टी नहीं है जो कि उसका फायदा उठा सके और उसका फायदा उठाकर वहां पर एजीटेशन प्रारम्भ कर दें, लेकिन उनका फायदा और उठा सकते हैं। अगर वह फायदा उन्होंने उठा लिया लैण्डलेस किसानों में डिससेटिस्फेक्शन का और वह पोलोटिकल एक्शन करेंगे तो आपको वहां पर ला एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा हो जायेगी। अगर आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का स्टेटस कायम रहे तो लैण्डलेस किसानों का एक बहुत बड़ा फोर्स है। तीस-चालीस पर्सेन्ट लैण्डलेस की फोर्स है। इनको आप एलाटमेंट में जमीनें अच्छी दें, इनको इन्सेन्टिव दें, लोन दें। अगर यह डेवलपमेंट की स्कीमें साथ साथ नही चलेंगी और केवल जमीनों को एलाट करके ही आप समझेंगे कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया, हमने तो एलाटमेंट कर दिया, तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए यह एप्रोच साथ-साथ चलेगा तो ठीक रहेगा।

मान्यवर, मैंने जो सजेशन्स दिये हैं हमारे मान्यवर मंत्री जिन्हें यह मौका मिला है, वे हमारे इलाके के हैं वे इन पर सोचकर ठीक से फैसला करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय हाल ही में चुनावों के अन्दर कांग्रेस या पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा था कि देश की सभी प्रमुख नदियों की, उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में कावेरी तक — आपस में मिलाकर एक विशाल राष्ट्रीय जल-मार्ग के निर्माण के लिए कदम उठाये जायेंगे। इससे राष्ट्र के जलीय साधनों का सर्वाधिक लाभकारी प्रयोग होगा और हमारे संचार जाल को एक नया आयाम मिलेगा। विभिन्न नदियों के जलों के संगम से नई संभावनाएं और प्रेरणाएं पैदा होगी। यह कार्यक्रम चुनाव घोषणापत्र में है। कार्यक्रम नं. 10 पर यह बात कहीं गई है। वैसे राजस्थान नहर के बारे में पिछले सदन में भी और इस सदन में भी और आज भी कई माननीय सदस्यों ने इस बात की आवाज उठाई है कि इसको एक राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकार किया जाय, लेकिन अब तक इसको स्वीकार नहीं किया गया। क्यों नहीं स्वीकार किया गया मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र के संदर्भ में राज्य सरकार और इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात का पूरा प्रयत्न करेंगे कि हमारी जो राजस्थान नहर है वह वास्तव में एक राष्ट्रीय योजना है, और राष्ट्रीय योजना के रूप में इसको स्वीकार करेंगे तभी यह पूरी हो सकेगी, अन्यथा राजस्थान जैसे पिछड़े प्रान्त के लिए यह सम्भव नहीं हैं। सैकड़ों वर्षों तक कि राजस्थान नहर के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है वह पूरी की जा सके। इसलिए सब से पहला कदम आज की स्थिति के अन्दर यह उठना चाहिए कि इसके लिए हम भरसक प्रयत्न करें। हम सदन में प्रस्ताव पास करें, और इस सदन के माननीय सदस्य चाहे इस पार्टी के हों चाहे उस पार्टी के हों वे, भारत सरकार के ऊपर हर तरह से इस प्रकार का प्रयास करें कि इसमें सफलता प्राप्त हो।

(श्री शंकरलाल)

दूसरा, माननीय सदस्यों को मैं निवेदन करूंगा कि चुनाव घोषणा पत्र में यह बात कही गई है कि समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़े वर्गों के हितों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। यह ध्यान देना चाहिए और हर तरह की आर्थिक स्थिति के अन्दर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर हम सिंचाई की स्थिति को देखते हैं तो सिंचाई चाहे किसी बहाने से होती हो, चाहे सरकारी साधनों से होती हो, वह चाहे जवाई बांध से होती हो चाहे सरदार समन्द से होती हो और चाहे और कोई बान्ध से होती हो, उपाध्यक्ष महोदय, आज जो है सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। आज आप किस नीति से लैंड को रेग्युलेट करना चाहते हैं, और उस नीति के अन्दर आप कमजोर वर्गों के लोगों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को किस प्रकार से एकोमोडेट करना चाहते हैं। आज कई जगहों पर ही यह बांध इरिगेशन के लिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाये हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट ही यह तय करता है कि इतने परसेन्ट पानी जो है इरिगेशन के लिए देंगे–25 परसेन्ट मानलें और बाकी परसेन्ट पानी पीने के लिये देंगे, लेकिन उसके अन्दर भी यह प्रावधान नहीं है कि कमजोर वर्ग के जो काश्तकार हैं, शिड्यूल्ड कास्ट के जो काश्तकार हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो काश्तकार हैं उनको निश्चित तौर से इतने रकबे में पानी देंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की ऐसी इन बदलती हुई नीतियों के अनुसार पूर्णतया तब्दीली लानी होगी। आप को निश्चित तौर से तय करना होगा। कम से कम रकबा तो निश्चित कर दिया जाये कि इतना रकबा बैकवर्ड है। इतना सिंचित होगा। आप देखते हैं कि सैकड़ों आदमियों का पानी कुछ लोग पी जाते हैं। गरीब आदमी चिल्लाता रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सबसे पहले जरूरी बात है कि जो सिंचाई के साधन हैं, जिनसे सिंचाई होती है उनके जरिये आप कमजोर वर्ग को पानी दे सकें। यह व्यवस्था करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय; मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो कमेटी बनी हुई है, उस में जो फैसले होते हैं, उनमें कोई अमल नहीं होता है। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि टैक्नीकल होने की बात कही जाती है। संवत 2000 में सरदार समन्द बांध की बात है। मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर इन्जीनियर्स की राय कुछ और थी। एक्सेस पानी लेने की बात थी। आखिर इन्जीनियर्स की जो राय थी, वह बाद में गलत सिद्ध हुई। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जहां इस प्रकार के अधिकारी अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो उन लोगों को भी पैनेलाइज करना चाहिये। जो लोग गलत टैक्नीकल राय देते हैं उनको भी पेनेलाइज करना चाहिये। आज कितने ही बांध बनते हैं। बान्ध बनते ही टूट जाते हैं। उसमें इस बात की जांच नहीं होती है कि कौन से इन्जीनियर ने गलत राय दी थी जिससे कि हमें नुकसान हुआ है। इस बात

(श्री शंकरलाल)

के लिए राज्य सरकार को सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार की एक कमेटी होनी चाहिए। टेक्नीकल राय से जहां पर जितना रिटर्न आना चाहिये वह नहीं आये तो टेक्नीशियन्स को जिम्मेदार ठहराकर उससे लेना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक गरीब प्रदेश है। योजना इसलिए फेल होती है, क्योंकि टेक्नीकल राय गलत दी गई होती है। जो टेक्निकल राय देते हैं, इस प्रकार की, दे शुड बी पेनालाइज्ड। उपाध्यक्ष महोदय, आज सिंचाई के बहुत से साधन लोगों की प्राइवेट प्रापर्टी है। मेरी समझ में नहीं आता है कि सिंचाई के साधन व्यक्तिगत प्रापर्टी कैसे हो सकते हैं। भू. पू. मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में इस प्रकार का आश्वासन दिया था। जहां हजारों बीघा जमीन की सिंचाई होती है ऐसे कुवे हैं, हजारों बीघा उनसे सिंचाई होती है। आधा बांटे पर किसानों से अनाज ले लिया जाता है। हमने जागीरदारों को इसीलिए मिटाया कि वह किसानों के और सरकार के बीच इण्टरमीडियेट थे। चाहे वह नीमाज का तालाब हो चाहे वह और जागीरदार हो। आपने जागीरदारों को समाप्त कर दिया है। लेकिन जो उनके तालाब हैं, जो कि सिंचाई के साधन हैं, वह उन्होंने अपने प्राइवेट कर रखे हैं। कहा जाता है कि इसके लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इसके लिए कानून लाये। जो सिंचाई के साधन हैं, वह किसी को व्यक्तिगत प्रापर्टी नहीं रहे। सरकार उनका अधिग्रहण करे। वह किसानों के पास आयें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के सामने निवेदन करना चाहूंगा कुछ रेट के बारे में। सिंचाई एक कामर्शियल साधन है। इसका रिटर्न भी आना चाहिये। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कई जगह भिन्न भिन्न रेट्स हैं। एक जगह के एक गांव में कुछ रेट हैं और उसी बांध से पानी लेने वाले दूसरे गांव के लोगों के लिये दूसरे रेट्स हैं, दूसरे गांव में दूसरे तरह के रेट लिये जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा इसके लिए सरदार समन्द बांध से मांडाई गांव में सिंचाई होती है। जब सिंचाई होती है तो सिंचाई का रेट लिया जाता है और अगर नहीं होती है तो बारानी का लिया जाता है। लेकिन जीतड़ा, नीमली, पाली जिले में, उनमें अगर सिंचाई का पानी नहीं दिया जाये तब भी उनसे सिंचाई का रेट लिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या सिंचाई मंत्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे? एक गांव में सिंचाई हो तो सिंचाई का लगान और अगर सिंचाई न हो तो नहीं। दूसरे गांव में अगर सिंचाई नहीं भी हो तो भी सिंचाई का लगान लिया जाता है। दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कई जगह छोटे छोटे बांधों की योजनायें हाथ में ले लेते हैं। पानी देता है या नहीं देता है यह नहीं देखते हैं। यह भी नहीं देखते है कि इन योजनाओं से नुकसान तो नहीं हो रहा है। दूसरे गांव वालों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कई योजनायें पाली तहसील में चली हैं। वहां रेडियो नदी को रोककर भटिण्डा बांध बनाया जा रहा है। अगर यह बांध बन

(श्री शंकरलाल)

गया तो रेडियो नदी के पास वाले जो गांव हैं, वह बिल्कुल सूख जायेंगे। वहां के कुओं का पानी सूख जायेगा। आप यह तो सोचें कि रेडियो नदी के बांधने से किस को नुकसान पहुंचेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पाली तहसील के अन्दर जो नदी का धोरा बांधा गया है, उस धोरे से ग्यारह, बारह गांवों को जिनमें कूड़ा, डुडली, और उससे आगे के गांवों को नुकसान हुआ। उनके कुओं का पानी सूख गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय को कि आप पाली तहसील में रेडियो नदी को रोक कर जो भटिण्डा बांध बना रहे हैं, उस पर पुनर्विचार करें।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि और भी योजनायें हैं, पाली तहसील के अन्दर जो कि अधूरी हैं। अगर उनको हाथ में लिया जाये तो बहुत कम खर्चे से काम हो सकता है। सिचाई के साधन हो सकते हैं। कई नयी नयी योजनायें लेते हैं। भांवरी तालाब है, वह अगर सिचाई के लिए अभी आप नहीं बनाते हैं तो वह वापिस बेकार है। इसी तरह बोट्ट का तालाब है, रोहे का तालाब है, भोपाल सागर तालाब है—इनकी रिपेअर करने से काफी जमीन की सिचाई हो सकती है। इस प्रकार प्रत्येक जिले में सर्वे हो चुकी है, वहां पर जो टूटे हुए तालाब हैं जिनकी रिपेअर करने से सिचाई हो सकती है—इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। पाली जिले में बायत गांव का सवाल है, दूसरे गांवों का सवाल हैं, चूंकि समय कम है, इसलिये मैं लिस्ट माननीय मंत्री जी को दे दूंगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे तालाबों की रिपेअर करने से कितनी जमीन की सिंचाई हो सकती है इसलिये इन कामों को लें बनिस्बत इसके कि आप नई योजना को लें।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं, साही डाइवर्शन की स्कीम है, इसको आप जिस तरह शिथिलता से चला रहे हैं वह ठीक नहीं है। आज जोधपुर के अन्दर ड्रिंकिंग वाटर की प्राब्लम है, एक तरफ वहां पानी चाहिए दूसरी तरफ पाली जिले के लोग हैं वह सिंचाई के लिये पानी मांगते हैं। जैसा सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक तरफ इर्रीगेशन के लिये पानी चाहिये, दूसरी तरफ पीने के पानी की तकलीफ है, इसलिये जहां पीने के पानी की तकलीफ है वहां पर पहले पानी दिया जाये। इस साही डाईवर्शन स्कीम से जवाई बांध में पूरा पानी आ जाता है तो जोधपुर को पीने का पानी आप सप्लाई कर सकेंगे और पाली जिले में भी पीने का पानी दे सकेंगे और सिचाई के लिए भी दे सकेंगे। अगर आप पाली जिला और जोधपुर जिला—इन दोनों जिलों का भला करना चाहते हैं, पीने के पानी की समस्या का हल करना चाहते हैं,

(श्री शंकरलाल)

सिंचाई की समस्या का हल करना चाहते हैं, तो सही डाईवर्शन की स्कीम है उसको जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करें, इस काम को शिथिलता के साथ में नहीं करें, नहीं तो इसका उपयोग नहीं होगा। आप इस काम को जल्दी से करें ताकि आने वाले जमाने में पानी की कोई समस्या ही नहीं रहे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रतापसिंह।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई की नीति में माइनर इरीगेशन पर जो राज्य सरकार ने पूरा ध्यान नहीं दिया है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेजर प्रोजेक्ट्स के लिये राज्य सरकार ने इस वर्ष भी लगभग 11 करोड़ का और आयन्दा साल में भी लगभग 16 करोड़ का प्रावधान रखने की घोषणा की है किन्तु माइनर इरीगेशन के जो छोटे तालाब हैं उनकी मेन्टीनेन्स के लिए कोई पूरा प्रावधान बजट में दृष्टि-गोचर नहीं होता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो असेट्स माइनर इरीगेशन के आपके पास में बने हुए हैं, कम से कम उनकी मेन्टीनेन्स करने के लिए पूरा प्रावधान रखना चाहिये। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो चीज हमारे हाथ में है उसको हम मेन्टीनेन्स न करके उसको डेप्लोरेबल कन्डीशन में डाल दें। मैं विशेष कर अजमेर जिले के तालाबों की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अजमेर जिले में मेजर प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, मीडियम प्रोजेक्ट्स अलबत्ता एक दो जरूर हैं, किन्तु सौभाग्य से यह मैं निवेदन कर सकता हूं कि अजमेर जिले के हर गांव में आपको एक छोटा मोटा तालाब अवश्य मिल जायेगा और उन छोटे मोटे तालाबों के आधार पर सिंचाई की सुविधा मिल सकती है। लेकिन मेन्टीनेन्स के अभाव में वह खराब हो रहे हैं। उनके फीडर तैयार नहीं होते हैं। फीडर तैयार नहीं होते हैं और तालाब में पानी आने का एक रास्ता है वह टूटा हुआ रहता है और उसके फल-स्वरूप पानी तालाब में आता नहीं है, इधर उधर फैल कर निकल जाता है और तालाब खाली रह जाता है। अनेक स्थानों पर भाग्य से फीडर ठीक है और पानी तालाब में आ भी जाता है तो वहां के तालाबों की मोरियां और नालियां बन हुई है, उनकी बहुत ही बुरी दुर्दशा है। जब वह सिंचाई के लिए खोली जाती हैं तो नालियों के अभाव में और मोरियों के आधुनिक ढंग से खोलने और बन्द करने के अभाव में पानी का बहुत दुरुपयोग हो जाता है, वह पानी खेतों तक पहुंच नहीं पाता है, उसके कारण से फसलों को हानि उठानी पड़ती है क्योंकि पानी वैसे ही अधिक बर-बाद हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो असेट्स आपके पास बने हुए हैं उनकी मेन्टीनेन्स के लिए बजट में पूरा प्रावधान करें और उनकी उचित व्यवस्था जिलों में करने के लिए योजना-बद्ध तरीके से कार्य करें अथवा मैं यह कहूं कि एक मास्टर प्लान आप तैयार करवा दें। अजमेर जिले के लिए तो यह एक सराह-नीय कार्य राज्य सरकार का होगा। इसके

Page No 133

(श्री प्रतापसिंह)

साथ में अर्थाभाव तो होता ही है लेकिन अजमेर जिले में इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट के पास पूरा स्टाफ भी उपलब्ध नहीं है। अजमेर जिले के एक्स. ई. एन. हैं उनको तीन जिले दे रखे हैं, टोंक, नागौर और अजमेर जिनके तालाबों की संख्या को देखते हुए एक एक्स. ई. एन. के पास इतना कार्य भार रहना उचित नहीं होता है। इसके साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक्स. ई. एन. के नीचे ए. ई. एन. और ओवरसियर हैं वह भी पर्याप्त संख्या में नहीं होते हैं, इस वजह से पूरी तरह से तालावों की देखरेख नहीं हो पाती है। समय पर देखरेख नहीं हो पाती है तो देखरेख के अभाव में वर्षा काल में कई तालाव क्षतिग्रस्त हो जाते हैं इसलिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप कम से कम वहां पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नियुक्त करें ताकि यह स्टाफ के अभाव में तालावों को क्षति पहुंचती है और उसके फलस्वरूप जो आर्थिक हानि उठानी पड़ती है उससे बचा जा सके।

यहां पर मैं आपको पंचायत समिति के तालाबों के लिए भी निवेदन करना चाहूंगा। पंचायत समितियों के सम्बन्ध में भी यह हालत है कि आपने पचास एकड़ की सिंचाई से कम क्षमता वाले तालाब पंचायत समितियों को सौंप दिये हैं, लेकिन उनकी मेन्टीनेन्स के लिए, उनकी देख रेख के लिए उनको कोई साधन और स्टाफ नहीं दिया है। यदि उनको साधन और स्टाफ उपलब्ध करवा देते हैं तो मेरी ऐसी धारणा है कि उन तालाबों से भी निश्चित तौर से सिंचाई की क्षमता बढ़ सकेगी और उसके फलस्वरूप आपकी आय में भी वृद्धि होगी। यह सम्भवतः मन्त्री महोदय अपने उत्तर में फर्मा देंगे कि अर्थ वर्क का सवाल है। मार्जिनल फार्मर्स स्कीम और क्रेश स्कीम इन दोनों स्कीम में कुछ काम किया गया है लेकिन मार्जिनल फार्मर्स स्कीम और क्रेश स्कीम के अन्तर्गत वहां के तालाबों पर इसलिए कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो जाती है कि जो आपने स्कीम के अन्तर्गत अर्थ वर्क का कम्पोनेन्ट और मिशनरी वर्क का कम्पोनेन्ट रखा है, उसका रेश्यो और प्रपोर्शन का तालमेल कार्य के अन्दर बैठता नहीं है। प्रायः नालियां और चैनल्स का काम है वह पक्का होता है, वह पक्का होता है जब कि क्रेश स्कीम और मार्जिनल फार्मर्स स्कीम के अन्तर्गत पक्के कार्य के लिए प्रावधान बहुत ही कम रखा गया है। यह केवल अनएम्प्लायमेंट प्राबलम को सोल्व करने के लिए और सीमान्त कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिए स्कीम लागू की जा रही है, इसलिए इस ओर राज्य सरकार ध्यान देकर अर्थ के अभाव में तालाबों को ठीक कराना चाहती है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से मिशनरी वर्क और अर्थ वर्क का कम्पोनेन्ट है उसमें तकनीकी सलाह के अनुसार रिसेक्सेशन करवाने का प्रयत्न करें ताकि इस जिले के तालाबों को आप ठीक तरीके से मेन्टेन कर सकें और जो आपका अर्थ भार है उसको भी इसके द्वारा कम किया जा सके।

(श्री प्रतापसिंह)

इसके अलावा सिंचाई जो छोटे तालाबों में हो रही है, उसके लिए जब काश्तकार को सिंचाई करवानी होती है तो उस समय उसको जिला हैडक्वार्टर पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। जिला हैडक्वार्टर पर जैसा मैंने पहले निवेदन किया एक्स. ई. एन. महोदय प्रायः उपस्थित नहीं होते हैं। उनको तीन जिलों का दौरा करना पड़ता है, मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है तो उनकी अनुपस्थिति में काश्तकार को सीधा सा जवाब मिल जाता है कि वह उपस्थित नहीं है। जब आयेंगे तब निर्णय किया जाएगा। उसको निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। यदि उपलब्ध हो भी जाते हैं तो काश्तकार को वहां उनकी आफिस पहुंचने में और एक्सी. ई. एन. तक पहुंचने में काफी कठिनाई होती है। इसलिए उसको वहां से निराश होकर लौटना पड़ता है उस समय जब काश्त का समय होता है काश्तकार बहुत ही व्यस्त रहता है, उसका जिला हैडक्वार्टर तक जाने में काफी कठिनाई होती है। इसलिए जो मीटिंग एक्सी. ई. एन. जिला हैडक्वाटर पर बुलाते हैं सिंचाई का पानी देने के लिए उसमें संशोधन करके कमसे कम यह प्रावधान किया जाए कि ऐसी मीटिंग स्थानीय सरपंच द्वारा बुलाई जा सकेगी और उस मीटिंग में जैसे नियमानुसार निर्णय होगा, उनके अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं अनेक तालाब हैं जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इस पर प्रकाश डाला है, तकनीकी अधिकारियों की सलाह पर बहुत कुछ सिचाई के कार्य की प्रगति निर्भर करती है। गत वर्षा में किशनगढ़ क्षेत्र में बाढ़ आई थी और उसके अन्तर्गत अनेक तालाब टूट गये थे। तालाबों पर राज्य सरकार ने तत्काल सिरकियां भेजी, अनेक तालाब तैयार हो गए थे और बहुत से तालाब काफी क्षतिग्रस्त थे, अभी भी उसी अवस्था में पड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए लम्बा सागर के लिए निवेदन करना चाहता हूं। यद्यपि उसकी धन राशि स्वीकृति हो चुकी है ऐसा मुझे जिला कार्यालय से पता लगा है

(5.45 म. प०)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

किन्तु उसका कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है यद्यपि एक्स ई. एन. ने आश्वासन दिया है कि इस वर्षा से पहले वह कार्य पूर्ण कराया जाएगा परन्तु मुझे आशंका है कि वर्षा काल नजदीक आ चुका है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतने अल्प समय में इतने बड़े कार्य को पूर्ण कर देंगे या नहीं। इसके साथ में जो तालाब टूट गए थे उनकी चद्दरों का लेबिल भी नीचे किया जा रहा है। इससे सिंचाई की क्षमता कम हो गई जबकि हमें सिंचाई की क्षमता को बढ़ाना है।

सिंचाई के तालाबों के अतिरिक्त जिन तालाबों का जनहित की दृष्टि से बड़ा

(श्री प्रतापसिंह)

महत्व है, और मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। किशनगढ़ में जो एक गोगुंदा तालाब हैं, बहुत ही अच्छा तालाब है किंतु उसके तटबंधन का प्रावधान आज तक नहीं किया गया है और उसके अभाव में जब भी सिंचाई विभाग से उसकी मरम्मत के लिए निवेदन किया जाता है तो धनाभाव का बहाना उसके पास सीधा रहता है और उसके कारण उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वह एक अच्छी झील है जिसका राज्य सरकार यदि विकास करे तो बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। समय के अभाव में मैं ज्यादा न कह कर यही निवेदन करता हूँ कि उसका विकास करें, इससे काफी अच्छी आमदनी हो सकती है, इसलिए इसकी ओर ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा जो अमीर तालाब है उससे यद्यपि सीधी सिंचाई कुछ भी नहीं होती है लेकिन अनेक गांवों में इससे लाभ पहुंचता है और जो मदनगंज की जनता है, वह उससे काफी लाभ उठाती है खास तौर से जो मजदूर तबका है वह उससे अपने नहाने धोने की व्यवस्था और पीने के पानी की व्यवस्था करती है। इसका विकास होना अत्यन्त आवश्यक है, विकास इस मायने में कि वहां जो मल-मूत्र की नालियां हैं और कारखानों का पानी जो इसमें गिराया जाता है, उसकी ड्रेनेज की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा करना अत्यन्त आवश्यक है। इस बिन्दु को लेकर अनेक बार शांति भंग होने की स्थिति पैदा हो गई थी और स्थानीय जनता ने मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। तो इस ओर शीघ्र ही ध्यान देकर वहां की ड्रेनेज व्यवस्था को पूरा करने के लिए मंत्री महोदय अपने भाषण में प्रकाश डालने की कृपा करें।

इसके साथ मैं अजमेर जिले में खास तौर से जल का काफी अभाव है उस स्थिति में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो अजमेर जिले का अंडरग्राऊंड वाटर सर्वे है, उसके आधार पर अथवा जिन पंचायत समितियां में और तहसीलों में जहां सर्वे नहीं की गई हैं, वहां तत्काल कराकर और वहां धरती में जो पानी हैं उसको कम कराने के लिए भी बोरिंग आदि की व्यवस्था करें तो वहां सिंचाई की व्यवस्था को आगे बढाने में काफी हद तक सफलता मिलने की संभावना है और इसके द्वारा सिंचाई क्षेत्र बढाने की आशा है इसलिए संबंधित विभाग को इस ओर सतर्क रखकर शीघ्र कार्यवाही करें ताकि वहां की जनता को लाभ मिल सके।

श्री जगमोहन सिंह (छाबड़ा) : सभापतिजी, सिंचाई विभाग की मांगों पर मैंने अपने क्षेत्र में सिंचाई के अभाव के बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। मेरा जो क्षेत्र है छबड़ा वह मध्य प्रदेश की सीमा पर लगा हुआ है और बोर्डर सब-डिवीजन है। आज तक पिछले 25 सालों में इस क्षेत्र में सिंचाई की कोई योजना लागू नहीं की गई हैं जबकि इस क्षेत्र में 3—4 नदियां बहती हैं और उनके जल की अगर योजना बनाकर उपयोग किया जाए तो उस क्षेत्र को काफी लाभ हो सकता है। इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा जिले में चंबल की जो सिंचाई योजना बनाई गई हैं उससे शायद यह आभास होता है कि

Page No 136

(श्री जगमोहन सिंह)

सारे को सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय, से निवेदन करूंगा कि चम्बल बान्ध से कोटा जिले की सिर्फ चार तहसीलों को पानी मिला हैं बाकी 8 तहसीलों के अन्दर चम्बल से पानी नहीं मिल रहा हैं वहां पर इसके, पानी का कोई उपयोग नहीं हैं। वहां पर कोई सिंचाई नहीं होती हैं। आज सिंचाई की दृष्टि से कोटा जिले की आठ तहसीलें छाबड़ा, छीपा बड़ौद, अटरू, किशनगंज, शाहबाद आदि इनके क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर चम्बल के पानी सिंचाई के लिये हाथ नहीं आता। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में पार्वती नदी बहती हैं उसमें अगर बान्ध बनाया जाय तो वहां पर हाईड्रोइलेक्ट्रिक ब्रान्च बन सकता है। राज्य सरकार द्वारा सन् 64-65 में एक प्रोजेक्ट बनाने की योजना बनाई गई थी उसका सर्वे भी कराया गया था और उस प्रोजेक्ट की घोषणा भी हो चुकी है अगर उस योजना को पूरा किया जाय तो 4 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती हैं और इस पर हाईड्रो-इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी लग सकता है जिससे काफी मात्रा में बिजली की प्राप्ति हो सकेगी। अगर योजना पूरी हो गई तो हमारे कोटा जिले की छबड़ा, छीपाबड़ौद और अटरू, शाहबाद के क्षेत्र में पानी सिंचाई के लिये मिल सकता हैं और काफी मात्रा में सिंचाई हो सकती हैं जिससे कि उत्पादन बढ़ेगा। इस स्कीम के बारे में राज्य सरकार को कई बार इस सदन में प्रश्नों के माध्यम से निवेदन किया गया, इस सदन में इस योजना की चर्चा भी की गई पर राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। राज्य सरकार का कहना है कि इसका केचमेन्ट ऐरिया मध्यप्रदेश में पड़ता है। इसलिये इस योजना को चालू नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि मध्य-प्रदेश भी हमारे भारतवर्ष का प्रोविन्स है, हमारे देश का ही अंग है, तो क्यों नहीं राजस्थान सरकार व मध्यप्रदेश का इसके लिए एक इन्टर-स्टेट-कमीशन फोर इरीगेशन नियुक्त किया जाय और बाद में टर्म्स एण्ड कण्डीशनस् दोनों प्रदेशों के बीच में हो उस तरह की कार्यवाही की जाय? राजस्थान सरकार का कहना है कि चूंकि नदी का केचमेन्ट ऐरिया मध्यप्रदेश में है अतः वही इसमें कार्यवाही करें। दूसरे उस नदी का ज्यादा पानी राजस्थान में बहता है और उस पर बान्ध बनने से हमारे कोटा का छबड़ा, छीपाबड़ोद, अटरू, शाहबाद और किशनगंज का जो ऐरिया पड़ता है उस क्षेत्र में काफी सिंचाई के लिये पानी मिल जावेगा। जिससे उत्पादन बढ़ेगा। इसके अलावा मध्यप्रदेश सरकार ने उसके लिये कोई योजना नहीं बनाई, उनका व्यू यह है कि इसका मेजर पोरशन चूंकि राजस्थान में बहता है इसलिए वह इसमें इन्ट्रेस्ट नहीं लेती। तो मेरा निवेदन है कि अगर दोनों राज्य सरकारें आपस में बैठ कर बातचीत करें और बाद में उस पर योजना बनावें तो मध्यप्रदेश की जनता को और राजस्थान के कोटा जिले की तहसीलों को राहत पहुंचेगी। दूसरा मेरा निवेदन है कि अगर राजस्थान वाले इसे तैयार करवालें तो राजस्थान को तो फायदा होगा ही उस

(श्री जगमोहन सिंह)

के साथ-साथ मध्यप्रदेश की जनता को भी फायदा होगा । आज जब हम प्रगतिशील विचार के हैं तो अगर हम कोई योजना बनाते हैं और इससे अगर मध्य प्रदेश की जनता को भी फायदा हो जावे तो अच्छा है और अगर इस प्रकार जो नदियां हैं जिनका कि केचमेन्ट ऐरिया मध्यप्रदेश में है पर उनका बहाव हमारे कोटा, इन तहसीलों छबड़ा, छीपाबड़ोद, शाहबाद, अटरू वगैरह के क्षेत्र में हैं, उस पर अगर बान्ध बना दिया जाये तो सिंचाई के लिये काफी पानी काश्तकारों को मिल सकता है जिससे उत्पादन बढ़ेगा और वहां की जनता को राहत मिलेगी । तो मैं यह निवेदन आपके मारफत मंत्री महोदय को करना चाहता हूं कि छबड़ा का जो क्षेत्र है वह अभावग्रस्त क्षेत्र है और हमेशा से पिछड़ा हुआ है । यहां पर आज तक कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है । वहां पर न सड़कें हैं, न वहां पर बिजली है और न हो वहां पाठशालायें हैं । इन सभी विकास कार्यक्रमों में यह राजस्थान में दूसरे जिलों से पिछड़ा हुआ है । इसलिये मेरा निवेदन है कि अब इस इलाके में विकास कार्य जल्दी से जल्दी किया जाय और इसमें प्रिफरेन्स दूसरे जिलों से विकास के कार्यों के लिये दिया जाय और इस अन्डर डेवलप्ड ऐरिया के विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाय । इसी सन्दर्भ में मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को इसके अलावा वहां लघु सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहन देना चाहिये वहां पर डिगलोद बान्ध है उसे पूरा कराया जावे तो उससे भी इस क्षेत्र में सिंचाई अच्छी हो सकती है । इसके बारे में आपको इतना निवेदन करदूं कि उसका प्लान बन चुका है, सर्वे भी हो चुका है, पर आज तक उनका कार्य शुरू नहीं हुआ है इसका भी यही कारण है कि उसका केचमेंट ऐरिया मध्यप्रदेश है । तो जैसा कि मैंने निवेदन किया कि अगर राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश सरकार दोनों ही बैठ कर अगर इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिये बातचीत करके इन योजनाओं को पूरा करे तो दोनों ही प्रदेशों की जनता को लाभ हो सकता है । सभापति महोदय, मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह कोटा जिलें की जो यह 8 तहसीले हैं–छबडा, छीपाबडोद, अटरू, किशनगन्ज, शाहबाद, दीगोद, जो तहसीले हैं–उसमें से छबड़ा का क्षेत्र है, वह बहुत ही पिछड़ा है, उसमें सड़कें, शिक्षा, बिजली तथा सिंचाई की योजनाओं को पूरी करने की कृपा करावें ताकि इन अन्डर डेवलप्ड क्षेत्रों का विकास हो और जनता को राहत मिले । बस इतना ही मेरा निवेदन है ।

श्री **सभापति** : श्री मुन्शीलाल ।

श्री **मुन्शीलाल** : सभापति महोदय, आज सदन में सिंचाई योजनाओं के बारे में बहस हो रही है, उसमें मेरा निवेदन है कि आज राजस्थान बनने के बाद कई जगह विकास कार्यक्रम हुए इसमें कई जिलों में सिंचाई के कार्यक्रम शुरू हुए । इधर राजस्थान नहर के शुरू होने से तथा उसका कार्य जहां जहां सिंचाई के लिये शुरू हुआ वहां सिंचाई होने लग गई है और यह नहर पूरी हो जाने के बाद राजस्थान नहर से राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है वह

(श्री जगमोहनसिंह)

सरसब्ज हो जायेगा। सभापति महोदय, राजस्थान नहर के रिटर्न राजस्थान के पश्चिमी जिलों के लोगों को मिलेंगे । यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसे जल्दी से जल्दी पूरी कराई जानी चाहिए। लेकिन राजस्थान के पूर्वी हिस्से में और खास तौर से जयपुर जिले में सिंचाई के लिये कोई योजना नहीं बनी है और अगर किसी का प्लान बना भी होगा तो उसकी क्रियान्विति नहीं हुई है। तो मेरा निवेदन है कि यहां पर सिंचाई योजनायें बनाई जांय। यहां पर कई प्रकार की जमीन है। यहां पर जहां पर पथरीली जमीन है वहां पर छोटे छोटे बान्ध हैं उन्हे बान्धे जावें तो काफी सिंचाई क्षेत्र में हो सकती है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र बस्सी की ओर आकर्षित करके मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर एक ढंढ नदी है । उस नदी पर बान्ध के बारे में योजना भी राज्य सरकार द्वारा बना प्लान तैयार हो गया व उसका सर्वे भी हो गया । इसका सर्वे कानोता बान्ध के नाम से हुआ है।

(5.55 बजे)

(श्री रामसिंह यादव उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस कानोता के बान्ध का कार्य जल्दी शुरू किया जाना चाहिए । मेरी ऐसी मान्यता है कि कानोता प्रोजेक्ट के शुरू होने से हमारे क्षेत्र में सिंचाई भी होगी, काश्तकारों को खुशहाली होगी और उसके साथ जयपुर को पानी की समस्या का भी हल होगा। दूसरा जो लालगढ़ बान्ध है उसका भी जीर्णोद्धार किया जाय तो जयपुर जिले के कई गांवों की पानी की समस्या हल होगी । इसके साथ साथ और भी छोटे छोटे बांध है अगर उन्हें बनाये जायें तो जैसे पाटन बान्ध, अखेपुरा बान्ध है उन्हें भी शुरू किया जाय तो काफी एरिया में सिंचाई होगी। ये उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे छोटे बान्ध हैं जो कि 20 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक में कम्पलीट किये जा सकते हैं और इससे सिंचाई के लिये पानी जमवा रामगढ़, बस्सी, दौसा के क्षेत्र को मिल सकेगा और जो आज जयपुर को पानी की कमी है वह भी ठीक हो जावेगी। दूसरी बात मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि पहले रामगढ़ के बान्ध से, उसके नीचे जो ऐरिया में गांव आते थे वहां सिंचाई उसके पानी से होती थी वहां अब रामगढ के बान्ध से पानी जयपुर को देने की वजह से सिंचाई के लिये पानी नहीं दिया जाता है । और आज वहां पर काश्तकार पानी नहीं मिलने से बरबाद हो रहे हैं । राज्य सरकार को चाहिए कि जैसा मैंने सुझाव दिया कि छोटे बान्धों को बनाकर कार्य शुरू करें तो काफी सिंचाई हो सकती हैं और खास तौर से मेरा निवेदन है कि रामगढ़ के बान्ध से जिस ऐरिया में पहले सिंचाई के लिये पानी दिया जाता था उस ऐरिया में पानी सिंचाई के लिये दिया जाना चाहिए । जिससे कि उत्पादन बढ़े और वहां के काश्तकार को राहत मिले । इसके अलावा में यह भी निवेदन करूंगा कि बस्सी, सिकराय क्षेत्र में माइनर इरीगेशन के कार्य शुरू कराये जांय और उसके लिये एग्रीकल्चर फाईनेन्सियल कारपोरेशन की मदद से स्कीमें बनाई जांय । इसी प्रकार जटवाड़ा नदी पर ऐनीकट बनाये जायें ताकि यहां पर सिंचाई हो सके । दूसरे इस

Page No 139

(श्री जगमोहनसिंह)

क्षेत्र का विद्युतिकरण भी किया जाय ताकि इस क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था तेजी से हो सके। तो इस लिए यह बहुत जरूरी है कि सिकराय ग्रौर बस्सी तहसील इतनी ग्रच्छी हैं कि जहां पर कुछ एरियाज में माइनर इर्रीगेशन स्कीम, जो एग्रीकल्चर फाइनेन्स कार्पोरेशन से बनती है, इस ग्रोर ध्यान दिया जाय तो दोनों तहसीलों के काश्तकारों को फायदा हो सकता है।

जटवाड़ा में नदी बहती है। उसका एनीकट बना दिया जाय तो ज्यादा सिंचाई हो सकती है। जयपुर जिले में इस ग्रोर उपेक्षा बरती गयी है। हम यह चाहते हैं, हमारी यह भावना है कि जब करोड़ों रुपया खर्च करते हैं तो हमारे जयपुर जिले में भी खर्चा किया जाना चाहिए ग्रौर उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। राजस्थान में सिंचाई का कार्यक्रम चल रहा है वह ग्रसंतुलित है उसको बेलेन्स करने के लिए यह जरूरी है कि माइनर इर्रीगेशन स्कीम को चालू किया जाय, छोटी छोटी नदियां नाले बहुत है, तालाब बांध कर वहां के काश्तकारों को फायदा पहुँचाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ सिंचाई मन्त्री महोदय से निवेदन है कि लालगढ बांध ग्रौर कानोता बांध का इमिडेयेट ग्रार्डर देकर तैयार करावें। जयपुर में इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट के जो ग्रफसरान हैं उनसे कार्यक्रम पूछा जाय कि वे क्या कार्यक्रम बनाते हैं। क्रेश प्रोग्राम में दो प्रोग्राम दिये बरसात शुरू होने पर भी काम नहीं होगा। इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट ग्रपनी जिम्मेदरी नहीं निभाता इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्राप प्रशासन से तेजी से काम कराने की कोशिश करायेंगे ग्रौर हम चाहते हैं कि जितने ग्रफसरान है वे तेजी से काम करें तो हमारे इलाके को फायदा हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरलाल।

श्री मनोहरलाल (कामां) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां गंगानगर जिले में बड़े बड़े बांध हैं वहां छोटे कस्बों की बात करना चाहता हूं।

राजस्थान कैनाल जैसी वहां बड़ी योजना है। मेवात में एक छोटी योजना है जिसका नाम गुड़गांव कैनाल है। उपाध्यक्ष महोदय, ग्राप भी ग्रच्छी तरह से परिचित होंगे कि कुछ ग्रलवर का हिस्सा, कुछ भरतपुर का हिस्सा ग्रौर कुछ हरियाणा का हिस्सा मिला कर मेवात बनता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि गुड़गांव नहर के नाम से खोदी जाती है। सात साल में सात मील नहर खोदी है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि नाम नहीं लूंगा ग्रौर किसी व्यक्ति विशेष का नाम भी नहीं लेना चाहता किन्तु इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत बड़े घपले हैं, घोटाले हैं, उत्तर प्रदेश के लोग ठेकेदार बनकर ग्राते हैं, लाखों के गड़बड़ घोटाले हैं, दरख्वास्तें दी लेकिन इस ग्रोर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि भ्रष्टाचार से ही बजट चलता है तो इसके लिए ग्रलग से बजट रख लीजिये गुड़गांव कैनाल के एक करोड़ रुपये में से पचास लाख रुपया भ्रष्टाचार के लिए रख लीजिए ...

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर) : कौनसी मद होगी ?

श्री मनोहरलाल : चुनाव फंड होगा ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके हिस्से में तो नहीं आवेगा ?

श्री मनोहरलाल : मेरे पास तरीके हैं, मैं आपसे ले लूंगा और आप से कोई रिश्ता कायम कर लूंगा ।

तो उस गुड़गांव कैनाल को सात वर्ष में सात मील किया गया । मैं चाहता था कि डीग तक आजाय और आगे चल कर रामगढ़ तिजारा तक चली जाय । पता नहीं यह दस वर्ष में होगा और इस बीच में सारी जमीन बेकार हो चुकी है । जिन अधिकारियों ने मनीराम, लक्ष्मीलाल हजारीलाल से मुलाकात कर ली फीस दे दी, नामजद काश्तकार बता सकता हूं सालों से चिल्ला रहे हैं कि गुड़गांव नहर खोदी गई सात साल में सात मील । बड़े बड़े गांव हैं जहां एक पैसा नहीं दिया गया मुआवजे का. जिन लोगों ने गड़बड़ करा लिया, हिस्सा करा लिया उनको मुआवजा दे दिया गया । इसके लिये समय मुकर्रर करके जांच करें और आप पता लगायें कि गुड़गांव कैनाल में पिचिंग वर्क में कितने गड़बड़ घोटाले हुए हैं ।

कामां पहाड़ी जिसको गोवर्धन ड्रेन कहते हैं इसको बांधने के लिये यह किया गया है । के. पी. ड्रेन, हल्लु का ड्रेन और ऊंचा गांव तीनों जगह रेगुलेटर बने हुए है । हरियाणा सरकार सारा पानी हमारी तरफ भेज देती है । कामां तहसील का सारा हिस्सा डूबा रहता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय मंत्री श्री राजबहादुर ने गलत कहा या सही कहा के. पी. ड्रेन गलत तरीके से बना दिया गया । हरियाणा से लाकर डाल दी गई है । एक तरफ इससे सिंचाई के लिये पानी नहीं मिलता और दूसरी तरफ कामां तहसील, डीग और भरतपुर का हिस्सा पानी में डूबा रहता है । खरीफ की फसल बह जाती है और रबी के लिये खुलासा नहीं होता है । इसके लिये अब फिर रुपया चाहिये । टेक्निकल ओपिनियन गलत बन गई तो इसकी जांच की जाय । के. पी. ड्रेन पानी निकालने के लिये नहीं आती है किन्तु हमको डुबोने के लिये आती है । हल्लू का ड्रेन में 11 आदमी डूब गये । रेगुलेटर पर उत्तर प्रदेश के लोग हैं । हरियाणा लेना नहीं चाहता, उत्तर प्रदेश लेना नहीं चाहेगा । पन्द्रह बीस गांव आज भी डूबे हुए हैं । तीनों राज्य का, हरियाणा का पानी हमको डूबोता है । तीन रेगुलेटर का, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का रेगुलेटर का सुपरविजन, उनका कंट्रोल एक अधिकारी के नीचे हो ताकि पानी निकालने का झगड़ा न हो और इलाका डूबे नहीं । पहाड़का पानी सड़कों को तोड़ता है । सुनहरा गांव, कथानो, खेला बांसोली, इन गांवों के लोगों ने मांग की लेकिन पता नहीं क्या कार्यवाही की । दोनों जगह का पानी बांध दिया जाय तो 12 गांवों को पानी दे सकते हैं । छोटी सिंचाई के कार्य हो सकते हैं । यहां पर खेरो वारोली के बांध का काम एक महीने पहले शुरू कराया गया लेकिन वह रोक दिया गया । अन्त में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि एक माथुर

(श्री मनोहरलाल)

साहब इन्जीनियर है अलवर में। वे जब भी दौरे पर जाते हैं तो शौकिया जीप चला रहे थे। उनकी जीप का एक्सीडेन्ट हो गया और एक बालक मर गया। मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता हूं कि उन्होंने ड्राईवर को दबाकर उसके ऊपर डाल दिया और इन्जीनियर साहब बच गये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्जीनियर जो कि सस्पेण्ड भी हो सकता था, उनके खिलाफ कोई मोरल टरपीट्यूट नहीं हो सकता था, कुछ रुपया जुर्माना हो सकता था या प्रथम अपराध के रूप में प्रोबेशन के बतौर फायदा भी मिल सकता था तो वह इन्जीनियर महोदय अपने लिए इतना सोचते हैं कि खुद ने अपराध किया और ड्राईवर पर डाल दिया और उन्होंने सिचाई विभाग से 175 कर्मचारियों को निकाला है। मैंने दो स्थगन प्रस्ताव पेश किये है सदन में उनके ऊपर पता नहीं क्या हुआ। उसका क्या जवाब हुआ पता नहीं। एक तो खारिज कर दिया गया और दूसरा सरकार की जांच के लिए भेज दिया गया। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि एक तरफ तो माथुर साहब अपने बचाव के लिए सारे सरकार की मदद लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ पता नहीं यह बदला लेना चाहते है उस जुर्म का छोटे छोटे कर्मचारियों से कि 7–7 साल की सर्विस के कर्मचारी जो डीग, कामां, सीकरी और भरतपुर में हैं उनको निकाल दिया है। पता नहीं क्या बात है। उन्होंने अपनी सरकार अलग से कायम कर ली है। मैंट्रीकुलेट मुन्शी इर्रीगेशन विभाग में रखे जाते हैं और जो मेट्रीकुलेट मुन्शी हैं उनकी अपने आप ही ग्रेड कर दी है उन्होंने 1970–71 में जो ग्रेड नान-मेट्रीकुलेट को दी यह मेट्रीकुलेट को देना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि लेना चाहें तो लें नहीं तो नौकरी छोड़कर चले जाओ। एक तरफ आप रोजगार देने की बात करते हैं और एक तरफ आपका एक इन्जीनियर 175 कर्मचारियों को निकाल देता है। पता नहीं उच्चाधिकारियों को मालूम है या नहीं। मैंने उच्चाधिकारियों से इस मामले को स्पष्ट करने की कोशिश भी की और इस मामले में मैं एक उच्चाधिकारी से मिला भी तो उन्होंने बताया कि हमको इस मामले में जानकारी नहीं है। तो मैं इस सदन में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर 175 कर्मचारियों को निकाला जा चुका है जिनकी सेवायें 7–7 साल की है और मैं निवेदन कर दूं कि इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए और यदि नहीं जाता है तो दस, पांच दिन में शांति और व्यवस्था को खतरा पैदा हो जायेगा।

अंत में एक बात और अर्ज कर दूं कि हमारे इलाके में एक महीने के बाद फिर पानी आयेगा, फिर लोग डूबेंगे और मैं समझता हूं कि आप लोगों ने फैसला कर लिया है, शायद मंत्री महोदय को मालूम हो गया है कि 14 तारीख को डीग और कामां में सभा हुई और दोनों में फैसला लिया गया, कल सुबह आपको सूचना मिल गई होगी कि इस बार यदि इस पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो मजदूर, रिक्शे वाले तो कर सकते हैं और अपनी मांगों को मनवा सकते हैं लेकिन काश्तकार के पास क्या जरिया है डूबने से बचने के लिए। एक ही तरीका है

(श्री मनोहरलाल)

कि वह लगान देना बन्द कर देंगे। अब पांच-सात रोज में फिर मीटिंग होने वाली है और अगर सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला तो डीग और कामां के लोग लगान हड़ताल कर देंगे। मुझे यकीन है कि मंत्री महोदय ध्यान देंगे और अगर ध्यान नहीं देंगे तो सरकार को फिर लगान मिलने वाला नहीं है। लोग पानी से बहुत परेशान हो चुके हैं, पता नहीं इसका क्या नतीजा होगा ? अब की या तो कोई नेता डूबेगा या क्या होगा पता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई मंत्री जी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष जी मैं दो मिनट के लिए बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यो के बोलने के लिए खड़ा होने पर) श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने जयपुर जिले में सिंचाई संबंधी उपेक्षा तथा राजस्थान नहर के संबंध में दो कटौती प्रस्ताव दिये थे। मैं जयपुर जिले की समस्या के बारे में निवेदन करता हुआ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर जिले में सन् 47 के पूर्व 103 बांध थे और 103 बांधों के बाद में 25 वर्ष के दरमियान सिर्फ 6 छोटे बांध और बनाये गये और उनके नीचे जो सिंचाई का रकबा आना चाहिए वह पहले 33 हजार एकड़ रकबा था और आज भी करीब करीब उतना ही है क्योंकि जमुवा रामगढ़ से जो सिंचाई के लिए पानी दिया जाता था वह अब पीने के पानी के काम आता है।

मुझे जो मुख्य निवेदन करना है वह बीसलपुर बांध के लिऐ अर्ज करना है। बीसलपुर बांध योजना जिसके द्वारा एक तरफ सिंचाई की बात होगी और जैसा कामां से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनके जिले में पानी की समस्या है और वहां की भूमि पानी में डूब गयी है और हमारे जिले के अन्दर सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की और दूसरी समस्या हैं सिंचाई के पानी की। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बीसलपुर बांध के लिए इस सदन में आश्वासन दिया गया, एक बार नहीं दो दफा बजट में प्राविजन भी हुआ और जिस बांध से पानी के पानी का समस्या हल होने वाली है उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह उसको ध्यान में रखे और अगर इस काम को आर्थिक परिस्थितियों की वजह से नहीं कर पाते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि अगले वर्ष तक निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखें ताकि समस्या हल हो सके। नलकूप खोदने से यहां की समस्या हल नहीं होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर कुछ ऐसी जगह हैं कि या तो बहुत सूखा पड़ता है या फिर छोटी छोटी नदियों में इस प्रकार का पानी आता है कि जिससे सैंकड़ों तालाब टूट जाते हैं। मुझे खेद है कि हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय तक ने जिलाधीश को और अकाल सहायता मंत्री को एक पत्र लिखकर इसके लिए कहा था कि पिछले वर्ष जब बाढ़ आई उससे जयपुर जिले के सैंकडों तालाब टूट गये और उनकी मरम्मत की तरफ उपेक्षा की गयी है और आज भी

Page No 143

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह काम नहीं हुए तो निश्चित रूप से अब की भी हजारों एकड जमीन जो कि बहुत उपजाऊ जमीन है वह बरबाद हो जायेगी और थोड़े से ही रुपयों में उनकी मरम्मत की जा सकती है। मैं तो यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक महीने में मरम्मत की जा सकती है और उनकी मरम्मत कराने की ओर सिंचाई मंत्री जी ध्यान दें ताकि हमारे यहां कुओं के द्वारा सिंचाई होती है और तालाब टूट जाते हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि कुओं के पानी की सतह नीचे चली जाती है और उसकी वजह से बरबादी भी आती है क्योंकि वह क्षणिक होती है और क्षण में ही नुकसान हो जाता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब की बार उनकी मरम्मत कराई जाये।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि माइनर इर्रीगेशन में पिछले वर्ष 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ और इस वर्ष 1 करोड़ 18 लाख का प्रावीजन रखा गया है। राजस्थान नहर के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अबकी बार भी 11 करोड़ रुपया रखा गया है और कुछ रुपया पौंग डैम के ऊपर रखा गया है, शायद 9 करोड़ का प्रावीजन किया गया है। मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम 80 करोड़ रुपये से अधिक सन् 56 से जब से इस योजना का शिलान्यास हुआ स्वर्गीय गोविन्द वल्लभ पन्त द्वारा तो कहा था कि यह योजना 70 तक पूरी हो जायेगी। आज भी मैं मानकर चलता हूं कि 400 करोड़ रुपये और होंगे तब यह योजना पूरी होगी और मैं यह मानकर चलता हूं कि जिस माइनर इर्रीगेशन की बात थी और उसके अन्दर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के पूरे साधन और 20 वर्ष लग जाये तो भी इस योजना को पूरा नहीं कर पायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष जी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नागार्जुन सागर बांध योजना जो कि आन्ध्र प्रदेश की योजना है उसको राष्ट्रीय योजना मान लिया गया है और राजस्थान की योजना जिसके बारे में भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री कृष्णामाचारी सार्वजनिक रूप से 67 में इसके बारे में घोषणा कर चुके थे कि इसको राष्ट्रीय योजना मानी जावेगी। उस योजना को केवल मात्र राजस्थान के भरोसे छोड देना मैं समझता हूं कि राजस्थान के साथ अन्याय है और राजस्थान के उन जिलों को जैसा फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य संकेत कर रहे थे, बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य भी संकेत कर रहे थे, क्योंकि आप सारे सिंचाई के साधन एक जगह केन्द्रित कर रहे हैं और सारे राजस्थान में जहां रुपया लगाना चाहिये था जिसकी वजह से सिंचाई की व्यवस्था हो सकती थी वह सारी व्यवस्था एक जगह हो गयी है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लक्ष्य था वह प्राप्त नहीं हो सका इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम दिल्ली के अन्दर इस प्रकार की लाबी क्रियेट करें और मैंने दिल्ली में कई संसद सदस्यों से बातचीत की है और उनकी शिकायत है कि राजस्थान की सरकार उनको इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं देती इस बारे में पूरे तथ्य प्रस्तुत नहीं करती है, इसलिये हम लोग इन सारे मामले को

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
संसद के अन्दर नहीं रख पाते हैं। आज उत्तर प्रदेश के संसद सदस्य और अन्य प्रदेशों के संसद सदस्य अपने इलाके की बातों को लेकर संसद में झगड़ा करते हैं, एक माहोल पैदा करते हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जो इतनी महत्वपूर्ण योजना है जो राजस्थान ही नहीं (समय समाप्ति सूचक घण्टी) हिन्दुस्तान के भूगोल को बदलने वाली है, उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई प्रयास भारत सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। सिर्फ कर्जे के रूप में दिया जा रहा है और कर्जे के रूप में जरूर मदद मिल रही है लेकिन जो सारा खर्चा भारत सरकार को उठाना चाहिए वह बात नहीं हो रही है।

मैं अपनी बात एक बात और कह कर समाप्त करूंगा। यहां पर सीकर जिले में खण्डेला के अन्दर पिछले तीन साल पहले बाढ़ आ गई थी और उसमें 12 कीमती जानें गई थीं और सारा मंत्री मण्डल वहां पर पहुंचा था और सभी ने जाकर यह घोषणा की थी कि इस बांध को बांधेंगे और यह जो बाजार के बीच में पानी आता है वह नहीं आएगा। यह सिर्फ ढाई लाख की योजना थी लेकिन न मालूम किस टेक्निकल कारण से, किन्हीं विभागों की वजह से इसको चालू नहीं किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां यह सिर्फ ढाई लाख की योजना है वहां इस योजना के पूरा होने से राजस्थान को कम से कम दो सौ करोड़ की आय होगी। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो सौ करोड़ रुपयों का ही सवाल नहीं है, यहां पर जो खाद का कारखाना लगाने की बात है, पानी की कमी की वजह से जैसे सवाई माधोपुर में तेल शोधक कारखाना नहीं लग सका, उसी प्रकार यह डर है कि कहीं पानी की कमी की वजह से यह खाद का कारखाना भी कहीं दूसरी जगह नहीं चला जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें विशेषज्ञों की रिपोर्ट है कि ढाई लाख रुपया खर्च करने से वहां के बांध को बांधा जा सकता है जिससे वहां की पानी की समस्या भी हल होगी और जो खाद का कारखाना लगने वाला है उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। राजस्थान के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और जो बाढ़ से हानि होती है उससे भी बच सकेंगे और सैंकड़ों बीघा जमीन पर सिंचाई हो सकेगी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो राजस्थान नहर का स्वरूप है और राजस्थान नहर के द्वारा लिफ्ट इर्रीगेशन के द्वारा जो लूणकरणसर के अन्दर व्यवस्था की जा रही है, हालांकि वहां के सदस्यों ने भी काफी कहा है कि वह योजना 71 तक पूरी हो जानी चाहिए थी लेकिन वह पूरी नहीं हुई। मैं सरकार से मांग करता हूं कि चूरू, झुंझनू और सीकर के अन्दर लिफ्ट इर्रीगेशन के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जावे। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस इलाके के लिए पानी की और कोई योजना है भी नहीं। पहले एक बात सोची गई थी और यह कहा गया था कि गुडगांवा कैनाल को लिफ्ट करके लिफ्ट इर्रीगेशन के द्वारा इन जिलों को पानी दिया जावेगा। यहां की जमीन बहुत उपजाऊ है और इस जमीन

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

से काफी पैदावार हो सकती है लेकिन अभी तक यहां की धरती शापित है, यहां के विकास की ओर कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस इलाके के विकास की ओर अब ध्यान दिया जाय और जो हर दृष्टि से उपयोगी इलाका है वहां पर अब इस राजस्थान नहर से लिफ्ट इर्रीगेशन स्कीम के द्वारा पानी पहुंचाया जाय तो बहुत उपयोगी कार्य हो सकेगा। वहां पर पीने के पानी की समस्या हल होगी और सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हो सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक मिनिट में ही समाप्त कर रहा हूं। आज जो राजस्थान नहर का प्रशासन है जिसके सम्बन्ध में गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कई उपयोगी सुझाव दिये हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो करोड़ों रुपयों की मशीनरी बेकार पड़ी हुई है, उसके बारे में वे स्वयं दिलचस्पी लेकर यह जो राष्ट्रीय हानि हो रही है उसको देखते हुए

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इस बारे में व्यवस्था करें कि ये सारी चीजें काम में आ सकें। आज हमारा दुर्भाग्य है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप नहर ले जाना चाहते हैं नाचना में और कार्यालय है फलौदी में। यह बात समझ में आ सकती है कि फलौदी में पानी लिफ्ट इर्रीगेट हो लेकिन साठ मील दूर दफ्तर रखना मैं यह चाहता हूं कि यह क्रिमिनल वेस्ट है जिसे बन्द किया जाना चाहिए। तो यह तो प्रशासनिक खर्चों के विषय में माननीय सदस्यों की आलोचना है, आज भी की गई है और पहले भी की है, उसी संदर्भ में मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करूंगा कि उन्हें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे जो आज सारा राजस्थान सूखे की वजह से ग्रस्त है, जहां करोड़ों रुपया खर्च कर इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में सक्रिय होकर प्रशासनिक खर्चों को कम करेंगे और इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जिससे यह वेस्टेज नहीं हो।

(अनवरत समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

राजस्थान में सिंचाई की समस्या है जिसकी वजह से राजस्थान का पूरा विकास नहीं हो रहा है। (अनवरत समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करूंगा कि जो मैंने तीन–चार बातें निवेदन की हैं उसके बारे में माननीय सिंचाई मंत्री जी ध्यान रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्रीजी।

श्री रामचन्द्र चौधरी (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सिंचाई के विषय में 22 माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। बहुत से माननीय सदस्यों का विचार यह रहा है कि राजस्थान बनने के बाद सिंचाई में कोई खास तरक्की नहीं हुई। इसके लिए तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान बना उस वक्त 9 लाख एकड़ में गवर्नमेंट की तरफ

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

से सिंचाई होती थी। उसके बाद, राजस्थान बनने के बाद 2733 सिंचाई योजनाएं पूरी की गई है जिनसे 21 लाख 50 हजार एकड़ में सिंचाई होने लगी है और 195 स्कीमें इस वक्त ऐसी हैं जिन पर काम चालू है उससे पांच लाख तीस हजार एकड़ सिंचाई में आ जाएगी। और 297 सिंचाई की योजनाएं अभी विचाराधीन हैं जिनसे 2 लाख 1 हजार एकड़ सिंचाई में आएगी। इस तरह से 29 लाख एकड़ में सिंचाई योजनाएं तो मीडियम और माइनर इर्रीगेशन में इस पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई हैं। राजस्थान में कल्चरेबल एरिया पांच करोड़ एकड़ में है जिसमें इस वक्त 29 लाख एकड़ मीडियम और माइनर इर्रीगेशन से सिचाई में है और 66 लाख एकड़ भाखरा, गंग केनाल, राजस्थान केनाल, चम्बल प्रोजेक्ट, सिद्धमुख नहर स्कीम, गुडगांवां और यमुना स्कीम, नर्मदा स्कीम, इस तरह से 96 लाख एकड़ यह होगी। यह जो बड़ी स्कीमें हैं उनमें भी राजस्थान में सिवाय चम्बल के और कहीं नदी का पानी इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि भाखरा, गंग केनाल और राजस्थान केनाल, इनमें सारा पानी पंजाब से या हिमाचल प्रदेश से लाया जा रहा है और चम्बल का पानी भी अधिकतर जो बांध है चम्बल का गांधीसागर वह भी मध्यप्रदेश में है और उसी तरफ से पानी आ रहा है। तो हमारे यहां जो सरफेस वाटर है राजस्थान में वह 648 हजार मिलियन क्यूबिक फिट है और इसमें से हम 360 हजार मिलियन क्यूबिक फिट पानी ही इस्तेमाल कर सकेंगे, बाकी पानी ऐसा है जो किसी भी तरह से हम इस्तैमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो अण्डर ग्राउण्ड वाटर है जिनमें प्राईवेट ट्यूब वेल वगैरा लोगों ने बनवाए हैं उससे भी हम कुल मिला कर डेढ़ सौ दो करोड़ जमीन को हो सिंचाई में ला सकेंगे। जिसमें भी 96 लाख एकड़ सिंचाई गवर्नमेंट के जरिए आ चुकी है बाकी प्राईवेट ट्यूब वेल कितने लोगों ने लगाए हैं इसके मेरे पास आंकड़े नहीं है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने राजस्थान नहर के बारे में काफी बातें कही हैं जैसे सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान केनाल में दरअसल में 9 करोड़ 23 लाख रुपया उस पर खर्च किया जाने को था। पिछले साल वह काम में खर्च न किया जाकर एडवान्स दिखाकर या फिर एस्टेब्लिशमेन्ट पर खर्चा दिखाकर किया गया है। यह बात बहुत हद तक सही नहीं है क्योंकि उन्होंने एक करोड़ एडवान्स बताया सीमेन्ट के लिये और 60 लाख बताया कोल के लिये। न तो सीमेन्ट के लिये एक पैसा दिया गया है और न कोल के लिये एक पैसा दिया गया है। हां, इलेक्ट्रिसिटी के लिये 60 लाख एडवान्स किया है। सिर्फ इतना ही पैसा है जो कि एडवान्स है। इसके अतिरिक्त एस्टेब्लिशमेंट पर उन्होंने ढाई करोड़ का खर्चा बताया है। यह एक करोड़ 41 लाख है। इसमें जो मशीनरी खरीदी गई है अर्थ वर्क के लिये वह उन्होंने 70 करोड़ बताया है। ऐसे आंकड़े पता नहीं कहां से वे ले आये हैं। यह इतनी बड़ी रकम है जो कि किसी के समझ में आने वाली बात नहीं है। दरअसल मशीनरी 30 लाख की ही खरीदी गई है। इस तरह से माननीय सदस्यों को जब हम

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

हाउस में बोलते हैं तो जिम्मेदारी के साथ आंकड़े पेश करने चाहिये इतने बड़े बड़े आंकड़े बताने से उसका असर अच्छा नहीं होता है। माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं, उन्होंने कहा कि राजस्थान केनाल पर डेढ़ मील का ही काम हुआ है। मैं भी सुनकर हैरान था कि इतना सा काम और 9 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। मैं आपको बताऊं कि अर्थ-वर्क पर किस तरह से मेन कैनाल पर 10 करोड़ 13 लाख क्यूबिक फिट काम किया गया, लिफ्ट कैनाल पर 9 करोड़ क्यूबिक फिट काम किया गया। डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर्स पर 2 करोड़ 82 लाख क्यूबिक फिट काम किया गया है। इस पर यहां पर उन्होंने कहा कि डेढ़ मील पर ही लाइनिंग हुई। मैं यह बताना चाहता हूं कि मेन कैनाल पर 3.35 मील पर लाइनिंग हुई है, मेन कैनाल पर, लिफ्ट कनाल पर 18.14 मील पर काम हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर्स में 26.51 मील में काम हुआ है। इस तरह से करीब करीब 50 मील पर लाइनिंग का काम हुआ है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर के माननीय सदस्या का नाम बताने का कष्ट करेंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : भार्गव साहब। मै भी सुन रहा था कि उनको ऐसे आंकड़े कहां से मिल गये। इतना आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिये। इस तरह से आप देखेंगे कि यह स्वयं गैर जिम्मेदारी की बात है। जो आंकड़े दें उसमें थोड़ा मेलजोल होना चाहिये। उसको ठीक से जानना चाहिये। क्योंकि बहुत से लोग इस सदन की कार्यवाही को देखते हैं, सुनते हैं।

श्री भीमसेन : माननीय सदस्यों को राजस्थान कैनाल का दौरा करावें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने सन् 71-72 में 1.8 मील का कहा था।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने बताया है कि मैन कैनाल पर 3.35 मील का हुआ, लिफ्ट कैनाल पर 18.14 मील का है, डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर्स पर 26.91 मील का हुआ है। यह लाइनिंग का काम हुआ है। अर्थ वर्क जो हुआ है वह 31 करोड़ 55 लाख क्यूबिक मिट्टी का है। दूसरी जो राजस्थान कैनाल के बारे में बातें कही गई हैं उसमें एक बात उन्होंने यह भी कहीं थी कि वर्कशाप 71 में खोला गया और इस साल बन्द कर दिया गया। यह बात भी सही नहीं है। छत्तरगढ़ का वर्कशाप है उसमें एक सब डिविजन तोड़ा गया है, वर्कशाप नहीं तोड़ा गया है, काम के लिहाज से। उन्होंने एक बात यह भी कही थी कि वर्क चार्ज के बहुत से मुलाजिमों को हटा दिया गया और जोशी जी के कहने पर वापिस नहीं लिया गया। यह बात बहुत हद तक सही नहीं है क्योंकि उनमें से ज्यादातर टेक्नीकल काम करने वाले हैं उनमें से जितने को ले सकते थे उतनों को ले लिया है बाकी उन सबको आल्टरनेटिव जगह बताई कि आप बाहर जाइये, उन्होंने कहा हम नहीं जायेंगे। उसके बाद जितनी सहूलियतें उनको दी जानी चाहिये, दी गई है। सिवाय 5-4 के सब को ले लिया गया

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

है और आपने कहा कि हंगर स्ट्राइक हुआ। हंगर स्ट्राइक 2 मई, 72 को उठा ली थी।

एक बात फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि राजस्थान कैनाल पर प्रति एकड़ 8 हजार रुपया खर्चा आयेगा। मैं भी हैरान था मैंने यह सुना नहीं है कि फ्लो (Flow) इर्रीगेशन पर इतना खर्चा आ रहा क्योंकि जो लिफ्ट इर्रीगेशन है वह दूसरी स्कीम है, बांध, तालाब उनसे फ्लो इर्रीगेशन का कम खर्चा होता है। इस पर भी मान लीजिये जैसा आपने कहा कि अन्त में जाकर 283 करोड़ पोंग डेम और कम्पेनसेशन और जितना भी खर्चा है वह एस्टीमेंट है 283 करोड़ का। मान लीजिये कि उनको बसाने के लिये, सड़कें, स्कूल, अस्पताल और मंडियां बनानी है, इन सब काम के खर्चों को मिला कर और जो सेटिलमेन्ट का काम है वह भी खर्चा इसमें लगा दें तो वह कुल मिला कर 400 करोड़ रुपया है। तो चार सौ करोड़ मानकर अगर इस काम से 30 से 36 लाख एकड़ की सिंचाई होगी तो क्या खर्चा होगा? वैसे 30 लाख तो मिनिमम है। इस हिसाब से 1200 रुपया फी एकड़ का खर्चा आता है जिसमें सब तरह का खर्चा शामिल है। इसलिये यह कहना कि 8 हजार का खर्चा आता है यह एक गलतफहमी है। ज्यादा से ज्यादा 1200 रुपया फी एकड़ का खर्चा सब खर्चे को मिला कर आता है। इससे सस्ता आज के जमाने में कोई भी इर्रीगेशन सिस्टम नहीं है।

श्री केदारनाथ : एवेंजुअल तो 800 रुपया एकड़ है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह तो मैंने बताया है कि कोलोनाइजेशन, सड़कें, बिजली, स्कूल, अस्पताल, मंडियों आदि का जो भी खर्चा है वह शामिल कर लें तब भी यह खर्चा 1200 से एक्सीड नहीं करता है।

दूसरा सवाल यहां पर चम्बल प्रोजेक्ट को ड्रेनेज का उठाया गया है। कई माननीय सदस्यों की ओर से यह सवाल उठाया गया है। यह मैं मानता हूं कि चम्बल में जो सीपेज है, वाटर लागिंग है, यह एक गम्भीर समस्या है। इसके कई कारण हैं। एक तो वहां पर जमीन का स्ट्रेटा ऐसा है कि 7–8 फीट के नीचे पानी नहीं जाता है। यदि वह नीचे चला जाय तो ऊपर वाटर लागिंग न हो और दूसरा यह है कि वहां के लोग अभी नहर के सिस्टम को अपना नहीं पाये हैं। हमारे यहां जैसे गंगानगर में गंगनहर और भाखरा नहर हैं जिनसे 13 लाख एकड़ के आसपास सिंचाई होती है और उस सिंचाई के लिए 3300 आउटलेट यानी मोघे हैं, और इस चम्बल प्रोजेक्ट में पौने तीन लाख एकड़ की सिंचाई के लिए 3100 मोघे तक दे रखे हैं। यदि इनके ऊपर पिलाई होगी तो नेचुरली पानी ज्यादा खुलता है और वह पानी इस्तेमाल नहीं होता है और वीड्स उग आती है और, जगह-जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। फिर जमीन का स्ट्रेटा ऐसा है कि वह अपने आपस में 8–10 फीट से नीचे पानी नहीं जाने देता है। तो स्वाइल प्राब्लम भी उत्पन्न हो जाती है वहां पर सीपेज की बहुत गम्भीर समस्या है और बहुत सी जमीन बेकार हो गई है। इसके लिए ड्रेनेज में बड़ा पैसा लगता है, और इसको अलग से ट्रीट करने के

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
लिए हम यह कहते हैं कि भारत सरकार वाटर लागिंग की प्राब्लम को ट्रीट करने के लिए इस पर पैसा दे, क्योंकि चम्बल में जो पैसा था वह खत्म हो गया। इसके लिए अलग से कोई राशि नहीं है। अभी श्री गोटेवाले ने कहा था कि राजस्थान केनाल का जो प्रोजेक्ट है इसको भारत सरकार नेशनल प्रोजेक्ट मानकर इस प्रकार करे, तभी काम चल सकता है, नहीं तो 400 करोड़ रुपया राजस्थान के लिए बचाना मुश्किल है। यही बात हम चम्बल में कहते हैं। यह ऐसे प्राब्लम हैं जैसे वाटर लागिंग और सीपेज के प्राब्लम। वे नेशनल प्राब्लम हैं जैसे कि फ्लड या फेमीन के हैं। इनको नेशनल केलेमिटीज मानकर उस तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए, और उसके लिए हमने भारत सरकार को 10 करोड़ की स्कीम बनाकर सीपेज और वाटर लागिंग के लिए भेजी हुई है। इसका क्लियरेन्स हो गया है और उसकी मन्जूरी आते ही उसको शुरू कर देंगे, और आशा है कि आने वाले दो–तीन सालों में वाटर लागिंग की प्राब्लम ड्रेनेज के द्वारा और दूसरे सिस्टम से दूर कर सकेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : लास्ट इयर ड्रेनेज प्रोजेक्ट के लिए कुछ निर्धारित की थी राशि ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसलिए नहीं रखा था कि उसकी जगह पर भारत से कर रखा था, और अपने पास साधन नहीं थे कि माइनर इर्रीगेशन में से बड़ा पैसा काट दिया। 200 करोड़ से 118 लाख पर आ गये, और इसका यह था कि भारत सरकार इसको अपने उसमें ले ले। तो 10 करोड़ रुपये अपने को मिल जायं तो इस प्राब्लम को साल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने साधनों से नहीं कर सकते। इसलिए पैसा नहीं रखा था।

दूसरी समस्या कहाना डेम या बजाज सागर की नाथू रामजी ने रखी। यह बात ठीक है कि राजस्थान सरकार यह कहती रही है कि इसका जो लेवल है वह 410 से ऊपर नहीं हो, और गुजरात गवर्नमेंट उस लेवल को 419 पर रखना चाहती है। इसके पहले हमने एक बार उस बांध को 419 के लेवल पर बनाने के लिये एग्री किया है, इसलिये यह दिक्कत हमारे सामने आती है। फिर भी भारत सरकार से और गुजरात से खतो किताबत कर रहे हैं।

इसमें हमारे यहां पर जो गांव और भूमि डूब में आती है जिससे हमारे इलाके में बड़ा नुकसान होता है। इसको 410 तक रखना तो चाह रहे हैं और उसको 410 तक रखें तो अच्छा है। पहले यह भी ख्याल था कि 419 पर रखने से बिजली भी पैदा हो सकती है जो कि 410 पर नहीं हो सकती है। दूसरा यह था कि नर्मदा के लिए अपना सिलसिला चल रहा है। पहले 1964 में माननीय खोसला कमेटी ने यह तय किया था कि राजस्थान को भी इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। वैसे तो यह दरिया यानी नर्मदा नदी गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, और बहुत दूर तक यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बाउन्ड्री भी बनाती है तो ट्रिब्यूनल में यह इश्यू भी गया तो उन्होंने यह

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

कहा कि नर्मदा का न तो कोई हिस्सा राजस्थान में से होकर बहता है और न इसका कोई एन्केचमेन्ट एरिया राजस्थान में है। इसलिये इनका कोई हक नहीं बनता है। इसलिये हम राजस्थान को पार्टी नहीं मानते हैं। उसके लिये हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। अपनी अपील एडमिट हो गई है और उन्होंने हमको पार्टी माना है और उसके लिये अब तारीख भी रखी हुई है बहस के लिये, और आगे के लिए कहा है कि जब तक फैसला न हो तब तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाय ट्रिब्यूनल की। इस तरह से अपनी सरकार पूरी जागरूक है उसके विषय में भी। अगर हमको जालोर, बाड़मेर और इस सारे पश्चिमी राजस्थान जिसमें बहुत ही भयंकर डेजर्ट है उसकी कहतसाली की प्राब्लम को साल्व करना है तो नर्मदा के सिवा हमारे पास कोई साधन नहीं है। नर्मदा का अगर अपने को पानी मिलता है तो करीब 300 मील लम्बी नहर लाकर 7 लाख एकड़ जमीन में सिचाई कर सकते हैं जब 419 का रखा था कडाना डेम का तो उस वक्त यह भी ख्याल था कि पानी नर्मदा से मिलेगा तो इस ऊंचे बांध से पानी जालोर और बाड़मेर को ले जा सकते हैं। इसलिये इसको खयाल में रखकर उस वक्त के सिचाई मंत्री ने इसको एग्री किया था। इन सब बातों को ध्यान में रखकर। फिर भी जितना हो कि हम कोशिश करेंगे कि अपने इलाके में कोई नुकसान न हो।

वैसे मेरे पास में आंकड़े हैं कि इससे कितनी जमीन डूब में आती है ज्यादा। अगर 410 फीट उसका लेवल रहता है तब तो जो कलचरेबल खातेदारों की जमीन है वह 6100 एकड़ डूब में आयेगी, और अगर 419 रहता है तो 10330 एकड़ आयेगी, मतलब 4233 एकड़ ज्यादा डूब में आती है। इसमें अगर 410 है तो 15379 आदमियों पर असर पड़ता है जो वहां पर रहते हैं और जो कि जायेंगे वहां से, और अगर 419 तक रहता है तो 22674 आदमियों पर इसका असर पड़ता है यानी 6295 आदमियों पर इफेक्ट होता है। इन सब बातों को देखकर किस में ज्यादा फायदा होता है उस पर विचार करके निर्णय देंगे।

चौथी बात सिद्धमुख नहर पर...

श्री विट्ठल भाई : साथ में यह भी बता दें कि बांध की डूब में आने वाले लोगों को बसाने की क्या व्यवस्था की है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें 19000 एकड़ जमीन तो बांसवाड़े के जो जंगल हैं और जो जंगल का काम नहीं दे रहे हैं और फालतू जमीन है उसमें जो अच्छी-अच्छी कलचरेबल लैण्ड है उसमें से देंगे और कुछ और भी जमीन वहां पर मिलने की बात है। इस तरह से उन लोगों को वहां पर बसाने का है। रिहेबिलिटेशन में जितना भी खर्चा होगा उसके लिए हम गुजरात गवर्नमेन्ट से यह लिखा-पढ़ी कर रहे हैं कि यह जो बांध बन रहा है यह उनके काम आयेगा और यह पानी हमारे कोई काम नहीं आयेगा इसलिये गुजरात सरकार से बसाने का खर्चा और जमीन का खर्चा इसके सम्बन्ध में लिखा पढ़ी की जा रही है।

श्री विट्ठल भाई : आपने बांसवाड़ा का बताया है। कड़ाना की डूब में आ रहे हैं, उनकी क्या व्यवस्था है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसका सवाल हमारे सामने आया नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सब को बसाने की बात कहां से हो सकती है ?

श्री विट्ठल भाई : जमीन तो होनी चाहिये। खाली जंगलों में कहां बसेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : सिद्धमुख का सवाल काफी समय से चल रहा है। यह सवाल दे दिया जावेगा, उसकी निस्बत कुछ नहीं कहा गया है। सिद्धमुख नहर के लिये पहले तो पानी नहीं था। लेकिन राजस्थान नहर बनने के बाद जो भाखरा का क्षेत्र है, उसमें राजस्थान नहर का पानी भाखरा फीडर से सिद्धमुख नहर को पानी दिया जावेगा। इसके लिये सतलज, व्यास लिंक से 15 प्रतिशत पानी और मिलेगा। अभी 500 क्यूसेक और 1200 क्यूसेक के आसपास बड़ी नहर लाई जा सकती है। इसके लिये खतोकिताबत चल रही है, जैसा कि होता है, छोटे छोटे मामलों पर अड़चनें लगाकर, जितना फायदा उठा सकते हैं, उसकी कोशिश की जाया करती है। अपने हाथों की बात हो तो अलग बात है। लेकिन यह योजना है। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है, यह सन् 56-57 से योजना चल रही है। पहले एक स्थान पर सर्वे किया तो वहां बांध के नींव रखने की जगह नहीं मिली। उसके बाद दूसरे गांव में आये। वहां पर बहुत सा इलाका पानी की डूब में आता था अतः इसे भी ड्राप कर दिया। तीसरा यह बीसलपुर है। बीसलपुर आये तो यहां से 24 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी मिलने की सम्भावना थी। इससे सिंचाई के लिए जमीन उपजाऊ हो सकती थी और जयपुर शहर को पीने का पानी भी मिल सकता था। इस पर एक डेम बनाने तथा उसमें से एक नहर निकालने का था। उस पर साढे 13 करोड़ का खर्चा था। 8 करोड़ डेम पर और साढे 5 करोड़ नहर पर, इस प्रकार कुल साढे 13 करोड़ का खर्चा था। इस अरसे में चित्तौड़ और भीलवाड़ा के आस-पास का जो एरिया है, वहां पर गोसुन्डा के पास एक बांध बनाकर फर्टीलाइजर फैक्ट्री के लिए पानी रोक लिया गया था। वहां जो 24 हजार क्यूसेक पानी मिलना चाहिए था, उसकी बजाय 8 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी रह गया। और इसमें से 5000 मिलियन क्युबिक फीट पानी जयपुर शहर को पीने के लिए चाहिए था। ऐसी सूरत में सिंचाई के लिए कोई पानी नहीं बचता था। रामगढ़ के बारे में जैसा कि कहा गया है, यह सिंचाई के काम के लिए यह बान्ध बनवाया गया था। पर अब सारा पानी जयपुर शहर के पीने के पानी के लिए काम आ रहा है। भार्गव साहब ने भी कहा है कि रामगढ़ बान्ध की मरम्मत व सिल्ट क्लीयरेंस सिंचाई विभाग करे। यह पहले सिंचाई विभाग के पास था। इससे आमदनी भी होती थी। आज सिंचाई के लिए एक बून्द भी पानी नहीं देते हैं। उसका पानी तो जनस्वास्थ्य विभाग काम में ले और पैसा भी वही वसूल करे और सफाई सिंचाई विभाग करे

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
यह कैसे हो सकता है। फायदा यह उठाये और खर्चा सिंचाई विभाग करे।

एक माननीय सदस्य : पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेन्ट करेगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें बहुत ज्यादा खर्चा पड़ेगा। यह 24 एकड़ का तखमीना हो गया है। पाइप का और लिफ्ट का खर्चा बढ़ गया है। पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेन्ट के इन्जीनियर्स यह कहते हैं कि हम इतना खर्च करने को तैयार नहीं हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। तो यही कहा गया कि हम यह खर्चा करने को तैयार नहीं हैं। और शहर के चारों तरफ ट्यूब वेल लगा कर शहर को पीने का पानी देंगे जिसमें एक करोड़ से अधिक खर्चा नहीं होगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप योजना तो ले लें। पहले हमारे तीन बांध वहां के वहां ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप सुन लें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं एक मिनट चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको समय दे दूंगा। बाद में पूछ लें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने आप से निवेदन किया है, सिंचाई विभाग एक कामर्शियल डिपार्टमेन्ट है। इसी प्रकार से पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेन्ट भी कामर्शियल डिपार्टमेन्ट है। जितनी सिंचाई में जमीन आती है, उससे कोई आमदनी आती हो तब तो हम लेने के लिए तैयार हैं। नहीं तो जैसे रामगढ़ हमको छोड़ना पड़ा है, उस प्रकार से इसे भी छोड़ना पड़े इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। पहले जो सर्वे हुआ था, उसमें सिंचाई विभाग ने ही पैसा दिया था। अब उसमें सिंचाई की गुंजाइश रही नहीं है। फिर भी 8000 मिलियन क्युबिक फीट पानी हमको मिले तो हम लेने को सोच सकते हैं।

अभी तक जो माननीय सदस्यों ने कई बातें, उनमें भ्रष्टाचार की बाबत भी कहा गया है इसको मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार है। किसी कदर है। लेकिन यह कहना कि संसार में इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, यह सही नहीं है। भ्रष्टाचार सभी डिपार्टमेन्ट्स में चल रहा है। कोशिश यह है कि भ्रष्टाचार मिटे। यह तभी मिट सकता है जब कि आप माननीय सदस्य भी इसमें सहयोग करें। क्योंकि जब तक आपका मानस नहीं बनेगा, तब तक यह नहीं मिटने वाला है। क्योंकि हम सब कोआर्डिनेटेड एफर्टस् करें तो कुछ हो सकता है।

श्री मानुकुमार शास्त्री : हमारा पूरा सहयोग लीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो आपने सुझाव दिये, उनकी मैं जांच कराऊंगा और जो इस किस्म के दोषी पाये जायेंगे कि एक इंच काम भी नहीं हुआ है और पेमेन्ट हुआ है तो हम देखेंगे और जो दोषी होंगे वह सजा से नहीं बच सकेंगे। जितने माननीय सदस्यों ने कट मोशन भेजे हैं उन सबका मैं अलग अलग जवाब नहीं दे

(श्री रामचन्द्र)

पाऊंगा। मैं कोशिश यह करूंगा कि आप सबके पास कट मोशन का जवाब पहुंच जाय।

इसलिए मैं निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह मांग स्वीकार जी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर मतदान।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने बाद में मौका देने की बात कही थी।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : आप बाद में बात कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन है कि आपने 44,434.34 बनास योजना पर खर्च कर दिये, जब बनास योजना जयपुर के लिए लागू नहीं करनी थी तो वह काहे को खर्च किये। यह 7 मई, 69 को सचिवालय में बैठकर तय किया था···

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दिसम्बर 71 तक बांध बनाने के लिए स्कीम तैयार हो जायगी और 9 मई, 72 को मना किया है, इरिगेशन विभाग ने और कहा है कि सिंचाई के लिए चित्तौड़ में बांध बनाया जायगा। मेरा निवेदन है कि जयपुर के लिए योजना बनने के बाद में यह योजना बनी है, इसका मतलब है कि जयपुर में लोग प्यासे मरें, अजमेर में प्यासे मरें·······

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं, प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : भाषण नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं, चित्तौड़ में बांध बनाने की आवश्यकता नहीं है, जयपुर शहर के लोगों को पीने का पानी मिलना चाहिए और यहां पर सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछ लें, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा आप प्रश्न पूछ लें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : पीने का पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जन स्वास्थ्य विभाग की है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप व्यवस्था कीजिये, जयपुर के लोगों को पीने का पानी मिलेगा नहीं, पानी मिलने का और कोई विकल्प है नहीं। इसलिए चित्तौड़ में बांध बनाने का जो आइडिया है उसको आप ड्राप कीजिये और जयपुर में पीने के लिए और इरिगेशन के लिए पानी मिल जाय–यह व्यवस्था कीजिये।

श्री भीमसेन : मेरा प्रश्न है, लिफ्ट केनाल की आपने केवल अठारह मील के अन्दर काम किया है। क्या आपने उसका टार्जेट किया था और क्या एक्चुअली अचीव किया?

श्री खेतसिंह : टार्जेट से कम है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : टार्जेट से कम है।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर मतदान।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42–वृहु प्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,14, 17,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखा अनुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक), 44–सिचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक), 44–सिचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,19,78,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखा अनुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 98–वृहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत, 99–सिचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक), 100–सिचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 24,61,49 000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखा अनुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 16-5-72 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 7 बज कर 4 मिनिट पर मंगलवार दिनांक 16-5-72 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

ता. प्र. सं. 488 की सूची

जिलेवार प्रति व्यक्ति व्यय के निर्धारण के आधार

जिलेवार योजना व्यय के समंक द्वितीय योजना काल तथा उसके आगे के वर्षों के लिए संलग्न है। तृतीय योजना काल तथा इसके आगे के वर्षों के योजना प्रगति प्रतिवेदनों में प्रकाशित जिलेवार अंकों में विशिष्ट परिस्थितियों में सिंचाई तथा विद्युत् के क्षेत्रों में कुछ आवश्यक संशोधन किये गये हैं। सिंचाई के क्षेत्र में राजस्थान नहर तथा पोंग बांध पर हुआ व्यय मुख्यालय योजना के अन्तर्गत ही पूर्व में दिखाया गया है। पर व्यवहारिक दृष्टि से उपरोक्त योजनाओं से राज्य के गंगानगर, बीकानेर तथा जैसलमेर जिले लाभान्वित होंगे, अतः उक्त परियोजनाओं पर हुआ व्यय इन संबंधित जिलों में, उसमें होने वाले लाभ के अनुपात में आवंटित कर दिया गया है।

इस प्रकार विद्युत के क्षेत्र में हुआ व्यय भी केवल मुख्यालय स्कीम पर हुए व्यय के रूप में दर्शाया जाता रहा है। व्यावहारिक दृष्टि से इन योजनाओं से विभिन्न जिलों को लाभ होता है, अतः उक्त व्यय को भी जिलानुसार आवंटित कर दिया गया है इस संबंध में अपनाई गई पद्धति का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

विद्युत्:–

इस क्षेत्र के जिलावार व्यय के आंकड़े राजस्थान विद्युत् बोर्ड द्वारा भेजना संभव नहीं था। अतः जिलावार व्यय के आंकड़ें निम्न विधि के अनुसार निकाले गये हैं:–

1–जिलावार व्यय ज्ञात करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत कार्यों पर हुए व्यय की गणना के लिए वर्ष 1967–68 को आधार वर्ष माना गया है। वर्ष 1967–68 तक विद्युतीकरण किये गये समस्त कुओं पर कुल व्यय का अनुमान वर्ष 1967–58 के आधार पर ही लगाया गया है। जिला अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, जयपुर, झालावाड, कोटा, सवाई माधोपुर गंगानगर और उदयपुर में प्रति कुएं के विद्युतीकरण का व्यय राज्य विद्युत मण्डल से प्राप्त जानकारी के आधार पर 2,000 रुपये माना गया है तथा शेष जिलों के लिए यह व्यय प्रति कुएं पर 3,500 रुपये माना गया है। इस प्रकार जिले में विद्युतीकरण किये गये कुओं पर हुए व्यय का अनुमान लगाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत कार्यों पर किये गये सम्पूर्ण व्यय में से कुओं के विद्युतीकरण किया गया उपरोक्त विधि से अनुमानित व्यय घटा दिया गया है तथा शेष धन की राशि को जिलावार व्यय का अनुमान लगाने हेतु संबंधित जिलों में विद्युतीकरण किये गये ग्रामों के आधार पर वितरण कर दिया गया है।

2–गैस टरबाइन, डीजल सेट्स व विद्युत गृहों में अधिग्रहण पर किये गये व्यय की जिलेवार सूचना राज्य विद्युत मण्डल से प्राप्त थी अतः उसको यथावत् अपनाया गया।

3—भाखडा नांगल, चम्बल जवाहर सागर बांध (विद्युत), राणा प्रताप सागर (विद्युत), सतपुडा विद्युत योजना, मेजा, व्यास योजना, राजस्थान परमाणु शक्ति योजना तथा लाइन बिछाने के कार्यों पर जिलेवार व्यय का अनुमान लगाने हेतु प्रत्येक जिले से वर्ष 1968-69 में विद्युत को जो अनुमानित अधिकतम मांग थी, उसको आधार माना गया है।

उपरोक्त पद्धति का आधार जिलेवार विद्युत की मांग को माना गया है। यहां यह भी माना गया है कि प्रत्येक जिले को विद्युतीकरण से होने वाले लाभ उसकी अपेक्षित मांग के अनुपात से ही होता है। अतः उत्पादन और वितरण का व्यय प्रत्येक जिले की मांग के अनुपात में किया गया है।

4—तृतीय पंचवर्षीय योजना में 717.94 लाख रुपये का व्यय पौंग बांध (विद्युत) पर किया गया था। पूर्व में यह व्यय सिंचाई क्षेत्र में अन्तर्गत दिखाया गया था परन्तु अब यह व्यय विद्युत क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। इस राशि को जिलावार व्यय की गणना उपर्युक्त अनुच्छेद 3 के अनुसार ही की गई है।

सिंचाई:—

राजस्थान नहर तथा पौंग बांध के अतिरिक्त सिंचाई विभाग द्वारा जिलेवार व्यय का आवंटन निम्न प्रकार किया गया है।

1. सिंचाई की अधिकांश परियोजनाएं ऐसी हैं, जो उसी जिले के क्षेत्र को पूर्णतः या अधिकांशतः सिंचित करती है, जिसमें यह स्थित है। अतः परियोजनाओं का योजना व्यय, संबंधित जिलों में ही दिखलाया गया है।

2. चम्बल परियोजना पर किया गया योजना व्यय लाभान्वित कृषि योग्य अधिक्षेत्र के अनुपात में कोटा एवं बूंदी जिलों में क्रमशः 62 प्रतिशत एवं 38 प्रतिशत के अनुपात में विभाजित किया गया है।

राजस्थान नहर व पौंग बांध के सम्पूर्ण होने के पश्चात कुल अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र अनुमानतः बीकानेर में 24.37 प्रतिशत गंगानगर में 34.40 प्रतिशत तथा जैसलमेर में 41.23 प्रतिशत होगा। राजस्थान नहर व पौंग बांध पर किया गया सम्पूर्ण व्यय बीकानेर, गंगानगर व जैसलमेर जिलों में इसी अनुपात में वितरित किया गया है जिस अनुपात में इन जिलों में अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की जावेगी।

तालिका 1

राजस्थान में द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में जिलेवार प्रतिव्यक्ति व्यय।

(केवल जिलेवार वितरित हो सकने वाला व्यय)

(रुपये)

जिले	जनसंख्या (1961) लाखों में	द्वितीय योजना (1956-61)	तृतीय योजना (1961-66)	वार्षिक योजनाएं (1966-69)
1. अजमेर	9.76	66 24	76.05	49.63
2. अलवर	10.90	24.20	46.07	36.73
3. बांसवाड़ा	4.75	36 56	53 58	49.03
4. बाड़मेर	6.50	17.65	31.22	13.27
5. भरतपुर	11.50	29.50	61.58	49.10
6. भीलवाड़ा	8.66	37.69	56.22	42.74
7. बीकानेर	4.44	83.34	333.70	213.23
8. बूंदी	3.38	164.94	162.72	66.35
9. चित्तौड़गढ़	7.48	32.69	70.88	53.34
10. चूरू	6.59	39.09	41.34	24.28
11. डूंगरपुर	4.07	42.98	47.03	34.80
12. गंगानगर	10.37	113.01	294.15	168.95
13. जयपुर	19.02	48.80	116.97	85.92
14. जैसलमेर	1.40	43.72	1266.22	728.04
15. जालोर	5.47	20.57	34.21	20.47
16. झालावाड़	4.91	31.48	68 51	45.40
17. झुन्झुनू	7.20	29.67	46.25	34.20
18. जोधपुर	8.86	51.91	93.61	64.97
19. कोटा	8.48	133.87	215.92	128.13
20. नागौर	9.35	23.01	42.52	29.69
21. पाली	8.06	25.94	59.72	33.55
22. सवाईमाधोपुर	9.44	29.97	42.85	30.33
23. सीकर	8.20	23.46	44.19	36.07
24. सिरोही	3.52	42.29	69.86	36.77
25. टोंक	4.98	41.50	47.91	32.28
26. उदयपुर	14.27	43.47	91.12	56.91

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 492 की सूची)

संचालक मण्डल के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम	दिनांक	अनुसूचित जाति । जन जाति
1.	श्री दिनकरलाल मेहता	8-5-71	जो नहीं
2.	श्री पवनकुमार रंकाडिया	8-5-71	"
3.	श्री सोहनलाल शाह	28-2-70	"
4.	श्री छगनलाल पटेल	28-2-70	"
5.	श्री सूर्यकरण दोषी	15-6-69	"
6.	श्री छगनलाल नेमा	15-6-69	"
7.	श्री सहायक रजिस्ट्रार, बांसवाड़ा	राजकीय मनोनीत सदस्य	
8.	कोषाधिकारी, बांसवाड़ा	" " "	

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 497 की सूची)

चूरू जिले में जल प्रदाय योजनाओं की स्थिति

पूर्ण की गई योजनाएं

योजना का नाम	खर्चा	लाभान्वित जनसंख्या
बिग्गा	1.35	2413
भोमासर	2.34	3765
परिहारा	2.82	4228
दरीबा	1.45	2864
पुलासर	0.82	1065
सीमला	0.91	1106
बुचावास	1.14	2193
महरासर चचेरा	0.58	1000
	11.41	186[illegible]

योजनायें जो प्रगति में हैं

योजना का नाम	अनुमानित लागत	खर्चा (रु. लाखों में)
कानोटा	0.77	0.54
चांदकोठी क्षेत्रीय योजना	22.55	6.36
गोपालपुरा से डूंगरास क्षेत्रीय योजना	0.93	0.40
सालासर	3.17	1.50
सात्तू	1.36	0 05
		8 85

इसके अतिरिक्त रूरल वर्क्स प्रोग्राम के तहत निम्न योजनाओं का कार्य इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जा रहा है:–

	लागत (रुपये लाखों में)
सरदार शहर असपालसर क्षेत्रीय योजना	26.00
तोलियासर-धोलिया क्षेत्रीय योजना	12.00

निम्न क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं का सर्वे किया जा चुका है तथा योजनाएं बनाई जा रही हैं।

(1) मेलुसर–राजास (2) मलकसर–भोजासर (3) बजरंगसर–जखासर
(4) जोगालिया–जैतासर (5) साहवां–जल प्रदाय योजना

क्षेत्रीय योजनायें भी बना ली गई हैं व राज्य सरकार के विचाराधीन है:–

(1) बिल्लू–भोगोतरा (2) रिरी–भिगरारिया (3) अबसर–रामधीसर
(4) मुन्दरा–लिखमासर (5) फोगा भरथरी–जलपान सरको।
(6) सांडवा जल प्रदाय योजना।

प्रश्न 2 व 3 की सूची

(1) स्वीकृत क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं जिन पर कार्य चालू हो गया है।

	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)
चांद कोठी क्षेत्रीय योजना	22.55
गोपालपुरा से डूंगरास क्षेत्रीय योजना	0.93

[redacted] क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं जो ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम के तहत स्वीकृत है त[redacted]र कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

सरदार शहर असपालसर क्षेत्रीय योजना	26.00
तोलियास धोलिया क्षेत्रीय योजना	12.00

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं जो सरकार के विचाराधीन हैं:–

(1) बिल्लू-भोगोतरा
(2) रिरी-भिगरारिया
(3) अबसर-रामधीसर
(4) फोगा भरथरी-जलपान सरको
(5) मुन्दरा-लिखमासर
(6) सांडवा जल प्रदाय योजना।

परिशिष्ट–4

समयाभाव के कारण सदन में न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर शहर में लाइसेन्सड स्टाम्प विक्रेता

499. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल): क्या वित्त (कर) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर शहर में कितने लाइसेन्सड स्टाम्प विक्रेता हैं वे कहां-कहां पर बैठते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश कार्यालय पर तीन लाइसेन्सड स्टाम्प विक्रेता एवं सिविल कोर्ट, रामनिवास बाग की कोर्ट में केवल एक ही स्टाम्प विक्रेता स्टाम्पों की बिक्री हेतु बैठता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सिविल कोर्ट में एक ही स्टाम्प विक्रेता होने के कारण वहां पर ज्यादा भीड रहती है एवं स्टाम्प वगैराह की सीमित मात्रा स्टाम्प विक्रेता के पास होने के कारण कई दफा एडवोकेट्स एवं जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

(4) क्या सिविल कोर्ट के ऐडवोकेट्स एवं श्राम जनता की तरफ से इस असुविधा के लिए जिलाधीश एवं सेशन जज को कई बार शिकायत भी की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) क्या राज्य सरकार सिविल कोर्ट जयपुर में एक लाइसेन्स स्टाम्प विक्रेता को अविलम्ब नियुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में वर्तमान में 6 लाइसेन्सड मुद्रांक विक्रेता नियुक्त हैं, जिनमें से 3 जिलाधीश कार्यालय में, जौहरी बाजार में, 1 जलेबी चौक में और 1 रामनिवास बाग समीपस्थ न्यायालयों में बैठते हैं। जलेबी चौक में बैठने वाले मुद्रांक विक्रेता का अभी कुछ दिन पूर्व स्वर्गवास हो गया है।

(2) जी हां, परन्तु सिविल कोर्ट (रामनिवास बाग) में एक पदेन मुद्रांक बैठ कर मुद्रांक विक्रय का कार्य करता है। इस प्रकार वहां-वहां मुद्रांक विक्रेता बैठते हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। इस प्रकार की कोई शिकायत जिलाधीश कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। न कोई सेशन जज से राज्य सरकार को प्राप्त हुई।

(5) एक लाइसेन्सड विक्रेता व एक पदेन विक्रेता पहले ही मौजूद हैं। यदि इसके अतिरिक्त कार्यभार को देखते हुए अधिक विक्रेता की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार इस पर विचार करेगी।

पशुपालकों की समस्याओं का अध्ययन

500. श्री शंकर लाल (पाली): –क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के पशुपालकों की समस्याओं का अध्ययन

(श्री शंकरलाल)
कर उनके निवारण हेतु सुझाव देने के लिये भूतपूर्व मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था ?

(2) उस समिति द्वारा क्या सुझाव दिये गये थे और उन पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या सरकार पशुपालन की समस्याओं के निवारण हेतु कोई स्थायी हल निकालने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो किस प्रकार, और कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) समिति की अंतिम रिपोर्ट के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है । उसके प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

(3) सरकार पशु पालकों की समस्याओं के निवारण के लिये हर संभव प्रयास करती है ।

काश्तकारों को कबाड़े का फ्री पास

501. श्री जीविंग (कुशलगढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के आदिवासी काश्तकारों को मकान बनाने के लिये वन विभाग द्वारा सदियों से कबाड़े का फ्री पास दिया जाता रहा है ? अगर हां, तो क्या हमेशा की भांति इस वर्ष भी उन्हें पास दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां—इस वर्ष भी फ्री पास दिया जा रहा है ।

हिण्डौन में पानी की व्यवस्था

502. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हिन्डौन सिटी (जिला सवाई माधोपुर) की नल योजना के अन्तर्गत पानी की टंकी नलों की बिछावट, क्वार्टर्स, रिजर्वायर आदि का काम पूरा हो चुका है लेकिन नलों में पानी नहीं दिया जा रहा है ?

(2) क्या यह ही है कि चुनावों से पूर्व पानी दिया गया था, परन्तु योजना पर अब कार्य बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(3) इस योजना को पूरा होने में कितना समय और लगने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) जी हां, अभी तक विद्युत् कनैक्शन एवं स्वच्छ जलाशय के लिए प्रमाण प्राप्त होना बाकी है, अतः नलों में पानी नहीं दिया जा रहा है ।

(2) जी नहीं, केवल पाइप लाइन का टेस्टिंग किया गया था, पानी नहीं दिया गया ।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(3) योजना का कार्य इसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

उर्दू मदरसों की संख्या

503. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में उर्दू मदरसों की संख्या कितनी है तथा इनमें से मान्यता प्राप्त कितने हैं?

(2) क्या सरकार की तरफ से उनको आर्थिक सहायता दी जाती है? यदि, नहीं तो क्यों?

(स्थगित किया गया)

ग्राम पटौदी का कुआ

504. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव पटौदी तहसील पचपदरा में कुए का बोरिंग किया गया था? यदि, हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कुए पर मशीन लगाने के उद्देश्य से एक मकान का निर्माण भी किया गया था? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कुए का अभी तक कोई उपयोग नहीं किया गया है?

(4) इस कुए को चालू करने की सरकार के पास क्या योजना है?

उत्तर

(1) जी हां, यह कार्य राजस्थान भू-जल मंडल द्वारा सन् 1965—66 में किया गया।

(2) जी हां। कार्य 15-1-69 में शुरू किया गया।

(3) जी हां।

(4) इस कुए से एक होज के द्वारा जनता को पानी सप्लाई करने की व्यवस्था शीघ्र की जा रही है।

सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि., सिरोही

505. श्री जेठमल आर्य (रेवदर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. सिरोही को क्या गत वर्ष व इस वर्ष रिजर्व बैंक ने कर्जा नहीं दिया?

(2) क्या यह सही है कि इस बैंक के अधिशासी अधिकारी श्री डूंगरसिंह की प्रतिनियुक्ति अक्टूबर, 1971 में समाप्त हो गई थी? यदि हां, तो वे अब तक कैसे कार्य कर रहे हैं?

(3) उक्त बैंक में वर्तमान अधिशासी अधिकारी के आने के पश्चात् कितनी वसूली हुई? क्या वसूली सन्तोषप्रद है?

(श्री जेठमल आर्य)

(4) क्या यह भी सही है कि रिकवरी नहीं होने के कारण बैंक गत वर्ष व इस वर्ष अपेक्स बैंक की डिफाल्टर हुई इस कारण दो वर्ष से जिले के काश्तकारों को कर्जा नहीं मिला ? यदि हां, तो सरकार काश्तकारों को कर्जा दिलाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

(5) क्या काश्तकारों को खरीफ और रबी में कर्जा समय पर मिल जायेगा।

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां, चूंकि बैंक के संचालक मंडल द्वारा अभी तक वर्तमान अधिशासी अधिकारी को वापस लेने हेतु प्रस्ताव नहीं भेजने के कारण उनको प्रतिनियुक्ति के वापिस नहीं लिया गया है और अभी तक कार्य कर रहें हैं।

3. उक्त बैंक में वर्तमान अधिशाषी अधिकारी श्री डूंगरसिंह के आने के बाद 11-26 लाख मूल एवं 4 लाख 31 हजार ब्याज कुल 15 लाख 57 हजार की वसूली हुई है जिसमें 1 लाख 96 हजार की वसूली संदिग्ध एवं डूबत खाते के ऋण में है। किन्तु वसूली संतोषप्रद नहीं है।

4. जी हां। गत वर्ष व इस वर्ष अपेक्स बैंक डिफाल्टर हुई है। परन्तु यह सही नहीं है कि काश्तकारों को दो वर्षों से कर्जा नहीं मिला।

5. खरीफ और रबी में नोन डिफाल्टिंग एवं नये सदस्यों को कर्जा समय पर मिल सकेगा यदि सेन्ट्रल बैंक "अपेक्स" बैंक का ऋण समय पर चुका दे।

आमेर रोड एक्सटेन्शन स्कीम

506. श्री केदारनाथ (गंगानगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर विकास न्यास की आमेर रोड एक्सटेंशन स्कीम की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह योजना 'न्यास' ने कब बनायी थी ?

(2) क्या इस योजना की स्वीकृति चीफ टाऊन प्लानर्स के कार्यालय से प्राप्त कर ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब प्राप्त हुई ?

(3) आमेर रोड एक्सटेंशन स्कीम की क्रियान्विति के लिये भूमि अवाप्त करने की कोई कार्यवाही की गई थी ? यदि हां, तो कब और किस-किस व्यक्ति की भूमि अवाप्त की गई ?

(4) अब इस स्कीम का क्या हो रहा है ? क्या न्यास द्वारा यहां भू-खण्ड आवंटित कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

उत्तर

(1) आमेर रोड विस्तार योजना न्यास के विचाराधीन नहीं है बल्कि नगर विकास न्यास, जयपुर का सन् 1961 में आमेर रोड योजना बनाने का इरादा था ?

(2) योजना की क्रियान्विति के अभाव में स्वीकृति का प्रश्न नहीं उठता।

Page No 165

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) आमेर रोड योजना के लिए आंशिक भूमि अवाप्ति की कार्यवाही सन् 1964 में की गई। उन व्यक्तियों की सूची जिनकी भूमि अवाप्त की गई सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है भू-खण्ड आवंटन का प्रश्न नहीं उठता है।

उन व्यक्तियों की सूची जिनकी भूमि अवाप्त की गई

गांव का नाम	दावेदार का नाम	अवाप्ति की विज्ञप्तियों का दिनांक धारा 4	धारा 6	अवार्ड की तिथि	विवरण
संतोष सागर	श्री ईश्वरलाल पुत्र चुन्नीलाल श्रीमती नानगीदेवी, श्री गोपाल हीरालाल, हरिनारायण, मोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल	22-5-64	21-9-67	25-11-69	
	श्री मोहनसिंह मेहता				यह भूमि इस खातेदार ने गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति को बेच दी है।
संतोष सागर विजयमहल	श्री भौंरीलाल पुत्र श्री सेढू माली	"	"	"	
	श्री भौंरीलाल राधेश्याम पुत्र गोविन्द नारायण	"	"	"	
	श्री गोपीनाथ पुत्र रामलक्ष्मण गोपालदास पुत्र रामलक्ष्मण	"	"	"	
	श्री श्याम लाल पुत्र जगमोहन	"	"	"	
	ठुकरानी प्रेम कुमारी व श्रीमती शकुन्तला कुमारी	"	"	"	
	श्री श्योनारायण व नाथूलाल उर्फ गप्पूलाल	"	"	"	
	श्री हरी पुत्र जैना माली	"	"	"	
	श्री रामगोपाल, रामचन्द्र पुत्र बालूराम	"	"	"	
	श्रीमन् मोहन लाल पुत्र कन्हैया लाल गोयल	"	"	"	
	श्री मन मोहन सहाय पुत्र श्यामसुन्दर सहाय	"	"	"	

Page No 166

उन व्यक्तियों की सूची जिनके कच्चे व पक्के मकानात अवाप्ति में आये हैं।

क्र.सं.	नाम दावेदार	क्र.सं.	नाम दावेदार
1	2	1	2
1.	श्री खैराती पुत्र श्री मिठ्या	2.	श्री भुरा खां पुत्र श्री अल्लादीन
3.	श्री नूजीर पुत्र मिठ्या खां	4.	श्री फकीर पुत्र मिठ्ठू
5.	श्री मुबाराती पुत्र भूरेखां	6.	श्री शलाद्दीन पुत्र नानगा
7.	श्री दुला पुत्र नानगा	8.	श्री मोहम्मद पुत्र नूरबक्ष
9.	श्री सरदार पुत्र मंगत	10.	श्री हजारी पुत्र मांगू शाह
11.	श्री पलटूशाह पुत्र पोदीना शाह	12.	श्री उमराव पुत्र सुन्तुशाह
13.	श्री प्रभात पुत्र छोटू	14.	श्री तोला नाथ पुत्र चम्पा नाथ
15.	श्री कुन्दन शाह पुत्र बुद्धा शाह	16.	श्री नाबु शाह पुत्र छोटू शाह
17.	श्री छुट्टन पुत्र मांगू शाह	18.	श्री सुलेमान पुत्र इमाम खां
19.	श्री शोकत शाह पुत्र खैराती शाह	20.	श्री नहूर पुत्र भूरेखां
21.	श्री रसीद पुत्र अलादीन	22.	श्री बीला पुत्र पोदीन
23.	श्री जहूर पुत्र मांगू शाह	24.	श्रीमती कल्ली पत्नि अलाबक्ष
25.	श्री अनवर पुत्र सुलतान	26.	श्री इमाम वाडा
27.	श्री वजीर पुत्र अलादीन	28.	श्री ईश्वर लाल पुत्र घासीलाल
29.	श्री नीबू पुत्र छंगा	30.	श्री ईसुफ पुत्र रोशन
31.	श्री चतुर शाह पुत्र घन शाह	32.	श्री इमामुद्दीन पुत्र चतुरशाह
33.	श्री कमरू पुत्र नवाब शाह	34.	श्री गफूर पुत्र शौकीन शाह
35.	श्री नाहर शाह पुत्र मलाहू शाह	36.	श्री नूर मोहम्मद पुत्र प्रभुशाह
37.	श्री जहूर पुत्र नूरशाह	38.	श्री मेम्मू पुत्र नूरबक्ष
39.	श्री महमद पुत्र नूरबक्स	40.	श्री सोहन पुत्र बुद्धा शाह
41.	श्री गोरधन पुत्र धुनी	42.	श्री बेवा पुत्र मिहाली
43.	श्री रूडा पुत्र मामली	44.	श्री उद्दालाल पुत्र रेवड
45.	श्री पन्ना पुत्र रेवड़	46.	श्री नाथन पुत्र घीसा
47.	श्री नसीबा पुत्र सम्मद शाह	48.	श्री वजीर शाह पुत्र सम्मद शाह
49.	श्री असीद पुत्र चंदया	50.	श्री नथन पुत्र बवासी
51.	श्री मक्खन पुत्र बवासी	52.	श्री चांद पुत्र खवाजा
53.	श्री छोटू शाह पुत्र चौथूशाह	54.	श्री घसीटा पुत्र छोटू शाह
55.	श्री केशर पुत्र मांग्या	56.	श्री यासीन पुत्र सम्मद खां
57.	श्री खैराती पुत्र पांच्या	58.	श्री छोटा पुत्र रहीमा
59.	श्री चांद पुत्र रहीमा	60.	श्री रहीया पुत्र रमजू
61.	श्री खैराती पुत्र सुवा	62.	श्री इमाम पुत्र सुवा
63.	श्री रूडा शाह पुत्र सम्मदशाह	64.	श्री नसीबा पुत्र सम्मद शाह

1	2	1	2
65.	श्री जम्मा पुत्र वजीरा	66.	श्री चौस्या पुत्र जुम्मा
67.	श्री सोहन पुत्र बुद्धा	68.	श्री रमज्यानी पुत्र वजीरा
69.	श्री कल्लू पुत्र मस्ताना शाह	70.	श्री लीला पुत्र बुद्धा
71.	श्री नम्बु पुत्र केदार	72.	श्री इस्माइल पुत्र नूरा
73.	श्री लल्लू पुत्र फकीरा	74.	श्री बाबू पुत्र प्रभू
75.	श्री शूकर पुत्र मकबूल	76.	श्री बालू पुत्र चमूली शाह
77.	श्री वसीर पुत्र मुकबुल	78.	श्री सोरतअली पुत्र रोशन अली
79.	श्री नजीर शाह पुत्र मुनीर शाह	80.	श्री बतु पुत्र धुनी
81.	श्री वतु पुत्र शमी	82.	श्री गप्पुशाह पुत्र चिमनशाह
83.	श्री लीला पुत्र उल्या	84.	श्री ख्वाजा पुत्र शंकर
85.	श्री उसेन शाह पुत्र छीतर शाह	86.	श्री रसूल शाह पुत्र ख्वाजाशाह
87.	श्री बुन्दू पुत्र हुसैन	88.	श्री सुबराती पुत्र हुसैन
89.	श्री हाना पुत्र घासी	90.	श्री सरदार पुत्र नजीर शाह

दौसा संस्कृत कालेज में लेक्चरार्स की व्यवस्था

507. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) दौसा संस्कृत कालेज में कितने लेक्चरार्स हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कालेज में सिर्फ वरिष्ठ अध्यापकों के द्वारा ही काम चलाया जा रहा है ?

(3) क्या कालेज में पढ़ाने के लिए वरिष्ठ अध्यापक ही पर्याप्त होते हैं ? यदि नहीं, तो सरकार उक्त कालेज में लेक्चरार्स की समुचित व्यवस्था कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) दौसा संस्कृत कालेज, में वर्तमान में एक भी लेक्चरार नहीं है।

(2) यह सही है कि उक्त कालेज में वरिष्ठाध्यापकों व उससे कम ग्रेड के अध्यापकों से ही काम चलाया जा रहा है।

(3) यह कालेज इसी शैक्षणिक वर्ष में ही उपाध्याय कालेज से शास्त्री कालेज में क्रमोन्नत किया गया था, जबकि गत वित्तीय वर्ष में नये पद सृजित किये जाने संभव नहीं थे। व्याख्याताओं के पद दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

नगरपालिका देशनोक के कर्मचारियों को वेतन

508. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा)**: क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या नगरपालिका देशनोक जिला बीकानेर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गत 10 माह से वेतन नहीं मिल रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

(2) क्या नगरपालिका के सफाई कर्मचारी 18 फरवरी, 1972 से हड़ताल पर हैं ? अगर हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका के वरिष्ठ कर्मचारियों को वेतन बराबर मिलता रहता है ? अगर हां तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन समय पर क्यों नहीं मिलता ?

(4) क्या यह सही है कि कई कर्मचारियों को बिना कारणों के निष्कासित भी कर दिया गया है ? अगर हां, तो उनको निष्कासित क्यों किया गया है ? क्या यह सेवा नियम के प्रतिकूल नहीं है ? अगर हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

1. जी हां।
नगरपालिका की आर्थिक स्थिति खराब होने से।

2. जी हां।
नगर पालिका स्वशासी संस्था है अतः उसे स्वयं अन्य साधन जुटाकर आत्म निर्भर होना चाहिए।

3. जी नहीं।
केवल अधिशासी अधिकारी को हड़ताल होने से पूर्व में माह नवम्बर 1971 तक का वेतन दिया गया था।

4. जी नहीं।
प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

राजर्षि कालेज अलवर के विद्यार्थियों की मांग

509. श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बांसूर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजर्षि कालेज, अलवर के विद्यार्थी संघ की ओर से कालेज एम. ए. क्लास में भूगोल की पढ़ाई शुरू करने की मांग सरकार को की गई है ? यदि हां, तो सरकार इस मांग पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) क्या सरकार इस कालेज में अगले सत्र में भूगोल की क्लास खोलने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) विद्यार्थियों द्वारा राजर्षि कालेज, अलवर में एम. ए. (भूगोल) की क्लास खोलने हेतु एक परिपत्र भेजा गया था लेकिन सत्र 1972–73 में बजट में नये विषय खोलने के लिए कोई प्रावधान नहीं रक्खा गया है। अतः इस कालेज में उक्त क्लास खोलना संभव नहीं है।

(2) धनाभाव के कारण संभव नहीं है।

वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण की वसूली

510. श्री राजेन्द्र सिंह (ढनियारा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा अब तक कुल कितना कर्ज किन किन को

Page No 169

(श्री राजेन्द्रसिंह)

दिया जा चुका है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्त निगम द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसके क्या कोई नियम हैं ? यदि हां, तो क्या ? कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वित्त निगम के नियमों के अनुसार किसी को भी ऋण एक मुश्त नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो मैसर्स अलोक उद्योग को कितना ऋण एक मुश्त दिया गया है ?

(4) उद्योगों को जो ऋण दिया गया है उसमें से आज दिन तक कितना वसूल हुआ है और कितना किन किन में बाकी है ? कृपया बकाया की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

समाजवाद का व्यापक प्रचार करने हेतु शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में व्यवस्था

511. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राजस्थान की सैकण्डरी कक्षा तक की शिक्षण संस्थाओं में समाजवाद एवं शोषण विहीन समाज के निर्माण-हेतु पाठ्यक्रम रखा गया है ? यदि हां, तो कौन कौन सी कक्षा में कौन कौन से पाठ रखे गये हैं ?

(2) क्या सरकार समाजवाद का व्यापक प्रचार करने हेतु शुरू से ही बच्चों में ऐसे संस्कार स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) कक्षा 9 व 10 की सूचना उपलब्ध नहीं हैं। कक्षा 3 से 8 तक की सूचना दी जाती है। पाठ्य पुस्तकें स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार लिखवाई जाती हैं। पाठ्यक्रम में हर दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है। 3 से 8 कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल पाठों की सूची संलग्न है।

(2) पाठ्यक्रम देश की आवश्यकताओं और नीति को ध्यान में रखकर ही तैयार किये जाते हैं।

पाठ्यक्रम में शामिल पाठों की सूची

	नाम पुस्तक	पाठ
1	2	3
1.	सामाजिक ज्ञान कक्षा 3	8 हमारे बापू 9 चाचा नेहरू 12 ग्राम पंचायत
2.	सामाजिक ज्ञान कक्षा 4	24 व 25 पंचायती राज 27 सहकारिता

1	2	2
	3. सामाजिक ज्ञान कक्षा 5	19 हिन्दू मुस्लिम मेलजोल 24 नवीन भारत के निर्माता म. गांधी 25 हमारा संविधान 26 सुखी भारत का निर्माण 27 नए समाज की रचना 28 सहकारिता
	4. सामाजिक ज्ञान कक्षा 6	19 नए समाज की रचना और विद्यार्थियों के कर्तव्य
	5. सामाजिक ज्ञान कक्षा 7	16 हमारा जनतन्त्र 19 व 20 स्थानीय स्वायत्त शासन (1) व (2)
	6. सामाजिक ज्ञान कक्षा 8	12 हमारा संविधान 13 सुखी भारत का निर्माण 15 देश की उन्नति में तुम्हारा योग

केन्द्रीय सहकारी बैंक जालौर में अधिशासी अधिकारी का पद

512. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर); क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर में अधिशासी अधिकारी का पद रिक्त है एवं उस स्थान पर श्री पूनम चन्द अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी कार्य कर रहे हैं? अगर हां, तो कब से और क्यों?

(2) क्या यह भी सत्य है कि अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी श्री पूनम चन्द पार्टीबाजी के आधार पर कार्य कर रहे है एवं उनके नाजायज हस्तक्षेप के कारण बैंक का प्रशासन बिगड़ गया है? अगर हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा भविष्य में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। 15-10-71 से कार्यशील अधिशासी अधिकारी को रिलीव किये जाने के कारण ....

(2) विरोधी पक्ष एवं व्यवस्थापक द्वारा तथा कथित पार्टी बाजी के सम्बन्ध में जो शिकायतें की गई हैं उनको जांच करवाई जा रही है।

प्रायोगिक नलकूप

513. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या वाटर बोर्ड मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर, नागौर, जयपुर तथा भरतपुर जिले में किस किस स्थान पर कितने प्रायोगिक नल-कूप लगाए गए हैं ?

(2) इन प्रत्येक नल-कूप से कितने एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है और उनके द्वारा वास्तव में कितने बीघा जमीन की सिंचाई हो रही है ?

उत्तर

(1) जोधपुर, नागौर, जयपुर तथा भरतपुर जिलों में बनाये गये प्रायोगिक नलकूपों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रायोगिक नलकूप सर्वेक्षण के लिये लगाये जाते हैं। सिंचाई के लिए नलकूप स्टेट ट्यूब वैल स्कीम के अन्तर्गत होते हैं और इसमें वही नलकूप लिये जाते हैं जिनका डिसचार्ज 3/4 क्यूसेक से अधिक हो तथा कमाण्ड एरिया की जमीन कृषि योग्य हो। प्रायोगिक नलकूपों की सूची में 4 नलकूप का डिसचार्ज 3/4 क्यूसेक से अधिक हैं। इन नलकूपों को स्टेट ट्यूब वेल योजना के अन्तर्गत लेने अथवा कलस्टर स्कीम के अन्तर्गत क्रय करने का प्रश्न विचाराधीन है।

S. No.	Name of tubewells	Schemes under which constructed	Area which can be brought under irrigation	Remarks
1	2	3	4	5
JODHPUR DISTRICT:—				
1.	Ransigoan—I	200 T/Ws.	—	It is with P.H.E.D. & used for drinking.
2.	Ransigoan—II	—do—	325 acres	—
3.	Pichiyak	—do—	—	It is with P.H.E.D. & used for drinking.
4.	Tapu	Survey & Research	—	Due to lower discharge it can be used for drinking purpose.
5.	Ransigaon	U. N. D. P.	150 acres	—
6.	Patelnagar	—do—	—	Water is very saline.
7.	Pichiyak	—do—	—	This can be used for drinking water.
8.	Jhinavaon Ki Dhani	—do—	—	—do—
9.	Pal	—do—	—	—do—
NAGAUR DISTRICT :—				
1.	Sanju	200 T/Ws	—	It is with PHED & used for drinking purpose.
2.	Punlota	—do—	180 acres	—
3.	Dangawas—I	—do—	—	—
4.	Dangawas—II	—do—	—	—do—
5.	Kuchaman—IV	—do—	—	—do—
6.	Ladnun—II	—do—	—	—do—
7.	Hava—II	—do—	—	—do—
8.	Kuchamani—	—do—	—	—do—

9.	Gachipura	—do—	—	—do—	
10.	Ladnun—I	do—	—	—do—	
11.	Kuchaman—II	—do—	—	—do—	
12.	Butati	—do—	—	—do—	
13.	Nava—I	—do—	—	—do—	
14.	Nava—III	—do—	—	—do—	
15.	Kuchaman—II	—do—	—	—do—	
16.	Kairap	—do—	—	—do—	
17.	Kuchaman—III	—do—	—	—do—	
18.	Ladnun-III	200 T/ws.	—		It is with PHED & used for drinking purposes.
19.	Marwar Chhapari	Survey & Research	300	acres	—do—
20.	Silas	—do—	—	—	It can be used only for drinking.
21.	Indaular	—do—	—	—	—do—
22.	Jaroda	—do—	—	—	—do—
23.	Gangarda (Hansias)	—do—	—	—	—do—
24.	Panthan	—do—	—	—	—do—
25.	Kuprawas	—do—	—	—	—do—
26.	Roisa	—do—	—	—	—do—
27.	Hardani	—do—	—	—	—do—
28.	Telinada	—do—	—	—	—do—

JAIPUR DISTRICT

1.	Sangatra	—do—	110	acres	—
2.	Ghasipura	—do—	98	acres	—
3.	Rampura	—do—	91	,,	—
4.	Kaledra	—do—	70	,,	—
5.	Jawanpura	—do—	—	—	It can be used for drinking.

1	2	3	4		5
6.	Bassi	Survey & Research	—		It can be used for drinking
7.	Hachawa	—do—	—		—do—
8.	Bhakrota	—do—	—		—do—
BHARATPUR DISTRICT:—					
1.	Bilothi	—do—	105	acres	—
2.	Maloni	—do—	105	,,	—
3.	Brahambad	—do—	84	,,	—
4.	Sonkh	—do—	—	—	It can be used for drinking purpose
5.	Isharpura Ktra	—do—	—	—	—do—
6.	Pingora	—do—	84	—	—do—

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 8-5-72)

नगरपालिका शाहपुरा द्वारा निर्माण कार्य की स्वीकृति

846. **श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका शाहपुरा जिला भीलवाड़ा द्वारा कुण्ड दरवाजे के बाहर किसी व्यक्ति को तामीर की स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां, तो कब और क्या स्वीकृति थी ? प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका द्वारा उक्त निर्णय को बदल दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? और क्या ऐसा करना नियमानुसार है ?

(3) क्या यह सही है कि श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री लाभसिंह को उप-जिलाधीश, शाहपुरा ने उक्त तामीर रोकने के लिये कोई नोटिस दिया है ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या यह सही है कि नगर–पालिका के नियमानुसार यह कार्यवाही पालिका द्वारा की जानी चाहिये थी ? यदि हां, तो कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(5) क्या यह सत्य है कि उपजिलाधीश, शाहपुरा द्वारा अभी हाल ही में पुलिस फोर्स द्वारा तामीर को बन्द करवा दिया गया है और तामीर को तुड़वाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां ।

दिनांक 21–3–72 को

(4) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

(5) जी हां ।

प्रतिलिपि

पी. डब्लु. डी–16-3-72

मौका रूबरू प्रार्थी ने देखा मौके पर नाम दोनों पट्टों के आधार पर दिया गया पश्चिम की तरफ पूर्व पश्चिमी की दीवार व उत्तर दक्षिण की दीवार का कोना सड़क के नजदीक आता है अतः इस स्थान पर खुलाया किया जाना उचित है श्री ज्ञानसिंह मौके पर 5'×38' फिट भूमि कम करने को रजामन्द है । अतः 5'×38' भूमि पश्चिम तरफ की कम करते हुए निर्माण की स्वीकृति सर्व सम्मति से दी जाती है ।

मौके पर यहां के नाप के अलावा लाल रोशनाई से बताई गई भूमि (21 वर्ग गज) निर्माण में मिला ली गई है जिसकी कीमत नियमानुसार निर्धारित रेट से वसूल की जावे । भूमि जो छोड़ा जा रही है उसको एवज में भूमि लेने के लिए खुदामाना दरख्वास्त पेश की जावे । निर्णय सर्व सम्मति से दिया जाता है ।

परिशिष्ट—5

प्र. ता. प्र. सं.—185 की सूची

संस्कृत के पदों को ग्रेड			कालेज शिक्षा की ग्रेड			प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा की ग्रेड	
क्रम संख्या	नाम	ग्रेड	स्केल नं.		स्केल नं.		स्केल नं.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	निदेशक	1000—1500	(25)	1800—2250	(32)	1800—2250	(32)
2.	प्रिंसिपल (आचार्य स्तर) पोस्ट ग्रेजुएट कालेज	800—1300	(23)	1100—1500	(26)	—	—
3.	प्रोफेसर	375—850	(19)	—	—	—	—
4.	प्रिंसिपल (डिग्री) शास्त्री कालेज	300—800	(18)	700—1200	(22)	—	—
5.	प्रिंसिपल (इण्टर) उपाध्याय कालेज	300—800	(18)	—	—	—	—
6.	सहायक निदेशक	375—850	(19)	—	—	—	—
7.	निरीक्षक	375—850	(19)	—	—	600—1100	(21)
8.	उप निरीक्षक	300—800	(18)	—	—	300—800	(18)
9.	लेक्चरार	250—625	(16)	375—850	(19)	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	वरिष्ठ अध्यापक	225—525	(15)	—	—	225—525	(15)
11.	प्रधानाध्यापक (प्रवेशिका स्तर) सेकेण्डरी	225—525	(15)	—	—	300—800	(18)
12.	सहायक अध्यापक ग्रेड II	160—360	(11)	—	—	160—360	(11)
13.	सहायक अध्यापक ग्रेड III	110—230	(9)	—	—	110—230	(9)

परिशिष्ट 6

अ. ता. प्रश्न संख्या 187 की सूची

1. 250 नलकूप प्रोग्राम के अन्तर्गत तहसील कोलायत में निर्मित नलकूप:–

अ– 1. बीकमपुर I)
2. बीकमपुर II)
3. गडियाला)
4. दियातरा)
5. रणजीतपुरा) सफल
6. कोलासर)
7. ताल)

ब– 8. कोलायत)
9. गजनेर)
10. झारी चारणान)
11. अकसार)
12. बीठनोक) असफल
13. पूगल)
14. गजनेर 2)
15. कोडमदेसर)

लागत प्रति सफल नलकूप पर 1.70 लाख रु. यानि कुल लागत 11.90 लाख रु.।

2. राजस्थान भू–जल मंडल द्वारा निर्मित नलकूप:––

1. वंजू
2. गोडू
3. मिठडिया
4. बरसलपुर
5. किल्चू
6. केशरदेसर
7. जाजमदेसर

इनकी लागत 4.11 लाख रुपये है।

शुद्धि-पत्र

(सोमवार दिनांक 15 मई, 1972)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति	संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1		शीर्ष	वतान्त	वृत्तान्त
1		4	वि ान	विधान
6	अन्तिम से	8	मोहरसिंह	श्री छोहरसिंह
8	,,	4	पपाइंट	पांइट
10	,,	6	जिप ़म	जिप्सम
,,	,,	2	समझौते इस बात का	समझौते में इस बात का
13			का वा	का था
14		13	क्लाज	क्लॉज
15	अन्तिम से	4	जो हो	जो हैं
20		1	बागडोरा	बागडोरा
21		12	चुनावों को	चुनावों की
,,		16	विचार करें ! आज	विचार करें कि आज
27		शीर्ष	16 मई, 1972	15 मई, 1972
,,		2	वसूली	वसूली
,,	अन्तिम से	13	प्रासीजर	प्रोसीजर
28		15	अग	अलग
35	,,	7	चिकित्सा	चिकित्सा
37	,,	15	मदरणा	मदेरणा
39		6	येयजल	पेयजल
,,		15	पाना	पानी
41	अन्तिम से	8	समथ	समक्ष
42		8	रेश्यों	रैशों
44		16	मात्रा सभी	मात्रा में होगी यह सभी
45		13	मटन के प्रोसेसिंग	मटन के लिए ड्रोट प्रोसेसिंग

1	2	3	4	5
53		8	अंकित आदि से रिक्त	अंकित अवधि से रिक्त हैं
59		1	श्रीमति	श्रीमती
60		4	छतों	छतों
77		9	अमरिका	अमेरिका
85	अन्तिम से	1	रारट्रपति	राष्ट्रपति
93	,,	10	डास	डलेस
96		13	rcvocked	revoked
107	अन्तिम से	15	कके	करके
,,	,,	10	वर्बर्तापूर्य	बर्बरतापूर्ण
111		1	श्री मोहम्मद गफ्फार अली	श्री निरंजननाथ आचार्य
,,	अन्तिम से	8	मावली	मावली
,,		4	सभ्काव	सुझाव
136		2	सदैव	सर्व
147		19	उर ोक्त	उपरोक्त
193		4	घोरे	धोरे
,,		18	पिगाई	पिलाई
,,	अन्तिम से	4	मंधो	बंधों
194		10	िचाई	सिचाई
195		4	नियुक्त	नियुक्ति
,,	अन्तिम से		वर्म	वर्ष
197		4	पक्का	पक्का
,,		13	हुंचेगा	पहुंचेगा
198	अन्तिम से	12	वस्थायतों	विस्थापितों
199		18	ि वेदन	निवेदन
201		10	दुर्लक्षपूर्ण	दुर्लक्षपूर्व
202	अन्तिम से	12	माल	मील
,,	,,	6	भता	भ्राता
203	,,	13	सं ार	संसार
,,	,,	8	नार	नगर
205	,,	12	बहुत बड़ी	बहुत बड़ी
207		1	याय	जाय
210		11	तालाब	तालाब

1	2	3	4	5
217		16	ई ंशन	इरिगेशन
[illegible]20		12	पच	पच्चीस भी
225	अन्तिम से	2	श्री उतध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
231		8	श्री गिरधारलाल	श्री गिरधारीलाल
538		शीर्ष	एवं पंरण	एवं धारण
257		11	रिचाई	सिंचाई
275		1	जगमोहनसिंह	मुन्शीलाल
292	अन्तिम से	7	खरीदा	खरीदो
299	,,	1	फीट	फिट
301		13	लिये तो	लिए पहले तो
305		1	(श्री रामचन्द्र)	(श्री रामचन्द्र चौधरी)
[illegible]		3	सम्मावना	सम्भावना